

सामाजिक पाषण

(रूसो कृत सोशल कन्ट्रैक्ट का अनुवाद)

अनुवादक

डा० बूलचन्द, आई ए एन.

प्रकाशन व्यूरी

उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

आलोक प्रकाशन

वी. ए. नं. १

प्रथम सस्करण

१९५६

मूल्य

तीन रुपये

मुद्रक

प० पृथ्वीनाथ भार्गव,

भार्गव भूषण प्रेस, गायघाट, बनारस

प्रकाशकीय

भारत को राजभाषा के रूप में हिन्दी की प्रतिष्ठा के पञ्चात् यद्यपि उन देश के प्रत्येक जन पर उनकी समृद्धि का दायित्व है, किन्तु उनमें हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों के विशेष उत्तन्दायित्व में किसी प्रकार की कमी नहीं जाती। हमें नविद्यालय में निर्गमित अवधि के भीतर हिन्दी को न केवल सभी राज-कार्यों में व्यवहृत करना है, उन्ने उच्चतम शिक्षा के माध्यम के लिए भी परिपुष्ट बनाना है। उनके लिए अपेक्षा है कि हिन्दी में वाचस्पय के सभी प्रयोजनों पर प्रमाणित ग्रन्थ हों और यदि कोई व्यक्ति केवल हिन्दी के माध्यम में ज्ञानार्जन करना चाहे तो उनका मार्ग अवच्छेद न रह जाय।

उन्नी भाषना में प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश शासन ने अपने शिक्षा विभाग के अन्तर्गत साहित्य को प्रोत्साहन देने और हिन्दी के ग्रन्थों के प्रकाशन की एक योजना परिष्कारित की है। शिक्षा विभाग की अद्यतनता में एक हिन्दी पत्रसमय समिति की स्थापना की गई है। यह समिति विगत वर्षों में हिन्दी के ग्रन्थों को पुस्तकालयों में साहित्यकारों का उत्साह बढ़ाती रही है और अब उन्ने पुस्तक-प्रकाशन का कार्य आरम्भ किया है।

समिति ने वाचस्पय के सभी अंगों के मध्य में पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन कार्य अपने कार्य में लिया है। उनके लिए एक पत्रवर्षीय योजना बनायी गयी है जिसमें अन्तर्गत ५ वर्षों में ३०० पुस्तकों का प्रकाशन होगा। इस योजना के अन्तर्गत प्रथम में एक विषय के लिए कार्य है किन्तु परन्तु के लिए भी उपरिपरिष्ठ साहित्य में कार्य प्रारम्भ है। इस कार्य का प्रारम्भ किया जा रहा है कि उन्ने में प्राथमिकता उन्नी विषय अथवा उन्ने विषयों का ही कार्य किन्तु हिन्दी में विज्ञान ग्रन्थों है।

प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशन का कार्य आरम्भ करने का यह आशय नहीं है कि व्यवसाय के रूप में यह कार्य हाथ में लिया गया है। हम केवल ऐसे ही ग्रन्थ प्रकाशित करना चाहते हैं जिनका प्रकाशन कतिपय कारणों से अन्य स्थानों से नहीं हो पाता। हमारा विश्वास है कि इस प्रयास को सभी क्षेत्रों से सहायता प्राप्त होगी और भारती के भंडार को परिपूर्ण करने में उत्तर प्रदेश का शासन भी किञ्चित् योगदान देने में समर्थ होगा।

भगवती शरण सिंह

सचिव

हिन्दी परामर्श समिति

विषय-सूची

पुस्तक—१

विषय		पृष्ठ
परिच्छेद	१ प्रथम पुस्तक का विषय	३
"	२ आज समाज	४
"	३ शक्तिशास्त्रोत्तम का अर्थितार	७
"	४ दान्त्य	९
"	५ क्यों एक नवप्रथम प्रगना हो मानना आवश्यक है ?	११
"	६ सामाजिक बन्ध	१६
"	७ नार्चभौमिक मत्ताप्रिकारी	१६
"	८ सामाजिक अवस्था	२२
"	९ धान्नाधिक सम्पत्ति	२४

पुस्तक—२

"	१ नार्चभौमिक मत्ता उत्तन्वप्राम्भ है	३१
"	२ नार्चभौमिक मत्ता प्रमान्य ?	३३
"	३ क्या नार्चभौमिक प्रेरणा विश्रमिता हो सकती है ?	३६
"	४ नार्चभौमिक मत्ता को शिमामें	३१
"	५ अन्तर्गत अन्त मन्त्र का अर्थितार	६३
"	६ विमान	४६
"	७ विमान	४६
"	८ गन्ध (१)	४५
"	९ गन्ध (२)	४६

विषय		पृष्ठ
परिच्छेद १०	राष्ट्र (३)	६१
„ ११	विधानीकरण की विभिन्न शैलियाँ	६५
„ १२	विधानों का विभिन्नीकरण	६८

पुस्तक—३

„ १	शासन, साधारण अर्थ में	७३
„ २	वह सिद्धान्त जिसके आधार पर शासन के भिन्न रूप	
„	सकल्पित होते हैं	७९
„ ३	शासन का वर्गीकरण	८२
„ ४	जनतंत्र	८४
„ ५	शिष्ट जनतंत्र	८७
„ ६	राजतंत्र	९०
„ ७	मिश्रित शासन	९७
„ ८	प्रत्येक शासन का प्रकार प्रत्येक देश के लिए उपयुक्त नहीं होता	९९
„ ९	अच्छे शासन के चिह्न	१०५
„ १०	शासन का दुरुपयोग और उसके नष्टधर्म होने की प्रवृत्ति	१०८
„ ११	राजनीतिक निकाय का निघन	११२
„ १२	सार्वभौमिक सत्ता किस प्रकार सधृत होती है (१)	११४
„ १३	सार्वभौमिक सत्ता किस प्रकार सधृत होती है (२)	११६
„ १४	सार्वभौमिक सत्ता किस प्रकार सधृत होती है (३)	११८
„ १५	प्रतिनियुक्त गण अथवा प्रतिनिधि गण	१२०
„ १६	शासन का सस्थापन पापण रूप नहीं होता	१२५
„ १७	शासन का मस्थापन	१२७
„ १८	शासन के बलाधिकार के निवारण के साधन	१२९

पुस्तक—४

विषय		पृष्ठ
परिच्छेद	१ सर्वसाधारण प्रेरणा अविनाशी है .	१३५
”	२ मतदान	१३८
”	३ निर्वाचन	१४२
”	४ रोम की समितियाँ .	१४५
”	५ धर्मरक्षकता	१५६
”	६ एक शास्त्रत्व	१५९
”	७ दोषवचना .	१६३
”	८ सामाजिकधर्म	१६६
”	९ परिणाम	१७९

पुस्तक १

परिच्छेद १

प्रथम पुस्तक का विषय

मनुष्य जन्मत स्वतंत्र है परंतु हर जगह वह बन्धनयुक्त दिखाई देता है। अनेक व्यक्ति अपने आपको अन्यो का स्वामी समझते हैं, परंतु वे उन अन्यो की अपेक्षा अधिक पराधीन होते हैं। यह परिवर्तन किम प्रकार घटित हुआ, मुझे ज्ञात नहीं। इस परिवर्तन को न्याय-मगत कैसे बनाया जा सकता है? मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का समाधान मैं कर सकता हूँ।

केवल बल और उसके परिणामों की ओर ध्यान केन्द्रित करते हुए मैं यह कहूँगा कि कोई राष्ट्र, जिसे अधीनता स्वीकार करने को बाध्य किया जावे, अधीनता स्वीकार करके श्रेष्ठता का पात्र होता है, परंतु ज्योंही वह पराधीनता की बेड़ी को तोड़ने में सक्षम हो तो उसे तोड़ डालने में श्रेष्ठता का और अधिक पात्र होता है, क्योंकि यदि मनुष्य अपने स्वातंत्र्य को उन्नी अधिकार के अतर्गत प्रत्यादत्त कर लेते हैं जिसके अतर्गत इसे लुप्त किया था तो या तो वे उसे पुनर्ग्रहण करने में निर्दोष हैं या उन्हें इससे वंचित करना दोषयुक्त था। परंतु सामाजिक मुन्यवस्था एक पवित्र अधिकार होता है जो अन्य सर्व अधिकारों के आधार का कार्य करता है। अपरच यह अधिकार प्रकृति में प्राप्त नहीं होता, यह सद्वियों पर आधारित होता है। इसलिए प्रश्न यह आता है कि यह सद्वियाँ क्या वस्तु हैं। इसका विवेचन करने में पहिले मैं यह आवश्यक समझता हूँ कि अपने उपरोक्त कथन को युक्ति द्वारा सिद्ध कर दूँ।

परिच्छेद २

आद्य समाज

समाजो में पूर्वतम ओर एकमात्र प्राकृतिक समाज कुटुम्ब होता है परंतु बच्चे अपने पिता से केवल तभी तक सम्बद्ध रहते हैं जब तक उन्हें अपनी परिरक्षा के लिए उस सम्बद्धता की आवश्यकता होती है। ज्योंही इस आवश्यकता की समाप्ति हो जाती है, प्राकृतिक बंध लुप्त हो जाता है। बच्चे अपने पिता के आज्ञापालन में स्वतंत्र हो जाने से ओर पिता अपने बच्चों की चिन्ता के बंधन से मुक्त हो जाने से दोनों समानतः स्वाधीन हो जाते हैं। यदि वे तदनंतर सम्मिलित रहे तो प्राकृतिक बाध्यता के अतर्गत नहीं रहते, स्वेच्छा में स्वयं रहते हैं। कुटुम्ब केवल रूढ़ि के आधार पर स्थापित रहता है।

उपरोक्त पारस्परिक स्वातंत्र्य मनुष्य की प्रकृति का परिणाम है। मनुष्य का प्रथम सिद्धांत अपने परिरक्षण की चिन्ता होता है। उसकी प्रथम चिन्ताएँ वे होती हैं जिनका वह निज के प्रति उत्तरदायी होता है और ज्योंही वह विवेक की अवस्था को प्राप्त हो जाता है अपने परिरक्षण के लिए कोन से उपाय श्रेष्ठतम होंगे उसका स्वयं निर्णायक होने के कारण स्वाधीन हो जाता है।

अतः कुटुम्ब ही राजनीतिक समाज का आद्य नमूना है। पिता राजक का प्रतिबिम्ब है ओर बच्चे प्रजा के प्रतिबिम्ब, और जन्मत ही समग्न ओर स्वतन्त्र होने के कारण सब अपनी स्वतंत्रता को केवल अपने लाभार्थ ही अन्यक्रामण करते हैं। अतः केवल इतना है कि कुटुम्ब में अपने बच्चों का प्रेम पिता को बच्चों के प्रति उठाई हुई तकलीफों का प्रतिशोधन होता है, राज्य में शासन का आनन्द राजक के प्रेम के अभाव की पूर्ति करता है।

ग्रीशस (Grotius) इसे अस्वीकार करता है कि सब मानुषिक शासन शासितों के हितार्थ ही स्थापित होते हैं। वह दासत्व का उदाहरण देता है। उसकी चानुरीपूर्ण तर्क विधि है, मदा तथ्यों में अधिकारों को प्रतिष्ठापित करना। इससे अधिक

न्यायसगत तर्क-शैलियाँ तो अवश्य हैं परन्तु एकाधिकारियों का इससे अधिक अनुमोदन करनेवाली कोई नहीं ।

इसलिए ग्रोस (Grotius) के कथनानुसार यह सदिग्ध रहता है कि मानव जाति सौ मनुष्यों की सम्पत्ति है अथवा सौ मनुष्य मानव जाति की सम्पत्ति है, और म्वय वह अपनी पुस्तक में सर्वत्र प्रथम मत की ओर ही प्रवृत्त होता है । यही भाव हॉब्स (Hobbes) के है । इस प्रकार मानव जाति पशु-झुड की तरह खण्डों में विभाजित कर दी गयी है कि प्रत्येक खण्ड का एक स्वामी हो जो भक्षणार्थ इसकी प्रतिरक्षा करे ।

यथा चरवाहा गुणों में पशु-झुड में श्रेष्ठ होता है, इसी प्रकार जनसमूह के चरवाहे राजकण भी गुणों में लोगों में श्रेष्ठ होते हैं । फिलो के विवरणानुसार सम्राट् कैली-गुला ने इसी प्रकार तर्क किया था और वह इस सादृश्य में इस अनुमान पर पहुँचा कि राजा ईश्वर होता है और प्रजा पशुवत् प्राणी ।

ग्रोस और हॉब्स का तर्क भी कैलीगुला के तर्क के समान है । इन सबके पूर्व ऐरिस्टॉटल (Aristotle) ने भी कहा था कि प्रकृति के सब लोग समान नहीं हैं, कुछ जन्मत ही दाम होते हैं और कुछ शासक ।

ऐरिस्टॉटल का कथन युक्तियुक्त था परन्तु उसने अपने परिणाम को कारण समझने की भूल की । प्रत्येक मनुष्य जो दासत्व में पैदा होता है दामत्वार्थ ही पैदा होता है यह स्वतः सिद्ध तत्त्व है । अपने बचनो में दाम लोग सब कुछ खो देते हैं, बचनो में छूटने की अभिलाषा तक, वे अपने दानत्व में स्निग्ध हो जाते हैं जैसे यूलीमिम के साथी अपनी पशुवृत्ति में स्निग्ध हो गये थे । इसलिए यदि कोई स्वभाव में ही दाम होता है तो इसका कारण केवल यह है कि वह प्रकृति के प्रतिकूल दास बना दिया गया था । सर्वप्रथम दाम बल द्वारा बनाये गये थे, निज भय के कारण वे दामत्व में स्थिर रह गये ।

आदिम राजा और सम्राट नोह के सम्बन्ध में जो विश्व को विभाजन करनेवाले शनिग्रह के बच्चों के समान तीन महान अधिपों (जिन्हें इनका ऐकात्म्य समझा जाता है) का पिता था, मैंने कुछ नहीं कहा है । मुझे आशा है कि मेरे संयम से लोगों को मनोप

१ 'पब्लिक ला' सार्वजनिक विधान के, क्षेत्र में विद्वत्तापूर्ण अनुसंधान बहूधा प्राचीन कुव्यवहारों के इतिहास मात्र हैं और इनका कट्टसाध्य अध्ययन एक कुराग्रह है । ग्रोस (Grotius) ने यह यथार्थ ही कहा है । (१७८२ के संस्करण में) ।

होगा, क्योंकि इनमें से किसी एक, सम्भवतः सबसे जेठे, अधिप का वंशज होने के कारण, कौन कह सकता है कि अधिकारों की विवेचना के परिणामस्वरूप, मैं ही मानवजाति का न्यायानुकूल राजा सिद्ध न हो जाऊँ ? परन्तु कुछ भी हो, यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि आदिम विश्व का सम्राट उसी प्रकार था जिस प्रकार रॉबिनसन अकेला निवासी होने के कारण अपने द्वीप का सम्राट था, और इस साम्राज्य का सबसे स्निग्ध अंग यह था कि सम्राट् को किसी विद्रोह, युद्ध अथवा पड़्यत्रों द्वारा अपना राज्यासन खोने का भय ही नहीं था ।

परिच्छेद ३

शक्तिशालीतम का अधिकार

मदने शक्तिशाली मनुष्य भी इतना शक्तिशाली नहीं होता कि अपनी शक्ति को अधिकार में और दूसरे की आज्ञानुसारिता को कर्तव्य में परिवर्तित किये बिना मदा स्वामी रह सके। इसलिए शक्तिशालीतम का अधिकार, प्रत्यक्षत विपरीत लक्षणा होने हुए भी, यथार्थ में सिद्धान्त पर स्थापित है। परन्तु क्या कोई इस शब्द का विवेचन नहीं करेगा ? बल एक भौतिक शक्ति है। इसके फलस्वरूप क्या शील उत्पन्न हो सकती है, मुझे स्पष्ट नहीं। बल को अनुनमन करना एक लाचारी क्रिया होती है, इच्छित क्रिया नहीं हो सकती, अधिक में अधिक यह एक चतुराई की क्रिया हो सकती है। परन्तु क्या किसी अवस्था में यह कर्तव्य भी माना जा सकता है ?

इस मिथ्या अधिकार को तनिक कल्पित भी कर ले तो इसमें तर्कहीन प्रत्याप के अतिरिक्त कुछ मित्र नहीं होता, क्योंकि यदि बल में अधिकार निहित हो तो परिणाम कारण के अनुरूप बढ़ता जायगा, और जो बल पहले बल को पराजित कर देगा वह उसके अधिकारों का भी उत्तरवर्ती हो जायगा। ज्योंही मनुष्य आत्महानि के भय में मुग्ध हो अवज्ञा कर सकता है, उसे न्यायपूर्वक ऐसा करने का अधिकार होगा और चूंकि शक्तिशालीतम मनुष्य मदा नाधिकार होता है इसलिए व्यक्ति को स्वयं शक्तिशालीतम बनने के लिए ही क्रियाशील होना चाहिये। परन्तु यह किन प्रकार का अधिकार होगा जो बल के क्षीण होने ही समाप्त हो जाय। अतएव, यदि आज्ञापालन बल में ही आवश्यक है तो आज्ञापालन के कर्तव्य का प्रयोजन ही क्या हुआ और यदि मनुष्यों को आज्ञापालन को बाध्य करना नहीं है तो कर्तव्यता का अंत ही जायगा। उपरोक्त में स्पष्ट है कि शब्द-बल में युक्त अधिकार में कोई प्रयोजन मित्र नहीं होता वह मर्यादा निरर्थक है।

विद्यमान शक्तियों का आज्ञानुसरण करो। यदि इसका यह अर्थ हो कि बल का अनुगमन करो तो उपदेश उचित है परंतु व्यर्थ, क्योंकि इसका कभी उल्लघन होने-वाला ही नहीं है। मैं यह मानता हूँ कि सर्वशक्ति ईश्वर प्रदत्त होती है परंतु सब व्याधियाँ भी तो वही से आती हैं। क्या इसका यह अर्थ है कि चिकित्सक को बुलाना वर्जित होगा? यदि कोई लुटेरा एक घने वन में मुझ पर अकस्मात् आक्रमण करे तो मुझे अपना बटुआ बाध्य होकर तो उसे देना ही होगा, परंतु क्या यह मेरा नैतिक कर्तव्य भी है कि जब बटुए को छिपाना मेरे लिए सम्भाव्य हो तो भी मैं उसे लुटेरे के सुपुर्द कर दूँ, क्योंकि अन्त में जो उसके पास तमचा है, वह अधिक बल का द्योतक है।

उपरोक्त से यह सिद्ध है कि बल से अधिकार उत्पन्न नहीं हो जाता, और न्याय-युक्त शक्तियों के अतिरिक्त हमें किसी का आज्ञानुसरण बाध्य नहीं है। इस प्रकार मेरा आरम्भिक प्रश्न निरन्तर पुनः प्रस्तावित होता है।

परिच्छेद ४

दासत्व

क्योंकि किसी मनुष्य का अपने महचगे पर किसी प्रकार का प्राकृतिक प्रभुत्व नहीं होता और क्योंकि बल अधिकार का श्रोत नहीं होता, इसलिए रुद्धियाँ ही मनुष्य में ममस्त वैध प्रभुत्व का आधार होती हैं।

ग्रीशम कहता है कि यदि एक व्यक्ति अपने स्वातंत्र्य को अन्यक्रामित करके किसी स्वामी का दास बन सकता है तो कोई ममस्त राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता को अन्यक्रामित कर किसी राजा की प्रजा क्यों नहीं बन सकता। उपरोक्त वाक्य में अनेक मद्दिग्ध शब्द हैं जिनकी व्याख्या करना आवश्यक है, परन्तु शब्द 'अन्यक्रामण' की ओर ही हम अपना ध्यान भीमित करेंगे। अन्यक्रामण करने का अर्थ है देना अथवा वंचना। परन्तु जो मनुष्य किसी दूसरे का दास बनता है वह अपने आपको दूसरे को देता नहीं है, केवल अपने निर्वाह के हेतु अपने आपको दूसरे को विक्रय कर देता है। परन्तु कोई राष्ट्र अपने आपको क्यों वंचेगा? अपनी प्रजा को निर्वाह-माधन उपलब्ध करने के स्थान पर राजा स्वयं निर्वाह के माधन प्रजा में लेता है, और रेवीलेज के कथनानुसार राजा किसी थोटे अंश पर निर्वाह नहीं करता। तो क्या प्रजा अपने शरीर को इस शर्त पर पराधीन करती है कि उनकी सम्पत्ति भी उनमें ले ली जायगी? तो उनके पास परिरक्षित रखने को क्या रह जायगा यह ममज्ञ में नहीं आता।

कुछ लोग यह कहेंगे कि स्वैच्छाचारी राजा अपनी प्रजा को सामाजिक शान्ति उपलब्ध करता है। हो सकता है, परन्तु उसमें उन्हें क्या लाभ, यदि उनकी लाठना के अंतर्गत उन पर आरोपित होनेवाले युद्ध और उसके अपने अतृप्य लोग और उनके प्रशासन के प्रवाधान उन्हें अपने पारम्परिक मघपों में भी अधिक दिक् करनेवाले हों? उस प्रशाति में क्या लाभ, यदि यह प्रशाति ही उनके दुश्मों का एक कारण बन जाय? मनुष्य कागवान में भी प्रशाति रहता है परन्तु क्या उसे वहाँ आनंद होना है? माट-

क्लोप्स की गुफा में कारावासित यूनानी भी प्रशाति से निवास करते थे जब तक उनकी भक्षण होने की वारी नहीं आती थी ।

यह तर्क करना कि मनुष्य अपने आपको, कुछ प्राप्त किये बिना ही दे देता है, बिलकुल हास्यास्पद और अविचारणीय है । उपरोक्त क्रिया अवैधानिक और अनुचित है । केवल इस कारण कि जो इस क्रिया को करता है उसकी बुद्धि ठीक नहीं हो सकती । एक समस्त राष्ट्र के लिए इस प्रकार की धारणा करने का अर्थ यह है कि उन्मत्तो का राष्ट्र अनुमानिक किया जाय, और उन्मत्तता से अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते ।

यदि यह मान भी लिया जाय कि कोई व्यक्ति अपने आपको अन्यक्रामित कर सकता है, तो वह अपने बच्चो को तो अन्यक्रामित नहीं कर सकता । वे जन्मत स्वतंत्र मनुष्य होते हैं, उनका स्वातंत्र्य उनका निजी है और सिवाय उनके किसी अन्य को उसे अन्य-क्रामित करने का अधिकार नहीं है । उनके विवेकावस्था को प्राप्त होने से पहिले पिता उनके परिरक्षण और कल्याण के हेतु उनके नाम से शर्तें निर्दिष्ट कर सकता है परन्तु उन्हें अटल रूप में एव बिना शर्त के किसी की अधीनता में नहीं दे सकता, क्योंकि इस प्रकार का देना प्रकृति के प्रयोजन के प्रतिकूल होगा और पितृत्व के अधिकारो का अतिरेक होगा । इसलिए स्वेच्छाचारी शासन को न्यायसगत बनने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक पीढी में लोग इसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार प्रयुक्त करें । परन्तु उस दशा में शासन स्वेच्छाचारी रहेगा ही नहीं ।

अपने स्वातंत्र्य के परित्याजन का अर्थ यह होता है कि व्यक्ति अपने मनुष्यत्व और मानुषिक अधिकारो और कर्तव्यो का परित्याजन कर रहा है । जो प्रत्येक वस्तु का परित्याजन करता है, उस व्यक्ति के लिए कोई क्षतिपूर्ति ही सम्भव नहीं है । इस प्रकार का परित्याजन मनुष्य की प्रकृति के असगत है, क्योंकि प्रेरणा से समस्त स्वतंत्रता को विलग करने का अर्थ यह है कि क्रियाओ को नीतिविहीन बना दिया जाय । सक्षेप मे, ऐसी रूढि जो एक ओर सम्पूर्ण शक्ति और दूसरी ओर असीमित अनुशासन को निर्दिष्ट करती है, निरर्थक और अमगत होती है । क्या यह स्पष्ट नहीं है कि किसी ऐसे मनुष्य के प्रति जिमसे हमें सब कुछ लेने का अधिकार है, हमारे कोई कर्तव्य नहीं होते, और क्या केवल यही एक दशा जिसमें न समानता और न आदान-प्रदान निहित है उस क्रिया को प्रवृत्तिहीन नहीं बना देती ? क्योंकि मेरे दास का मेरे प्रति क्या अधिकार हो सकता है, जब सब कुछ जो उसके पास है वह मेरा ही हो । उससे समस्त अधिकार यथार्थ मे मेरे ही होने के कारण, मेरे अधिकार मेरे अपने ही विरुद्ध एक निरर्थक-सा वाक्याग हो जाता है ।

गोशस और अन्य लेखक दासत्व के मिथ्या अधिकार के एक अन्य स्रोत का युद्ध में निरूपण करते हैं। उनके अनुसार, विजेता को विजित के वध का अधिकार होने से, विजित अपनी स्वतंत्रता विक्रय करके जीवन क्रय कर सकता है, यह गीति दोनों पक्षों को लाभप्रद होने के कारण विल्कुल न्यायसंगत है।

परन्तु यह स्पष्ट है कि विजित के वध का मिथ्याधिकार किसी प्रकार भी युद्धावस्था का परिणाम नहीं हो सकता। अपनी आद्य स्वतंत्र दशा में रहते हुए मनुष्यों के पारस्परिक भवध इतनी पर्याप्त मात्रा में स्थायी न होने में कि उनसे शांति अथवा युद्ध की अवस्था की धारणा हो सके, मनुष्य प्रकृति से शत्रु नहीं हो सकता। यथार्थ में युद्ध वस्तुओं के सम्बन्ध का परिणाम है, मनुष्यों के सम्बन्ध का नहीं, और क्योंकि युद्धावस्था साधारण वैयक्तिक सम्बन्धों से उत्पन्न नहीं हो सकती बल्कि वास्तविक सम्बन्धों में ही उत्पन्न होती है, इसलिए वैयक्तिक युद्ध अर्थात् मनुष्य और मनुष्य के बीच युद्ध, प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान नहीं हो सका जहाँ कि स्थापित स्वामित्व ही नहीं है, और न ही यह सामाजिक अवस्था में विद्यमान हो सकता है जहाँ ममस्त वस्तुओं वैधानिक प्रभुत्व के अधीन होती हैं।

वैयक्तिक संयोजन, द्वन्द्व और मुठभेड यह ऐसी क्रियाएँ हैं जो युद्धावस्था को निर्मित नहीं करती और फ्रांस के राजा लूई नवम के प्रशासन द्वारा प्राधिकृत वैयक्तिक युद्ध जिनका अंत "ईश्वरीय शांति" द्वारा हुआ था, सामंततंत्र के कुपरिणाम मात्र थे। यह हास्यास्पद तंत्र प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांतों और स्वस्थ प्रशासन के सर्वथा प्रतिकूल होता है।

युद्ध व्यक्ति और व्यक्ति का पारस्परिक सम्बन्ध नहीं होता परन्तु राज्य और राज्य का पारस्परिक सम्बन्ध होता है, जिसमें व्यक्ति तो दैवयोग में ही शत्रु बन जाते हैं, मनुष्य होने के नाते नहीं, ना ही नागरिक होने के नाते परन्तु सैनिकों के रूप में, स्वदेश

१ रोम के लोगों ने, जो युद्ध के अधिकारों का विश्व के किसी अन्य राष्ट्र की अपेक्षा अधिक उन्मोह और आदर करते थे, इस विषय में अपने विवेक का इस सीमा तक पालन किया, कि किसी नागरिक को स्वयंसेवक के रूप में युद्ध करने की आज्ञा तब तक नहीं दी जाती थी जबतक वह शत्रु के विरुद्ध अभिव्यक्त रूप से भरती न हो और किसी विशिष्ट शत्रु के नाम का उल्लेख न करे। जब पापीलियम के नेतृत्व का एक दस्ता जिममें कंटो का पुत्र सबसे प्रथम सम्मिलित हुआ, पुनर्संगठन होने के कारण कंटो के पिता पापीलियम ने यह लिखा कि यदि वह अपने पुत्र को दस्ते में सम्मिलित रखने को तैयार हो तो पुत्र

के सदस्यों के रूप में नहीं, इसके रक्षकों के रूप में। सक्षेप में किसी एक राज्य के दूसरे राज्य ही शत्रु हो सकते हैं, वैयक्तिक मनुष्य नहीं, क्योंकि भिन्न प्रकार की वस्तुओं में कोई वास्तविक सबंध स्थापित करना असम्भव होता है।

उपरोक्त सिद्धान्त सब युगों के स्थापित सिद्धांतों और सब संस्कृत देशों के अचल व्यवहार के निरंतर अनुकूल है। युद्ध का उद्घोषण शक्तियों के प्रति चेतावनी का द्योतक न होकर प्रजा के प्रति होता है। वह विदेशी, चाहे राजा हो अथवा कोई वैयक्तिक मनुष्य अथवा राष्ट्र, जो राजा के विरुद्ध युद्ध उद्घोषित किये बिना प्रजा को लूटे, मारे, अथवा वदी करे, शत्रु नहीं बल्कि लुटेरा कहलाता है। उद्घोषित युद्ध तक में न्यायी राजक शत्रु देश में राज्य से युक्त समस्त वस्तुओं को धारण करता है, परंतु व्यक्तियों की देह और सम्पत्ति का आदर करता है। वह उन अधिकारों का आदर करता है जिस पर उसके अपने अधिकार आधारित होते हैं। युद्ध का उद्देश्य शत्रु-राज्य का विनाश होने के कारण, हमारा यह अधिकार है कि उस शत्रु-राज्य के रक्षकों का जब तक उनके हाथ में हथियार है, बंध करते रहे, परंतु ज्योंही वे अपने हथियारों को छोड़ देते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं और शत्रु अथवा शत्रु का साधन नहीं रहते, तो वे सामान्य मनुष्य हो जाते हैं और उनके जीवन पर किसी का अधिकार नहीं रहता। कई बार राज्य के किसी सदस्य को मारे बिना ही राज्य को विनष्ट करना सम्भव होता है। परंतु युद्ध कोई ऐसे अधिकार प्रदान नहीं करता जो इसकी उद्देश्य प्राप्ति के लिए आवश्यक न हो। उपरोक्त सिद्धांत प्रोशस के नहीं हैं। यह कवियों के कथन पर आधारित नहीं हैं, यह तो वस्तुओं की स्थिति से प्रापित है और युक्ति पर आधारित है।

के लिए यह आवश्यक होगा कि वह अब नयी सैनिक शपथ ले क्योंकि पहली शपथ अभिशून्य हो जाने के कारण उसे शत्रु के विरुद्ध लड़ाई करने का अधिकार नहीं रह गया है और कैटो ने अपने पुत्र को लिखा कि बिना एक नयी शपथ ग्रहण किये उसे युद्ध में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। मैं यह जानता हूँ कि मेरे विरुद्ध बलूजियम का घेरा और कुछ और विशिष्ट उदाहरण दिये जा सकते हैं, परन्तु मैं तो नियमों और रूढ़ियों का उल्लेख करता हूँ। किसी राष्ट्र ने भी अपने नियमों का उल्लंघन इतना कम नहीं किया है जितना कि रोम के लोगो ने, और किसी अन्य राष्ट्र के नियम इतने प्रशसनीय नहीं हुए हैं। (१७८२ के संस्करण में)

विजय के अधिकार का शक्तिशालीतम के नियम के अतिरिक्त कोई और आधार नहीं होता। यदि युद्ध विजेता को विजित का वध करने का अधिकार नहीं देता, तो यह अधिकार जो उसे प्राप्त ही नहीं है, उन्हें दाम बनाने के अधिकार का आधार नहीं हो सकता। हमें किमी शत्रु के मारने का अधिकार तभी प्राप्त होता है, जब उसे दाम बनाना असम्भव मिद्ध हो, तो दाम बनाने के अधिकार को मारने के अधिकार में आर्कापित नहीं माना जा सकता। इसलिए यह अन्यायपूर्ण व्यापार है कि किमी व्यक्ति को अपना जीवन, जिम पर विजेता को कोई अधिकार ही नहीं है, अपनी स्वतंत्रता खोकर क्रय करना पड़े। जीवन और मरण के अधिकार को दासत्व के अधिकार पर अवलम्बित करने और दासत्व के अधिकार को जीवन और मरण पर अवलम्बित करने में, क्या यह स्पष्ट नहीं है कि, हम एक दुष्ट चक्र में तर्क कर रहे हैं ?

यदि हम सबको मानने के इस भयानक अधिकार को मान भी ले तो मेरा यह तर्क है कि युद्ध में बनाये हुए दाम अथवा विजित राष्ट्र का स्वामी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं होता, अतिरिक्त इसके कि वह उसका आज्ञापालन करे, जब तक ऐसा करने को बाध्य हो। जीवन के ममान वस्तु लेकर उसका जीवन प्रदान करते हुए विजेता दाम पर कोई कृपा नहीं करता है, उसका वेकार वध करने के वजाय वह अपने लाभ के लिए उसके व्यक्तित्व को विनष्ट कर देता है। इसलिए शासित द्वाग प्रदत्त प्रभुत्व के अतिरिक्त उम पर कोई अधिकार प्राप्त न कर सकने से उन दोनों में पूर्ववत् युद्ध की अवस्था निर्वाहित रहती है, यहाँ तक कि उनका पारस्परिक सम्बन्ध भी डमी अवस्था का फल है और युद्ध के अधिकारों के प्रयोग में यह अनुमान नहीं होना है कि उनमें शांति स्थापन का कोई वधक हुआ। उन्होंने केवल एक स्ति स्थापित की है जो वास्तव में युद्धावस्था की समाप्ति की अपेक्षा इसके अघिराम का ही द्योतक है।

इन प्रकार, हम वस्तुओं का किसी प्रकार अवलोकन करे यह निद्ध है कि दासत्व का अधिकार विधिहीन है, न केवल इसलिए कि यह अन्यायपूर्ण है, बल्कि इसलिए भी कि यह हान्यास्पद और निरर्थक है। यह दोनों शब्द—दासत्व और अधिकार अमगत हैं और परस्पर में अपवर्जी हैं। निम्नाकिन वचन, चाहे वह किमी एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को अथवा किमी मनुष्य द्वारा किमी राष्ट्र को सम्बोधित किया जाय, निरंतर सामान्य रूप में मूर्धतापूर्ण ही विदित होगा, “मैं तुमने वधक करता हूँ जो सर्वथा तुमको क्षति और मुझे लाभदायक होगा, और मैं इन वधन को तब तक मानूँगा जबतक मैं चाहूँगा परन्तु तुम्हें इसे मेरी इच्छापर्यन्त मानना पड़ेगा।”

परिच्छेद ५

क्यों एक सर्वप्रथम प्रसभा को मानना आवश्यक है ?

यदि मैं उस मवको, जिसका अभी तक खडन किया है, मान भी लूं, तो भी एकाधिकार का अनुमोदन करनेवालो की युक्ति सिद्ध नहीं होती। जनसमूह को पराजित करने और समाज पर शासन करने में सदा एक महान अन्तर रहता है। जब अलग-अलग मनुष्य, चाहे उनकी सख्या कितनी ही बडी हो, एक दूसरे के अनन्तर किसी एक व्यक्ति के अधीन होते हैं, तो मेरी दृष्टि में वह स्वामी और दाम की, न कि राष्ट्र और उसके राजक की, अवस्था होती है, उन द्वारा, यदि आप ऐसा कहना चाहे तो समुदाय का निर्माण होता है, सस्था का नहीं, क्योंकि उनकी न सामान्य मम्पत्ति होती है और न कोई राजनीतिक निकाय। यदि ऐसा मनुष्य आधे विश्व को भी अपने अधीन कर ले तो भी वह एक व्यक्ति ही रहता है। अन्य लोगो के हित से भिन्न उसका हित वैयक्तिक ही रहता है। यदि वह मनुष्य मर जाता है तो उसके बाद उमका साम्राज्य अग्नि से प्रज्वलित ओक की तरह विखर जाता है और लुप्त हो जाता है।

ग्रीकस का कथन है कि राष्ट्र अपने आपको राजा के सुपुर्द कर सकता है अर्थात् प्रोशस के मतानुसार, निज को राजा के सुपुर्द करने के पूर्व ही राष्ट्र राष्ट्रपद को प्राप्त हुआ होता है। सुपुर्दगी की क्रिया एक सामाजिक क्रिया है जिसे न्यायमगत बनाने के लिए सर्वसाधारण का सकल्प आवश्यक है। इसलिए जिस क्रिया द्वारा राष्ट्र राजा को निर्वाचित करता है उमका परिनिरीक्षण करने से पहले, उस क्रिया का परिनिरीक्षण करना उचित होगा, जिसके द्वारा राष्ट्र राष्ट्र बना होगा, क्योंकि दूसरी क्रिया में पूर्वगामी होने के कारण यही वह क्रिया है जो समाज का वास्तविक आधार है।

वास्तव में यदि कोई पूर्वगत प्रसभा न हुई हो तो (सर्वसम्मत निर्वाचन की अवस्था के अतिरिक्त) अल्पमस्यक पक्षो को बहुमस्या के निर्णय को स्वीकार करना क्योंकि

क्यो एक सर्वप्रथम प्रसभा को मानना आवश्यक है ?

१५

वध्य होगा । उन मकडो का जो किमी शासक को चाहते हैं उन दमो की ओर मे जो शासन को नहीं चाहते, मत निर्दिष्ट करने का क्या अधिकार होगा ? मतों की अनेकता का सिद्धांत स्वत ही रूढि पर आधारित है और परिकल्पित करता है कि कम से कम एक बार पहले सर्वसम्मति हुई होगी ।

परिच्छेद ६

सामाजिक बन्ध

मैं कल्पित करता हूँ कि मनुष्य उस प्रक्रम पर पहुँच चुके है जहाँ प्राकृतिक अवस्था में परिरक्षण को सकट में डालनेवाली बाधाएँ उनके उस ओज को पराजित कर चकी है जो प्रत्येक व्यक्ति उस अवस्था में अपने आपको सधारण करने के लिए कर सकता था। उपरोक्त दशा में यह आद्य स्थिति निर्वाहित नहीं रह सकती, और मानव जाति के अपने जीवन की रीति को परिवर्तित किये बिना विनष्ट हो जाने की आशका उत्पन्न हो जाती है।

क्योंकि मनुष्य के लिए किसी निरंतर नये ओज को उत्पादित करना असम्भव होता है, परंतु विद्यमान सामर्थ्यों को सगठित और निर्दिष्ट करना ही सम्भाव्य है, इसलिए वे अपने परिरक्षण के लिए अभिसमूहित होकर सामर्थ्यों का एक योग स्थापित करने के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं अपना सकते। ऐसा करने से अविभक्त प्रेरक शक्ति तथा सम्मिलित प्रक्रिया द्वारा बाधाओं को विजित करने की सम्भावना होती है।

सामर्थ्यों का यह योग अनेक के सम्मिलन से ही उत्पादित हो सकता है, परंतु प्रत्येक मनुष्य का बल और स्वातंत्र्य उसके अपने परिरक्षण का मुख्य साधन होने के कारण वह इस बल और स्वातंत्र्य को, अपनी निजी क्षति किये बिना तथा अपने प्रति जो उसे अवधान करना आवश्यक है उसकी अपेक्षा किये बिना, कैसे वधक कर सकता है? मेरे विषय के सदर्थ में इस कठिनाई को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है कि “साहचर्य का ऐसा रूप निकाला जाय जो प्रत्येक सहचारी की देह और सम्पत्ति का परिरक्षण और सरक्षण समुदाय की सम्पूर्ण सामर्थ्य द्वारा कर सके, और जिनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति समस्त दूसरो से एकीभूत होकर भी केवल अपनी ही आज्ञा का अनुपालन करे और पूर्ववत् स्वतंत्र रह सके।” यह वह आधारभूत समस्या है जिसका सामाजिक पापण समाधान उपस्कृत करता है।

इस सामाजिक पापण के खड क्रिया के स्वभाव के अन्तर्गत इस प्रकार निश्चित होते है कि यदि उनमे तनिक भी सम्पत्तिवर्तन हो जाय तो वे निरर्थक और प्रभावरहित हो जाते है, जिसका अर्थ है कि यद्यपि वे कभी यथास्त उच्चारित नही हुए है तो भी वे सर्वत्र समान है और सर्वत्र चुपचाप स्वीकृत और मानित होते है, जब तक कि सामाजिक वय अनिश्चित हो जाने के परिणामस्वरूप प्रत्येक मनुष्य अपने आद्य अधिकारों और उम प्राकृतिक स्वातंत्र्य को पुन प्राप्त नही कर लेता जिसका परिणाम उसने स्वीकृत स्वतंत्रता को अवाप्त करने के लिये किया था ।

यदि ठीक अर्थ समझ लिया जाय तो इन सब खडों को बेवजह एक वाक्यांश में प्रदर्शित किया जा सकता है और वह यह है कि प्रत्येक महत्कारी समस्त समुदाय को अपने समस्त अधिकार पूर्णरूपेण अन्यत्रामित कर देता है क्योंकि प्रथमतः प्रत्येक स्वतंत्र को पूर्णरूपेण अनुवर्तित कर देना है इसलिये प्रतिवध सबके लिये समान होने है, तथा तदनन्तर चूंकि प्रतिवध सबके लिये समान है इसलिये कोई भी उन प्रतिवधों को अन्यो के प्रति काटकारक बनाने में अभिरुचि नही रखता ।

अपराध अन्यत्रामण पूर्णतया होने के कारण सम्मिलित भी नपूर्णतया होता है और कोई महत्कारी पृथक् अधिकार उपस्थित नही कर सकता । क्योंकि यदि व्यक्तियों के पृथक् वैयक्तिक अधिकार रहने दिये जायें तो किसी ऐसे सर्वनिष्ठ वरिष्ठाधिकारी के अभाव में जो किसी व्यक्ति विशेष और साधारण जनता के बीच निर्णय करने की शक्ति रखता हो, प्रत्येक व्यक्ति ही किसी न किसी विन्दु पर अपना निर्णायक होता और सब अधिकारों पर निर्णायक होने का मिथ्या दम्भ कर सकता । परिणाम यह होता कि प्राकृतिक अवस्था निर्वाहित रहनी और साहचर्य या तो अन्यायाचारी हो जाना या निरर्थक हो जाना ।

संक्षेप में, प्रत्येक के अपने आपको सबको देने का अर्थ यह होता है कि प्रत्येक अपने आपको किसी को नही देता । और चूंकि ऐसा कोई महत्कारी नही रहता जिस पर हम वही अधिकार अवाप्त नही कर लेते, जो हम उनको अपने आप पर देने को गज्जी होते हैं, इसलिये हम जो चोते हैं उन्ही के समान प्राप्ति कर लेते है और अपनी सम्पत्ति को सुरक्षित रखने की अनिश्चित शक्ति अवाप्त कर लेते है ।

इसलिये यदि हम सामाजिक पापण के मात्र को उसके उपागों में पृथक् कर दें तो हम देखेंगे कि उसे निम्न खडों में प्रदर्शित किया जा सकता है "हममें में प्रत्येक अपनी देह और अपनी समस्त शक्ति को सर्वसाधारण प्रेरणा के वरिष्ठ निर्देशन के अन्तर्गत सामान्य में डाल देता है और उसके बदले में हम प्रत्येक सदस्य को सम्पूर्ण के एक अभाज्य अंग के रूप में प्राप्त कर लेते है ।"

तुरन्त ही सब पाषित होनेवाले व्यक्तियों को अलग अलग व्यक्तित्व के स्थान पर इस साहचर्य क्रिया द्वारा एक नैतिक और समूह निकाय उत्पन्न हो जाती है जिसके वे सब अग बन जाते हैं और इसी क्रिया द्वारा अपनी एकता, अपनी सामान्य आत्मा, अपने जीवन और अपनी प्रेरणा को प्रतिग्रहण कर लेते हैं। इस सार्वजनिक व्यक्तित्व का नाम जा सब वैयक्तिक सदस्यों के सम्मिलन से इस प्रकार निर्मित होता है पूर्व में नगर' होता था और अब गणराज्य अथवा राजनीतिक निकाय है। निष्क्रिय रूप में इसके सदस्य इसे राज्य कहते हैं और सक्रिय रूप में सार्वभौमिक सत्ता कहते हैं। जब इसी के समान दूसरे निकायों से इसकी उपमा दी जाती है तो इसे शक्ति कहते हैं। इसका निर्माण करनेवाले सहचारी सार्वभौमिक सत्ता में साझी होकर सामूहिक रूप में राष्ट्र और वैयक्तिक रूप में नागरिक कहलाते हैं। बहुधा उपरोक्त शब्द परस्पर सम्भ्रमिक होते हैं और एक दूसरे के हेतु प्रयुक्त कर दिये जाते हैं। यह जानना काफी है कि जब उन्हें सुतथ्यता से प्रयुक्त किया गया हो तो उनमें कैसे भेद किया जायगा।

१ इस शब्द का वास्तविक अर्थ आधुनिक युग में बिल्कुल ही भुला दिया गया है। बहुधा नगर को शहर समझा जाता है और नागरिक को नगरवासी। लोग नहीं समझते कि शहर भवनों से बनता है परन्तु नगर नागरिकों से। इसी भूल के कारण कार्यज निवासियों को बहुत क्षति उठानी पड़ी थी। मैंने कभी भी किसी राजक की प्रजा को नागरिक की उपाधि दी गयी हो ऐसा नहीं पढा, न तो प्राचीन समय में यह मेसेडोनिया के लिये दी गयी, न वर्तमान समय में यह अंग्रेजों को दी जाती है। चाहे वह दूसरों की अपेक्षा स्वतंत्रता का अधिक उपभोग करते हैं। केवल फ्रांसीसी लोग ही शब्द नागरिक को सपरिचय प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि उन्हें इसकी सही कल्पना नहीं है। यह तथ्य उनके भाषाकोषों से स्पष्ट विदित होता है। यदि सही कल्पना होते हुए वे उस शब्द का दुष्प्रयोग करते तो हम उन्हें अत्यंत अभिद्रोह का दोषी ठहरा सकते थे। फ्रांसीसियों में यह शब्द गुण को व्यक्त करता है, अधिकार को नहीं। जब बोदा (Bodin) ने हमारे नागरिकों और नगरनिवासियों का विवरण देना चाहा तो उसने शब्दों के प्रयोग में एक बड़ी गलती कर दी, क्योंकि एक शब्द को दूसरे के लिए प्रयुक्त कर दिया। ऐलम्बर्ट ने इस सम्बन्ध में गलती नहीं की है और अपने लेख जेनेवा में उसने हमारे नगर में विद्यमान मनुष्यों की चार श्रेणियों (पांच कहना होगा यदि विदेशियों को भी गिना जाय) में स्पष्ट भेद किया है, जिनमें केवल दो ही गणराज्य के अग माने जाते हैं। जहाँ तक मुझे ज्ञात है दूसरे किसी फ्रांसीसी लेखक ने शब्द नागरिक का सही अर्थ नहीं समझा।

परिच्छेद ७

सार्वभौमिक सत्ताधिकारी

उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट होगा कि माह्वर्य की क्रिया में सर्वसाधारण जनता और व्यक्ति के बीच एक अन्यान्य अभियुक्ति होती है तथा प्रत्येक व्यक्ति जो इस प्रकार यथार्थ में अपने ही में बंध करता है एक द्विपक्षीय संबंध में अभियुक्त हो जाता है, अर्थात् सार्वभौमिक सत्ता के सदस्य के रूप में अन्य व्यक्तियों के प्रति और राज्य के सदस्य के रूप में सार्वभौमिक सत्ताधिकारी के प्रति। इस प्रकरण में हम व्यवहार विधि का वह सिद्धांत लागू नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति अपने ही में की हुई अभियुक्ति में बद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं अपने में अभियुक्ति करने में और एक ऐसी संपूर्ण इकाई से अभियुक्ति करने में, जिसका स्वयं वह एक अंग हो, बहुत अंतर होता है।

साथ ही यह अवलोकन करना भी आवश्यक है कि सर्वसाधारण का मकल्प जो समस्त जनता को सार्वभौमिक सत्ता के प्रति उपरोक्त द्विपक्षीय सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक का निरूपण होता है, सम्बद्ध कर सकता है। किन्तु प्रतिकार कारणवश सार्वभौमिक सत्ता को स्वतः अपने ही प्रति बद्ध नहीं कर सकता, और परिणामस्वरूप यह राजनीतिक निकाय के स्वभाव के प्रतिबल होगा कि सार्वभौमिक सत्ता अपने पर ही किसी ऐसे विधान का लागू करने जिसका उल्लंघन कर सकता उसे वर्जित हो। चूंकि सार्वभौमिक सत्ता को केवल किसी एक ही सम्बन्ध के अन्तर्गत निरूपित किया जा सकता है जो इसकी स्थिति भी उस व्यक्ति के सदृश ही होती है जो अपने साथ ही बंध करता हो। उपरोक्त सबसे यह स्पष्ट है कि समस्त जनपदीय निकाय पर न कोई आधारभूत नियम और न कोई सामाजिक पापण ही बाध्य होना अथवा हो सकता है। उनका यह अर्थ नहीं है कि यह निकाय किसी अन्य में औचित्य के अन्तर्गत कोई ऐसी अभियुक्तियाँ नहीं कर सकता जिनका परिणाम पापण या अल्पीकरण होगा क्योंकि

विदेशियों के सम्बन्ध में तो यह निकाय एक सामान्य जीव अर्थात् स्वयं एक व्यक्ति हो जाता है।

परन्तु राजनीतिक निकाय अथवा सार्वभौमिक सत्ता केवल पाषण की पवित्रता से अपना अस्तित्व प्राप्त करने के कारण, कभी अपने आपको अन्यो के प्रति किसी ऐसी अभियुक्ति द्वारा बाध्य नहीं कर सकता जिससे आद्य क्रिया का अल्पीकरण होता हो, उदाहरणार्थ अपने किसी क्षेत्र को अन्यक्रामिक कर देना, अथवा किसी अन्य सार्वभौमिक सत्ताधिकारी की अधीनता स्वीकार कर लेना। जिस क्रिया के अन्तर्गत इसका अस्तित्व स्थापित होता है उस क्रिया का अतिक्रमण करने का अर्थ यह होगा कि इसका अपना अस्तित्व मिट जायगा और जो स्वयं शून्य है वह किसी निश्चित वस्तु को उत्पादित नहीं कर सकता।

इसलिये ज्योंही जनममुदाय किसी एक निकाय में सगठित हो जाता है तो किसी एक सदस्य को निकाय पर आक्रमण किये बिना क्षति पहुँचाना असम्भव हो जाता है। इसी प्रकार निकाय को पहुँचाई हुई क्षति का प्रभाव उसके सदस्य अनुभव न करे यह असम्भव हो जाता है। इस प्रकार कर्तव्य और हित दोनों बंध करनेवाले पक्षों को बाध्य करते हैं कि वे पारस्परिक सहायता प्रदान करें, और मनुष्यों को भी इस द्विपक्षीय सम्बन्ध के अन्तर्गत उन समस्त लाभों को प्राप्त करने की जो इससे उत्पन्न हो सकते हैं, चेष्टा करनी चाहिये।

सार्वभौमिक सत्ता केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा निर्मित होने के कारण जो इसके अंग हैं, उन व्यक्तियों के हित के प्रतिकूल न कोई हित रखती है और न रख सकती है। परिणामस्वरूप सार्वभौमिक सत्ता को अपने सदस्यों के प्रति किसी प्रत्याभूति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह असम्भव है कि निकाय अपने समस्त अंगों को क्षति पहुँचाने की अभिलाषा करे और हम आगे चलकर देखेंगे कि सार्वभौमिक सत्ता किसी को भी व्यक्तिगत रूप में क्षति नहीं पहुँचा सकती। सार्वभौमिक सत्ता सार्वभौमिक सत्ता होने के कारण ही उन समस्त गुणों से युक्त है, जो इसमें होने चाहिये।

परन्तु प्रजा की, सार्वभौमिक सत्ता के प्रति यही अवस्था नहीं होती, क्योंकि सामान्य हित होते हुए भी यह निश्चय नहीं हो सकता कि प्रजा अपनी अभियुक्तियों का पालन करेगी, जब तक कि सार्वभौमिक सत्ता प्रजा की राजभक्ति को मुनिश्चित करने के साधन स्थापित न कर दे।

यथार्थ में यह सम्भव है कि प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य के रूप में अपनी विविष्ट प्रेरणा रखे जो उम सर्वधारण प्रेरणा में, जो नागरिक के रूप में उसकी होती है, प्रतिकूल अथवा विभिन्न हो। उसका वैयक्तिक हित सामान्य हित के विलकुल विपरीत उसे प्रेरित कर सकती है। उसका अस्तित्व पूर्ण और प्राकृतिक तीव्र पर स्वतंत्र होने के कारण उसकी यह धारणा बन सकती है कि जो उम द्वारा सामान्य निमित्त को देय है वह एक निःशुल्क अशदान है। उसका लुप्त हो जाना दूसरों को उतना हानिकारक नहीं होगा जितना कि उसका शोषण उसके अपने लिये कष्टकारक होता है। जिस नैतिक व्यक्तित्व से राज्य का निर्माण होता है उसे एक कान्पनिक प्राण समझ कर वह प्रजा का कर्तव्य निभाने का इच्छुक न होते हुए भी नागरिक के अधिकारों का उपभोग करने को उद्यत हो सकती है। उम अन्याय की प्रगति राजनीतिक निकाय के विनाश का कारण बन सकती है।

अतः उम हेतु कि सामाजिक पापण केवल नागहीन सूत्र न रह जाय, इसमें प्रत्यक्ष उल्लिखित हुए बिना यह अभियुक्ति निहित होती है और यथार्थ में इसी अभियुक्ति के कारण दूसरों को बल मिलता है कि जो कोई सर्वसाधारण की प्रेरणा की आज्ञा में विमुख होगा उसे आज्ञापालन को बाध्य करने के लिये समस्त निकाय का बल प्रयुक्त किया जायगा, जिसका अर्थ केवल इतना है कि उसे स्वतंत्र रहने को बाध्य किया जायगा, क्योंकि यही वह प्रतिबन्ध है, जो प्रत्येक नागरिक अपनी जन्मभूमि में सम्बद्ध होते हुए भी किसी अन्य की अधीनता में मुक्त होने की प्रत्याभूति करता है, राजनीतिक यत्र के नियंत्रण और कर्मकरण को सुनिश्चित करना है और जो सामाजिक अभियुक्तियों को न्यायसगत बनाता है। इसके बिना विसंगत, अत्याचारपूर्ण और सब प्रकार के दुष्प्रयोगों से परिपूर्ण होती है।

परिच्छेद ८

सामाजिक अवस्था

प्राकृतिक अवस्था से सामाजिक अवस्था में गमन मनुष्य के आचार में अतः ज्ञान के स्थान पर न्याय धारणा प्रतिष्ठापित करके उसके आचरण को वह नैतिक गुण प्रदान करके जिससे यह पूर्व में विहीन था, एक भारी परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। जब भौतिक प्रेरणा के स्थान पर कर्तव्य के आह्वान की उत्पत्ति हो जाती है और अभिलाषा के स्थान पर विधान की स्थापना हो जाती है, मनुष्य, जिसका ध्यान तब तक केवल निज पर ही केन्द्रित होता था, केवल तभी यह अनुभव करने लगता है कि वह अन्य सिद्धांतों पर कार्य करने और अपनी अभिलाषाओं पर कार्यशील होने से पहिले अपने तर्क की सम्मति लेने को बाध्य है। यद्यपि इस अवस्था में वह अनेक लाभों से वंचित हो जाता है जो उसे प्रकृति से प्राप्त होते थे, तथापि उनके बदले वह कई समान महान् लाभों को अवाप्त कर लेता है। उसकी शक्तियों का अनुष्ठान होने लगता है और वे उन्नत हो जाती हैं, उसके विचार विस्तृत हो जाते हैं, उसकी भावनायें श्रेष्ठ हो जाती हैं, उसकी समस्त आत्मा उस सीमा तक पराकृष्ट हो जाती है कि यदि इस नई अवस्था के दोष उसे वृद्धा उस तल से भी नीचे न गिरा दें जिसमें वह उठा है तो उसे निरंतर उस आनन्ददायक घड़ी का गुणगान करना आवश्यक होगा जिसने उसे सदा के लिये उस तल से मुक्त करा दिया और एक मूर्ख और अनभिज्ञ पशु से एक बुद्धिशाली जीव—मनुष्य बना दिया।

अब हमें उपरोक्त समस्त मापदंड को इस प्रकार विभक्त कर देना चाहिये कि उनकी तुलना मुगमतापूर्वक हो सके। जो कुछ मनुष्य सामाजिक पापण से लौटा है वह है प्राकृतिक स्वातन्त्र्य और उस समस्त पर जिसका वह इच्छुक हो और जिसे प्राप्त करने का मशकत असीमित अधिकार वह अवाप्त करता है, वह है सामाजिक स्वातन्त्र्य और अपने समस्त धारणों पर सम्पत्ति अधिकार। हमें इन प्रतिफलों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की गलती

न हो इसलिए यह आवश्यक है कि हम प्राकृतिक स्वातंत्र्य, जिमकी सीमा की परिधि व्यक्ति की शक्ति होती है, और सामाजिक स्वातंत्र्य जिमकी सीमा में सर्वसाधारण की प्रेरणा में निर्धारित होती है, और इसी प्रकार धारणाधिकार, जो वल के फल और प्रथम आभोग का अधिकार मात्र होता है, और सम्पत्ति अधिकार जो एक स्थित स्वप्न पर आधारित होता है, में स्पष्ट अंतर करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त, हम सामाजिक अवस्था की प्राप्तियों की सूची में नैतिक स्वातंत्र्य भी सम्मिलित कर सकते हैं जिमके फलस्वरूप ही मनुष्य मृत्यु रूप में निज का स्वामी होता है, क्योंकि आकस्मिक अभिलाषाओं की प्रेरणा का नाम दाम्भत्व है और स्वतन्त्र निर्धारित विधान के अनुपालन का नाम स्वतन्त्रता है। परन्तु इस बारे में पहले ही अत्यधिक कह चुका हूँ और शब्द 'स्वतन्त्रता' के दार्शनिक अर्थ का विच्छेपण मेरे वर्तमान विषय से सम्बन्धित नहीं है।

परिच्छेद ६

वास्तविक सम्पत्ति

समाज का प्रत्येक सदस्य समाज के निर्माण होते ही अपने आपको अपने वास्तविक रूप में, अर्थात् अपने आपको ओर अपनी समस्त शक्तियों को, जिनका कि उस द्वारा धारण की हुई सम्पत्ति एक खड होता है, समाज को समर्पित कर देता है। इस विनिमय क्रिया द्वारा धारणाधिकार की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता केवल सार्वभौमिक सत्ता को हस्तान्तरित हो जाने से यह सम्पत्ति बन जाता है। परन्तु यथा राज्य की शक्तियाँ व्यक्ति की शक्तियों से अनुलनीय अधिक होती हैं उसी तरह सार्वजनिक धारणाधिकार अधिक न्यायसंगत हुए बिना भी यथार्थ में, कम से कम जहाँ तक विदेशियों का सम्बन्ध है, अधिक परिरक्षित और अधिक अखण्डनीय हो जाता है, क्योंकि अपने सदस्यों के प्रति तो राज्य, सामाजिकपापण के अन्तर्गत ही (जो राज्य में सब अधिवारों का आधारभूत होता है), नागरिकों की समस्त सम्पत्ति का स्वामी बन जाता है। परन्तु अन्य शक्तियों के प्रति केवल व्यक्तियों से अवाप्त प्रथम उपभोग के अधिकार के बलपर ही यह स्वामी मान्य नहीं किया जा सकता।

प्रथम आभोग का अधिकार, चाहे यह शक्तिशालीतम के अधिकार से अधिक वास्तविक हो, केवल सम्पत्ति के स्थापन के अनंतर ही सत्वाधिकार का रूप धारण करता है। प्रत्येक मनुष्य का प्रकृति से ही उस समस्त में अधिकार होता है जो उसके लिये आवश्यक हो, परन्तु वह निश्चित क्रिया जो उसे किसी सम्पत्ति-विशेष का स्वत्वाधिकारी बनाती है वही क्रिया उसे समस्त अविशिष्ट धारणों से अपवर्जित कर देती है। उसका अपना भाग आवटित हो जाने के कारण उसके लिये अपने आपको उसी तक सीमित रखना वाञ्छनीय हो जाता है और उम अविभक्त सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहता। यही कारण है कि प्रथम आभोग का अधिकार जो प्राकृतिक अवस्था में बहुत क्षीण माना जाता था राज्य के प्रत्येक सदस्य द्वारा सम्मानित किया जाता है। इस

अधिकार के अन्तर्गत मनुष्य इस बात का कम ध्यान रखते हैं कि किमी अन्य की क्या-क्या वस्तु है। उनको अधिक इस बात का ध्यान रहता है कि कौन-सी वस्तु उनकी अपनी नहीं है।

किमी क्षेत्र में प्रथम आभोग के अधिकार को न्यायमगत बनाने के लिये साधारणतया निम्न शर्तें आवश्यक होती हैं। प्रथम यह कि भूमि किमी अन्य द्वारा पूर्व से ही वासित नहीं है। दूसरे यह कि मनुष्य केवल उमी क्षेत्र को धारण करे जिमकी उमे अपने निर्वाह के हेतु आवश्यकता है। तीसरे यह कि मनुष्य उम भूमि को केवल एक निरर्थक अनुष्ठान द्वारा नहीं बल्कि श्रम और कर्षण द्वारा धारण करे, क्योंकि वैधानिक स्वत्व के अभाव में यही एक धारणाधिकार का चिह्न है जिसे अन्य सम्मानित करेंगे।

यथार्थ में यदि हम प्रथम आभोग के अधिकार को आवश्यकता और श्रम के अतर्गन मान लेते हैं तो क्या हम इस अधिकार का क्षेत्र विस्तृततम नहीं कर देने ? क्या इस अधिकार की सीमा निर्धारित करना असम्भव है ? क्या केवल सामान्य भूमि पर पदार्पण ही इसके धारणाधिकार का स्वत्व प्रदान करने को पर्याप्त है ? क्या अन्य मनुष्यों को इस भूमि में तनिक काल के लिये हटा देने की शक्ति इसके लिये काफी है कि उनको इस पर लौटने के अधिकार में भी वचित कर दिया जाय ? कोई मनुष्य अथवा राष्ट्र एक दडनीय बलाधिकार के अतिरिक्त किमी विस्तृत क्षेत्र को धारण करने और शेष समस्त मानव जाति को इसमें लुठन करने का कैसा अधिकारी माना जा सकता है क्योंकि इस क्रिया में अन्य मनुष्य निवाम तथा निर्वाह के स्थान में जो प्रकृति ने सबको सामान्य रूप में प्रदान किये हैं, वचित हो जायेंगे। जब न्यूनेज वाल्यो ने केवल समुद्रतट पर टैम्प्टील के राज्य के नाम पर प्रथम महासागर और समस्त दक्षिण अमेरिका का स्वत्व धारण कर लिया तो क्या यह क्रिया इस देश के समस्त निवासियों को स्वत्वहीन करने और विश्व के समस्त अन्य राजको को इसमें अपवर्जित करने को पर्याप्त थी ? उपरोक्त धारणा के आचार पर इस प्रकार के निरर्थक अनुष्ठान निरन्तर पुनरावृत्त किये जा सकते थे और कैथोलिक राजा अपनी मन्त्री-परिषद् को महमति में केवल एक आवात से ही समस्त विश्व का स्वत्वाधिकार धारण कर सकता था परन्तु ऐसा कर लेने के अनन्तर उमे अपने साम्राज्य में वह भाग पृथक् करना पड़ता जो पूर्व में ही अन्य राजको ने धारण कर लिया था।

हम जानते हैं कि व्यक्तियों की सम्मिलित और समीप स्थित भूमियां नार्वजनिः क्षेत्र बन जाती हैं और नार्वभौमिक नन्ता का अधिकार प्रजा द्वारा प्राप्त भूमि पर

विस्तृत होकर एक साथ वास्तविक और वैयक्तिक बन जाता है। इस क्रिया से भूमि-दार राज्य पर और अधिक आश्रित हो जाते हैं और उनका स्वतः बल ही उनकी स्वामिभक्ति की प्रत्याभूति बन जाता है। यह एक ऐसा लाभ है जिसे पुरातन सम्राटों ने स्पष्ट रूप में नहीं समझा था, वे अपने आपको ईरानियों, सीथियों अथवा मैसेडोनियों के राजा कहलाते थे और अपने आपको लोगों के राजक समझते थे न कि देशों के स्वामी। वर्तमान के सम्राट् अधिक चतुरता से फ्रांस, स्पेन, इंग्लैण्ड आदि के राजा कहलाते हैं। भूमि को धारण करने के कारण वे इसके निवासियों को अपने अधीन रखने में सर्वथा निश्चित रहते हैं।

उपरोक्त अन्यक्रमण की यह विशेषता है कि व्यक्तियों की सम्पत्ति को धारण करके समाज उनको इसमें लुठित करने की अपेक्षा केवल उनके वैधानिक स्वत्व को प्रगोपित करता है तथा बलाधिकार को सत्याधिकार में और उपभोग को स्वत्वाधिकार में परिणत करता है। अपरच, व्यक्तिगत सम्पत्तिधारकों के सार्वजनिक सम्पत्ति के प्रत्यासी मानित होने के कारण और उनके अधिकार राज्य के सब सदस्यों द्वारा सम्मानित होने और सब विदेशियों के प्रति राज्य की समस्त शक्ति द्वारा परिरक्षित होने के कारण (ऐसे सक्रमण के परिणामस्वरूप जो सर्वसाधारण को लाभदायक होता है और उससे भी अधिक लाभदायक उनको स्वतः होता है) ऐसा मानना चाहिये कि उन्होंने सब अपहरित सम्पत्ति को पुनः प्राप्त कर लिया है। एक ही सम्पत्ति पर सार्वभौमिक सत्ता और सम्पत्तिधारक के विभिन्न अधिकार होते हैं, इसका भेद स्पष्ट करके उपरोक्त विरोधाभास का सुगमतापूर्वक समाधान किया जा सकता है, जैसा कि हम आगे बतायेंगे।

यह भी सम्भव है कि मनुष्य सम्पत्ति को धारण करने के पहिले ही सम्मिलित हो जायें और बाद में सबके लिये पर्याप्त भूमि धारण करके उसका सम्मिलित तौर पर उपभोग करे अथवा आपस में बराबर बराबर या सार्वभौमिक सत्ताधिकारी द्वारा निर्धारित अनुपात में विभाजन कर लें। यह अवाप्ति चाहे किसी रीति से हुई हो, यह स्पष्ट है कि जो अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निजी सम्पत्ति पर प्राप्त है वे सदा उन अधिकारों के अधीन होंगे जो समाज को सब पर प्राप्त हैं अन्यथा सामाजिक सगठन में कोई स्थायित्व ही नहीं रहेगा और सार्वभौमिक सत्ता के प्रयोग में कोई वास्तविक बल न रहेगा।

इस परिच्छेद और इस पुस्तक को मैं इस अभियुक्ति के साथ समाप्त करता हूँ जो ममन्त सामाजिक पद्धति का आधारभूत होना चाहिये, वह यह है कि प्राकृतिक समानता को विनष्ट करने की अपेक्षा, आधारभूत बंधन प्रकृति द्वारा आरोपित

भौतिक असमानता को नैतिक और नैयायिक समानता से प्रतिस्थापितकर देता है जिसके परिणामस्वरूप बल और बुद्धि में असमान होते हुए भी मनुष्य रूटि और नैयायिक अधिकार द्वारा समान हो जाते हैं ।

१ कुशासनो में यह समानता केवल आभामी और मायावी होती है, और दीनों को अपनी दीनता में और सम्पन्नो को अपने बलाधिकार में स्थापित रखने का आधार बन जाती है । यथाय में विधान सदा उनके लिये लाभदायक होते हैं जो सम्पत्तिशाली हैं और उन्हें हानिकारक होते हैं जिनके पास कुछ नहीं है । इसमें यह सिद्ध होता है कि सामाजिक अवस्था मनुष्यों को उसी सीमा तक लाभदायक होती है जिन तक प्रत्येक के पान कुछ न कुछ सम्पत्ति हो परन्तु किसी एक के पास अत्यधिक नहीं हो ।

परिच्छेद १

सार्वभौमिक सत्ता अनन्यक्राम्य है

ऊपर निर्धारित सिद्धांतों का प्रथम और सर्वसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि सर्व-साधारण प्रेरणा ही राज्य बल को राज्य की समस्याओं के प्रयोजनानुसार निर्दिष्ट कर सकती है, यह प्रयोजन सर्वकल्याण होता है। यदि समाज की स्थापना वैयक्तिक हितों के विरोध के कारण आवश्यक होती है तो उन्हीं हितों के सम्मिलन द्वारा सम्भाव्य भी होती है। जो इन उपरोक्त विभिन्न हितों में सामान्य होते हैं, वे ही सामाजिक बंध की आधारशिला बनते हैं और यदि सब हित किसी एक बिन्दु पर सम्मिलित न होते तो समाज का अस्तित्व हो ही नहीं सकता था। समाज का प्रशासन भी केवल उन्हीं सम्मिलित हित के कारण ही चलता है।

इसलिये मैं कहता हूँ कि सार्वभौमिक सत्ता, जो सर्वसाधारण प्रेरणा के प्रयोग का ही दूसरा नाम है, कभी अन्यक्राम्य नहीं किया जा सकता, और सार्वभौमिक शक्ति जो एक समूह्य इकाई होती है, केवल अपने द्वारा ही प्रतिनिहित हो सकती है। शक्ति तो पारेषित हो भी सकती है, किंतु प्रेरणा कभी नहीं।

वास्तव में यदि यह असम्भव नहीं कि कोई विशिष्ट प्रेरणा सर्वसाधारण प्रेरणा के किसी विशिष्ट बिन्दु पर सम्मिलित हो सके तो यह अवश्य असम्भव है कि उपरोक्त सम्मिलन चिरस्थायी अथवा अपरिवर्ती हो क्योंकि विशिष्ट प्रेरणा स्वभाव में ही अधिमान्यता की ओर प्रवृत्त होती है और सर्वसाधारण प्रेरणा समता की ओर। साथ ही यह सर्वथा असम्भव है कि उपरोक्त सम्मिलन प्रत्याभूत हो सके, क्योंकि यदि यह निरन्तर अस्तित्व में रहे भी, तो वह केवल वैयक्तिक का फल होगा, किसी प्रयोजनानुसृत क्रिया का नहीं। सार्वभौमिक शक्ति अवश्य यह सकती है कि "मेरी प्रेरणा अब यही है जो किसी विशिष्ट व्यक्ति की है या कम से कम जिसे कोई विशिष्ट व्यक्ति कहना है कि उसकी प्रेरणा है।" परन्तु वह नहीं कह सकती कि "किसी विशिष्ट व्यक्ति की

जो कल प्रेरणा होगी मेरी प्रेरणा भी वही होगी क्योंकि कोई भी प्रेरणा प्रेरणा करने-वाले व्यक्ति के हित के प्रतिकूल सहमनन करने को बाधित नहीं की जा सकती। इसलिये यदि कोई राष्ट्र विवेकशून्यत अनुवर्तन करने की प्रतिज्ञा कर ले तो वह इस क्रिया से ही अपने आपको विलयित कर देता है, अपने राष्ट्रत्व के गुण को खो डालता है। जिस क्षण वह किसी को स्वामी मान्य कर लेता है, वह सार्वभौमिक शक्ति नहीं रहता और इस प्रकार राजनीतिक निकाय विनष्ट हो जाता है।

उपरोक्त का यह अर्थ नहीं है कि राजको के आदेश, जब कि सार्वभौमिक शक्ति विरोध करने का स्वातन्त्र्य रखते हुए भी उन आदेशों का विरोध नहीं करती है सर्व-साधारण प्रेरणा के निर्णय न समझे जावे। इसी अवस्था में सार्वत्रिक म्कता से प्रजा का सहमनन अनुमानित किया जाना चाहिये। यह आगे चलकर सविस्तार स्पष्ट हो जावेगा।

परिच्छेद २

सार्वभौमिक सत्ता अभाज्य है

उसी कारण से जिससे सार्वभौमिक सत्ता अनन्यक्राम्य है, सार्वभौमिक सत्ता अभाज्य भी है। क्योंकि प्रेरणा या तो सर्वसाधारण होती है या नहीं होती, अर्थात् या तो यह प्रजा के समस्त निकाय की होती है या केवल एक भाग की। पहली दशा में उपरोक्त घोषित प्रेरणा सार्वभौमिक सत्ता की एक क्रिया और विधान की निर्माता होती है। दूसरी दशा में यह केवल एक विशिष्ट प्रेरणा अर्थात् दंडाधिकार की क्रिया होती है अथवा उत्कृष्टतम रूप में एक प्रादेश होती है।

परन्तु हमारे राजनीतिक लेखक सार्वभौमिक सत्ता का सिद्धांत के आधार पर वर्गीकरण न कर प्रयोजन के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, वे उसका वर्गीकरण शक्ति और प्रेरणा के रूप अर्थात् विधायी शक्ति और अधिगामी शक्ति के रूप में अथवा करारोपण, न्याय और युद्ध के अधिकारों के रूप में अथवा आंतरिक प्रशासन और विदेशियों में प्रतिपादन की शक्ति के रूप में करते हैं, कभी इन सब अंगों का सम्मिश्रण कर देते हैं और कभी उन्हें पृथक् कर देते हैं। वे सार्वभौमिक सत्ता को एक ऐसे काल्पनिक प्राणी का रूप दे देते हैं जो विभिन्न सवन्वित भागों का बना हुआ है। यूँ कहना चाहिये कि वे एक मनुष्य के अनेक अलग शरीर बना देते हैं, एक केवल आँखों सहित, दूसरा केवल भुजाओं सहित, तीसरा केवल पद सहित। परन्तु अन्य अंगों में विहीन। एक किंवदन्ती है कि जापान के मदांगी दर्शकों के समक्ष बच्चों को काटकर हिस्से कर दिया करने थे, तमाम अवयवों को ऊपर हवा में उछालकर वे बच्चों को

१ प्रेरणा के सर्वसाधारण होने के लिये यह सदैव अनिवार्य नहीं होता कि वह सर्वसम्मत हो, परन्तु यह आवश्यक होता है कि सब मतों की गणना हो, कोई भी यथावत् अपवर्जन सर्व साधारणता के तत्त्व को चिन्तित कर देता है।

जीवित और सर्वांगपूर्ण उतार लेते थे । हमारे राजनीतिक लेखको के कौतुक भी इन मदारियो की भाँति ही है । मेलो में दिखाने योग्य कौतुक द्वारा सामाजिक निकाय के अलग-अलग अग करने के अनतर ये इन अगो को न जाने कैसे पुन सम्मिलित कर देते हैं ।

उपरोक्त विभ्रम सार्वभौमिक सत्ता के वारे मे यथार्थ कल्पना न बनाने और उन वस्तुओ को सार्वभौमिक सत्ता का अग मानने जिनका इससे केवल उद्गम होता है, के कारण उत्पन्न होता है । उदाहरणार्थ, युद्ध घोषित करने और सधि करने की क्रियाओ को सार्वभौमिक सत्ता की क्रियाएँ मान लिया गया है, परन्तु वास्तव में यह ठीक नही है, क्योकि यह दोनो क्रियाएँ स्वय विधान न होकर विधान-शक्ति का प्रयोग मात्र हैं, अर्थात् विशिष्ट क्रियाएँ हैं जिनसे विधान की अवस्था का निर्माण होता है । यह वात और स्पष्ट हो जायगी जब हम शब्द 'विधान' का आधार स्थापित करेगे ।

अन्य वर्गों का इसी प्रकार निरूपण करने से यह पता चलेगा कि जब कभी भी सार्व-भौमिक सत्ता विभाजित प्रतीत होती है तो हमारी कल्पना का ही भ्रम होता है, और जिन अधिकारो को हम उस सार्वभौमिक सत्ता का भाग मानते हैं वे सब उसके अधीन ही हैं और सदैव उन वरिष्ठ प्रेरणाओ की कल्पना करते हैं जिनका ये अधिकार अधि-शामी रूप मात्र हैं ।

अपने निर्धारित सिद्धातो के अन्तर्गत राजा और प्रजा के अन्यान्य अधिकारो का निर्णय करते समय राजनीतिक लेखको के परिणाम, राजनीतिक अधिकारो के सबध मे सुतथ्यता की कमी के कारण कितने दुर्बोध हो गये हैं, इसका विवरण बिलकुल असम्भव है । ग्रीशस की पहली पुस्तक के तीसरे तथा चौथे परिच्छेद मे कोई भी देख मकता है कि वह विद्वान् और उसके अनुवादक वावेरेका अपने वाक्छलो मे इस भय से कि वे कही अत्यधिक न कह डाले अथवा अपने सिद्धातो के अनुसार पर्याप्त मात्रा मे न कह सकें और उन हितो को अप्रसन्न कर दे जिन्हे प्रसन्न करना उनका उद्देश्य था, किस प्रकार उलझ गये तथा व्यग्र हो गये हैं । ग्रीशस ने, जिमने अपने देश से असतुष्ट होकर फ्रांस मे शरण ली थी और जो लुई त्रयोदश की जिसे उसने अपनी पुस्तक भी समर्पित की है, आराधना करना चाहता था, प्रजा को अपने समस्त अधिकारो से वचित करने मे कोई कसर नही छोडी और अत्यन्त कुशलता से उन अधिकारो को राजाओ को प्रदान कर दिया । वावेरेका, जिसने अपने अनुवाद को इंग्लैंड के राजा जॉर्ज प्रथम को

मर्मपित किया है, झुकाव भी प्रत्यक्षतय इसी ओर था। परंतु दुर्भाग्यवश जेम्स द्वितीय के देश निष्कामन के कारण, जिसे वह राज्य-त्यजन कहता है, वह मयत, अस्पष्ट और अपवचित्त कथन करने को बाध्य हो गया ताकि विलियम वलाधिकारी सिद्ध न हो जाय। यदि यह दोनो लेखक मत्य मिद्धातो को अपनाते तो ममस्त कठिनाइयाँ दूर हो सकती थी और उनके लेख निरन्तर प्रभावशाली होने, परंतु उम दशा में उन्हें खेद सहित मत्य बोलना पडता और उन्हें प्रजा की ही आराधना करनी पडती। परन्तु मत्य लाभप्रद नहीं होता और प्रजा न दूत-पद न प्राध्यापक-पद और न ही निवृत्ति वेतन प्रदान कर सकती है।

परिच्छेद ३

क्या सर्वसाधारण प्रेरणा विभ्रमित हो सकती है ?

जो पहिले कहा गया है उससे यह स्पष्ट है कि सर्वसाधारण प्रेरणा सदा ठीक होती है और सदा सार्वजनिक हित की ओर प्रवृत्त होती है, परन्तु यह अर्थ नहीं है कि प्रजा के सकलपो में सदा वही सचाई होगी। व्यक्ति सदा अपना हित चाहता है, परन्तु हमेशा विवेचन नहीं कर पाता। प्रजा कभी भ्रष्ट नहीं होती परन्तु बहुधा धोखे में आ जाती है, और केवल उस दशा में उनकी प्रेरणा निवृत्त हो जाती है।

बहुधा सब व्यक्तियों की प्रेरणा और सर्वसाधारण प्रेरणा में अंतर होता है। सर्वसाधारण प्रेरणा सामान्य हित से ही सम्बन्धित होती है, जब कि सब व्यक्तियों की प्रेरणा वैयक्तिक हितों पर ध्यान देती है और विशिष्ट प्रेरणाओं का आकलितरूप मात्र होती है। परन्तु यदि इन समस्त प्रेरणाओं से अतिरिक्तताओं और न्यूनताओं को काट दें जो यथार्थ में एक दूसरे को प्रतितालित कर देती हैं तो भिन्नताओं के योग के रूप में सर्वसाधारण प्रेरणा रह जाती है।

यदि, जब यथापेक्ष समुचित लोग सकल्प करते हों, नागरिक एक दूसरे से संचार स्थापित कर लें तो सर्वसाधारण प्रेरणा उनके अनेकानेक अल्प विभिन्नताओं के फल-स्वरूप सदा उपलब्ध होगी और सकल्प सदा हितकर होगा। परन्तु जब किसी समाज में

१ मार्क्सिस दार्गांसो कहता है कि “प्रत्येक हित का अलग-अलग सिद्धान्त होता है। दो अमुक हितों का मेल किसी तीसरे हित का प्रतिपक्ष करने में ही होता है।” वह इस व्याख्या का आगे विस्तार कर सकता था कि सब हितों का सम्मिलन प्रत्येक के हित के प्रतिपक्ष स्थापित होने से ही हो सकता है। यदि हितों में भिन्नता न हो तो सामान्य हित का अस्तित्व ही अनुभूत नहीं हो सकता और न ही उसमें कोई बाधा आ सकती है। प्रत्येक वस्तु स्वतः गतिशील हो जाती है, और राजनीति कला नहीं रह सकती।

दल और वटी मस्या की क्षति के कारण पक्षीय सस्थाएँ निर्मित हो जाती हैं तो उपरोक्त प्रत्येक मस्या की प्रेरणा निजी मदस्यो के मवध मे तो सर्वसाधारण होती है परन्तु राज्य के मन्त्र मे विशिष्ट रहती है, उम दशा मे यह कहा जा सकता है कि उम राज्य मे मताधिकारियों की मस्या व्यवितयो पर आधारित रहने की अपेक्षा मस्याओं पर आधारित हो गयी है। पारम्परिक भिन्नताएँ अल्पमह्यक हों गयीं हैं और फलम्बरूप कम सर्वसाधारण रह गयी है। अतत जब उपरोक्त मस्याओ मे मे कोई एक इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वह अन्य ममस्त मस्याओ पर अभिभावी हो सके तो परिणाम मे अन्य भिन्नताओ का योग प्राप्त नहीं होता है, अपितु एक विशिष्ट भिन्नता प्राप्त होती है। इस दशा मे सर्वसाधारण प्रेरणा रहती ही नहीं। वल्कि जो प्रेरणा प्रवण होती है वह एक विशिष्ट प्रेरणा ही है।

अत सर्वसाधारण प्रेरणा को स्पष्ट रूप मे प्रकाशित करने के लिए, यह आवश्यक है कि राज्य मे कोई पक्षीय मस्या न हो वल्कि प्रत्येक नागरिक अपने निजी मत को ही व्यवत करे। महान् लिसर्गम के अपूर्व एव उत्कृष्ट विधान का यही आशय था। परन्तु यदि पक्षीय मस्याएँ अनिवार्य हो तो यह आवश्यक है कि उनकी मस्या अधिकाधिक हो ताकि असमानता असम्भव हो जाय, जैसा मोल्न, न्यमा और मन्चियन ने निरूपित किया था। उपरोक्त ही वे उचित पूर्वविधान हैं जिनमे इस बात का विश्वास हो सकता है कि सर्वसाधारण प्रेरणा मदा प्रकाशित होगी तथा जनता को धोखा नहीं लगेगा।

१ मक्यावली का कथन है "यह मत्त है कि सधराज्य के कुछ भाजन क्षतिकारक और कुछ उपयोगी होते हैं। वे भाजन क्षतिकारक होते हैं जो गुट्टु और पक्षों मे मंसगिक होते हैं, वे लाभदायक होते हैं जो गुट्टु और पक्षों के बिना ही संग्रहीत होते हैं। चूंकि राज्य का कोई सस्थापक यह पूर्वविधान नहीं कर सकता कि राज्य में शत्रुता उत्पन्न नहीं होगी, उसे कन से कम इस बात का पूर्वोपाय अवश्य करना चाहिए कि गुट्टु स्यापित न हों।"

परिच्छेद ४

सार्वभौमिक सत्ता की सीमाएँ

यदि राज्य या नगर एक नैतिक निकाय है जिसका जीवन उसके सदस्यों के सम्मिलन में निहित है, और यदि इस निकाय की सबसे महत्त्वपूर्ण अपेक्षा आत्मसंरक्षण है, यह स्पष्ट है कि इस राज्य के प्रत्येक भाग को समस्त के हित की दृष्टि से उचित रूप में चालित और व्यवस्थापित करने के लिए सार्वत्रिक और वाध्यकारी बल की आवश्यकता होती है जैसे प्रकृति प्रत्येक मनुष्य को उसके समस्त अंगों पर पूर्णाधिकार देती है उसी प्रकार सामाजिक पापक राजनीतिक निकाय को उसके समस्त सदस्यों पर निरपेक्ष शक्ति प्रदान करता है, और यही वह शक्ति है जो सर्वसाधारण प्रेरणा से संचालित होने की दशा में जैसा मैं पहिले भी कह चुका हूँ, सार्वभौमिक सत्ता के नाम से निर्दिष्ट होती है।

परन्तु सार्वजनिक व्यक्तित्व के अतिरिक्त हमें लोगों के निजी व्यक्तित्व पर भी विचार करना आवश्यक है, क्योंकि उनका जीवन और स्वतंत्रता प्राकृतिक तौर पर सार्वजनिक व्यक्तित्व से अलग है। इस प्रकार नागरिकों और सार्वभौमिक सत्ता के अन्यान्य अधिकारों में और इसी प्रकार नागरिकों के उन अधिकारों में जो उन्हें प्रजा के रूप में उपलब्ध है और प्राकृतिक अधिकारों में जो उन्हें व्यक्ति होने के कारण उपभोग्य है, स्पष्ट भेद किया जाना चाहिए।

यह अनुमान कि सामाजिक पापण के अतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने समस्त बल,

१ सावधान पाठको, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी में मुझ पर विरोधाभास का आक्षेप नहीं करो। भाषा की दरिद्रता के कारण मैं शब्दों में इसे वर्जित नहीं कर सकता हूँ, परन्तु प्रतीक्षा कीजिये।

अपनी समस्त सम्पत्ति और अपने समस्त स्वातंत्र्य का जो भाग अन्यक्रामित करता है वह केवल वही है, जिसका प्रयोग समुदाय के लिए आवश्यक होता है, किन्तु यह स्वीकार करना भी अनिवार्य है कि समुदाय के लिए क्या आवश्यक है, इसका निर्णायक केवल सार्वभौमिक सत्ताधिकारी ही होता है।

वे सब मेवाएँ जो नागरिक राज्य को दे सकती हैं, सार्वभौमिक शक्ति की माँग पर राज्य के प्रति देय होती हैं, परंतु दूसरी ओर सार्वभौमिक शक्ति प्रजा पर कोई ऐसा भार नहीं डाल सकती जो समुदाय के लिए लाभदायक न हो। सार्वभौमिक शक्ति ऐसा करने की अभिलाषा तक नहीं कर सकती क्योंकि युक्ति नियम के अंतर्गत, यथा प्राकृतिक नियम के अनुसार अकारण ही कोई क्रिया नहीं होती।

जो अभियुक्तियाँ हमको सामाजिक निकाय में वधित करती हैं, वे पारस्परिक होने के कारण दायित्व बन जाती हैं और उनका स्वभाव ऐसा होता है कि उनकी पूर्ति करने में अपना कार्य किये बिना व्यक्ति दूसरों का काम नहीं कर सकता। सर्वसाधारण प्रेरणा इसीलिए मदा न्यायमगत होती है और सब व्यक्ति अनिवार्य रूप से प्रत्येक की स्मृद्धि के इच्छुक होते हैं, क्योंकि समाज में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो "प्रत्येक" को अपने लिए प्रयुक्त न करता हो और सब ओर से मत प्रगट करने हुए अपने आपको (प्रत्येक) न समझता हो। इसमें मिथ्या होता है कि अधिकारों की समता और न्याय का भाव जो सर्वसाधारण प्रेरणा में उत्पादित होते हैं, वे उस अधिमान्यता में व्युत्पादित हैं जो प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको देता है, परिणामस्वरूप मनुष्य के स्वभाव में ही व्युत्पादित है और कि सर्वसाधारण प्रेरणा यथायथ में सर्वसाधारण प्रेरणा होने के लिए न केवल प्रयोजन में, बल्कि मागत ही सर्वसाधारण होनी चाहिए, और कि सर्वसाधारण प्रेरणा सब को लागू होने के लिए इसे सर्वसाधारण में उदयमान भी होना चाहिए और कि सर्वसाधारण प्रेरणा की प्राकृतिक मन्थना विनष्ट हो जाती है यदि वह किसी वैयक्तिक और विशिष्ट प्रयोजन की ओर प्रवृत्त हो जाय, क्योंकि उस दशा में, जो हमें अज्ञात है उसका मापदंड करने का हमारे पास कोई न्याय का मन्थ मित्रात नहीं होता।

वास्तव में, जब कभी भी किसी विशिष्ट तथ्य अथवा अधिकार का निरूपण किसी ऐसे विद्वत् के मन्थ में, जिसका विनियमन पूर्व सामान्य रुढ़ि द्वारा न हुआ हो, करना होता है तो विषय विवादग्रस्त हो जाता है। उन विवाद में स्वतन्त्राधिकारों व्यक्ति एक पक्ष होते हैं और सर्वसाधारण जनता दूसरा पक्ष, परंतु मुझे यह स्पष्ट नहीं कि उनका निर्णय किन विधान व किन निर्णायक द्वारा किया जा सकता है। विवादग्रस्त विषय

को सर्वसाधारण प्रेरणा के स्पष्ट निर्णय के हेतु अभ्युद्विष्ट करना हास्यास्पद होगा क्योंकि सर्वसाधारण प्रेरणा केवल एक पक्षीय निर्णय का ही हो सकेगा, जो परिणामतः दूसरे पक्ष के लिए ऐसी प्रेरणा मात्र होगा जो निजान्मा से भिन्न तथा विशिष्ट और उपरोक्त परिस्थिति में अन्याय की ओर प्रवृत्त और त्रुटिपूर्ण होगी। इसलिए जिस प्रकार विशिष्ट प्रेरणा सर्वसाधारण प्रेरणा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, उसी प्रकार सर्वसाधारण प्रेरणा किसी विशिष्ट निमित्त की ओर प्रवृत्त हो जाने से स्वभावतः परिवर्तित हो जाती है और सर्वसाधारण न रहने के कारण किसी व्यक्ति अथवा तथ्य का निर्णय करने की अधिकारी नहीं रहती। उदाहरणार्थ, जब अथेन्स की प्रजा अपने राजको को निर्वाचित अथवा अधिकारच्युत करने लगी, किसी एक को आदरित और दूसरे को दंडित करने के प्रादेश प्रसारित करने लगी और अनेक विशिष्ट प्रादेशों द्वारा शासन के सब कृत्यों का अविवेकता से प्रयोग करने लगी, तो वह प्रजा सर्वसाधारण प्रेरणा को धारण न करने के कारण सार्वभौमिक सत्ता का रूप न होकर केवल दंडाधिकार की शक्ति ही प्रयोग करने लगी। यह मेरा कथन सामान्य विचारों के विपरीत प्रतीत होगा, परंतु मुझे अपने विचारों की व्याख्या करने का अवसर मिलना चाहिए।

उपरोक्त से स्पष्ट होगा कि जो प्रेरणा को सर्वसाधारणता का गुण प्रदान करता है वह मतों की सख्या नहीं परन्तु हित की सामान्यता है जिसके कारण मत सम्मिलित होते हैं, क्योंकि इस सस्थान के अन्तर्गत, प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्यतः अपने लिए वही वधन मान्य करता है जो वह दूसरों पर आरोपित करता है। हित और न्याय का यह एक प्रशसनीय सम्मिलन है जिसके फलस्वरूप सामुदायिक वितर्क में एक न्याय का भाव उत्पन्न हो जाता है जो किसी व्यक्तिगत प्रकार्य की चर्चा में विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ कोई सामान्य हित सम्मिलन करने का अथवा निर्णायक के मुख्य सिद्धांतों का पक्ष के साथ एकात्म्य करने का हेतु नहीं होता।

चाहे किसी मार्ग से अपने सिद्धांत की ओर उपगमन करे, हम सदा उसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि सामाजिक पाषण नागरिकों में एक ऐसी समता स्थापित कर देता है कि वे सब समान वधनों के आधीन हो जाने और समान अधिकारों को प्राप्त करने के लिए वाच्य हो जाते हैं। इस प्रकार पाषण के स्वभाव के अन्तर्गत सार्वभौमिक सत्ता की प्रत्येक क्रिया, या यूनं कहिये कि सर्वसाधारण प्रेरणा का प्रत्येक प्रामाणिक कार्य, सब नागरिकों को एक समान ही वधित अथवा अनुगृहीत करता है, जिसका अर्थ है कि सार्वभौमिक शक्ति राष्ट्र के निकाय को ही पहिचानती है और उस निकाय को सगृहीत करनेवाले व्यक्तियों में भेद नहीं करती। अब प्रश्न यह है कि सार्वभौमिक

सत्ता की क्रिया यथार्थ में है क्या ? यह क्रिया उत्कृष्ट तथा हीन के मध्य सविदा नहीं, परन्तु निकाय की अपने प्रत्येक सदस्य के साथ सविदा रूप है। यह सविदा विध्यानु-कूल है, क्योंकि इसका आधार सामाजिक पापण है, यह सविदा न्यायिक है, क्योंकि यह सबके लिए समान है, यह सविदा लाभप्रद है, क्योंकि सर्वमाधारण के हित के अतिरिक्त इसका कोई प्रयोजन नहीं हो सकता, यह सविदा चिरस्थायी है, क्योंकि सर्वमाधारण का बल और बरिष्ट शक्ति इसकी प्रत्याभूति होती है। जब तक लोग उपरोक्त सविदा के अधीन होते हैं वे निजी प्रेरणा का ही अनुवर्तन करते हैं, किन्ती अन्य व्यक्ति का नहीं और उस अवस्था में यह प्रश्न करना कि सार्वभौमिक शक्ति और नागरिकों के अन्यान्य अधिकारों की सीमा क्या है, यथार्थ में यह पूछना है कि नागरिक परस्पर में, अर्थात् एक समस्त के साथ और समस्त एक के साथ, किम सीमा तक अभिव्यक्त कर सकते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सार्वभौमिक शक्ति मार्वांत्रिक पूर्णाधिकारी, मार्वांत्रिक पुनीत, एव मार्वांत्रिक अनधिक्रम्य होते हुए भी सामान्य सविदा का न उल्लंघन करनी है और न कर सकती हैं और कि इस सविदा के अन्तर्गत सब मनुष्य अपनी सम्पत्ति और स्वातंत्र्य के उस भाग का जो उनके पास रहा हो, पूर्णरूपेण व्यवस्थापन कर सकते हैं, और कि सार्वभौमिक शक्ति किन्ती व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति में अधिक भार डालने का अधिकार नहीं रखती, क्योंकि ऐसा करने से प्रक्रिया विशिष्ट हो जायगी और उसकी सत्ता सक्षम न रह जायगी।

यदि उपरोक्त भिन्नताएँ मान्य कर ली जावे तो यह अमत्य मित्र हो जायगा कि सामाजिक पापण के अन्तर्गत व्यक्तियों की ओर में कोई स्वत्व त्याग होता है, वास्तव में सामाजिक पापण के फलस्वरूप व्यक्तियों की स्थिति पूर्व की अपेक्षा अधिमान्य होती है, कुछ लोगों की अपेक्षा वे अपनी अनिश्चित तथा सदिग्ध जीवनचर्या का एक श्रेष्ठतर और अधिक विश्वस्त जीवनचर्या से, प्राकृतिक स्वाधीनता का स्वातंत्र्य में, अन्यो को धत्ति पहचाने की धत्ति का निश्चित संरक्षण में, और दूसरों को विजित कर सकने के बल का सामाजिक संगठन द्वारा संगठित जननिष्क्रम्य अधिकार में, लाभप्रद विनियमन कर लेते हैं। उनका जीवन भी, जिसे उन्होंने राज्य के प्रति समर्पित कर दिया है, निरन्तर राज्य द्वारा संरक्षित होता है, और जब वे राज्य की मुग्धा हेतु उसे आपत्ति में डालते हैं, तो यथार्थ में वे इसमें अधिक क्या करते हैं कि जो उन्होंने राज्य ने प्राप्त किया है, वह उसे फेर दे। क्या प्राकृतिक अवस्था में वही किया उन्हें अधिक बारबार और अधिक जोरिम के साथ नहीं करनी पड़ती थी, जब उन्हें अनिवार्य

सघर्षों में अभियोजित होते हुए अपने निर्वाह के साधनों तक को अपने जीवन को आपत्ति में डालकर प्रतिरक्षित करना पड़ता था ? यह सत्य है कि आवश्यकता होने पर प्रत्येक को अपने देश के लिए युद्ध करना पड़ता है, परन्तु पृथक् व्यक्ति को भी अपनी रक्षा के लिए युद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। क्या अपनी सुरक्षा को स्थिर करने के लिए उस जोखिम का एक क्षीण भाग वहन करना प्राप्त नहीं है जिसे इस सुरक्षा के अभाव में हर व्यक्ति को अपनी वैयक्तिक रक्षा के लिए पूरा वहन करना पड़ता था ?

परिच्छेद ५

जीवन और मरण का अधिकार

यह प्रश्न किया जा सकता है कि वे व्यक्ति जिन्हें अपने जीवन को समाप्त करने का अधिकार नहीं है, सार्वभौमिक शक्ति को वह अधिकार, जो उन्हें स्वयं प्राप्त नहीं है, कैसे दे सकते हैं ? इस प्रश्न का निराकरण केवल इसलिए कठिन प्रतीत होता है कि यह प्रश्न गलत प्रकार में प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं परिरक्षित होने के लिए अपने जीवन को सकट में डालने का अधिकार है। क्या कोई कह सकता है कि जो व्यक्ति आग में वचने के लिए गिडकी से नीचे कूदता है, वह आत्महत्या का दोषी है ? इसी प्रकार क्या यह अपराध किमी ऐसे व्यक्ति के मिर आरोपित किया गया है जो तूफान में मर गया हो हालांकि जहाज में चढ़ते समय वह तूफान आने की सम्भावना से अनभिज्ञ नहीं था ?

सामाजिक बंध का उद्देश्य सविदा करनेवाले पधों का परिरक्षण होता है। जो निमित्त का इच्छुक होता है, उसे उम निमित्त प्राप्ति के माघनों को भी मान्य करना पड़ता है, और माघनों में कुछ सकट और कुछ हानियाँ अविभेद्य होती हैं। जो अपने जीवन को दूसरों के सहारे परिरक्षित करना चाहता है उसे अपने जीवन को भी आवश्यकता पड़ने पर दूसरों के लिए देने को उद्यत होना चाहिए। नागरिक उम सकट का निर्णायक नहीं हो सकता जिसे विधान के अन्तर्गत उम महन करना पड़ता है, और जब राजक उम आदेश देता है कि "राज्य के रक्षण के लिए यह आवश्यक है कि तुम मरो" उसे मरने को उद्यत होना चाहिए, क्योंकि इसी शर्त पर उमने इतने दिनों तक अपना जीवन निर्भयता में बिताया है और क्योंकि उमका जीवन अब प्रकृति का उपहार न रहकर राज्य का सप्रतिबध उपहार हो गया है।

अपराधियों को जो मौत का दंड दिया जाता है, उमने इसी दृष्टिकोण में देखा जा सकता है। हत्या करनेवाला मरने को इसलिए राजी हो जाता है कि नहीं तो उम

किसी घातक की बलि होना पडेगा। सामाजिक वध में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा परिरक्षित करने की ही सोचता है और वध करते समय सविदा करनेवाले पक्ष फाँसी लगने का चिंतन तक नहीं करते।

अपरच, हर अपराधी जो सामाजिक अधिकारो पर आक्रमण करता है, अपने कार्यों के फलस्वरूप देश के प्रति विद्रोही और विश्वासघाती हो जाता है। देश के विधानो का उल्लघन करने के कारण वह उस देश का सदस्य नहीं रहता बल्कि उससे युद्ध करने का अपराधी हो जाता है। उस दशा में राज्य का परिरक्षण तथा उस व्यक्ति का परिरक्षण परस्पर में असंगत हो जाते हैं, दोनो में से एक का विनाश अनिवार्य हो जाता है। इसलिए जब किसी अपराधी को फाँसी दी जाती है तो यथार्थ में एक नागरिक को फाँसी नहीं दी जाती, बल्कि एक शत्रु को। प्रकरण की कार्यवाही और निर्णय इस बात का प्रमाण तथा घोषणा है कि उस व्यक्ति ने सामाजिक वध को तोड़ दिया है और फलतः वह उस राज्य का सदस्य नहीं रह गया है। चूँकि देश में निवास होने के कारण उसकी सदस्यता को स्वीकृत कर लिया गया था, अब उसे वध के उल्लघनकर्ता होने के कारण देश से निष्कासित करके अलग करना अथवा सार्वजनिक शत्रु के रूप में मौत द्वारा समाप्त कर देना आवश्यक है क्योंकि उपरोक्त शत्रु एक नैतिक व्यक्ति न रहकर केवल एक मनुष्य रह जाता है और युद्ध के नियमो के अन्तर्गत पराजित शत्रु को मारना न्यायसंगत होता है।

परंतु कोई यह कह सकता है कि अपराधी को मौत का दंड देना एक विशिष्ट क्रिया है। यह बात स्वीकार है, मृत्यु-दंड देने का अधिकार सार्वभौमिक सत्ता में निहित नहीं है। सार्वभौमिक सत्ता इस अधिकार को दूसरे को प्रदान कर सकती है परंतु स्वयं इसका प्रयोग नहीं कर सकती। मेरे समस्त विचार शृंखलावद्ध हैं, परंतु मैं उन सबकी एक साथ ही व्याख्या नहीं कर सकता।

साथ ही यह भी ठीक है कि मृत्यु-दंड की बारवारिता सदा शासन की दुर्बलता एवं अचेतता का द्योतक होती है। कोई मनुष्य इतना निरुपयोगी नहीं होता कि उसे किसी न किसी निमित्त के योग्य न बनाया जा सके। हम उदाहरण स्थापित करने के निमित्त भी केवल उन्हीं को मारने के अधिकारी हैं, जिनका परिरक्षण करना खतरे से खाली न हो।

जहाँ तक क्षमा प्रदान करने अथवा अपराधी मनुष्य को विधान के अतर्गत न्याया-त्री द्वारा दिये हुए दंड से मुक्त करने का सम्बन्ध है, यह अधिकार केवल सार्वभौमिक

मत्ता में ही निहित है, जो न्यायाधीश और विधान दोनों के ऊपर है। तथापि सार्व-
 भीमिक मत्ता का यह अधिकार बहुत स्पष्ट नहीं है और इसे प्रयोग में लाने के अवसर
 बहुत विरले आते हैं। मुगासित्त राज्य में दंड बहुत कम दिये जाते हैं। इसका कारण
 यह नहीं कि बहुधा क्षमा प्रदान की जाती है, बल्कि यह कि अपराधी ही कम होते हैं।
 जब राज्य क्षय की ओर प्रवृत्त होता है, तो अपराधियों का समूह तक दंड में वन्न जाता
 है। रोमी गणराज्य में न सिर्फ मभा और न उप-राज्यपाल क्षमा प्रदान करने को उद्यत
 होते थे, जन-समुदाय भी क्षमा प्रदान नहीं करता था, यद्यपि अनेक बार वे अपने
 निर्णयों को निरस्त कर देने थे। बारबार क्षमा प्रदान का अर्थ यह होता है कि शीघ्र
 ही अपराधियों को क्षमा की आवश्यकता न रहेगी, और उसका अंतिम परिणाम
 क्या होगा, हर व्यक्ति समझ सकता है। लेकिन मेरा हृदय अमृतुष्ट ही रहा है और
 मेरी लक्ष्मणी को रोक रहा है। इन प्रश्नों को उस धार्मिक मनुष्य के विचारार्थ छोड़ना
 ठीक होगा जिसे कभी अपराध न किया हो और जिसे कभी क्षमा-प्राप्ति की आव-
 श्यकता न पड़ी हो।

परिच्छेद ६

विधान

सामाजिक पापण से राजनीतिक निकाय तो अस्तित्व में आ गया, अब प्रश्न यह है कि विधान द्वारा इसे गति और प्रेरणा किस प्रकार पदान की जाय, क्योंकि मूल क्रिया जो इस निकाय को निर्मित अथवा सम्मिलित करती है, इसके अतिरिक्त और कुछ निश्चय नहीं करती कि इस निकाय को अपने सरक्षण के लिए क्या करना चाहिये।

जो उचित है और व्यवस्था के अनुरूप है वह वस्तुओं के स्वभाव के अतर्गत और मानुषिक सविदा से स्वतन्त्र ही ऐसा होता है। समस्त न्याय ईश्वरीय देन है। समस्त न्याय ईश्वर से प्राप्त होता है, केवल वह ही इसका स्रोत है, परन्तु यदि हमारे लिए इतने उत्कृष्ट स्रोत से सीधा उसे प्राप्त करना सम्भव होता तो हमें न शासन की आवश्यकता थी और न विधानों की। निस्सन्देह सार्वत्रिक न्याय विवेक से ही उत्पन्न होता है, परन्तु यह न्याय समुदाय में मान्य होने के लिए अन्योन्य होना चाहिये। यदि वस्तुओं को मानुषिक दृष्टिकोण से देखा जाय तो प्राकृतिक सम्मोदन-विहीन न्याय सिद्धान्त मनुष्य-समुदाय में निरर्थक सिद्ध होते हैं। जब कोई एक व्यक्ति उन पर दूसरे सब मनुष्यों के प्रति अमल करे, परन्तु कोई और मनुष्य उस व्यक्ति के प्रति उन पर अमल न करे तो वे दुष्टों को लाभप्रद और भलो को हानिप्रद ही सिद्ध होते हैं। इसलिए रुढियाँ तथा विधान अधिकारों को कर्तव्यों के साथ सम्मिलित करने और न्याय को उसके प्रयोजन के साथ सम्वद्ध करने के लिए आवश्यक होते हैं। प्राकृतिक अवस्था में जहाँ सब कुछ सामान्य है, उन्हें, जिनको मैंने कुछ देने का वचन नहीं दिया है, कुछ भी देने को बाध्य नहीं हूँ, केवल वही वस्तु मैं दूसरों की सम्पत्ति मानने को उद्यत हूँ जो मेरे लिये निरर्थक है। सामाजिक अवस्था में जहाँ सब अधिकार विधान द्वारा सस्थापित होते हैं, उपरोक्त स्थिति उपस्थित नहीं होती।

परन्तु अतः विधान है क्या? जब तक लोग इस शब्द के साथ आध्यात्मिक विचारों का सम्मिश्रण करते रहेंगे उनकी दलीलें दूसरों की समझ में नहीं आयेंगी और उस दशा में, जब वे प्राकृतिक विधान की व्याख्या करेंगे, तो उससे किसी को राज्य का विधान क्या है, यह अधिक स्पष्ट नहीं होगा।

मैं पहिले ही कह चुका हूँ कि किसी विशिष्ट प्रयोजन के सम्बन्ध में सर्वसाधारण प्रेरणा प्रयुक्त नहीं होती। यथार्थ में उपरोक्त विशिष्ट प्रयोजन या तो राज्य के अन्तर्गत होता है या राज्य के बाहर। यदि यह राज्य के बाहर हो तो वह प्रेरणा जो बाह्य है राज्य-सम्बन्ध में सर्वसाधारण हो ही नहीं सकती, और यदि यह राज्य के अन्दर है तो यह उसका एक अंग होती है, और उस दशा में सम्पूर्ण और उसके एक अंग में एक ऐसा सम्बन्ध उत्पन्न हो जायगा जिसके अन्तर्गत वे दो अलग-अलग आत्माएँ बन जायेंगी, अर्थात् सम्पूर्ण का एक अंग एक अलग आत्मा और इस अंग के अतिरिक्त शेष सम्पूर्ण एक दूसरी आत्मा। परन्तु सम्पूर्ण किसी एक भाग को कम कर देने के अनन्तर सम्पूर्ण नहीं रहता और जब तक उपरोक्त सम्बन्ध निर्वाहित रहेगा तब तक सम्पूर्ण वस्तु अस्तित्व में न रहकर केवल दो असमान भाग रहेंगे, जिनका अर्थ यह होगा कि किसी एक भाग की प्रेरणा दूसरे के सम्बन्ध में सर्वसाधारण प्रेरणा नहीं होगी।

परन्तु जब कोई सम्पूर्ण जन-समुदाय सम्पूर्ण समुदाय के लिए प्रादेश जारी करता है तो वह अपने आपको ही अवलोकित करता है और यदि उस दशा में कोई सम्बन्ध स्थापित होता है तो यह सम्बन्ध सम्पूर्ण को विभाजित किये बिना सम्पूर्ण वस्तु किसी एक बिन्दु के प्रकाश में और सम्पूर्ण वस्तु किसी अन्य बिन्दु के प्रकाश में, इन दोनों के बीच होगा। परिणामतः जिस विषय के सम्बन्ध में प्रादेश निर्मित किया जायगा, यथा वह प्रेरणा जो उस प्रादेश को निर्माण करने का निमित्त होगी, दोनों सर्वसाधारण होंगे। उपरोक्त क्रिया को मैं विधान कहता हूँ।

जब मैं यह प्रस्तुत करता हूँ कि विधान का प्रयोजन मदा सर्वसाधारण होता है तो मेरा यह अर्थ है कि विधान विषयो का सामूहिक रूप में और क्रियाओं का अमूर्त रूप में निरूपण करता है, मनुष्य का व्यक्तिगत रूप में अथवा किसी एक विशिष्ट क्रिया वा कर्मी निरूपण नहीं करता। उदाहरणार्थ, विधान द्वारा यह प्रादेश दिया जा सकता है कि विशेषाधिकार स्थापित होंगे, परन्तु उन विशेषाधिकारों को किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को प्रदत्त नहीं किया जा सकता। विधान द्वारा नागरिकों की अनेक श्रेणियाँ बनायी जा सकती हैं, और वह अहंताएँ भी निर्धारित की जा सकती हैं जो प्रत्येक श्रेणी में सम्मिलित होने को अधिकृत करेंगी, परन्तु विधान विशिष्ट व्यक्तियों को किसी एक श्रेणी में नाम निर्दिष्ट नहीं कर सकता। विधान द्वारा राजन्य शासन अथवा पित्रागत उत्तराधिकार स्थापित किया जा सकता है, परन्तु विधान द्वारा कोई राजा निर्वाचित नहीं किया जा सकता, न ही कोई राजन्य कुटुम्ब नियुक्त किया जा सकता

है। सक्षेप में, वैधानिक शक्ति द्वारा कोई ऐसी क्रिया कार्यान्वित नहीं की जा सकती जिसका सम्बन्ध किसी एक प्रयोजन से हो।

उपरोक्त दृष्टिबिन्दु से यह तत्काल स्पष्ट हो जायगा कि यह पूछने की कि विधान बनाना किसका कर्तव्य होना चाहिये, आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि विधान सर्व-साधारण प्रेरणा के कार्य होते हैं। न यह स्पष्ट करने की आवश्यकता रहती है कि राजा विधानों के ऊपर है अथवा नहीं, क्योंकि राजा भी राज्य का एक सदस्य होता है। न यह पूछने की आवश्यकता रहती है कि क्या विधान अन्यायपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कोई अपने ही प्रति अन्याय नहीं करता। न यह निर्धारित करने की आवश्यकता रहती है कि किस प्रकार हम स्वतंत्र हैं और विधानों के अधीन भी हैं, क्योंकि विधान वास्तव में हमारी अपनी प्रेरणाओं के ही तो निबध मात्र है।

अपरच इससे स्पष्ट हो जायगा कि क्योंकि विधान में प्रेरणा की सार्वत्रिकता और प्रयोजन की सार्वत्रिकता का सम्मिश्रण होता है, इसलिए जो निर्देश व्यक्त, चाहे वह कोई हो, केवल अपने बल से देता है, विधान नहीं हो सकता। इसी प्रकार सार्वभौमिक सत्ता भी जो निर्देश किसी विशिष्ट प्रयोजन के सम्बन्ध में करती है, वह विधान न होकर केवल एक प्रादेश ही होता है, सार्वभौमिक सत्ता की क्रिया न होकर दंडाधिकार की क्रिया होती है।

इसीलिए मैं किसी ऐसे राज्य को गणराज्य कहता हूँ जो विधानों द्वारा शासित होता है, चाहे उसके प्रशासन की शैली कैसी ही हो, क्योंकि उपरोक्त स्थिति में ही सार्व-जनिक हित सर्वोपरि होता है और सार्वजनिक वस्तु सार्थक होती है। प्रत्येक न्याययुक्त शासन गणराज्यात्मक^१ होता है। शासन का क्या अर्थ है यह मैं आगे बताऊँगा।

विधान यथार्थ में सामाजिक साहचर्य का प्रतिबन्ध मात्र है। लोगों को विधानों के अधीन होने के कारण उनके निर्माता होना चाहिये क्योंकि साहचर्य के प्रतिबन्धों का

१ इस शब्द से मेरा अर्थ शिष्ट जनसत्ता राज्य अथवा जनतंत्र इत्यादि से नहीं है परन्तु साधारणतया ऐसे शासन से है जो सर्वसाधारण प्रेरणा द्वारा, अर्थात् विधान द्वारा, संचालित होता है। न्याययुक्त होने के लिए शासन को सार्वभौमिक सत्ता के साथ संयोजित नहीं करना चाहिये, परन्तु इसे सार्वभौमिक सत्ता का सहायक बनाना चाहिये। उस स्थिति में राजन्य शासन भी गणराज्य हो जायगा। इसका स्पष्ट विवेचन अगली पुस्तक में किया जायगा।

निर्णय सहचारियों द्वारा ही किया जाना उपयुक्त है। परन्तु वे निर्णय किस प्रकार करेंगे, सामान्य सविदा द्वारा अथवा आकस्मिक उच्छ्वास द्वारा ? क्या राजनीतिक निकाय को अपनी प्रेरणा व्यक्त करने का कोई साधन उपलब्ध है ? अपने कार्यों की रचना करने और उन्हें पूर्वतः प्रकाशित करने को आवश्यक पूर्वज्ञान उमे कौन प्रदान करेगा और आवश्यकता के समय वह इन्हें किस प्रकार उदघोषित करेगा ? एक अथ जनसमूह जो बहुधा अपनी इच्छाओं को नहीं जानता, क्योंकि उमे अपने हित की पहिचान भी बहुत कम होती है, इतने बड़े और कठिन उपक्रम को जो विधान बनाने में अतर्भूत होता है, कैसे स्वतः ही निष्पादित करेगा ? स्वतः लोग सदा अपना हित चाहते हैं, परन्तु सदा उम हित का विवेचन नहीं कर पाते। सर्वसाधारण प्रेरणा सदैव उचित होती है, परन्तु जो निर्णय-शक्ति इसका पथप्रदर्शन करती है वह सदा सशय-रहित नहीं होती। आवश्यकता यह है कि उसे वस्तुओं का यथार्थ रूप दिखाया जाय और कभी-कभी तो, कि वह रूप भविष्य में क्या होनेवाला है, कि उमे वह हितकारी पथ प्रदर्शित किया जाय जिसकी वह खोज करती है, कि उमे वैयक्तिक हितों के शीलापवाहन में प्रतिरक्षित किया जाय और कि उमे समय और क्षेत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने को प्रवृत्त किया जाय ताकि यह तत्कालीन और प्रत्यक्ष हितों के प्रत्योभन का दूरस्थ और गुप्त अहितों के भय से मतुलन कर सके। व्यक्ति उम हित की ओर दृष्टिपात करते हैं जिसे वे अस्वीकृत करते हैं और जनता उम हित को चाहती है जिसे वह स्पष्टतया देख नहीं पाती। सबको समानतः पथ-प्रदर्शकों की आवश्यकता है। व्यक्तियों को अपनी इच्छाओं का नियमन युक्ति के अनुरूप करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिये। जनता को किम वस्तु की आवश्यकता है यह पहिचानने की शिक्षा दी जानी चाहिये। इस प्रकार जनसाधारण के प्रबोधन के फलस्वरूप सामाजिक निकाय में बुद्धि और प्रेरणा का एकीकरण सम्भाव्य होगा और उन्में सर्वानुगत यथार्थ महत्कार्य और अंत में ममस्त की अधिकतम शक्ति सम्पादिनी होगी। इस प्रकार विधिकर की आवश्यकता उत्पन्न होती है।

परिच्छेद ७

विधिकर

साहचर्य के उचिततम नियमों का निरूपण करने के हेतु जो राष्ट्रों को उपयुक्त हो, यह परमावश्यक है कि एक ऐसी उत्कृष्ट बुद्धि की प्राप्ति हो जो स्वयं उन भावों के प्रभाव में न होते हुए लोगों के सब भावों की प्रतीति कर सके, जो हमारे स्वभाव से सादृश्य न रखे परन्तु इसे पूर्णरूपेण जान सके, जिसका अपना सुख हम पर निर्भर न हो, परन्तु हमारे सुख में दिलचस्पी लेने को उद्यत हो सके, और अतः, जो समय की प्रगति के साथ अपनी दूरस्थित प्रसिद्धि को सगृहीत करती हुई एक युग में श्रम करने और दूसरे युग में उसका फल भोगने को तैयार हो सके। स्पष्ट है कि लोगों को विधान देने के लिए ईश्वरीय शक्ति की आवश्यकता होती है।

कैलिक्युला ने तथ्य के सम्बन्ध में जो युक्ति दी थी प्लेटो ने उमी युक्ति को सामाजिक और राजक मनुष्य का आदर्श स्थापित करते समय, अपने ग्रन्थ 'स्टेट्समैन' में अधिकार के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया। परन्तु यदि यह सत्य है कि महान् राजक दुर्लभ होता है तो महान् विधिकर की स्थिति क्या होगी? क्योंकि महान् राजक को तो केवल उस आदर्श की पूर्ति करनी है जिसका निर्माण महान् विधिकर द्वारा किया जाता है। महान् विधिकर यत्र को उपजात करनेवाला यात्रिक होता है, महान् राजक केवल वह कर्मकार है जो इसे निष्पन्न करके चालू करता है। साटेस्व्यू का कथन है कि "समाजों की उत्पत्ति के सिलसिले में गणराज्यों के राजक सस्थाओं का निर्माण करते हैं और तदनन्तर यह सस्थाएँ गणराज्यों के राजको को निर्धारित करती हैं।"

जो व्यक्ति किसी राष्ट्र को मस्थाएँ प्रदान करने को उद्यत होता है उसे निज में कतिपय शक्तियाँ अनुभव करनी चाहिये अर्थात् मानुषिक प्रकृति को बदलने की शक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को जो स्वतः एक पूर्ण और स्वतंत्र इकाई है, एक ऐसी बृहत्तर इकाई का भाग बना देने की शक्ति जिससे वह किमी प्रकार अपना जीवन और अस्तित्व प्राप्त

करता हो, मनुष्य को अधिक प्रवल बनाने के लिए उसके स्वभाव को बदलने की शक्ति, उम स्वतंत्र और भौतिक अस्तित्व को जो हम सबने प्रकृति से प्राप्त किया है, सामाजिक और नैतिक अस्तित्व द्वारा प्रतिस्थापित करने की शक्ति। एक शब्द में, यह आवश्यक है कि वह मनुष्य को अपनी कुछ स्वाभाविक शक्तियों में वंचित करे ताकि उसमें ऐसी नयी शक्तियाँ सम्पन्न हो सकें जो उनके लिए वाह्य हैं और जिनका प्रयोग वह दूसरों को सहायता के बिना नहीं कर सकता। जिम मात्रा में ये प्राकृतिक शक्तियाँ मद और विनष्ट कर दी जावेगी उसी मात्रा में अवाप्त शक्तियाँ अधिक विशाल और स्थिर होगी और मर्यादें भी अधिक ठोस और सम्पूर्ण होगी। इस प्रकार यदि प्रत्येक नागरिक समस्त दूसरों से सम्मिलित हुए बिना नकारात्मक हो जाय और कुछ कर न सके और यदि सम्पूर्ण द्वारा अवाप्त शक्ति सब व्यक्तियों की प्राकृतिक शक्तियों के योग के बराबर अथवा उसमें उत्कृष्ट हो, तो हम कह सकते हैं कि विधान सम्पूर्णत्व की सम्भाव्य उत्कृष्टतम सीमा को प्राप्त हो गया है।

प्रत्येक दृष्टि में विधिकर राज्य में एक असाधारण मनुष्य होता है। अपनी अपूर्व बुद्धि के कारण तो उसको असाधारण होना ही चाहिये, परन्तु अपने कर्तव्य में भी वह असाधारण ही होता है। उसमें न दंडाधिकार है और न सार्वजनिक सत्ता निहित होती है। विधिकर का पद गणराज्य का निर्माता होते हुए भी इसके मविधान में कोई स्थान नहीं रखता, यह एक विशेष और उत्कृष्ट पद होता है जिसकी मानुषिक शासन में कोई समानता नहीं हो सकती, क्योंकि यदि जो मनुष्यो पर प्रशासन करता है उसे विधानीकरण का अधिकार नहीं होना चाहिये, तो जिमका कर्तव्य विधानीकरण है उसे भी मनुष्यो का शासन नहीं करना चाहिये, नहीं तो उनके द्वारा निर्मित विधान, उनकी अपनी लालमाओं के महायक होने के कारण, बहुधा उनके अपने अनैतिक कार्यों को शाश्वत करने का साधन मात्र हो जायेगे और वह कदापि अपने वैयक्तिक विचारों को अपने कर्तव्य की पवित्रता को दूषित करने में अवरुद्ध नहीं कर सकेगा।

जब लिमर्गस ने अपने देश का विधान बनाना आरम्भ किया तो सर्वप्रथम उसने अपना राज्य-पद त्यागा। अनेक यूनानी नगरों में यह प्रथा थी कि वे अपने विधानों का निर्माण विदेशियों के सुपुर्द किया करते थे। इटली के अर्वाचीन नगरराज्य भी इसी

१ राष्ट्र केवल तब प्रसिद्ध होता है जब उसका विधान अद्यतन होना शुरू हो। लोग इसमें अनभिज्ञ हैं कि लिमर्गस द्वारा स्थापित मर्यादें स्पार्टावालों को कितनी शताब्दियों तक सुख प्रदान करती रहीं, पूर्व इसके कि वे समस्त यूनान में जानी गयी।

रीति का अनुसरण करते थे, जनीवा के शासन ने भी यही किया और इसे लाभप्रद पाया^१। रोम ने अपने सबसे यशस्वी युग में विधानीकरण शक्ति और सार्वभौम सत्ता को एक ही हस्त में एकत्रित करने के परिणामस्वरूप यह अनुभव किया कि अत्याचार के समस्त दोष उसके भीतर उत्पन्न हो गये हैं और उसे विनाश की सीमा तक पहुँचा दिया है।

फिर भी, द्वादश विधिकर मडल ने केवल अपने प्राधिकार के बल पर किसी विधान को पारित करने की घृष्टता कभी नहीं की। वे हमेशा लोगो से कहते थे कि “जो कुछ हम प्रस्तावित करते हैं, विधान का रूप तभी धारण करेगा जब आप लोग इसे मान्य करेंगे। रोम के निवासियो तुम स्वयं अपने विधानो के निर्माता बनो, क्योंकि इनसे तुम्हारा सुख परिरक्षित होना चाहिये।”

इसलिए जो विधानो की रचना करता है उसे न कोई विधानीकरण का अधिकार होता है और न होना चाहिये, और लोग, यदि वे ऐसा चाहें भी तो, अपने आपको इस अनन्य सचरीय अधिकार से विहीन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आधारभूत पापण के अनुसार सर्वसाधारण प्रेरणा ही व्यक्तियो को बाध्य करने की शक्ति रखती है और यह निश्चित रूप से कभी नहीं कहा जा सकता कि कोई विशिष्ट प्रेरणा सर्वसाधारण प्रेरणा के अनुकूल है जबतक कि उसपर लोगो का स्वतंत्र मत प्राप्त न कर लिया गया हो। मैं यह पहिले भी कह चुका हूँ परन्तु इमे दोहराना निरर्थक नहीं होगा।

इस प्रकार विधानीकरण के कार्य मे हम एक साथ दो चीजें पाते हैं जो असगत प्रतीत होती हैं। एक ऐसा उपक्रम जो मानुषिक शक्ति मे से भी परे है और इसे निष्पादित करने के लिए एक प्राधिकार जो विल्कुल नकारात्मा-सा है।

एक और कठिनाई भी ध्यान देने योग्य है। वे बुद्धिमान मनुष्य जो साधारण लोगो से बोलते समय उनकी भाषा की अपेक्षा अपनी निजी भाषा का प्रयोग करते हैं, वे समझे नहीं जा सकते, परन्तु हजारो ऐसे विचार हैं जो लोगो की सामान्य भाषा में

१ जो कैंल्विन को केवल अध्यात्मवादी के रूप में ही जानते हैं वे उसकी उत्कृष्ट बुद्धि के विस्तार से अपरिचित मात्र हैं। हमारे देश की बुद्धिपूर्ण राज्यघोषणाओं का सम्पादन, जिसमें उसका महान् भाग था, उसके यश का इतना ही बड़ा आधार है, जितना उसके द्वारा लिखित ‘सस्या’ नामक ग्रन्थ। हमारे धर्म में समय कितनी ही क्रान्ति उत्पन्न कर दे परन्तु जब तक हम में देश और स्वतंत्रता के प्रेम का ह्लास नहीं होता है, इस महान् पुरुष का सस्मरण आदरपूर्वक किया ही जाता रहेगा।

अनूदित नहीं हो सकते। अतिमामान्य अभिप्राय और अतिदूरस्थ प्रयोजन इसकी पहुँच से बाहर हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने विशिष्ट हितों से सम्बन्धित शासन-व्यवस्था के अतिरिक्त किसी अन्य का अनुभव न रखने के कारण, उन लाभों को कठिनता से अवलोकित करता है जो अच्छे विधानों द्वारा निर्दिष्ट शाश्वत नियुक्तियाँ उसे प्रदान कर सकती हैं। एतदर्थ कि कोई नवनिर्मित राष्ट्र राजनीति के म्रम्य मित्रातो का अनुभव कर सके और राज्य के आधारभूत नियमों का निष्पादन कर सके, यह आवश्यक होता है कि परिणाम कारण का स्थान ले, कि जो सामाजिक प्रवृत्ति उम मस्या का परिणाम होनेवाली है, वह स्वयं सस्था का अध्यासन करे और मनुष्य विधान बनने के पूर्व ऐसे ही जैसे वे विधान द्वारा बननेवाले हैं। चूँकि विधिकर बल अथवा तर्क का प्रयोग नहीं कर सकता इसलिए यह आवश्यक है कि उसे एक दूसरे प्रकार का प्राधिकार प्राप्त हो जो हिंसा-प्रयोग के बिना बाधित कर सके और नतोप दिये बिना प्रतीति करा सके।

यही कारण है कि सब युगों में राष्ट्र-पिताओं को आकाश के अतरयण की शरण लेनी पड़ी और अपनी निजी बुद्धि का यग ईश्वर पर अर्पित करना पडा ताकि राष्ट्र प्रकृति के नियमों की तरह राज्य के नियमों के अधीन रहने हुए और मनुष्य के निर्माण में निहित शक्ति के समान राज्य के निर्माण में प्रयुक्त शक्ति को स्वीकार करने हुए स्वेच्छा से आज्ञापालन कर सके और सार्वजनिक कल्याण के भार को नम्रतापूर्वक वहन कर सके।

विधिकर उस उत्कृष्ट व्यक्ति को जो साधारण मनुष्यों की पहुँच के बाहर होती है, देवों द्वारा वर्णित प्रदर्शित करता है, इसलिए कि वह ईश्वरीय प्राधिकार से उन लोगों को प्रभावित कर सके जिन्हें मानुषिक बुद्धि प्रभावित करने में अमफड होती है। 'परन्तु हर मनुष्य ईश्वर से बात नहीं करा सकता, न ही हर मनुष्य को लोग ईश्वरीय उपदेश के व्याख्याकर्ता के रूप में मान सकते हैं। विधिकर की महान आत्मा ही वह वास्तविक चमत्कार है जो उसके नियोग का प्रमाण होता है। सब लोग थिल्या फलको पर मोद

१ मक्यावली का कथन है कि "यह बात सत्य है कि किसी राष्ट्र में कोई ऐसा असाधारण विधान-निर्माता नहीं हुआ जिसने ईश्वर का आधार न लिया हो, क्योंकि नहीं तो वे विधान स्वीकृत नहीं हो सकते थे। बुद्धिमान मनुष्य कई ऐसे लाभप्रद मिद्धान्तों की अनुभूति कर सकता है जो इतने स्वतः स्पष्ट नहीं होते कि वह दूसरों द्वारा भी स्वीकृत हो सके।"

सकते हैं, भविष्यवक्ताओं को उत्कोचित कर सकते हैं, किमी ईश्वरीय शक्ति से गुप्त गचार का बहाना कर सकते हैं अथवा किसी पक्षी को कान में बोलने को प्रशिक्षित कर सकते हैं, अथवा लोगों को प्रभावित करने का कोई अन्य फूहड साधन निकाल सकते हैं। जो केवल उपरोक्त साधनों से ही भिन्न हैं वह सम्भवत मूर्ख लोगों का समूह एकत्रित कर सके, परन्तु वह कभी भी साम्राज्य का सस्थापक नहीं हो सकता और उसकी मृत्यु के साथ ही यथाशीघ्र उसकी अवास्तविक कृति विनष्ट हो जायगी। सारहीन प्रवचनाएँ अचिरस्थायी बधन मात्र स्थापित कर सकती हैं, केवल बुद्धि ही बधन को चिरस्थायी बनाती है। यहूदियों का विधान जो अब भी जीवित है और इस्माइल के बच्चे का विधान जो दस शताब्दियों से आधे विश्व पर शासन कर रहा है, अब भी उन महान् पुरुषों का यश प्रज्वलित कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें रचा था। अभिमानी दर्शनो और अध पक्षपाती भावों को इन विधानों में भाग्यवान पागड के अतिरिक्त कुछ नहीं दीखता है, परन्तु वास्तविक राजनीति इन विधानों की शैली में उम महान और शक्तिशाली उत्कृष्ट बुद्धि का दर्शन करती है जो स्थायी सस्थाओं की अघ्यासक होती है।

उपरोक्त के आधार पर वावेर्टन की भाँति यह अनुमान करना आवश्यक नहीं कि हमारे मध्य राजनीति और धर्म का उद्देश्य एकीभूत होता है, केवल यह मानना आवश्यक है कि राष्ट्रों की उत्पत्ति में एक दूसरे का निमित्त बनता है।

परिच्छेद =

राष्ट्र (१)

जिस प्रकार वास्तुकार किसी विशाल भवन के निर्माण के पूर्व यह जानने के लिए स्थल की जाँच करता है कि भवन के भार को वह सम्भाल सकेगी अथवा नहीं, उसी प्रकार बुद्धिमान विधायक अच्छे विधानों का प्रवर्तन केवल इसीलिए प्रारम्भ नहीं करता कि वे स्वतः ही उत्तम हैं, बल्कि प्रथम वह यह जाँच करता है कि वे लोग जिनके लिए वह विधान बना रहा है, उनको महन करने की सामर्थ्य रखते हैं वा नहीं। यही कारण था कि प्लेटो ने आर्केडिया निवासियों तथा सीरेनिया निवासियों के लिए विधान बनाने में इनकार कर दिया था, क्योंकि उसे जान था कि यह दोनों राष्ट्र सम्पन्न हैं और ममानता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेंगे, और यही कारण है कि क्रीट देश में उत्तम विधान किन्तु कूट लोग पाये जाते हैं क्योंकि मिनोम ने दोष परिपूर्ण लोगों को ही अनुशासित करने की कोशिश की थी।

महत्त्वो राष्ट्र जो भूमि पर फले-फूले हैं उत्तम विधानों को महन नहीं कर सकते थे, और जो कुछ ऐसा कर भी सकते थे वे भी अपने सम्पूर्ण जीवन के थोड़े ही काल में ऐसा करने में सफल हुए। मनुष्यों की भाँति बहुधा राष्ट्र भी अपने जीवनकाल में ही वयस होते हैं, बड़े होने के साथ वे अशोध्य हो जाते हैं। जब एक बार मृत्यु स्थापित हो जाती है तथा प्रतिकूलताएँ जट पकड़ जाती हैं, तो उन्हें बदलने का प्रयत्न एक भयावह एवं निष्फल चेष्टा होती है, क्योंकि लोग, उन मूर्ख और भौम मर्जीजों की भाँति जो चिकित्सक की शकल देखते ही काँपने लग जाते हैं, यह मह नहीं सकते कि उनके कष्टों का निवारणार्थ अकित तक किया जावे।

किन्तु जिस प्रकार कुछ बीमारियाँ मनुष्य के मस्तिष्क को अस्थिर कर देती हैं और भूत की कुल स्मृति को नष्ट कर देती हैं, उसी प्रकार कभी-कभी राष्ट्रों के जीवन में ऐसे विप्लवकारक होते हैं जिनमें क्रांति में राष्ट्रों के मस्तिष्क पर वही प्रभाव पड़ता

हे जो कतिपय सकटो से व्यक्तियों के मस्तिष्क पर पड़ता है, जिनमे भूत का भय विस्मरण का स्थान प्राप्त कर लेता है तथा गृह-युद्ध से पीडित राष्ट्र अपनी भस्म से जैसे पुनर्जीवित हो उठता है और यमराज के हाथो से छूटकर एक नये यौवन की अनुभूति करने लगता है। लिसर्गस के समय मे स्पार्टा की यही दशा हुई, तार्क्विनो के अनन्तर रोम भी इसी स्थिति से गुजरा था। बलाधिकारियों को निष्कासित करने के अनन्तर हालैंड तथा स्विटजरलैंड भी हमारे ही मध्य इस स्थिति से गुजरे हैं।

परन्तु यह घटनाएँ विरली होती हैं, ये अपवाद रूप हैं जो किसी विशेष राज्य के विशिष्ट सगठन के कारण ही घटित होती हैं। किसी एक ही राष्ट्र मे इस प्रकार की घटनाएँ दो बार घटित हुई नहीं जानी गयी क्योंकि जब राष्ट्र अशिष्ट हो तो स्वतन्त्र हो सकता है किन्तु जब सामाजिक ससाधन उत्साहित हो चुकते हैं तब ऐसा होने की सम्भावना नहीं रहती। उस समय विप्लव इसे विनष्ट कर सकता है परन्तु क्रांति इसे पुनर्जीवित नहीं कर सकती और ज्योही इसकी जजीरे टूट जाती हैं यह टुकडे-टुकडे होकर गिर जाता है और समाप्त हो जाता है। तदनंतर इसे किसी स्वामी की आवश्यकता होनी है, मुक्तिदाता की नहीं। स्वतंत्र राष्ट्रों, इस उक्ति को याद रखो—“स्वतंत्रता उपार्जित की जा सकती है, पुन प्राप्त कभी नहीं की जा सकती।”

यौवनकाल वचनन नहीं होता। जैसे व्यक्ति के लिए वैसे ही राष्ट्रों के लिए, विद्वानों को लागू करने को, यौवन की, यदि आप यो कहना चाहें, वयस्कता की प्रतीक्षा करना आवश्यक है। परन्तु राष्ट्र की वयस्कता को पहिचानना सदा आसान नहीं होना और यदि उसमे पूर्वाधारण हो जाय तो कार्य विफल हो जाता है। कोई राष्ट्र तो जन्मत ही अनुशासित होने को सम्भाव्य होता है, कोई दूसरा छ शताब्दियों पश्चान् भी अनुशासित होने की अर्हता प्राप्त नहीं करता। रूस के लोग वास्तविक रूप मे कभी मास्कृतिक नहीं हो सकेने क्योंकि उनमे सस्कृति उत्पन्न करने की कोशिश प्रति शीघ्र की गयी। पीटर मे नकल करने की अपूर्व बुद्धि थी, परन्तु उसमे वह वास्तविक अपूर्व बुद्धि नहीं थी जो शून्य से सब चीज उत्पादित वा निर्मित कर सकती है। उसके कई प्रकार्य लाभदायक थे किन्तु बहुधा समय के प्रतिकूल थे। उसने देखा कि उसके प्रजा अशिष्ट है, परन्तु वह यह न देख सका कि सस्कृति प्राप्त करने के लिए अग्रिपव्य है, वह उन्हें शिष्ट बनाना चाहता था, जबकि उमे उन्हें अनुशासित करना चाहिये था। वह आरम्भ मे ही जर्मन और अग्रेज निर्माण करना चाहता था, जबकि उमे रूसी बनाने की कोशिश करनी चाहिये थी। अपनी प्रजा को जो कुछ वे नहीं ये वह मानने को प्रोत्साहित करने के कारण वह अपनी प्रजा के जो कुछ वह वन

सकती थी, वनने में घातक सिद्ध हुआ। इसी प्रकार फ्रांसीसी अध्यापक अपने शिष्य को वचन में ही देदीप्यमान होने को शिक्षित करता परन्तु उसके बाद वह विलकुल धृन्व्य हो जाता है। रूसी साम्राज्य यूरोप को अधीन करने की इच्छा करेगा और स्वयं हमारे अधीन हो जायगा। उसकी अधीनस्थ प्रजा और पड़ोसी ताताय लोग उसके और हमारे भी स्वामी हो जायेंगे। मुझे यह क्रांति अनिवार्य लगती है। यूरोप के सब राजा सवादिन रूप में इसका त्वरण कर रहे हैं।

परिच्छेद ६

राष्ट्र (२)

जिस प्रकार प्रकृति ने सुडौल मनुष्य के डीलडौल का परिमाण बाँध दिया है, जिस परिमाण के बाहर डीलडौल केवल देवो और बौनो का ही हो सकता है, उसी प्रकार राष्ट्र के सर्वोत्तम निर्माण के सम्बन्ध में भी इसकी सम्भाव्य परिमिति का परिमाण होता है ताकि राष्ट्र इतना बड़ा न हो कि इसका प्रशासन सुविधा से न चल सके और न ही इतना छोटा हो कि वह अपने आपको सस्थापित रखने में कठिनाई अनुभव करे। प्रत्येक राजनीतिक निकाय में शक्ति की अधिकतम मात्रा होती है जो पार नहीं किया जा सकता और जो राज्य की परिमिति बढ़ने के कारण बहुधा घट जाया करती है। सामाजिक क्षेत्र को जितना विस्तृत किया जाय उतना ही वह कमजोर हो जाता है, और साधारणत छोटा राष्ट्र बड़े राष्ट्र से अनुपातत अधिक शक्तिशाली होता है।

हजारों दलीलों इस सिद्धांत की सत्यता को प्रदर्शित करती हैं। प्रथमतः फासला अधिक हो जाने से प्रशासन अधिक कठिन हो जाता है जैसे 'लीवर' की लम्बाई अधिक हो जाने में भार गुरुतर हो जाता है। राष्ट्रीय अगो की वृद्धि के अनुपात से प्रशासन अधिक भारप्रद होता जाता है, क्योंकि प्रत्येक नगर का अपना प्रशासनीय ढाँचा होता है जिसका व्यय उसे वर्दाशत करना पड़ता है, प्रत्येक मडल का अपना जिसका खर्च भी उन्ही लोगो को वर्दाशत करना पड़ता है और तदन्तर प्रत्येक प्रात तथा वरिष्ट सर-कारो, मडलेश्वरो, उपराजको का, जिनका व्यय भी अधिकार की पराकाष्ठा के क्रम में बढ़ी ही मात्रा में, इन्ही अभागो लोगो की वहन करना पड़ता है, अतः में सर्वोच्च प्रशामीतय होता है जिसमें सब अभिप्लुत हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक असा-वाग्ण भार प्रजा को निरतर उत्थावित करते हैं, फलतः समस्त विभिन्न अधिकारी-वृन्द द्वाग मुशामित होनेकी अपेक्षा प्रजा अविभवन वरिष्टाधिकारी होनेके मुकावले में अप्रिक् ँगी तरह शामित होनी है। आकस्मिक मकटोके निवारणार्थ ऐमे राष्ट्र में कोई

ससाधन नहीं रहते हैं, और जब इन ससाधनों की आवश्यकता पड़ जाती है तो राष्ट्र विनाश के तट पर स्थित होता है।

केवल इनना ही नहीं, न केवल शासन विधानों को मनवाने, प्रवाधानों को अवरुद्ध करने, कुव्यवहारों को सुधारने और दूरस्थित स्थानों पर राजद्रोही चेष्टाओं को पूर्वावधानित करने में कम सक्रिय और ओजस्वी रह जाता है, बल्कि लोगों का स्नेह अपने अधिकारी वर्ग के प्रति जिन्हें वे कभी देख ही नहीं पाते, अपने देश के प्रति जो उनकी दृष्टि में विश्व के बराबर प्रतीत होता है, और अपने देश-वन्धुओं के प्रति, जो उन्हें बहुधा अज्ञात प्रतीत होते हैं, कम हो जाता है। जब इन प्रान्तों के रीति-रिवाज विभिन्न हो, जलवायु अलग-अलग हो और उनके लिए उसी शासकीय पद्धति का मान्य करना सम्भव न हो, तो ऐसी स्थिति में समान विधान विभिन्न प्रान्तों के लिए उपयुक्त नहीं होते। एक ही वरिष्ठाधिकारी के अधीन और एक दूसरे से निरन्तर सम्पर्क में होते हुए, एक दूसरे से मिलते हुए और अतविवाह करते हुए लोगों में विभिन्न विधानों द्वारा केवल कठिनाई और विभ्रम उत्पन्न होता है, क्योंकि विभिन्न हृदियों के अधीन होने से उन्हें यह भी पता नहीं लगता कि उनकी विरासत उनकी अपनी है या नहीं। उम जनसमूह में जो एक दूसरे में अतभिन्न हैं और जिसे सर्वोच्च अधिकारी द्वारा एक स्थान पर एकत्रित कर लिया गया है, योग्यताएँ आवरित रहती हैं, गुण उपेक्षित रहते हैं और दोष अदण्डित रह जाते हैं। प्रमुख अधिकारी कार्य से अभिलुप्त होने के कारण स्वयं कुछ नहीं देख सकते, राज्य पर अधिनस्थ कर्मचारी शासन करने लग जाते हैं। अन्त में, समस्त सार्वजनिक ध्यान उन साधनों पर केन्द्रित हो जाता है जिन्हें इतने अनेक अधिकारियों के दूरस्थित होने के कारण सामान्य प्रभुत्व को अपवचित तथा आश्रमित करने से अवरुद्ध करने के लिए लेना अनावश्यक होता है, लोकहित कार्य करने का उतना महत्त्व नहीं रहता, न ही जहररत के समय देश की रक्षा का न्यान रहता है। इस प्रकार जो राष्ट्र अपने गठन के परिमाण में अत्यधिक बड़ा होता है वह अपने ही भार के कारण डूब जाता और नष्ट हो जाता है।

दूसरी ओर राष्ट्र को स्थायित्व धारण करने के लिए, उन आघातों को अवरुद्ध करने के लिए, जो अनिवार्यतः आने ही वाले हैं और उन कार्यों को स्थिर करने के लिए जो स्थायित्व कायम रखने के लिए करने ही पड़ेंगे, एक स्थिर नींव का प्राप्त करना आवश्यक है क्योंकि देवक्रांत के जलभँवरों की तरह ममस्त राष्ट्रों में एक केंद्राग बल होना है जिसके कारण वे निरन्तर एक दूसरे के विरुद्ध कार्यशील होते हैं और अपने पटोमियों के व्यय पर अपनी मत्ता बढ़ाने की आकांक्षा करते हैं। इसलिए निर्बलो को

यह भय होता है कि वे शीघ्र अन्त्यो द्वारा हडप न कर लिये जावें और कोई भी अपने आपको ऐसी साम्य दशा में स्थापित किये बिना जिसके फलस्वरूप सब स्थानों पर सम्पीडन एक-मा हो जाय, अपने स्थायित्व को देर तक रक्षित नहीं कर सकता ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रसरण और सकोचन दोनों के अलग-अलग कारण होने हैं और राजनीति की योग्यता की यह न्यूनतम कसौटी है कि वह दोनों अर्थात् प्रसरण और सकोचन में राष्ट्र के संरक्षण के हेतु उपयोगित में अनुपात मालम कर सके ।

साधारणत यह कहा जा सकता है कि प्रसार बाह्य और साक्षेप होने के कारण सकोचन के अतीत रचना चाहिये, जो आन्तरिक तथा सम्पूर्ण होता है । सबसे पहली तलाश की वस्तु स्वस्थ एवं दृढ सविधान होता है और उन ससाधनों की अपेक्षा जो विस्तृत क्षेत्र में उपलब्ध होते हैं, हमें सुशामन से व्यत्पन्न होनेवाले ओज पर अधिक प्रियमाण रचना चाहिये ।

परन्तु राष्ट्रों का निर्माण इस प्रकार भी हुआ है कि उनके गठन में ही विजय करने की आवश्यकता निहित थी और अपने आपको मस्थापित रखने के लिए उन्हें निरन्तर प्रसार की नीति अपनानी पडी । हो सकता है कि इस सुखद आवश्यकता से उन्हें हप मिला हो, परन्तु इसी आवश्यकता ने उन्हें प्रदर्शित किया होगा कि उनकी परगाहाटा का क्षण ही अनिवार्यरूप से उनके पतन का आरम्भ था ।

परिच्छेद १०

राष्ट्र (३)

कोई संगठित राज्य दो नीतियों से मापा जा सकता है, अर्थात् उसके क्षेत्र के विस्तार द्वारा तथा दूमरे उसकी प्रजा की मस्या द्वारा। इन दोनों मापों की रीतियों में एक औचित्य का सम्बन्ध होता है जिसके अनुसार राज्य के विस्तार का वास्तविक परिमाण निश्चित किया जा सकता है। राज्य का निर्माण मनुष्यों द्वारा होता है, मनुष्य भूमि द्वारा पोषित होते हैं, इसलिए उचित सम्बन्ध यह होगा कि भूमि इस पर रहनेवाली प्रजा के ठीक निर्वाह के लिए पर्याप्त हो और प्रजा इतनी हो जितनी भूमि से पोषित हो सके। इसी अनुपात द्वारा किसी निश्चित प्रजा की अधिकतम शक्ति का पता चल सकता है, क्योंकि यदि भूमि अत्यधिक हो तो उसकी देखभाल कष्टदायक हो जायगी, कृषि अपर्याप्त रहेगी और उपज आवश्यकता से अधिक होगी। यह दशा रक्षात्मक लडाइयों का आगामी कारण है। यदि भूमि पर्याप्त मात्रा में न हो, तो राज्य को निर्वाहपूर्ति के लिए अपने पड़ोसियों पर निर्भर होना पड़ता है और यह दशा आक्रमणात्मक लडाइयों का आगामी कारण है। कोई भी राष्ट्र, जिसके मामले अपनी स्थिति के कारण वाणिज्य और उडाई में विकल्प रहता है, स्वतः कमजोर होता है, यह अपने पड़ोसियों पर और घटनाओं पर निर्भर रहता है, इसका जीवन जवश्य ही अल्पकालीन और अनिश्चित होता है। या तो यह दूसरे देशों को जीतकर अपनी स्थिति को बदलता है, नहीं तो यह दूसरों द्वारा विजित होकर विनष्ट हो जाता है। यह अपनी स्वतंत्रता को छोटा अथवा बड़ा बनकर ही मस्यापित कर सकता है।

भूमि विस्तार और प्रजा-मस्या के विस्तार के सम्बन्ध को किमी निश्चित मस्यात्मक रूप में अभिव्यक्त करना अमम्भव है, क्योंकि भूमि के गुणों में, उसकी उर्वरता की मात्रा में, उसकी उपज के प्रकार में और जलवायु के प्रभाव में अंतर होते हैं, साथ ही भूमि पर निबान करनेवाली प्रजा के स्वभाव में भी अंतर होता है क्योंकि उपजाऊ

देश में लोग कम उपभोग करनेवाले और अनुपजाऊ भूमि पर अधिक उपभोग करनेवाले हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी विचारणीय बातें होती हैं, स्त्रियों की अत्यधिक अथवा न्यून सतानोत्पत्ति की शक्ति, देश के हालात अर्थात् वे जनसंख्या के लिए अधिक या कम अनुकूल हैं, और विधिकरण अपने द्वारा स्थापित की हुई संस्थाओं से लोगों की कितनी संख्या देश में आकर्षित करने की आशा कर सकता है, इस निर्णय का आधार वे तथ्य नहीं होने चाहिये जो आज दिखाई देते हैं परन्तु वे जिनके होने की आशा की जा सकती हो, लोगों की वर्तमान स्थिति का अवलोकन कम किया जाना चाहिये, अधिक उसका अवलोकन किया जाना चाहिये जो स्वाभाविक रूप से निर्मित होनेवाली है। मध्य में, हजारों ऐसे प्रसंग होते हैं जहाँ स्थिति के विशिष्ट तथ्यों की यह माँग होती है, अथवा वे यह अनुमति देते हैं कि जितना क्षेत्र आवश्यक दीखता हो उसमें अधिक लिया जाना चाहिये, उदाहरणार्थ पहाड़ी क्षेत्र में लोग अधिक प्रसारित होंगे क्योंकि वहाँ प्राकृतिक उपज अर्थात् वन और मरुस्थल को श्रम की कम आवश्यकता होती है और वहाँ अनुभव के आधार पर यह सिद्ध है कि स्त्रियों की सतानोत्पत्ति की शक्ति मैदानों की अपेक्षा अधिक होती है और वहाँ विस्तृत ओर ढालू तल पर केवल एक क्षैतिज आस्थान होता है जिस पर सब्जी इत्यादि पैदा हो सकती है। इसके विपरीत लोग समुद्रतट पर चट्टानों और रेतीली भूमि के बीच में, जो प्रायः अनुपजाऊ होती हैं, छोड़े क्षेत्र में भी निवास कर सकते हैं, क्योंकि बहुत हद तक मत्स्योद्योग भूमि-उपज की कमी को पूरा कर सकता है, साथ ही लोगों को समुद्र-दस्युओं को दूर हटाने के लिए मकेंद्रित होने की अधिक आवश्यकता होती है और यदि देश में अति जन-संख्या हो जाय तो उपनिवेशों द्वारा उसे निवारित करने की अधिक सुविधा होती है।

राष्ट्र को स्थापित करने के लिये उपरोक्त अवस्थाओं में एक और को जोड़ना अन्यावश्यक है, जिसका स्थान कोई और नहीं ले सकती और जिसके बिना यह सब अवस्थाएँ निष्फल हो जाती हैं। वह है प्रजा द्वारा प्रचुरता तथा शांति का उपभोग करना, क्योंकि राज्य के निर्माण का समय सिपाहियों को बटेरियन में एकत्रित करने की तरह वह होता है जब निकाय में रोष की शक्ति न्यूनतम होती है और उमें प्रिण्ट करना मरुतम होता है। रोष-शक्ति उवाल की अपेक्षा सम्पूर्ण अव्यवस्था के समय अधिक होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सर्वसाधारण के स्वतंत्र की अपेक्षा अपने निजी दम की अधिक चिन्ता करता है। यदि ऐसे क्षण पर युद्ध अथवा अकाल या राजद्रोह आ पड़े तो राज्य निवारण रूप में उलट जायगा।

इन तूफानी क्षणों में बहुत नये शासन बन सकते हैं परन्तु यही शासन राज्य को विनष्ट करने का कारण बनते हैं। बलाधिकारी सदा मकटकालीन परिस्थिति का निर्माण करते हैं अथवा ऐसे समय की प्रतीक्षा करते हैं कि वे सार्वजनिक उत्पात की आड़ में ऐसे विनाशकारी विधान बना सकें जिन्हें जनता शांत समय में कभी अभिगहन करने को उद्यत न होगी। शासन स्थापित करने के समय का निरूपण ही दृढतम लक्षण है जिसमें विधिकार और अत्याचारी के कार्य में भेद किया जा सकता है।

विधान प्रयुक्ति के लिए कौन राष्ट्र ठीक होता है? वह राष्ट्र जो किसी उद्भव के सम्मिलन अथवा रुढ़ि द्वारा पहले ही मज्जित हो परन्तु जिसने अभी तक विधानों के वास्तविक जुए को ग्रहण न किया हो, वह राष्ट्र जिसमें न रुढ़ियों का और न मूढ़ विश्वासों का पक्की तरह में वीजारोपण हुआ हो, वह राष्ट्र जिसे आकस्मिक आक्रमण से अभिप्लावित होने का भय न हो, अर्थात् जो अपने पड़ोसियों के झगड़ों में प्रविष्ट हुए विना या तो प्रत्येक अन्य का अकेले ही प्रतिकार कर सकता है अथवा एक की सहायता से दूसरे को पीछे हटा सकता है, वह राष्ट्र जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सम्भवत एक दूसरे को जानता है और जिसमें किसी पर उसकी वहन-शक्ति से अधिक भार डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह राष्ट्र जो दूसरे राष्ट्रों की मदद के विना निर्वाह कर सकता है और जिसकी मदद के विना प्रत्येक दूसरे राष्ट्र निर्वाह कर सकते हैं, वह राष्ट्र जो न गरीब है और न अमीर, बल्कि आत्मनिर्भर है, और अंत में वह राष्ट्र जिसमें पुराने राष्ट्र की भाँति स्थायित्व का मेल नये राष्ट्र की शिक्षितव्यता में होता है, जो विधानीकरण को दुष्कर बनाता है वह कारण क्या स्थापित करना है इसमें कम परन्तु क्या विनष्ट करना है इसमें अधिक निहित होता है, और इस काम में मरुजता इसलिए दुर्गम होती है कि प्रकृति की सरलता का सम्मिश्रण समाज की आवश्यकताओं के साथ होना असम्भव है। यह ठीक है कि उपरोक्त ममस्त परिस्थितियाँ आमानी से एकत्रित नहीं होनी इसीलिए सुसंगठित राज्य कम दिखाई देते हैं।

यूरोप में अब भी एक ऐसा देश है जिसमें विधानीकरण होना सम्भव है। यह कोर्सिका का द्वीप है। इस बहादुर राष्ट्र ने जिम माहम और दृष्टता में अपनी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त किया तथा प्रतिरक्षित किया वह इसे इसका पात्र बनानी है कि कोई

‘यदि किन्हीं दो पड़ोसी राष्ट्रों में एक का दूसरे के द्वारा निर्वाह न होता हो तो पहले राष्ट्र के लिए परिस्थिति बहुत कठिन होती है, और दूसरे के लिए बहुत भयावह। प्रत्येक बुद्धिमान राष्ट्र ऐसी स्थिति में दूसरे राष्ट्र को इस अवलम्बिता से शीघ्रताशीघ्र

वुद्धिमान व्यक्ति इसे यह सिखाये कि स्वतंत्रता को सरक्षित कैसे किया जा सकता है । मुझे यह लगता है कि यह छोटा द्वीप एक दिन समस्त यूरोप को विस्मित करेगा ।

मुक्त करने का प्रयत्न करेगा । थासकला गणराज्य ने, जो मैक्सिको के साम्राज्य द्वारा समावृत था, मैक्सिकोवालो से नमक खरीदने अथवा मुफ्त लेने की अपेक्षा नमक के त्रिना निर्वाह करना अधिमान्य किया । थासकला के बुद्धिमान लोगों को इस उदारता में एक गुप्त छल लगता था । उन्होंने अपने आपको स्वतंत्र रखा, और यह छोटा राज्य जो उम वडे राज्य में समावृत था, अंत में उस साम्राज्य के नाश का निमित्त बन गया ।

परिच्छेद ११

विधानीकरण की विभिन्न शैलियाँ

यदि हम खोज करे कि समस्त जनता का अधिकतम हित, जो कि विधानीकरण की समस्त शैलियों का उद्देश्य होना चाहिये, यथार्थ रूप में क्या है तो हमें पता चलेगा कि यह दो मुख्य प्रयोजनों में आकलित होता है, प्रथम उन्मुक्ति और दूसरे समता। उन्मुक्ति इसलिये क्योंकि व्यक्तिगत परतन्त्रता से उसी मात्रा में राज्य की आकलित शक्ति का ह्रास होता है, और समानता इसलिये कि उन्मुक्ति समानता के बिना जीवित नहीं रह सकती।

मैं पहिले ही बता चुका हूँ कि जानपद उन्मुक्ति का क्या अर्थ है, जहाँ तक समानता का सम्बन्ध है, इस शब्द का अर्थ यह नहीं होता कि शक्ति और धन की मात्रा पूर्णरूपेण समान हो, बल्कि यह कि जहाँ तक शक्ति का सम्बन्ध है, यह विल्कुल हिंसात्मक नहीं होनी चाहिये और केवल विधान तथा पद के अनुसार प्रयुक्त होनी चाहिये, इसी तरह जहाँ तक धन का सम्बन्ध है, कोई नागरिक इतना धनी नहीं होना चाहिये कि वह दूसरे को श्रम कर सके और न कोई इतना दरिद्र होना चाहिये कि वह अपने आपको विक्रय करने को बाध्य हो जाय। यह सम्भाव्य होने के लिये बडे़ में सम्पत्ति तथा प्रभाव की अनतिता और साधारण नागरिकों में लोभ और लालच का निरोध आवश्यक होता है।

सर्वसाधारण की यह धारणा है कि समानता परिकल्पना का एक भ्रम मात्र है जिसका व्यावहारिक कार्यों में अस्तित्व नहीं होता। परन्तु यदि कुप्रयोग अनिवार्य है तो क्या इसका यह अर्थ है कि इसे विनियमित करने तक की चेष्टा अनावश्यक है? क्योंकि परिस्थितियों का प्रभाव समता को निरन्तर विनष्ट करने में प्रवृत्त करता है, यथार्थ में इसी लिये विधान का प्रभाव समता को नष्ट करने में मददगार होना चाहिये।

परन्तु प्रत्येक हितकारी सस्या का उपर्युक्त साधारण प्रयोजन, प्रत्येक देश में वहाँ की स्थानीय स्थिति तथा निवासियों के चरित्र से उत्पादित सबघो द्वारा सपरिवर्तित हो जाना अनिवार्य है और सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए यह परमावश्यक हो जाता है कि हम प्रत्येक राष्ट्र के लिये विशिष्ट मस्या-पद्धति को निर्धारित करें जो चाहे स्वतः सर्वोत्तम न हो, परन्तु उस राज्य के लिये जिसके लिये यह निर्मित की गई है, सर्वोत्तम होगी। उदाहरणार्थ, यदि भूमि अनुपजाऊ और ऊमर हो, अथवा देश अपने निवासियों के लिये बहुत छोटा होता हो तो कला और निर्माण की ओर ध्यान दो, ताकि उत्पादित वस्तुओं का आवश्यक खाद्य पदार्थों से विनिमय किया जा सके। दूसरी ओर, यदि देश समृद्ध ममतल भूमि और उर्वरा ढलवानी क्षेत्रों पर व्याप्त हो, अथवा उपजाऊ क्षेत्र में यदि निवासी प्रजा की कमी प्रतीत हो तो अपना सम्पूर्ण ध्यान कृषि पर केन्द्रित करें जिमसे जनसस्या बढ़ती है, और कला को बाहर निकालो जिसके कारण देश में रहनेवाले थोड़े से लोगों के चद प्रदेशों पर एकत्रित हो जाने में देश सर्वथा निर्जनसभ हो जायगा। यदि तुम्हारा देश विस्तृत और सुगम समुद्रतट पर व्याप्त हो तो समुद्र पर जहाज चलाओ और वाणिज्य और नाववाहन का पोषण करो। इससे देश का स्थायित्व आप तालीन परन्तु देदीप्यमान होगा। यदि तुम्हारे तट के समीप समुद्र केवल अनभिगम्य शिवाओं में टकराता हो तो तुम मत्स्याहारी गँवार ही रहो। ऐसा करने से तुम्हारा जीवन अधिक शांतिमय, सम्भवतः ज्यादा अच्छा परन्तु निश्चित रूप से अधिक सुखमयी होगा। एक शब्द में, सर्वमान्य सिद्धांतों के अतिरिक्त प्रत्येक राष्ट्र अपने आप में एक समा निमित्त धारण करता है जो उसे एक विशिष्ट प्रकार से प्रभावित करता है और उसके विधानों को केवल अपने लिये ही उपयुक्त बना देता है। इस प्रकार प्राचीन युग में यहूदी और वर्तमान युग में अरब लोगों का मुख्य प्रयोजन धर्म था, एथेन्स के लोगों की कला, कार्थेज और टायर के लोगों का वाणिज्य, रोम्स के लोगों का नाववाहन, स्पार्टा के लोगों का युद्ध और रोम के लोगों का पराक्रम। L' Esprit de clois के लेखक ने अनेकानेक उदाहरणों द्वारा प्रदर्शित किया है कि विधिकार किंग किम काया द्वारा किसी मस्या को प्रत्येक प्रयोजन की ओर निर्दिष्ट कर लेता है।

किन्ती राज्य का मविधान यथार्थ में तभी दृढ और दीर्घजीवी हो सकता है जब उसके बनाने में गुणमता का सिद्धान्त इस प्रकार समक्ष रखा गया हो कि प्राकृतिक सम्बन्धों पर विधानों का सम्मिलन समान विन्दुओं पर ही हो और विधान प्राकृतिक सम्बन्धों को तैयार नुद्धित, समर्पित और मशोधित ही करने हो। परन्तु यदि विधिकार अपने उद्देश्य को और न समझने के कारण, प्राकृतिक तथ्यों में उत्पादित होनेवाले सिद्धांत के

अतिरिक्त किमी सिद्धान्त को धारित करता है अथवा यदि एक का झुकाव अधीनता की ओर दूसरे का उन्मुक्ति की ओर, एक का धन की और दूसरे का जनममूह की ओर, एक का शांति की ओर और दूसरे का विजय की ओर हो, तो हम देखेंगे कि अप्रत्यक्ष रूप से विधान अशक्त हो जायेंगे, सविधान परिवर्तित हो जायगा और राज्य लगातार आन्दोलित रहेगा जब तक कि वह विनष्ट अथवा बदल नहीं जाता और अजेय प्रकृति अपना प्रभुत्व प्राप्त नहीं कर लेती ।

नोट-१ इसलिये यदि आप राज्य को स्थायित्व प्रदान करना चाहते हो तो दोनो नितांतताओ को एक दूसरे के इतना समीप ले आओ जितना सभाव्य हो सके, न धनिक लोगो को और न भिक्षुओ को सहन करो । उपर्युक्त दोनों स्थितियाँ जो प्रकृतितः एक दूसरी से पृथक् नहीं हो सकतीं, सर्वसाधारण हित को सभानतः घातक होती हैं । प्रथम श्रेणी से अत्याचार की उत्पत्ति होती है, दूसरी श्रेणी से अत्याचारी का समर्थन करनेवाले की । इन्हीं दो श्रेणियों के बीच जन उन्मुक्ति का यातायात होता रहता है, एक उसे क्रय करता है एव दूसरा विक्रय ।

नोट-२ मार्क्सिस दागांसो का कथन है कि साधारणतः विदेशी वाणिज्य की कोई शाखा राज्य को मायावी लाभ ही प्रदान कर सकती है । यह कुछ विशिष्ट व्यक्तियों अथवा कुछ नगरों को लाभदायक हो सकता है, किन्तु समस्त राष्ट्र इससे कोई लाभ नहीं उठाता और जनता इसके कारण अधिक सम्पन्न नहीं होती ।

परिच्छेद १२

विधानों का विभिन्नीकरण

सब वस्तुओं का विनियमित करने के लिये और समधिराज्य को सुन्दरतम रूप देने के लिये अनिपय सबंध विचारणीय होते हैं। प्रथम समस्त निकाय की अपने ही प्रतिनिधियाँ अर्थात् समस्त का समस्त से सबंध अर्थात् प्रभु का राज्य से सबंध और इस सबंध में अन्तगत्त कई अन्तस्थ मर्यादाएँ होती हैं, जैसे हम अभी देखेंगे।

जो विधान इस उपर्युक्त सबंध को निश्चित करते हैं उनका नाम राजनीतिक विधान माना है। उन्हीं मूल विधान भी कहा जाता है और यदि वे विधान बुद्धियुक्त हों तो यह नाम जन्मग्रहण नहीं है। क्योंकि यदि किसी राज्य को विनियमित करने की आवश्यकता विधिहीन ही रीति है तो जिस राष्ट्र ने उसे परास्त कर लिया हो उसके लिये उन दृष्टता में धारण करना ही उपयुक्त है, परन्तु यदि प्रतिष्ठापित व्यवस्था द्वारा उन विधानों को जो इसे अच्छा बनाने में बाधक हैं, मूल विधान क्यों माना जाय। इनके अतिरिक्त प्रत्येक देश में हर राष्ट्र को अपने विधानों को बदलने की आवश्यकता होती है, अच्छे विधानों को भी बदलने की, क्योंकि यदि कोई राष्ट्र अपनी रीति बदलना चाहता हो तो उसे ऐसा करने में रोकने का किसे अधिकार है ?

दूसरा सबंध सदस्यों का एक दूसरे के प्रति अर्थात् समस्त निकाय के साथ होता है और उचित यह है कि यह सबंध दूसरे सदस्यों के प्रति सकुचिततम और समस्त निकाय के प्रति विस्मृततम हो, ताकि प्रत्येक नागरिक दूसरे नागरिकों से पूर्णरूपेण स्वतंत्र हो सके और राज्य के अनन्य रूप में अग्रणी हो सके। और इन दोनों की प्राप्ति के एक ही माध्यम है क्योंकि राज्य की शक्ति द्वारा ही नागरिकों की स्वतंत्रता परिरक्षित की जा सकती है। इन दूसरे सबंध में व्यावहारिक विधानों का उद्भव होता है।

हम एक तीसरे प्रकार के सबंध पर भी विचार कर सकते हैं, वह होता है नागरिकों के विधानों के बीच में। इसका नाम है दृष्टनीय जाजा-उल्लापन का सबंध,

और इसमें दंड विधान की स्थापना होती है, जो वास्तव में विधानो का कोई विशिष्ट वर्ग नहीं होता बल्कि दूसरे ममस्त विधानो का आश्रय होता है ।

इन विधानो के उपर्युक्त तीन वर्गों में एक चौथा वर्ग भी जुड़ सकता है जो इन सबसे महत्त्वपूर्ण है और जो न मगमरमर पर और न पीतल पर खुदा हुआ है बल्कि नागरिको के हृदयो में अंकित होता है । यह वह विधान है जिसके द्वारा राज्य के यथार्थ सविधान की उत्पत्ति होती है, जो प्रतिदिन नवीन स्फूर्ति प्राप्त करता है और जो जब हमारे विधान जीर्ण अपवा अचलित हो जाते हैं उन्हें पुनर्जीवित करता है अथवा उनकी जगह अन्य प्रतिस्थापित कर देता है, प्रजा को उनकी मस्याओं के मत्व में परि-रक्षित करना है और अप्रत्यक्ष रूप में प्रभुत्व के स्थान पर व्यवहारबल प्रतिस्थापित कर देता है । मेरा तात्पर्य आचार, व्यवहार और सर्वोपरि मत में है और यह वह क्षेत्र है जिसे हमारे राजनीतिज्ञ जानते तक नहीं, परन्तु जिन पर अन्य सब आधारो की सफलता निर्भर होती है । महान् विधिकर इस क्षेत्र का वैयक्तिक रूप में अनुसंधान करता है जब कि प्रत्यक्ष में उसका ध्यान विनिष्ट नियमों में सीमित होता है, जो केवल गुम्बज की चाप की तरह है और जिनकी स्थिर आधारशिला व्यवहार होता है, इस व्यवहार को उत्पादित होने में समय लगता है ।

उपर्युक्त विभिन्न वर्गों में से केवल राजनीतिक विधान ही, जो सामकीय पद्धति को मस्थापित करने है, मेरे विषय में सवधित है ।

पुस्तक ३

शासन के विभिन्न रूपों का विवेचन करने में पूर्व शासन शब्द का स्पष्ट अर्थ स्थापित करना आवश्यक है। इस शब्द की अभी तक स्पष्ट व्याख्या नहीं हुई है।

परिच्छेद १

शासन, साधारण अर्थ मे

मैं अपने पाठको को चेतावनी देता हूँ कि वह इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़े, मुझे उन लोगो को समझाने की कला नहीं आती जो ध्यानपूर्वक पढ़ने के इच्छुक नहीं हैं ।

प्रत्येक स्वतन्त्र कार्य के दो कारण होते हैं जो सम्मिलित रूप में इमका निर्माण करते हैं, प्रथम नैतिक अर्थात् वह प्रेरणा जिसके द्वारा वह कार्य निर्णीत होता है, दूसरा भौतिक अर्थात् वह बल जिसके द्वारा वह कार्य संपादित होता है । जब मैं किसी वस्तु की तरफ चलता हूँ, तो सर्वप्रथम मुझे चलने की प्रेरणा होनी चाहिये, द्वितीयत मेरे पगो में मुझे उसके समीप ले जाने का बल होना आवश्यक है । यदि कोई स्तम्भ-रोगी दौड़ने का आकांक्षी हो, अथवा मचेष्ट मनुष्य ऐसा करने का अभिलाषी न हो, तो दोनों जहाँ है वही स्थित रहेंगे । राजकीय निकाय की भी यही प्रेरक शक्तियाँ होती हैं, इसमें भी बल और प्रेरणा की भिन्नता होती है । प्रेरणा का नाम विधायी शक्ति और बल का नाम अधिशासी शक्ति होता है । उन दोनों के सहयोग के बिना इम निकाल में न कुछ होता है और न कुछ होना चाहिये ।

यह हम देख चुके हैं कि विधायी शक्ति लोगो में निहित होती है और केवल इन्हीं में निहित हो सकती है । इसके विरुद्ध पूर्व में स्थापित सिद्धान्तों के आधार पर यह देखना मरल है कि अधिगामी शक्ति विधायी अथवा मार्बजनिक शक्ति की तरह सामान्य लोगो में निहित नहीं हो सकती, क्योंकि विधायी शक्ति केवल उन्हीं विधिष्ट कार्यों में प्रन्यासित होती है जो विद्या के अन्तर्गत नहीं आते और परिणामस्वरूप मार्ब-भौमिक सत्ता के अन्तर्गत नहीं आते, मार्बभौमिक सत्ता के समस्त कार्य विद्यान होते हैं ।

इसलिये मार्बजनिक बल के लिये एक ऐसे अनुरूपकारक की आवश्यकता होती है जो इसे एकाग्र कर सके और सर्वसाधारण प्रेरणा के निर्देशनो के अनुसार कार्यान्वित कर सके, जो राज्य और मार्बभौमिक सत्ता के बीच यातायात का साधन बना सके

और जो मावजनिक निकाय में भी मनुष्य निकाय की भाँति किसी न किसी प्रकार जीव जीर देह का सम्मिलन स्थापित कर सके। राज्य में शासन का यही कर्तव्य होता है जिसे कई बार गलती से सार्वभौमिक सत्ता के साथ सम्भ्रमित कर दिया जाता है, हालाँकि यह सार्वभौमिक सत्ता का केवल एक सहायक होता है।

तो यथाथ में शासन होता क्या है ? यह उस अतस्थ निकाय का नाम है जो प्रजा और सार्वभौमिक सत्ता के बीच पारस्परिक यातायात के हेतु स्थापित की जाती है और उमका कर्तव्य होता है विधानों को सम्पादित करना और सामाजिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता को परिरक्षित करना।

उम निकाय के सदस्य दंडाधिकारी अथवा राजा अर्थात् शासक कहलाते हैं और ममस्त निकाय का नाम शासनाधिकारी होता है। इसलिये यह प्रतिपादित करने-वाले विलकुल ठीक हैं कि जिस क्रिया द्वारा लोग अपने आपको राजको के अधीन कर लेते हैं वह क्रिया पापण का अंग नहीं होती। यह क्रिया तो केवल आज्ञामात्र है, अर्थात् वेवायुक्ति है, जिसके अन्तर्गत सार्वभौमिक सत्ता के सामान्य कर्मचारियों के रूप में वह लोग इसके नाम में वह शक्ति सम्पादित करते हैं जो सार्वभौमिक सत्ता ने इनमें निक्षिप्त कर दी है और जिसे सार्वभौमिक सत्ता, जब वह चाहे, सीमित कर सकती है, बदल सकती है और पुनर्ग्रहण कर सकती है। उम अधिकार का स्थायी रूपमें अन्धक्रामण कर देना सामाजिक निकाय के स्वभाव के प्रतिकूल होता है और माहचर्य के प्रयोजन के विरुद्ध होता है।

इसी लिये मैं शासन अथवा वरिष्ठ प्रशासनाधिकार अधिशासक शक्ति के न्यायमगत प्रयोग को कहता हूँ, और शासनाधिकारी अथवा दंडाधिकारी उम मनुष्य अथवा निकाय को कहता हूँ जो उपर्युक्त प्रशासन में प्रवृत्त होती है।

शासन में ही वे अन्तस्थ शक्तियाँ होती हैं जिनके पारस्परिक मन्त्रों में ममस्त निकाय का ममस्त के प्रति और सार्वभौमिक सत्ता का राज्य के प्रति मन्त्र प्रदर्शित होता है। यह अंतिम मन्त्र मित्रमिलेवाग अनुपात के चरम बिन्दुओं के पारस्परिक मन्त्र द्वारा भी निम्नित किया जा सकता है जिसका अनुपाती तुल्य बिन्दु शासन होगा। शासन मन्त्र सार्वभौमिक सत्ता में वे आदेश प्राप्त करता है जो वह लोगों को देता है, और राज्य का स्थायी साम्य देने के लिये यह आवश्यक है कि सब वस्तुओं के मन्त्रों के हेतु शासन के निजी उत्पादन तथा शक्ति और नागरिकों के उत्पादन तथा शक्ति में समता का नागरिक एव रूप में सार्वभौमिक सत्ता और हमारे में प्रजा होने है।

अपरच, उपर्युक्त तीनो शब्दों को उनका पारस्परिक अनुपात विनष्ट किये बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यदि सार्वभौमिक सत्ता प्रशासन करने लगे अथवा दंडाधिकारी विधानीकरण करने लगे अथवा प्रजा आज्ञानुशामन से इनकार करे तो व्यवस्था के स्थान पर अव्यवस्था हो जायगी, बल और प्रेरणा में पारस्परिक मेल नहीं रहेगा और राज्य का विलयन होने में एकाधिकार अथवा अराजकता स्थापित हो जायगी। अन्त में, क्योंकि प्रत्येक सवध के बीच एक ही अनुपाती मतोलन विन्दु होता है इसलिये राज्य में केवल एक ही अच्छा शासन संभव होता है। परन्तु चूँकि लोगों के सवध हजारों घटनाओं द्वारा परिवर्तित हो सकते हैं इसलिये भिन्न शासन भिन्न राष्ट्रों के लिये अथवा भिन्न समय में उम्मी राष्ट्र के लिये उत्तम मिद्ध हो सकते हैं।

दो चरम सीमाओं के बीच क्या भिन्न सवध हो सकते हैं, इसकी कल्पना देने के लिये मैं लोगों की सख्या का एक उदाहरण लूँगा क्योंकि इस सवध की व्यवस्था सुगमतम होगी।

हम यह मानकर चले कि राज्य में दस हजार नागरिक हैं। सार्वभौमिक सत्ता को केवल सम्मिलित और निकाय के रूप में ही कल्पित किया जा सकता है परन्तु प्रत्येक वैयक्तिक मनुष्य को प्रजा के रूप में व्यक्ति कल्पित किया जाता है। इसलिये सार्वभौमिक सत्ता और प्रजा का सवध दस हजार और एक के अनुपात से होता है, अर्थात् राज्य का प्रत्येक सदस्य सार्वभौमिक सत्ता के दस हजारवें भाग का ही अधिकारी होता है, चाहे वह सार्वभौमिक सत्ता के सर्वथा अधीन भी हो। यदि राष्ट्र में एक लाख मनुष्य हो तो प्रजा की स्थिति तो नहीं बदलती और प्रजा का हर सदस्य विधानों की समस्त शक्ति के अधीन होता है, परन्तु विधानों के निर्माण में उसके मत का प्रभाव, एक लाखवाँ भाग हो जाने के कारण, दसगुना कम हो जाता है। इसलिये, प्रजा सदा एक इकाई होने के कारण सार्वभौमिक सत्ता का अनुपाती सवध नागरिकों की मख्या के अनुसार बढ़ जाता है, जिसका यह अर्थ है कि जितना अधिक राज्य का विस्तार हो जाता है उतनी ही अधिक स्वतंत्रता की क्षति होती है।

जब मैं कहता हूँ कि अनुपाती सवध बढ़ जाता है तो मेरा अर्थ यह है कि यह समता में अधिक दूर हो जाता है। इसलिये रेखकीय अभिप्राय में जितना सवध अधिक होगा उतना ही सामान्य अनुमोदन में कम होगा, प्रथम दशा में सवध सख्या के आधार पर कल्पित होने के कारण मपरीक्षा द्वारा मानित किया जाता है और दूसरी दशा में ऐक्यात्म के आधार पर कल्पित होने के कारण सवध ममानता से मानित किया जाता है।

इसलिये विशिष्ट प्रेरणाये सर्वसाधारण प्रेरणा से, अर्थात् रूढियाँ विधानो से, जितनी मन्वित होगी उतनी ही मात्रा मे विरोधी शक्ति को बढाना पडेगा । इसलिये प्रभावशाली होने के लिये जैसे लोगो की सख्या अधिक मात्रा में होगी उसी अनुपात मे शासन को अधिक शक्तिशाली होना पडेगा ।

दूसरी ओर, क्योंकि राज्य के विस्तृत होने के कारण सार्वजनिक प्रभुत्व के धारको को अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की अधिक लालसा और अधिक साधन प्राप्त होते हैं इसलिये शासन को प्रजा पर नियंत्रण रखने के लिये अधिक बल की आवश्यकता होती है जोर की प्रजा की सावभौमिक सत्ता को भी शासन पर नियंत्रण रखने के लिये अधिक बल की आवश्यकता होती है । उपर्युक्त विवेचन मे मैं निरपेक्ष बल की बात नहीं कहता हूँ बल्कि राज्य के विभिन्न अंगो के सापेक्ष बल की बात कहता हूँ ।

एक द्विपक्षीय मन्वध मे यह सिद्ध होता है कि सार्वभौमिक सत्ता शासनाधिकारी और प्रजा के मध्य मन्व अनुपात स्वच्छाचारी कल्पना नहीं है परन्तु राजनीतिक निकाय का स्वरूप और अनिवार्य परिणाम है । यह भी सिद्ध होता है कि चरमविन्दुओ मे से एक, शासन प्रजा के रूप मे, स्थिर होने और एक इकाई द्वारा निरूपित होने के कारण, प्रजा जत्र द्विपक्षीय अनुपात बढ जाता अथवा घट जाता है तो उसी मात्रा मे एकल शासन भी बढ जाता या घट जाता है और परिणामस्वरूप मन्वस्थ मर्यादा परिवर्तित हो जाती है । इसमे प्रकट होता है कि शासन का कोई सविधान निराला और निरपेक्ष नहीं हो सकता, परन्तु जितने भिन्न भिन्न विस्तार के राज्य होते हैं उतने ही भिन्न भिन्न प्रकार के शासन हो सकते हैं ।

यदि प्रस्तुत शैली का उपहास करने की दृष्टि मे यह कहा जाय कि अन्तस्थ अनुपात प्राप्त करने और शासन के निकाय का निर्माण करने के लिये मैं यह प्रस्तावित करता हूँ कि लोगो की मर्यादा का वर्गमूल निकालना आवश्यक है तो मेरा उत्तर है कि एम प्रमाण मे मैं मर्यादा को केवल उदाहरण के लिये ही लेता हूँ, कि जिन अनुपातों की मैं बात करता हूँ वे केवल मनुष्य-मर्यादा के आधार पर अनुमानित नहीं हो सकते परन्तु सामान्यतः प्रक्रिया की मात्रा के आधार पर, जो अनेक कारणों के सम्मिलन के परिणामस्वरूप होती है । यदि थोड़े शब्दो मे अपने विचार प्रकट करने के लिये मैं भारतीय मर्यादाओ का श्रेष्ठ आधार ले लेता हूँ, तो मैं इसमे अनभिज्ञ नहीं हूँ कि भारतीय मनुष्य नैतिक मात्राओ मे सार्थक नहीं हो सकती ।

शासन का रूप मे वही बन्तु है जो राजनीतिक निकाय, जिसमे अन्तर्गत शासन का अन्तर्गत प्रकृत रूप मे होता है । यह एक नैतिक व्यक्तित्व है जो

कतिपय शक्तियों में सम्पन्न, मार्वाभौमिक सत्ता की भाँति सचेष्ट, राज्य की भाँति अचेष्ट है और इसे अन्य उमी प्रकार के मन्त्रों में विभाजित किया जा सकता है, उपर्युक्त के फलस्वरूप एक नया अनुपात स्थापित हो जाता है, और दंडाधिकारी के क्रम के अनुसार एक अन्य नया अनुपात यहाँ तक कि अंत में हम एक अभाज्य मध्यस्थ मर्यादा, अर्थात् एकल राजक अथवा वरिष्ठ दंडाधिकारी, पर पहुँच जाते हैं जो इस वदते हुए क्रम के मध्य में अपूर्णाको और पूर्णाको की माला में एक इकाई रूप है।

अपने आपको मर्यादाओं के इस बाहुल्य में व्याकुल न करते हुए हमें राज्य के अन्तर्गत शासन को एक ऐसी नवीन निकाय के रूप में अवलोकन करने में मनुष्ट हो जाना चाहिये जो लोगों में और मार्वाभौमिक सत्ता में भिन्न है परन्तु दोनों के अन्तर्गत है।

उपर्युक्त दोनों निकायों में केवल यह महत्त्वपूर्ण अंतर है कि राज्य स्वतः वर्तमान होता है परन्तु शासन मार्वाभौमिक सत्ता द्वारा ही स्थापित होता है। इसलिये शासनाधिकारी की प्रबल प्रेरणा सर्वसाधारण प्रेरणामात्र अथवा विधान मात्र ही होती है और होनी चाहिये। इसका बल इसमें सकेन्द्रित मार्वाजनिक बल ही होता है। ज्यों ही यह किसी सम्पूर्ण या स्वतंत्र क्रिया को स्वतः संपादित करने की अभिलाषा में युक्त हो जाती है, त्यों ही समस्त का संगठन ढीला होना प्रारम्भ हो जाता है। यदि शासनाधिकारी अन्त में किसी ऐसी विशिष्ट प्रेरणा में युक्त हो जाय जो साव-भौमिक सत्ता में अधिक सचेष्ट हो और यदि इस विशिष्ट प्रेरणा के अनुसरण पर वाध्य करने के लिये वह मार्वाजनिक बल को, जो उसके अधीन होता है, इस प्रकार प्रयुक्त करने लगे कि यथार्थ में दो मार्वाभौमिक अधिकारियों का अस्तित्व स्थापित हो जाय, एक नैयायिक और दूसरा वास्तविक, तो सामाजिक संगठन नुरस्त नष्ट हो जाता है और राजनीतिक निकाय विलकुल लुप्त हो जाता है।

अपरन्तु, शासन के निकाय को एक अस्तित्व और एक ऐसी वास्तविक जीवन प्रदान करने के लिये, जो इसे राज्य के निकाय में भिन्न कर सके और इस हेतु शासन के मन्त्र मध्यम नम्मिलित रूप में क्रियाशील हो सके और जिस प्रयोजन के लिये इसका निर्माण हुआ है, उसकी पूर्ति कर सके, वह आवश्यक है कि शासन का एक विशिष्ट व्यक्तित्व हो और इसके सदस्यों में एक सामान्य अनुभूति हो और इसके परिष्करण के लिये एक बल और निजी प्रेरणा हो। उपर्युक्त व्यक्तित्व अस्तित्व कल्पित करना है कि परिष्कृत, सभाओं विमर्श और सफल शक्ति, और शासनाधिकारी में निहित कतिपय अपवर्जा अधिकार, उपाधियाँ और विशेषाधिकार हो, जिनसे दंडाधिकारी की मनुष्टि उमी अनुपात में अधिक सम्माननीय हो जाती है, जितनी यह अधिक दुस्साध्य होती है। कठिनायों

उम साधन के निरूपण करने में होती है, जिस द्वारा इस अधीनस्थ सम्पूर्ण को सम्पूर्ण के अन्तर्गत इम प्रकार स्थापित किया जा सके कि अपने आपको प्रबल बनाते हुए वह सर्वमाभरण मविधान को दुर्बल न बना दे, कि उसका अपना विशिष्ट बल जो उसके अपने परिरक्षण के लिये योजित है उस सार्वजनिक बल से विभिन्न रह सके जो राज्य के परिरक्षण के लिये संचित होता है और एक शब्द में, कि वह सदा इसके लिये उद्यत रहे कि शासन प्रजा के हित में स्वार्थत्याग करे न कि प्रजा से शासन के हित में स्वार्थ-त्याग करावे ।

अपरच, हालांकि शासन के कृत्रिम निकाय का निर्माण एक अन्य कृत्रिम निकाय द्वारा होता है और इसका अस्तित्व कई दृष्टियों से व्युत्पादित और अधीनस्थ होता है परन्तु इमका अर्थ यह नहीं है कि शासन थोड़ी बहुत सचेष्टता से अथवा वेग से काम न कर सके, या यो कहिये कि पुष्ट स्वास्थ्य का थोडा बहुत उपभोग न कर सके । जन में, अपने सस्थापन के प्रयोजन से स्पष्ट रूप में विचलित हुए बिना, उसे इस रीति के अनुसार, जिससे उसका निर्माण हुआ है, थोडा बहुत फेर-बदल करने की शक्ति दानी चाहिये ।

उपर्युक्त फेर-बदल से उन विभिन्न सवधो का प्रादुर्भाव होता है जिनको राज्य का निकाय में स्थापित करना शासन के लिये आवश्यक है ताकि उस आकस्मिक और विशिष्ट सवधो से अनुकूलता हो सके जिनसे स्वयं राज्य परिवर्तित होता है । क्योंकि बहुता स्वभावत उत्तमतर शासन भी परम दूषित बन जायगा यदि उसके सवध अपने राजनीतिक निकाय के दोषो से साथ साथ बदलते न रहेंगे ।

परिच्छेद २

वह सिद्धान्त जिसके आधार पर शासन के भिन्न रूप संकल्पित होते हैं

उपर्युक्त विभिन्नताओं के माधाग्न कारण की व्याख्या करने के लिये शासनाधि-
कारी और शासन में अंतर करना होगा जैसे मैंने पूर्व में राज्य और सार्वभौमिक सत्ता में
अंतर किया है ।

दडाधिकार निकाय के सदस्य अधिक अथवा न्यून हो सकते हैं । हम पहले कह
चुके हैं कि जैसे जैसे लोगो की मख्या बढ़ती जाती है सार्वभौमिक सत्ता और प्रजा का
अनुपात मवध बढ़ता जाता है और एक स्पष्ट मादृश्य के आधार पर हम शासन और
दडाधिकारियों के मवध में भी यही कह सकते हैं ।

शासन के मपूर्ण बल में, चूँकि यह तो हमेशा राज्य के बल का ही परिमाण है,
कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसका यह अर्थ है कि जितनी अधिक मात्रा में शासन इन
घात को अपने मदस्यो के प्रति प्रयोग कर लेता है उतनी ही कम मात्रा समस्त प्रजा पर
प्रयोग करने के लिये रह जाती है ।

परिणामस्वरूप, जितनी अधिक मख्या दडाधिकारियों की होती है, उतना ही अधिक
निर्बल शासन हो जाता है । क्योंकि उपर्युक्त उक्ति आधारभूत है, इमन्दिण और स्पष्टता
में व्याख्या करने की चेष्टा करते हैं ।

हम दडाधिकार के निकाय में तीन मूलत विभिन्न प्रेरणाओं में अंतर कर सकते
हैं । प्रथम, दडाधिकारी की वैयक्तिक प्रेरणा जो केवल शासनाधिकारी के लाभ में
ही प्रयुक्त होती है, द्वितीय, दडाधिकारियों की सम्मिलित प्रेरणा जो केवल
शासनाधिकारीके लाभ में ही मवधित होती है और जिसे समृष्ट प्रेरणा कहा जा सकता
है, जो शासन के मवध में सर्वसाधारण होती है, परन्तु राज्य के मवध में, जिसका

शासन एक खण्ड मात्र है, विशिष्ट होती है। तीसरे स्थान पर लोगो की प्रेरणा अथवा सार्वभौमिक प्रेरणा, जो राज्य को सपूर्ण मानते हुए और शासन को सपूर्ण का एक भाग मानते हुए, उभय के सबध में सर्वसाधारण होती है।

विधिकरण की परिपूर्ण सहति में विशिष्ट और व्यक्तिगत प्रेरणा अपवर्ती होनी चाहिये। ससृष्ट प्रेरणा, जिसका होना शासन के लिये स्वाभाविक है, अधीन होनी चाहिये, और परिणामस्वरूप सर्वसाधारण अर्थात् सार्वभौमिक प्रेरणा को सदा प्रबल और अन्य सबके नियमन अधिकार युक्त होना चाहिये।

दूसरी ओर, प्राकृतिक क्रम के अनुसार, ये विभिन्न प्रेरणायें उसी मात्रा में अधिक सचेष्ट हो जाती हैं, जितनी ये अधिक सकेन्द्रित होती हैं। इसलिये सर्वसाधारण प्रेरणा सबसे अधिक दुर्बल होती है, ससृष्ट प्रेरणा का दूसरा नम्बर आता है और विशिष्ट प्रेरणा का सर्वप्रथम नम्बर होता है, अर्थात् शासन में प्रत्येक मनुष्य सर्वप्रथम अपने आप, तदनंतर दडाधिकारी और तदनंतर नागरिक होता है। यह क्रम उसके सर्वथा विपरीत है जिसकी सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है।

यदि यह मान लिया जाय कि समस्त शासन-शक्ति, किसी एकमात्र मनुष्य के हाथ मे है, तो विशिष्ट प्रेरणा और ससृष्ट प्रेरणा सपूर्ण रूप से सम्मिलित हो जायगी और परिणामस्वरूप प्रेरणा की गहनता की मात्रा अधिकतम सभाव्य होगी। चूँकि प्रेरणा की गहनता की मात्रा पर ही बल का प्रयास अवलम्बित होता है और चूँकि शासन का सपूर्ण बल परिवर्तित होता ही नहीं इसलिए यह सिद्ध है कि सचेष्टतम शासन एकमात्र व्यक्ति शासन ही होता है।

इसके विपरीत यदि हम शासन को विधायी शक्ति के साथ सम्मिलित कर दें, सार्वभौमिक सत्ताधिकारी को शासनाधिकारी और सब नागरिको को दडाधिकारी बना दें तो ससृष्ट प्रेरणा सर्वसाधारण प्रेरणा के साथ सभ्रमित होकर सर्वसाधारण प्रेरणा की अपेक्षा अधिक सचेष्ट न हो सकेगी और विशिष्ट प्रेरणा सपूर्णतया प्रबल रह जायगी इस प्रकार शासन, जिसका सम्पूर्ण बल सदा समान ही होता है, सापेक्ष बल और अवेष्टता के आधार पर निर्बलतम होगा।

ये सबध विवादरहित होते हैं और अन्य विचार इनको अधिक पुष्ट करने में सहायक होने हैं। उदाहरणार्थ हम देखने हैं कि जिनना सचेष्ट प्रत्येक नागरिक अपने निकाय मे होना है उसमे अधिक सचेष्ट दडाधिकारी अपने निकाय में होता है, जिसके परिणामस्वरूप विशिष्ट प्रेरणा सार्वभौमिक सत्ता के कार्यों की अपेक्षा शासन के कार्यों में

कही अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि प्रत्येक दंडाधिकारी प्रायः सदा ही शासन के किमी न किमी कृत्य से युक्त होता है जब कि प्रत्येक नागरिक व्यक्तिगत रूप में सार्वभौमिक सत्ता के किमी भी कृत्य से युक्त नहीं होता। इसके अतिरिक्त, जितना अधिक राज्य का विस्तार होता है उतना ही अधिक इसका वास्तविक बल बढ़ता है, हालाँकि वह बल विस्तार के अनुपात से नहीं बढ़ता, लेकिन जब तक राज्य का विस्तार वही रहता है तो दंडाधिकारियों की सख्या को बढ़ाना निरर्थक होता है, क्योंकि ऐसा करने में शासन के वास्तविक बल में वृद्धि नहीं हो जाती, शासन का बल तो वास्तव में राज्य का बल होता है और उसकी मात्रा सदा समान ही रहती है। इसलिए शासन का मपूर्ण और वास्तविक बल बढ़े बिना सापेक्ष बल और सचेष्टता कम ही होती है।

अपरिच, यह निश्चित है कि कार्य के सपादन का वेग अधिक व्यक्तियों के सपादन-कार्य में जुटने से कम हो जाता है, कि विवेक पर अधिक जोर देने से भाग्य का क्षेत्र कम हो जाता है और अवसरों को यो ही गुजरने दिया जाता है और कि अत्यधिक विवेचन के कारण विवेचन का परिणाम ही बहुधा लुप्त हो जाता है।

मैंने अभी अभी सिद्ध किया है कि दंडाधिकारियों की सख्या में वृद्धि होने के अनुपात से शासन दुर्बल हो जाता है और यह मैं पहले से सिद्ध कर चुका हूँ कि जितनी अधिक सख्या में प्रजा होती है निरोध बल को उतना ही बढ़ाना आवश्यक है, जिसका अर्थ यह है कि दंडाधिकारी और शासन का अनुपात प्रजा और सार्वभौमिक सत्ता के अनुपात से प्रतीपित होना चाहिये, अर्थात् जितना अधिक राज्य बढ़े उतना शासन को सक्षिप्त होना चाहिये, ताकि राजको की सख्या प्रजा की सख्या की वृद्धि के अनुपात में घट जाय।

परन्तु मैं केवल शासन के सापेक्ष बल की बात कहता हूँ, शासन की सचाई की नहीं। क्योंकि विपरीत दंडाधिकारियों की जितनी अधिक सख्या होती है, उतनी ही अधिक मात्रा में समृष्ट प्रेरणा सर्वसाधारण प्रेरणा के निकट होती है और एकमात्र दंडाधिकारी के अर्वां उपर्युक्त समृष्ट प्रेरणा, जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ, एक विशिष्ट प्रेरणा का रूप होती है। इस प्रकार एक ओर की हानि दूसरी ओर का लाभ बन जाती है और विधिकर की कला इसमें निहित होनी है कि वह यह पहचान सके कि शासन के बल और प्रेरणा को, जो सदा अन्योन्य अनुपात में होते हैं, परस्पर किम अनुपात में निर्धारित किया जाय ताकि वे राज्य के लिए अधिकतम हितकर सिद्ध हो।

परिच्छेद ३

शासन का वर्गीकरण

पूर्वगत परिच्छेद में देखा गया है कि शासन के विभिन्न प्रकारों और रूपों में इनका निर्माण करनेवाले लोगों की संख्या के अनुसार अंतर करना किसलिये आवश्यक है। वर्तमान परिच्छेद में यह देखना है कि यह भिन्नीकरण किस प्रकार किया जाता है।

प्रथमतः, सार्वभौमिक सत्ता शासनभार को समस्त प्रजा में व प्रजा के अत्यधिक भाग में इस प्रकार न्यसित कर सकती है कि सामान्य नागरिक जनो की अपेक्षा ऐसे नागरिकों का बाहुल्य हो जाय जो दंडाधिकारी होंगे। शासन के इस रूप को हम जनतंत्र कहते हैं।

अथवा, सार्वभौमिक सत्ता शासन को अल्पसंख्यक हस्तों तक सीमित रख सकती है ताकि दंडाधिकारियों की अपेक्षा सामान्य नागरिकों की संख्या अत्यधिक हो, और इस प्रकार का नाम शिष्ट जनसत्ता होता है।

अतः में, सार्वभौमिक सत्ता समस्त शासन को केवल एक एकल दंडाधिकारी के हस्तों में केन्द्रित कर सकती है जिससे शेष सब अपनी शक्तियाँ व्युत्पादित करते रहें। यह तीसरा प्रकार साधारणतम है और इसे एकाधिकार अथवा राजकीय शासन कहते हैं।

यह उल्लेख आवश्यक है कि इन सब प्रकारों में, कम से कम प्रथम दो प्रकारों में, मात्राएँ सभाव्य होती हैं और इन मात्राओं का विस्तार भी काफी दीर्घ हो सकता है, यथा जनतंत्र में समस्त प्रजा को अधिकार दिये जा सकते हैं अथवा अधिकारों की सीमा आधी प्रजा तक रखी जा सकती है। इसी प्रकार, शिष्ट जन सत्ता, राज्य का विस्तार प्रजा के आधे भाग से लेकर न्यूनतम अनिश्चित संख्या तक हो सकता है। राजकीय सत्ता के भी कतिपय भाग बन सकते हैं। मविधान के अन्तर्गत स्पार्टा में मदा ही दो

राजा रहते थे और रोम के साम्राज्य में एक ही साथ आठ सम्राट तक हुए हैं और उस समय भी यह कहना नभव नहीं था कि साम्राज्य का विभाजन हो गया है। इस प्रकार एक ऐसा विन्दु होता है जहाँ शासन का प्रत्येक प्रकार अगले प्रकार में ममिश्रित हो जाता है, और स्पष्ट है कि तीन सरल सजाओ के अन्तर्गत ही वास्तव में शासन के इतने भिन्न प्रकार हो सकते हैं जितने राज्य के नागरिक हैं।

इससे भी अधिक, एक ही शासन का कुछ दृष्टियों से, अलग अलग खंडों में विभाजन होना नभव होने के कारण, जिसमें एक का प्रशासन एक प्रकार से और दूसरे का अन्य प्रकार से होता हो, इन तीनों प्रकारों के मेल से मिश्रित प्रकारों की एक बड़ी मख्या बन सकती है जिनमें से प्रत्येक को सब सरल प्रकारों से गुणित किया जा सकता है।

सब युगों में शासन का उत्तमतर प्रकार क्या है इस पर पर्याप्त चर्चा होती रही है परन्तु इस चर्चा में इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया कि प्रत्येक प्रकार किसी किसी विशिष्ट स्थिति में उत्तमतर हो सकता है और अन्य स्थितियों में दुष्टतर।

यदि विभिन्न राज्यों में वरिष्ठ दंडाधिकारियों की सख्या नागरिकों की अपेक्षा विलोम अनुपात से हो तो यह धारणा की जा सकती है कि साधारणतया जनतन्त्रात्मक शासन छोटे राज्यों के लिये उपयुक्त है, शिष्ट-जनसत्ता-राज्य मध्यम परिमाण के राज्यों के लिये और एकाधिकार शासन बृहन्-राज्यों के लिए, यह नियम तो तुरन्त सिद्धान्त से ही निरूपित किया जा सकता है, परन्तु उन असख्य परिस्थितियों का अनुमान करना कैसे नभव है जो इस नियम के अपवाद रूप होती हैं ?

परिच्छेद ४

जनतंत्र^१

विधान का निर्माण करनेवाला अन्यों की अपेक्षा अधिक सुचारु रूप से जानता है कि विधान को किस प्रकार कार्यान्वित और निर्वाचित करना चाहिये। उपरोक्त से ऐसा लगेगा कि विधान की सबसे सुन्दर व्यवस्था अधिशासी और विधायी शक्तियों के सम्मिलन से ही की जा सकती है परन्तु यही परिस्थिति कतिपय दृष्टियों में प्रजातन्त्रात्मक शासक को अयोग्य बना देती है, क्योंकि जिन वस्तुओं को अलग अलग रखना उचित है वे इस व्यवस्था में अलग नहीं रहती हैं, और शासनाधिकारी और सार्वभौमिक मत्ता एक ही व्यक्ति होने से मानो अनियमित शासन का आधार बन जाती है।

यह लाभप्रद नहीं है कि जो विधानों का निर्माण करे वही उनको कार्यान्वित भी करे। न यह लाभकर होता है कि प्रजामूह अपने ध्यान को साधारण विमर्श विन्दुओं में हटाकर विशिष्ट प्रयोजनों पर केन्द्रित करे। सार्वजनिक कृत्यों पर वैयक्तिक हितों के प्रभाव की अपेक्षा कोई अन्य वस्तु अधिक भयावह नहीं होती, और शासन द्वारा विधानों का दुष्प्रयोग विधिकर के भ्रष्टाचार की अपेक्षा जो वैयक्तिक हितों के अनुसरण का अनिवार्य परिणाम होता है, कम दोषयुक्त नहीं है। क्योंकि जब राज्य का मार ही बदल जाय तो सञ्चोधन अमभव हो जाता है। जो लोग शासन का दुष्प्रयोग नहीं करते वे अपनी स्वतन्त्रता का भी दुष्प्रयोग नहीं करते, जो लोग मदा भली भाँति शासन चला सकते हैं उन्हें प्रशासन होने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

१ प्लेटो के मतानुसार जनतंत्र समधिशासक का एक दूषित प्रकार होता है जिसमें स्वातन्त्र्य का अतिरेक होने से अनर्गलता उत्पन्न हो जाती है। देखिये रिपब्लिक ८ एरिस्टॉटल जनतंत्र को गणराज्य का दूषित रूप मानता था, देखिये पॉलिटिक्स ३—७

यदि इम जट्ट का सही अभिप्राय लिया जाय तो यथार्थ जनतंत्र का न तो कभी अस्तित्व हुआ है और न ही कभी होगा। यह प्राकृतिक व्यवस्था के प्रतिकूल है कि बहुसंख्यक शासन करे और अल्पसंख्यक प्रशासित हों। यह कल्पित करता असंभव है कि लोग मार्वाजनिक कृत्यों पर विचार करने के लिये शाश्वत परिपद में एकत्रित रहें और यह तो स्वतः स्पष्ट है कि प्रशासन के ढंग को परिवर्तित किये बिना उपरोक्त कार्य के लिये आयोग स्थापित नहीं किये जा सकते।

वास्तव में, मैं समझता हूँ कि यह सिद्धान्त के रूप में निर्धारित किया जा सकता है कि जब शासन के कार्य कतिपय अधिकरणों में विभाजित हो जाते हैं तो अल्पसंख्यक अधिकरण आज अथवा कल अधिकतम प्रभुत्व को प्राप्त कर लेते हैं, इसका कारण कार्य-सम्पादन की सुगमता होता है, जिसके कारण स्वाभाविक रूप में उपरोक्त परिणाम हो जाता है।

अपरच इम शासन में प्रायः सभी ऐसी वस्तुएँ पूर्वकल्पित होती हैं जिनको सम्मिलित करना कठिन है। प्रथम एक बहुत छोटा राज्य जिसमें लोग शीघ्रता से एकत्रित हो जायँ और जिसमें प्रत्येक नागरिक अन्य सबको सुगमता से जान सके। दूसरे आचार की बहुत मादगी जिसके कारण कार्यों का बाहुल्य और तीखी चर्चाएँ बाधित हो जायँ, अपरच पद और सम्पत्ति की पर्याप्त समानता जिसके बिना अधिकार और प्रभुत्व की समानता देर तक निर्वाहित नहीं हो सकती, और अंत में विलाम की न्यूनता अथवा अभाव क्योंकि विलाम या तो सम्पत्ति का फल होता है अथवा सम्पत्ति को आवश्यक बना देता है। सम्पत्ति धनी और निर्धन दोनों को भ्रष्ट कर देती है, धनी को सम्पत्ति के धारण के कारण और निर्धन को सम्पत्ति की लालसा के कारण। सम्पत्ति देश को पुरुषत्वहीनता और निस्सारिता की ओर ढकेल देती है, सम्पत्ति एक व्यक्ति को दूसरे के अधीन बनाकर और सबको अभिमत के अधीन बनाकर राज्य को अपने सब नागरिकों में वित्त कर देती है।

इसी लिए एक लेखक ने गणतंत्र को निदान्तशील बनाया है, क्योंकि उपरोक्त सब परिस्थितियाँ शील के बिना निर्वाहित नहीं हो सकती, परन्तु आवश्यक भेद न कर

१ यह प्रसिद्ध लेखक माण्टेस्क्यू है जिम्ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ़ ला (५-१) में शील को गणतंत्र का सिद्धान्त बताया है, परन्तु इसी पुस्तक की प्रस्तावना में इस लेखक ने स्पष्ट किया है कि शील ने उनका अर्थ

मकने के कारण उपरोक्त बुद्धिशाली लेखक में बहुता सुतथ्यता की दृष्टि से कभी कभी स्पष्टता की कमी रह गयी और वह यह नहीं देख सका कि सार्वभौमिक सत्ताधिकारी हर जगह समान होने के कारण प्रत्येक सुसगठित राज्य में समान सिद्धान्त ही स्थापित होने चाहिये, चाहे शासन के रूप के अनुसार उनकी मात्रा न्यूनाधिक क्यों न हो जाय ।

यह कहना भी आवश्यक है कि कोई शासन गृहयुद्ध और आन्तरिक आन्दोलनों के इतना अधीन नहीं होता जितना कि प्रजातान्त्रिक अथवा लौकिक शासन, क्योंकि कोई अन्य शासन इतनी तत्परता और निरन्तरता से अपना रूप बदलने को प्रवृत्त नहीं होता, तथा कोई अन्य शासन अपने निजी रूप में परिस्थापित रहने के लिये अधिक सतर्कता और साहस की माँग नहीं करता । इस सविधान में विशेषकर नागरिक को धैर्य और बल से युक्त होना सर्वोपरि आवश्यक होता है और अपने जीवन के प्रत्येक दिन अपने पूर्ण हृदय से यह कहना आवश्यक होता है, जो एक शीलाचारी पैलेटाइन ने पोलैण्ड की परिषद् में कहा था कि “मैं शान्तिपूर्ण दासत्व से शक़ायुक्त स्वतंत्रता को अधिमान्य करता हूँ ।”

यदि देवो का कोई राष्ट्र होता तो उसका शासन प्रजातान्त्रिक होता । इतना परिपूर्ण शासन मनुष्यों के अनुकूल नहीं है ।

राजनैतिक शील, अर्थात् देशप्रेम और समानता प्रेम से है, जो न्यूनाधिक सब प्रकार के शासन में विद्यमान है । इसलिये रूसो का अवक्षेप उचित नहीं । ये शब्द पोलैण्ड के राजा के पिता ड्यूक डी रोरेन के हैं ।

परिच्छेद ५

शिष्ट जनतंत्र

इस तंत्र में दो पूर्णतया भिन्न नैतिक अस्तित्व होते हैं, अर्थात् शासन तथा मार्क्सवादी सत्ता। इसके परिणामस्वरूप दो सर्वसाधारण प्रेरणायें होती हैं, एक का मकसद सब नागरिकों में और दूसरी का केवल शासन के सदस्यों में होता है, इसी लिए, यद्यपि शासन अपनी आन्तरिक नीति को इच्छापूर्वक नियमन कर सकता है, वह लोगों में मार्क्सवादी सत्ताधिकारी के रूप में कोई अतिरिक्त व्यवहार नहीं कर सकता, अर्थात् लोगों में स्वतंत्र लोगों के नाम पर ही मकसद स्थापित कर सकता है। उपरोक्त तथ्य कभी भुलाना नहीं चाहिये।

आद्यतम समाजों का शासन शिष्ट जनतंत्रात्मक था। कुटुम्बों के प्रधान मार्क्सवादी कृत्यों के मकसद में पारस्परिक विमर्श कर लिया करते थे। युवक लोग सुगमता से अनुभव के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इसी वास्ते निम्न शब्द प्रयुक्त होते थे— पुणेहित, वृद्ध लोग, शिष्ट समाज और वृद्ध समाज। उत्तरी अमेरिका के मध्य लोग आज भी इसी प्रकार शामिल होते हैं और उनका शासन बहुत अच्छा है।

परन्तु ज्यों ज्यों समस्या द्वारा निर्धारित असमानता प्राकृतिक असमानता पर अविभावी होती गयी, सम्पत्ति और बल को बय की अपेक्षा अधिमान्यता मिलने लगी और शिष्ट जनतंत्र निर्वाचन पर आघात हो गया। अतः, पिना की सम्पत्ति के

१ समाजशास्त्रियों की धारणा है कि राजतंत्र शिष्टजनतंत्रात्मक शासन में पहले है। देखिये मेन : ऐनशेन्ट लॉ चेंप्टर प्रथम और अरिस्टादिल :—पॉलिटिक्स १, २

२ यह स्पष्ट है कि प्राचीन लोगों में से शब्द (आप्टीमेंट्स) का अर्थ

साथ साथ शक्ति भी बच्चो को पारेपित होने लगी, जिससे कुटुम्ब विशिष्ट हो गये, शासन पैत्रिक हो गया और सभासद बीस वर्ष तक की अवस्था के पुरुष बनने लगे ।

इसलिए शिष्ट जनतत्र के तीन प्रकार होते हैं, प्राकृतिक, निर्वाचित और पैतृक । प्राकृतिक शिष्ट जनतत्र केवल सरल राष्ट्रो के लिये उपयुक्त होता है । पैतृक शिष्ट जनतत्र शासन का सबसे बुरा प्रकार होता है । निर्वाचित शिष्ट जनतत्र उत्तमतम है, और वास्तविक अर्थ में यही शिष्ट जनतत्र होना है ।

पूर्व निर्दिष्ट दो अलग अलग शक्तियों के प्रभेद के अतिरिक्त शिष्ट जनतत्र में एक ओर लाभ यह होता है कि यह अपने सदस्यो का चुनाव कर सकता है । लौकिक शासन में सब नागरिक जन्मत ही दडाधिकारी होते हैं परन्तु इसमें दडाधिकारियों की सख्या सीमित होती है, और वे केवल निर्वाचित ही होते हैं । निर्वाचन एक ऐसी रीति है जिसके अन्तर्गत सत्यता, बुद्धि, अधिमान्यता और सार्वजनिक आदर के अनेक अन्य कारण इस बात की नवीन प्रतिभूति बन जाते हैं कि मनुष्यो पर बुद्धिमानी से प्रशासन होगा । अपरच, परिपदो के अधिवेशन अधिक सुगमता से बुलाये जा सकते हैं, कार्यों पर अधिक सुचारुता से विवेचन हो सकता है और अधिक क्रम और उद्यम से निर्णय हो सकता है । साथ ही विदेशो में राज्य की मान्यता अज्ञात और घृणित जनसमूह की अपेक्षा आदरणीय सभासदो द्वारा अधिक उत्तम रूप में सहृत होती है ।

एक शब्द में, यह सबसे सुन्दर और सबसे स्वाभाविक वस्तु क्रम है कि सबसे बुद्धिमान लोग जनसमूह पर प्रशासन करे, यदि यह निश्चित हो सके कि प्रशासन केवल उनके अपने हित में न होकर जनसमूह के हित में होगा । अधिकार क्षेत्रो का निरर्थक बढाना ठीक नहीं, न यह ठीक है कि जो काम सो निर्वाचित मनुष्य अधिक सुचारु रूप से कर सकते हैं उसे बीस हजार मनुष्यो से कराया जाय । किन्तु साथ ही इस ओर भी ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक है कि उपरोक्त दशा में ससृष्ट हित सार्वजनिक वल को सर्वसाधारण

१ विधान द्वारा दडाधिकारियों के निर्वाचन का प्रकार नियमित करना बहुत आवश्यक है क्योंकि शासनाधिकारी की इच्छा पर इसे छोडने से पैतृक शिष्ट जनतत्र की उत्पत्ति को रोकना असभव हो जायगा । वेनिस और वर्न के गणराज्यो में ऐसा ही हुआ था । परिणामस्वरूप वेनिस देर से एक क्षयोन्मुखी राज्य है और वर्न केवल अपनी सभा की अत्यधिक बुद्धि द्वारा ही सहृत है । यह राज्य एक बडे माननीय परन्तु भयानक अपवाद के रूप में है ।

प्रेरणा के मार्ग पर क्रम निर्देशित करने लग जाता है, और एक अन्य अनिवार्य प्रवृत्ति विधानों को उनकी अधिशासी शक्ति से अग्रत वंचित कर देती है।

विशिष्ट भुविवाओं के बारे में यह कहा जा सकता है कि राज्य इतना छोटा नहीं होना चाहिये और प्रजा इतनी सरल और मत्प्य नहीं होनी चाहिये कि विधानों का प्रवर्तन मार्बजनिक प्रेरणा के विलकुल अनुकूल हो जैसे अच्छे प्रजातंत्र में होता है। न ही राष्ट्र इतना विस्तृत होना चाहिये कि मुख्य पुरुष जो इस पर प्रयासन करने के लिये स्वभावतः निसर्जित होते हैं, अपने प्रान्त में मार्बभौमिक मत्ताधिकारी के रूप में मस्थापित हो सके और अतः में स्वाधीन होने के लिये स्वतंत्र होने की चेष्टा आरभ कर सकें।

परन्तु यद्यपि शिष्ट जनतंत्र लौकिक शासन के मुकाबले में कुछ कम शीलो की अपेक्षा करता है, फिर भी कुछ ऐसे भी शील हैं जिनकी विशिष्ट रूप से अपेक्षा इमी तंत्र को हंती है, उदाहरणार्थ धनिकों में अनतिता और निर्धनो में सतोप। यह स्पष्ट है कि इम तंत्र में दृढ ममानता अनुचित होगी। स्पार्टा तक में भी इसका पालन नहीं हो सका।^१

इसके अतिरिक्त यदि शासन का यह प्रकार मम्पत्ति की कुछ अममानता में युक्त होता है तो सामान्यतः सार्वजनिक कार्यों का मपादन उनके मुपुर्द किया जाना वाछनीय है जो इम कार्य के हेतु अपना ममस्त ममय प्रदान कर सकते हो, न कि अरस्तू के कथनानुसार,^२ मदा ही धनिकों को अधिमाम्य करना। इसके विपरीत, यह महत्त्वपूर्ण है कि अन्य का निर्वाचन कभी कभी लोगो को यह मित्वा सकता है कि मनुष्यों के वैयक्तिक गुणो में धन के अतिरिक्त अधिमाम्यता के और भी अधिक महत्त्वपूर्ण कारण हो सकते हैं।

१ रुसो स्पार्टा का प्रशसक था, परन्तु स्पार्टा के सविधान का यह सयत चित्रण ठीक नहीं है। स्पार्टा के संविधान के वर्णन के लिये देखिये अरिस्टाटल पालिटिक्स २ ९

२ रुसो ने अरस्तू का अशुद्ध निर्वचन किया है, क्योंकि अरस्तू ने अपनी पुस्तक पालिटिक्स (३-१२, १३) में निम्न प्रकार लिखा है —

“जन्म, स्वातंत्र्य तथा धन राजनैतिक शक्ति पर अध्ययन प्रदान करते हैं, परन्तु सर्वोच्च अध्ययन संस्कृति और शील से ही प्राप्त होता है।”

परिच्छेद ६

राजतंत्र

अभी तक हमने शासनाधिकारी को एक नैतिक और सामूहिक व्यक्ति के रूप में अवलोकित किया है जो विधानों के बल द्वारा सघटित होता है और जो राज्य की अधिशासी शक्ति का प्रत्यासी है। अब हमें इस शक्ति को एक प्राकृतिक व्यक्ति अथवा एक वास्तविक पुरुष के हाथ में केन्द्रित हुए अवलोकित करना है जिसे इस शक्ति के विधानों के अनुसार व्यवस्थापित करने का एक मात्र अधिकार होता है। वह पुरुष सम्राट् अथवा राजा कहलाता है।

प्रशासन के दूसरे प्रकारों के सर्वथा विपरीत जिनमें एक सामूहिक निकाय एक व्यक्ति का रूप धारण करता है, इस तंत्र में एक व्यक्ति सामूहिक निकाय का प्रतिनिधित्व करता है, परिणामस्वरूप जो नैतिक इकाई इसे निर्मित करती है वह साथ ही एक भौतिक इकाई भी हो जाती है जिसमें वे सब शक्तियाँ स्वभावतः ही सन्निहित हो जाती हैं जो विधान चेट्टापूर्वक नैतिक इकाई में एकत्रित करता है।

इस प्रकार लोगों की प्रेरणा, शासनाधिकारी की प्रेरणा, राज्य का मार्वाजनिक बल और शासन का विशिष्ट बल सब एक ही प्रेरक शक्ति द्वारा गतिमान होते हैं, यत्र के सब पुर्जों एक ही हस्त के अन्तर्गत होते हैं, और सब वस्तुएँ उमी उद्देश्य की ओर प्रवृत्त होती हैं। कोई विरोधात्मक गतियाँ रहती ही नहीं जो एक दूसरे को प्रतिविहित करें, और सविधान का कोई अन्य ऐसा प्रकार कल्पित नहीं किया जा सकता जिसमें कम परिश्रम से इमसे अधिक कार्य सम्पादित हो सके। समुद्रतट पर शान्तिपूर्वक बैठा हुआ और सुगमता से एक बड़े जहाज को पानी में उतराता हुआ आर्शीमिडीज' मुझे

१ आर्शीमिडीज (वी० सी० २८७ २१२) सीराक्यूज का एक महान् रेखा-गणितज्ञ और अभियन्ता था जो अपनी यात्रित युक्तियों के लिये प्रसिद्ध था।

उस चतुर सम्राट् का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रतीत होता है जो अपनी कैबिनेट में अपने विस्तृत राज्य पर प्रशासन करता है और स्वयं गतिरहित प्रतीत होता हुआ प्रत्येक वस्तु को गतिमान करता है।

परन्तु यदि राजतंत्र से अधिक ओजस्वी और कोई शासन नहीं होता, राजतंत्र के अतिरिक्त किसी अन्य शासन में विशिष्ट प्रेरणा का इतना प्रभुत्व भी नहीं होता और न विशिष्ट प्रेरणा कही और अधिक सुगमता से दूसरों पर प्रशासन करती है। यह सत्य है कि राजतंत्र में प्रत्येक वस्तु एक ही प्रयोजन की ओर गतिमान होती है परन्तु यह प्रयोजन मार्वांजनिक कल्याण नहीं होता और शान्त की शक्ति स्वयं ही निरंतर राज्य के प्रतिकूल कार्यशील होती है।

राजा सम्पूर्णाधिकारी बनने के इच्छुक होते हैं और दूसरी ओर उन्हें निर्देशित भी किया जाता है कि सपूर्णाधिकारी बनने का सबसे उत्तम रास्ता प्रजा का प्रेमाधिकारी बनना है। यह उक्ति बहुत सुन्दर है और कतिपय अर्थों में बहुत ठीक भी है परन्तु दुर्भाग्यवश राज्यसभा में यह सदा उपहासित होती है। निस्सन्देह प्रजा के प्रेम से उत्पन्न हुई शक्ति महानतम होती है परन्तु यह सदिग्ध और प्रतिबन्धात्मक होती है और राजा इससे कभी सतुष्ट नहीं हो सकते। सर्वोत्तम राजा भी अपने इच्छानुसार स्वामित्व लाये बिना दुष्ट होने की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। राजनीतिक उपदेशक उन्हें व्यर्थ में बताता रहेगा कि लोगों का सामर्थ्य उनका अपना ही होने के कारण यह उनके अपने हित में है कि लोग सम्पन्न, सख्य में अधिक और सामर्थ्यवान हो। राजा लोग जानते हैं कि यह तर्क असत्य है। उनका निजी हित प्रथमतः यह है कि लोग निर्बल और दुःखी हों और कभी भी उनका अवरोध न कर सकें। यदि यह मान लिया जाय कि सब प्रजा निरंतर पूर्णतया अनुवर्तनशील होगी तो मैं मानता हूँ कि उस दशा में राजक का हित यह होगा कि प्रजा शक्तिशाली हो ताकि उनकी शक्ति उसकी निजी होने के कारण पड़ोसियों के प्रति उसे सामर्थ्यवान बना सके। परन्तु क्योंकि यह हित गौण और अधीनस्थ होता है और क्योंकि उपरोक्त दोनों मान्यताएँ असंगत होती हैं इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि राजक सदा उम मिद्धान्त को अधिमान्य करे जो उनके लिये निकटतम लाभप्रद हो। मैम्पुअल ने यहूदियों को यही बात दृढ़ता से कही थी। मैकियावेली ने स्पष्टतया

१. देखिये १ समुएल अष्टम, ११ से १८ तक।

२. मैकियावेली के गणराज्यवाद का प्रतिसमर्थन केवल इसी ने ही नहीं

यही प्रमाणित किया था। जब वह राजाओ को शिक्षा देने का प्रदर्शन करता था, तो साथ ही प्रजा को भी महत्त्वपूर्ण शिक्षाएँ देता था। मैकियावली की पुस्तक "राजक" गणराज्यवादियों का आदि ग्रंथ है।'

हमने सामान्य तत्त्वों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि राजतंत्र केवल विस्तृत राज्यों के लिये ही उपयुक्त होता है और स्वतंत्र राजतंत्र का विवेचन करने से भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। जितनी अधिक सख्या में सार्वजनिक प्रशासनात्मक निकाय होगा उतना ही अधिक शासनाधिकारी का अनुपात प्रजा के सबंध में क्षीण हो जायगा और समानता के निकट पहुँचेगा, यहाँ तक कि प्रजातंत्र में यह अनुपात इकाई अथवा समानता बन जाता है। परन्तु ज्यों ज्यों शासन सकुचित होता जाता है, यह अनुपात बढ़ता जाता है और जब शासनाधिकार एक व्यक्ति के हाथ में होता है तो यह अनुपात अपनी उच्चतम सीमा पर पहुँच जाता है। उस दशा में शासनाधिकारी और प्रजा के बीच अत्यधिक फासला हो जाता है और राज्य में सलाह का अभाव हो जाता है। तब राज्य को एकीकृत करने के लिये अन्तस्थ वर्ग स्थापित करने पड़ते हैं। यह अन्तस्थ वर्ग राजक, महाजन और शिष्ट जनो द्वारा निर्मित होता है। परन्तु छोटे राज्य के लिये यह सब कुछ समुचित नहीं है क्योंकि इन सब वर्गों द्वारा तो इसके नाश की ही सभावना होती है।

किया है, दार्शनिक स्पिनोजा ने तथा इतिहासज्ञ हैलम ने भी इसी दृष्टि को मान्य किया है। देखिये स्पिनोजा ट्रेडे पॉलिटीक तथा हैलम लिट आव् यूरोप, १-८

१ मैकियावली एक सम्माननीय पुरुष और अच्छा नागरिक था, परन्तु मेडिची के कुटुम्ब से सलग्न होने के कारण अपने देश के कुसमय के दिनों में उसे स्वतंत्रता के लिये अपना पैम छिपाना पड़ा। अधम नायक (Cesare Borgia) को चुनने मात्र से ही उसका गुप्त अभिप्राय पर्याप्त रूप में स्पष्ट हो जाता है और उसकी पुस्तक "राजक" के सिद्धान्तों और डिस्पोसिऑन आन टिटस लिविअस तथा हिस्ट्री आव् फ्लोरेन्स के सिद्धान्तों में पारस्परिक विरोध से प्रकट हो जाता है कि इस गभीर राजनीतिज्ञ को पाठकों ने अभी तक केवल तलोपरिक और दूषित रूप में पढ़ा है। रोम के राज्य दरवार में इसकी पुस्तक का दृढ़ता से निषेध किया गया था। मैं यह भली प्रकार जानता हूँ परन्तु रोम का राजदरवार ही तो वह है जिसका उसने इतने स्पष्ट रूप से चित्रण किया था।

परन्तु यदि विस्तृत राज्य के लिए सुचारु रूप से प्रशासित होना कठिन है तो किमी एक पुरुष द्वारा तो सुशासित होना और भी अधिक कठिन है, और यह तो सबको ज्ञात है कि जब राजा प्रतिराजाओ^१ को नियुक्त करता है तो उसका परिणाम क्या होता है।

एक साग्भून और अनिवार्य दोष, जिसके कारण गणतन्त्रात्मक शासन से राजतन्त्रात्मक शासन सदा ही अवग रहेगा, यह है कि गणतन्त्रात्मक शासन में मार्क्सजिनिक मत के आधार पर वरिष्ठ पदों पर जानयुक्त और योग्य पुरुष साधारणतया कभी आरूढ नहीं होते जो उन पदों का कार्य आदृत रूप में कर सकें। वल्कि जो राजतन्त्रात्मक शासन में सफल होते हैं वे बहुधा केवल धुद्र, कुचेष्टाकारी, धुद्र गठ और क्षुद्र पड्यत्रकारी होते हैं जिनका धुद्र, चातुर्य, जिमकेवल पर वे राजदरवार में वरिष्ठ पदों को प्राप्त कर लेते हैं, पद प्राप्त करने के त्वरित उपरान्त ही जनमाधारण उनकी अप्रवीणता को प्रदर्शित कर देता है। राजा की अपेक्षा जनता का वर्ण बहुत कम भूखपूर्ण होना है और राजतन्त्री मन्त्रिमंडल में सुयोग्य पुरुष इतना ही विरला दिखायी देता है जितना गणतन्त्रात्मक शासन के प्रमुख स्थान पर मूर्ख। इसलिए जब कभी सौभाग्य से राज्य-परम्परा में कोई सुयोग्य शासक^२ जन्म जाता है और उपरोक्त मन्त्री-समूह द्वारा विनष्ट राज्य के कार्य मपादन करने लगता है तो यह देखकर आश्चर्य होता है कि उसे क्या द्रव्य-साधन प्राप्त हो जाते हैं और उसका पदग्रहण देश में नया युग आरम्भ कर देता है।

राज्यतन्त्रात्मक राज्य सुचारु रूप से प्रशासित हो सके इस हेतु यह आवश्यक है कि उसकी विशालता और विस्तार शासक की शक्ति के अनुरूप हो। विजय करना शासन करने की अपेक्षा सुगम है। पर्याप्त उत्तोलन दंड होने से विश्व को एक उँगली में गतिमान किया जा सकता है, परन्तु इसे धारण करने के लिए हरक्यूलीज के कवों की जरूरत होती है। चाहे राज्य कितना ही छोटा हो राजक इसके लिए सदा ही अतिधुद्र होता है। परन्तु इसके विपरीत जब ऐसा लगे कि राजक के पास अतिधुद्र

१ रूसो का स्पष्ट निर्देश उन तीस प्राधीक्षकों (Intendants) की ओर है जो उस समय फ्रांस का प्रशासन करते थे।

२ ऐसा अनुमान किया जाता है कि रूसो का निर्देश duc de choiseul की ओर था।

राज्य है जो बहुत कम होता है तो भी प्रशासन बुरा ही रहता है, क्योंकि राजक अपनी विशाल सचिदनाओ का अनुसरण करता हुआ प्रजा के हितो को भुला देता है और जितना कोई अवर शासक अपनी योग्यता की कमी के कारण प्रजा को अप्रसन्न करता है, इसलिए ऐसा कहना चाहिये कि राजक की क्षमता के अनुसार राज्य प्रत्येक शासन में घटता बढ़ता रहना आवश्यकीय है, परन्तु सभासदो की योग्यता निश्चित सीमाओ के अन्तर्गत कार्यशील होने के कारण गणतन्त्रात्मक राज्य स्थायी सीमाएँ प्राप्त कर सकता है और प्रशासन समान रूप में सतोषप्रद हो सकता है ।

एक मात्र व्यक्ति के शासन की सबसे स्पष्ट असुविधा यह है कि जैसे दूसरे दो शासन के प्रकारो में सतत अनुक्रम हो जाता है इसमें अनुक्रम विघ्नरहित नहीं होता । एक राजा के मर चुकने पर अन्य आवश्यक होता है, यदि निर्वाचन से दूसरा निर्धारित करना हो तो भयावह समयान्तर उत्पन्न हो जाता है जो तूफानी होता है और यदि नागरिक अपक्षपाती और सच्चे न हो, जिसकी सभावना इस शासन में बहुत नहीं है तो निर्वाचन में षड्यन्त्र और भ्रष्टाचार सम्मिलित हो जाते हैं । जिस मनुष्य को इस प्रकार राज्य विक्रय हुआ हो यह कठिन है कि वह स्वयं भी इसका विक्रय न कर डाले, और जो धन अन्य शक्तिशाली लोगो ने उससे बलात् आदान किया था वह असहाय प्रजा से क्षतिपूरित न कर ले । ऐसे प्रशासन के अन्तर्गत कभी न कभी सब वस्तुये धनभेद्य हो जाती हैं और राजा के अधीन शान्ति का उपभोग उस अवस्था में अराजकत्वकाल की अव्यवस्था से भी बुरा होता है ।

इन दोषो को दूर करने के लिए क्या किया गया है ? मुकुट कतिपय कुटुम्बो में पित्रगत बना दिया जाता है और उत्तराधिकार का एक क्रम निर्धारित कर दिया जाता है जिससे राजा की मृत्यु पर कोई झगडा न हो । अर्थात् निर्वाचन की असुविधा के स्थान पर प्रतिराजमडलो की असुविधा प्रतिस्थापित कर दी जाती है, बुद्धियुक्त प्रशासन की अपेक्षा शान्ति की दिखावट को और अच्छे राजाओ के निर्वाचन में युक्त विवाद का सकट उठाने की अपेक्षा बच्चो, राक्षसो और दुर्वलो को शासक बनाने का जोखिम उठाना पसन्द किया जाता है । लोग इस ओर काफी ध्यान नहीं देते कि उपरोक्त विकल्प के सकट उठाने में उन्होने अपने आप को अत्यन्त कठिनाई में डाल लिया है । पुत्र डाटनोमिम ने अपने पिता को जिमके द्वारा वह यह कहकर तिरस्कृत किया गया था कि क्या मैंने तुम्हारे ममक्ष इम प्रकार का कोई उदाहरण दिया है, बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर दिया है कि "पितृवर, आपका पिता राजा नहीं था ।"

जिम मनुष्य का पालन पोषण दूसरो पर प्रशासन करने के हेतु होता है उसे न्याय और युक्ति से अपवचित करने के लिये सब हेतु उत्पन्न हो जाते हैं। यह कहा जाता है कि युवक राजको को शासन-कला सिखाने का काफी प्रयत्न किया जाता है, परन्तु यह शिक्षा उन्हें लाभ देती प्रतीत नहीं होती। उन्हें आज्ञापालन-कला सिखाने से आरम्भ करना कहीं अच्छा हो। इतिहास ने जिन महानतम राजाओं को प्रशंसा की है वे शासन करने के लिये प्रशिक्षित नहीं हुए थे, प्रशासन एक ऐसा विज्ञान है जिससे अत्यधिक अध्ययन के पश्चात् भी मनुष्य कुछ कम अनभिज्ञ नहीं रहते और इसकी अवाप्ति का अधिक सुन्दर मार्ग आज्ञापालन द्वारा होता है, प्रशासन द्वारा नहीं। अच्छी और बुरी वस्तुओं में अन्तर करने का सबसे लाभप्रद और सबसे सुगम मार्ग यह है कि इस बात पर विचार किया जाय कि किसी अन्य राजक के आधीन आप क्या करना अनुमोदित अथवा अननुमोदित करते हैं।

सलाह के डम अभाव का परिणाम यह होता है कि राजतन्त्रात्मक शासन अस्थिर हो जाता है जो राज्याधिकारी राजक अथवा उमकी ओर में राज्य करनेवाले व्यक्तियों के चरित्र के अनुसार कभी एक योजना द्वारा नियमित और कभी अन्य योजना द्वारा नियमित होने से एक स्थिर प्रयोजन का अथवा मगत आचरण-सिद्धान्त का किसी लंबे समय के लिये अनुसरण नहीं कर सकता, डम अस्थिरता के कारण राज्य सिद्धान्तों और योजनाओं के मध्य ढोलता रहता है। उपरोक्त स्थिति अन्य शासनो की नहीं होती जहाँ शासनाधिकारी सदा समान रहता है। इसी प्रकार साधारणतया यह देखने में आता है कि राज्यदरवार में अधिक चातुर्य और शिष्ट मभा में अधिक बुद्धिमत्ता होती है और यह भी कि गणराज्य अपने प्रयोजनों को अधिक स्थिर और नियमित साधनों द्वारा अनुसरित करते हैं जब कि तमाम मत्रियों और तमाम राजाओं का यह सामान्य सिद्धान्त होने के कारण कि जो कार्य उनके पूर्वगामियों द्वारा संपादित हुआ है, उसे उत्क्रमित करना है, राजतन्त्रात्मक मत्री मभा का प्रत्येक पन्दिरोह राज्य में शान्ति उत्पन्न कर देता है।

सलाह के उपरोक्त अभाव में राजनीतिज्ञों के एक परिचित मिथ्यावाद का हल प्राप्त हो जाता है। यह मिथ्यावाद सामाजिक शासन की कौटुम्बिक शासन में तुलना करने में निहित है जिसका हम पहले ही सङ्ग कर चुके हैं परन्तु इसके अनिरीक्षित यह मिथ्यावाद दंडाधिकारी को उन सब गुणों से संपूर्णतया युक्त मान लेने की धारणा करता है जिनकी उसे आवश्यकता पडती है और उनकी मान्यता है कि राज्य स्वभावतः ना हो र्जमा उसे होना चाहिये। उपरोक्त मान्यता के आधार पर राजतन्त्रात्मक

शासन अन्य प्रत्येक शासन-प्रकार से प्रत्यक्षत अधिमान्य है, सिद्ध किया जाता है क्योंकि यह शासन निर्विरोध रूप से प्रबलतम तो होता ही है श्रेष्ठतम होने के लिये इसमें केवल उस ससृष्ट प्रेरणा की कमी है जो सर्वसाधारण प्रेरणा के सगत हो ।

परन्तु यदि प्लेटो के अनुसार स्वभावतः राजा विरला ही व्यक्ति होता है तो प्रकृति और भाग्य का ऐसा संयोग कि वही व्यक्ति मुकुट को धारण भी करे कितनी वार हो सकता है ? और यदि राजकीय शिक्षा अनिवार्य रूप से शिक्षितों को भ्रष्ट कर देती है तो मनुष्यों के ऐसे अनुक्रम से जिन्हें प्रशासनार्थ ही प्रशिक्षित किया गया हो, क्या आशा की जा सकती है ? इसलिये राजतन्त्रात्मक शासन को एक अच्छे राजा के साथ सभ्रमित करना ऐच्छिक आत्मवचन मात्र है । यह शासन वास्तव में क्या है उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिये इसे अयोग्य और दुष्ट शासकों के अधीन अवलोकन करना चाहिये, क्योंकि सिंहासन पर इस प्रकार के राजा ही आरूढ होंगे अथवा सिंहासन उन्हें ऐसा बना देगा ।

हमारे लेखक इन कठिनाइयों से अनभिज्ञ नहीं थे परन्तु वे उनसे व्याकुल नहीं हुए । उनका कथन है कि इन कठिनाइयों का प्रतिकार बिना असतोष प्रकट किये आज्ञापालन करने से होगा । ईश्वर जब नाराज हो जाता है तो दुष्ट राजाओं को जन्म देता है और हमें इन्हें ईश्वरीय ताड़ना के रूप में सहन करना चाहिये । इस प्रकार की युक्ति निस्संदेह शिक्षाप्रद है परन्तु मेरी धारणा है कि यह युक्ति राजनीति की पुस्तक में लिखित होने की अपेक्षा वर्मोपदेश के स्थान से दिया जाना अधिक उचित होगा । ऐसे चिकित्सक के वारे में जो अद्भुत कार्य करने का वायदा करे और रोगी को धैर्य देने में ही अपनी ममस्त कला का प्रयोग करे, क्या कहा जा सकता है । हम समुचित रूप से जानते हैं कि जब हमारा शासन खराब होता है तो उसे सहन करना ही पडता है, प्रश्न हमारे सामने यह है कि अच्छा शासन कैसे प्राप्त किया जाय ।

पारच्छेद ७

मिश्रित शासन

यथार्थ रूप में सरल शासन होता ही नहीं। एक मात्र राजक को अधीनस्थ दंडाधिकारियों की आवश्यकता होती है, और लौकिक शासन में एक मुख्याधिकारी अनिवार्य है। इस प्रकार अधिगामी शक्ति के विभाजन में सदा बड़ी सख्या से छोटी सख्या की ओर अनुक्रम होता है, अंतर केवल इतना है कि कई बार बहुसख्या अल्पसख्या पर निर्धारित होती है और कई बार अल्पसख्या बहुसख्या पर।

कई बार विभाजन समानता के आधार पर होता है, यह दो अवस्थाओं में होता है, प्रथम जब सघटक अग पारम्परिक निर्भरता में रहते हैं, यथा इंग्लैण्ड के शासन में, दूसरे जब प्रत्येक भाग का प्रभुत्व स्वाधीन परन्तु अपूर्ण होता है, जैसे पोलैण्ड में। उपरोक्त दूसरा प्रकार खराब होता है क्योंकि शासन में कोई ऐक्य नहीं होता और राज्य में सलाह का अभाव होता है।

प्रश्न यह है कि सरल अथवा मिश्रित शासन अधिक अच्छा होता है। इस प्रश्न पर राजनैतिक लेखकों में प्रबल विवाद रहता है और इसका उत्तर वही देना उचित होगा जो मैं पहले प्रत्येक शासन के प्रकार के मन्त्र में दे चुका हूँ।

स्वतः सरल शासन उत्तमतर होता है, केवल इसी कारण कि वह सरल है। परन्तु जब अधिगामी शक्ति विवादी शक्ति पर पर्याप्त मात्रा में निर्भर नहीं होती, अर्थात् जब शासनाधिकारी और मार्वाभौमिक मत्ता में प्रजा और शासनाधिकारी की अपेक्षा बड़ा अनुपात होता है तो इस अनुपात की असंगतता को शासन के विभाजन में प्रतिष्ठित किया जाता है क्योंकि ऐसा करने में प्रजा पर शासन के सब नुष्टों का समान प्रभुत्व हो जाता है और उनके विभाजन के कारण उनका सम्मिलित बल मार्वाभौमिक मत्ता के विरुद्ध क्षीण हो जाता है।

इस कठिनाई का प्रतिकार अतस्थ दडाधिकारियो के स्थापन द्वारा भी किया जा सकता है जो शासन को सपूर्ण रखते हुए दोनो शक्तियो अर्थात् अधिशासी और विधायी शक्तियो में सतुलन स्थापित कर देते हैं और उनके भिन्न भिन्न अधिकार को परिरक्षित कर देते हैं । उस दशा मे शासन मिश्रित नही होता, बल्कि सयत होता है ।

इसके विपरीत कठिनाई को भी समान साधनो से ही प्रतिकृत किया जा सकता है, और जब शासन अत्यधिक शिथिल होता है तो इसे सकेन्द्रित करने के लिये घर्माधिकरण निर्मित किये जाते हैं । सब जनतत्रो मे यही रूढि है । उपरोक्त प्रथम दशा में शासन को निर्वल बनाने के लिये और दूसरी दशा में प्रवल बनाने के लिये विभाजित किया जाता है, क्योकि बल और शिथिलता की अधिकतम मात्रा सरल शासनो मे ही पायी जाती है, इसके विपरीत मिश्रित शासन माध्यम बल प्रदान करते हैं ।

परिच्छेद =

प्रत्येक शासन का प्रकार प्रत्येक देश के लिये उपयुक्त नहीं होता

सब प्रकार की जलवायु में फलित न हो सकने के कारण स्वतंत्रता सब लोगों को प्राप्त नहीं होती। मॉण्टिस्क्यू द्वारा सस्थापित उपर्युक्त सिद्धान्त को हम जितना ज्यादा देखते हैं उतना ही हम इसकी सत्यता का दर्शन करते हैं। जितना अधिक इस सिद्धान्त को विवादित किया जाता है उतना ही अधिक अवसर नये प्रमाणों द्वारा इसे स्थापित करने का मिलता है।

विश्व के सब शासनों में सार्वजनिक व्यक्ति केवल उपभोग करता है परन्तु कुछ उत्पादन नहीं करता। जिस तत्व का उपभोग किया जाता है वह कहाँ से आता है ? शासन के सदस्यों के श्रम से। सार्वजनिक आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्तियों द्वारा की हुई वचन से होती है जिसमें यह सिद्ध होता है कि सामाजिक रचना तभी तक निर्वाहित हो सकती है जब तक मनुष्यों का श्रम उनकी अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करता हो।

परन्तु उपर्युक्त अतिरिक्त विश्व के सब देशों में समान नहीं होता, कुछ देशों में अतिरिक्त की मात्रा बहुत अधिक होती है, अन्यो में मध्यम, कुछ और में शून्य और कतिपय में वियुक्त राशि में। यह मात्रा निम्न कारणों पर आधारित होती है—जलवायु के कारण भूमि की उर्वरता पर, भूमि पर किस प्रकार का श्रम आवश्यक होता है उस पर, भूमि-उपज के प्रकार पर, निवासियों की शारीरिक शक्ति पर, निवासियों को अपने निर्वाह हेतु कम या अधिक उपभोग की आवश्यकता है उस पर, और इसी प्रकार के अनेक अन्य अनुपातों पर जो इसे निर्मित करते हैं।

हमारी ओर सब शासनों का स्वभाव समान नहीं होता। कुछ अधिक, अन्य कम मात्रा में व्ययव्ययी होते हैं और इस अंतर का आधार यह है कि सार्वजनिक अयदान

अपने स्रोत से जितनी दूर होते हैं उतने ही वे बोझिल प्रतीत होते हैं। करो का भार उनकी मात्रा से अनुमानित नहीं किया जा सकता परन्तु उस फासले से जो उन्हें जिनसे वे एकत्रित किये गये हैं उनको लौटने के लिये पूरा करना पड़ता है, जब यह परिवहन सत्वर और सुचारु रूप से सस्थापित होता है तो कर की मात्रा अधिक है अथवा क्षीण इसका कोई महत्त्व नहीं रहता। लोग सदा सपन्न रहते हैं और राज्य-वित्त सदा वैभव-शाली रहता है। इसके विपरीत, लोग चाहे कितना ही कम कर दे, यदि यह कम मात्रा भी उन्हें प्रतिवर्तित न होती हो तो वे निरतर देने के कारण जल्दी ही उत्स्रावित हो जाते हैं, परिणामस्वरूप राज्य कभी सपन्न नहीं होता और प्रजा सदा भिक्षुवत् रहती है।

इससे यह सिद्ध होता है कि प्रजा और शासन के बीच का अंतर जितना अधिक बढ़ जाता है शल्क भी उतने ही अधिक दुर्वह हो जाते हैं। इसी लिये जनतत्र में लोग न्यूनतम भारग्रस्त होते हैं, शिष्ट जनतत्र में इससे अधिक और राजतत्र में अधिकतम अधिभारित होते हैं। इसलिये राजतत्र केवल सपन्न राष्ट्रों के ही उपयुक्त होता है, शिष्ट जनतत्र ऐसे राज्यों के जो सपत्ति और विस्तार में मध्यम हो और जनतत्र छोटे और निर्धन राज्यों के।

वास्तव में, जितना ही हम ज्यादा इस पर विचार करते हैं उतना ही स्वतंत्र और राजतन्त्रात्मक राज्यों में यही अंतर हमें प्रतीत होता है। स्वतंत्र राज्यों में प्रत्येक वस्तु सामान्य लाभ के हेतु प्रयुक्त होती है, राजतन्त्रात्मक राज्य में सार्वजनिक और वैयक्तिक द्रव्य साधन अन्योन्य होते हैं अर्थात् वैयक्तिक द्रव्य साधनों की क्षति से सार्वजनिक साधनों की वृद्धि होती है। अतः प्रजा को सुखी बनाने के हेतु उन पर प्रशासन करने की अपेक्षा प्रशासन करने के हेतु उन्हें दुःखी बनाया जाता है।

इस प्रकार प्रत्येक जलवायु में नैसर्गिक कारण होते हैं जिनके आधार पर उस जलवायु के स्वभाव के अनुरूप शासन का क्या प्रकार होगा यह हम निरूपित कर सकते हैं और कह सकते हैं कि उस देश में किस प्रकार के निवासी रहने चाहिये। अनुपजाऊ और ऊसर क्षेत्रों को, जहाँ उपज श्रम का प्रतिशोधन नहीं कर सकती अकृष्ट और सपरित्यक्त रहना चाहिये अर्थात् केवल कूर लोगों द्वारा वासित होना चाहिये। वे क्षेत्र जहाँ मनुष्य का श्रम केवल आवश्यकताओं की पूर्तिमात्र करता है अमभ्य राष्ट्रों द्वारा वासित होने चाहिये, उनमें कोई विधि स्थापित करना अमभव होता है। वे क्षेत्र जहाँ उपज का श्रम में अतिरिक्त मध्यम मात्रा में ही स्वतंत्र राष्ट्रों के वाम के हेतु उपयुक्त होते हैं, वे जिनकी प्रचुर और उर्वरा भूमि क्षीण श्रम में भी अधिक उपज उत्पादित करती है,

राजतन्त्र प्रशासन के हेतु उपयुक्त होते हैं ताकि प्रजा की वचत शासनाधिकारी के विलाम में उपभुक्त हो सके। वैयक्तिक पुस्तो द्वारा लुटाये जाने की वजाय उस अतिरेक का शासन द्वारा शासित होना अधिक अच्छा है। मुझे ज्ञात है कि इस नियम के अपवाद हो सकते हैं, परन्तु ये अपवाद इस नियम को स्वतः सिद्ध करते हैं, क्योंकि कभी न कभी वे उन क्रान्तियों को उत्पन्न करते हैं जिनके कारण वस्तुओं का नैसर्गिक क्रम मस्थापित हो जाता है।

साधारण विधानों का उन विशिष्ट कारणों से जिनके द्वारा उनके परिणाम सपरि-
नित हो जाते हैं, भेद करना वाछनीय है। यदि समस्त दक्षिण में लोकतन्त्र ही होते और समस्त उत्तर में एकाधिकार राष्ट्र, तब भी यह कहना अमत्य नहीं होता कि जलवायु के प्रभाव के अन्तर्गत एकाधिकार उष्ण देशों के उपयुक्त होता है, अराजकता शीत देशों, और सतुलित शासन अतस्थ क्षेत्रों के। परन्तु मैं देखता हूँ कि मिद्धान्त को मान्य करके भी इसकी प्रयुक्ति पर विवाद होता है, उदाहरणार्थ यह तर्क किया जा सकता है कि कुछ शीत देश बहुत उपजाऊ हैं और कुछ दक्षिण स्थित देश विलकुल अनुपजाऊ। परन्तु यह कठिनाई तो केवल उन्हें अनुभव होती है जो इस त्रिपय को पूर्णरूपेण अवलोकित नहीं करते। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ श्रम, द्रव्यसाधन तथा उपभोग आदि में युक्त सब सबधों को मगणित करना आवश्यक है।

विस्तार में समान दो मडलों की उपज, मान लो कि ५ और १० के अनुपात में हैं। यदि पहले मडल के निवामी चार खडों का उपभोग करें और दूसरे मडल के निवामी ९ खडों का, तो पहले की अतिरिक्त उपज का पाँचवाँ भाग व दूसरे का दसवाँ भाग रह जायगा। उपर्युक्त दोनों अतिरेकों का अनुपात प्रत्येक की उपज के विलोमकृत होने के कारण वह मडल जिसकी उपज केवल पाँच है, दूसरे मडल में जिसकी उपज दस है दुगुनी वचत प्राप्त करेगा।

परन्तु यह प्रश्न दुगुनी उपज पर आधारित नहीं होता और मैं नहीं मानता कि कोई व्यक्ति शीत देशों की उर्वरता को उष्ण देशों की उर्वरता के समान कल्पित कर सकता है। परन्तु यदि हम इस ममानता को कल्पित भी कर लें, अर्थात् इगल्लिन्मान को मिन्ली के समान और पोलैण्ड को मिन्न के समान मान लें, तब भी और अधिक दक्षिण में अफ्रीका और भाग्न हमें और अधिक उत्तर में कुछ नहीं होगा। उपज की इस ममानता के बदले मस्कृति की मात्रा में कितना अन्तर प्रकट होगा। मिन्ली में भूमि को खुरचना मात्र आवश्यक होता है परन्तु इगल्लैण्ड में उसे कर्षण करने के लिये कितने

श्रम की आवश्यकता है ? और जहाँ उसी उपज को प्राप्त करने के लिये अधिक श्रम की आवश्यकता पड़े यह स्पष्ट है कि वचत बहुत क्षीण रह जायगी ।

इसके अतिरिक्त इसे ध्यान में रखना भी आवश्यक है कि उष्ण देशों में मनुष्यों की ममान सख्या बहुत कम द्रव्य का उपभोग करती है । जलवायु की यह माँग है कि लोग स्वस्थ रहने के लिये सयत हो , जो यूरोपनिवासी उष्ण देशों में अपने मूल निवास के समान रहना चाहते हैं, पेचिश और कब्ज से मर जाते हैं । शार्डिन कहता है कि “एशिया निवासियों की अपेक्षा हम लोग मासाहारी पशु और भेड़िये हैं । कुछ लोग ईरानियों के समय को इस तथ्य का परिणाम बताते हैं कि उनके देश में कृषि स्वल्प मात्रा में होती है परन्तु इसके विरुद्ध मेरी यह मान्यता है कि चूकि निवासियों को बहुत कम की आवश्यकता होती है इसलिए उनके देश में खाद्य पदार्थों की प्रचुरता नहीं है । यदि उनकी मितव्ययता देश की निर्धनता का परिणाम होती तो केवल निर्धन लोग ही थोड़ा खाते परन्तु देश के सभी निवासी साधारणतया थोड़ा खाते हैं अथवा प्रत्येक प्रदेश में भूमि की उर्वरता के अनुसार व्यक्ति अधिक अथवा न्यून उपभोग करते, परन्तु समस्त देश में स्वल्पाहार की प्रथा दृष्टिगोचर होती है । वे लोग अपनी जीवनचर्या का बहुत गर्व करते हैं और कहते हैं कि हम ईसाइयों की अपेक्षा कितने उत्कृष्ट हैं । इसकी कल्पना करने के लिये केवल हमारे रगरूप को देखना पर्याप्त है । वास्तव में ईरानियों का रगरूप चिकना होता है, उनकी चमडी सुन्दर, नर्म और साफ होती है, हालाँकि उनकी प्रजा आर्मीनियन्स का रगरूप जो यूरोपीय ढग पर रहते हैं, खुरदुरा और चिकोत्ता होता है और उनका शरीर रुक्ष और स्थूल होता है ।”

जितना हम भूमध्य रेखा के समीप पहुँचते हैं उतना ही लोग अपने जीवन के लिये कम उपभुक्त करते हैं । वे मास खाते ही नहीं । उनके साधारण खाद्य चावल, मकई, कुज कुज और कैंसावा होते हैं । भारत में लाखों मनुष्य ऐसे हैं जिनकी दैनिक चुराक पत्र आधा पैसा भी नहीं खर्च होता । यूरोप में भी हम उत्तरीय और दक्षिणीय राष्ट्रों की धुवा में प्रत्यक्ष अंतर देख सकते हैं । स्पेन का निवासी जर्मन निवासी के दैनिक भोजन पर आठ दिन तक निर्वाह कर सकता है । उन देशों में जहाँ मनुष्य महाशनी है विलास उपभोग की वस्तुओं में निहित होता है । इंग्लैण्ड में विलास का प्रदर्शन भाँति भाँति के माम द्वारा भूपित मेज में किया जाता है, इटली में उत्तम का माध्यम मिटाई और पुष्प होते हैं ।

इसके अतिरिक्त कपडों के क्षेत्र में भी विलास में यही अंतर होते हैं । ऐसी जलवायु में जहाँ ऋतुओं का परिवर्तन आकस्मिक और उग्र होता हो, पोशाक उत्तमतर और

मरलतर होती है, उस जलवायु में जहाँ लोग केवल सजावट के लिये कपडा पहनते हैं उपयोगिता की अपेक्षा शोभा का अधिक विचार होता है क्योंकि उस क्षेत्र में वस्त्रों का उपभोग ही एक विलास है। नेपल्स में आपको प्रतिदिन ऐसे मनुष्य दिखाई देंगे जो पोसिलियों के मार्ग पर जरी के काढे हुए कोट पहने घूमते होंगे परन्तु नीचे कुछ नहीं। भवनो के सवय में भी यही बात है, जब वायुमण्डल से किमी क्षति का भय न हो तो शोभा के निमित्त अन्य प्रत्येक वस्तु त्याग दी जाती है। पेरिस और लंदन में लोगों के लिये गरम और सुविधाजनक भवन अनिवार्य होते हैं। मंड्रिड में लोगों की बैठके तो बहुत आकर्षक होती हैं परन्तु बन्द होनेवाली खिडकियों का निरन्तर अभाव होता है तथा वे सोते बहुत छोटी कोठरी में हैं।

उष्ण देशों में भोजन अधिक मारपूर्ण और पीष्टिक होता है, यह तीसरा अंग है जो दूसरे पर प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकता। उदाहरणार्थ, इटली में लोग इतनी मज्जियाँ क्यों खाते हैं, क्योंकि वे सुन्दर, स्वादिष्ट और पीष्टिक होती हैं। फ्रान्स में मज्जियाँ केवल पानी पर ही उगती हैं इसलिये वे पीष्टिक नहीं होती और मेज पर उनकी कुट गिनती नहीं होती। परन्तु उनकी उपज में कम भूमि खर्च नहीं होती और उनकी कृषि में उतना ही श्रम लगता है जितना और वस्तुओं के कर्षण में। अनुभव में यह देखा जाता है कि वार्वरी के गेहूँ अन्य अर्थों में फ्रान्स के गेहूँ में अवर होते हुए भी ज्यादा आटा प्रदान करते हैं और इसी प्रकार फ्रान्स के गेहूँ उत्तर के गेहूँ से ज्यादा आटा प्रदान करते हैं। इसमें हम अनुमान कर सकते हैं कि यह अनुक्रम साधारणतया भूमध्य रेखा में ध्रुव तक उमी दिशा में अवलोकित होगा। क्या समान उपज की मात्रा में पीष्टिक तत्त्व की न्यून मात्रा प्राप्त करना एक प्रत्यक्ष हानि नहीं है ?

उपर्युक्त विभिन्न विचारों में मैं एक और विचार जोड़ सकता हूँ जो उनमें उद्गमिन होता है और उनको प्रबल करता है वह यह कि उष्ण देशों में शीत देशों की अपेक्षा निवासिगण की आवश्यकता कम होती है चाहे वे साधारण अधिकतर मस्या का कर सकते हैं, अतः उन देशों में दुगुनी वचत हो जाती है जिसमें एकतरफ का हित मदा पूरित होता है। जितनी अधिक भूमि निवासियों की समान मस्या द्वारा व्याप्त होगी उतना ही अधिक कठिन राजद्रोह हो जायगा, क्योंकि उपर्युक्त देश में सत्वर और योजनावद्ध रूप में कार्य नहीं हो सकेगा और शासन के लिये योजनाओं का पता लगाना और मार्गों का अवरोधन करना अति सुगम हो जायगा, परन्तु अधिक जनमस्या जितने गहन रूप में सवेष्टित होगी उतना ही अधिक शासन के लिये सार्वभौमिक सत्ता पर बलाधिकार प्राप्त करना कठिन होगा, राजक अपने मयिमण्डल में उतनी निश्चितता में

मत्रणा कर सकते हैं जितना कि शासनाधिकारी अपनी परिपद् से, और जनसमूह नगर चौको में उतनी ही त्वरता से समवेत हो सकेगा जितनी त्वरता से सेना अपने निवासस्थान पर एकत्रित होगी। इसलिये अत्याचारी शासन को यह लाभ प्राप्त होता है कि वह बहुत फासलो पर काम करता है। सहायता विन्दुओ की मदद से जिन्हें यह उपार्जित कर लेता है इसकी शक्ति उत्तोलन दड की भाँति फासले के अनुपात से बढ़ जाती है।^१ इसके विपरीत प्रजा की शक्ति तभी प्रभावित होती है जब वह सकेन्द्रित हो^२, ज्योही यह विस्तृत हो जाती है भूमि पर बिखरे हुए वारूद की भाँति, जिसे आग दाना दाना करके दगती है, यह शक्ति वाष्पवत् लुप्त हो जाती है। इसलिए न्यूनतम वासित देश अत्याचार के लिये सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं, वन्य पशु केवल वनों में ही शासन करते हैं।

१ इससे जो बड़े राज्यो की असुविधा के सबघ में मैं पहले कह चुका हूँ (पुस्तक २, परि० ९) उसका प्रतिशोध नहीं होता, क्योंकि वहाँ शासन के अपने सदस्यों पर प्रभुत्व का प्रश्न था और यहाँ शासन की अपनी प्रजा के विरुद्ध शक्ति का प्रश्न है। शासन के बिखरे हुए सदस्य प्रजा पर फासले से क्रिया करने के हेतु सहायताविदु रूप में कार्य करते हैं परन्तु शासन को स्वतः सदस्यो पर क्रिया करने के लिये कोई सहायता के विन्दु प्राप्त नहीं होते। इसलिए उत्तोलन दड की लबाई प्रथम दशा में दुर्बलता का और द्वितीय दशा में बल का कारण बन जाती है।

२ इस अम्युक्ति पर ही मार्क्स ने अपनी महान् और न्याययुक्त धारणा स्थापित की, कि श्रमजीवी वर्ग को सँकेन्द्रित करके पृजीपति उसका राजनीतिक बल ही बढ़ाते हैं।

परिच्छेद ६

अच्छे शासन के चिह्न

इसलिए निरपेक्षत यह पूछना कि उत्तमतम शासन कौन-सा है, ऐसा प्रश्न उपस्थित करना है जिसका हल तथा निश्चयन असंभव है, अर्थात् यो कहिये कि इस प्रश्न के इतने समुचित हल हैं जितने राष्ट्रों की निरपेक्ष तथा सापेक्ष स्थितियों के सभाव्य संयोजन ।

परन्तु यदि यह पूछा जाय कि किम चिह्न द्वारा यह ज्ञात हो सकता है कि कोई राष्ट्र विशेष मुचारु अथवा बुरे प्रकार में प्रशासित है तो अलग विषय होगा, और तथ्य के प्रश्न का निश्चयन करना संभव हो जायगा ।

परन्तु यह प्रश्न भी पूरी तरह व्यवस्थित नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसका निर्णय अपनी दृष्टि के अनुसार करना चाहता है । प्रजा सार्वजनिक शान्ति की प्रशंसा करती है, नागरिक वैयक्तिक स्वतंत्रता की, प्रजा सम्पत्ति के परिरक्षण को अधिमान्य करती है, नागरिक शरीर के परिरक्षण को, प्रजा यह चाहती है कि उत्तमतम शासन कठोरतम हो, नागरिक चाहते हैं कि उत्तमतम शासन दयालुतम हो, एक पक्ष यह चाहता है कि अपराधों को दंडित किया जाना चाहिये और दूसरे पक्ष चाहता है कि अपराधों का निवारण किया जाना चाहिये, एक पक्ष की मान्यता है कि पत्राचारों द्वारा आशंकित होना चाहिये, दूसरे पक्ष को यह अच्छा लगता है कि पत्राचारों ने अपरिचित ही रहे, एक पक्ष का मनोप द्रव्य के परिवहित रहने में होना है, दूसरे पक्ष की मांग है कि लोगों के पास रोटी होनी चाहिये । यदि उपर्युक्त तथा अन्य विन्दुओं पर मतैक्य भी हो जाय तो क्या अधिक प्रगति हो जायगी ? नैतिक गुणों के माप की कोई निश्चित रीति ही नहीं है, यदि लोग चिह्न के नवय में महमत भी हो जायें, तो उन चिह्न के मूल्यांकन के नवय में वे कैसे एकमत हो सकेंगे ?

जहाँ तक मेरी धारणा का प्रश्न है, मैं सदैव चकित होता हूँ कि लोग इतने सरल चिह्न को पहचानने में, असफल हो अथवा वे इसके सबब में सहमत न होने का कपट करे। राजनीतिक साहचर्य का प्रयोजन क्या है ? अपने सदस्यों का परिरक्षण और वैभव, और इम तथ्य का कि वे परिरक्षित एवं वैभवशाली हैं, सबसे निश्चित चिह्न क्या है ? यह है उनके अको का परिणाम और उनकी जनसंख्या। इसलिये वह शासन अनिवार्य रूप से उत्तमतर है जिसके अतर्गत अन्य तथ्य समान रहते हुए बिना बाह्य महायता के बिना देशीकरण और उपनिवेशों के नागरिक बढ जाते और गुणित हो जाते हैं। वह शासन सबसे खराब है जिसके अतर्गत लोग न्यून हो जाते हैं अथवा विनष्ट हो जाते हैं। सांख्यिकी, अब यह आपका काम है कि आप सगणना करे, मापित करे और तुलना करे।¹

१ उपर्युक्त सिद्धान्त पर ही शताब्दियों का निर्णय होना चाहिये कि गानव जाति के वैभव की दृष्टि से कौन सी अधिनायता के योग्य हैं। साहित्य तथा कला के कर्षण के गुप्त हेतु को घोषित किये बिना, और इनके घातक परिणामों पर विचार किये बिना बहुधा उन शताब्दियों को प्रशंसित किया गया है जिनमें साहित्य और कला का विकास होता दिखाई दिया, और “अनभिज्ञ लोगों ने इसे सभ्यता कहना आरम्भ किया हालाँकि यह उनके दासत्व का खड मात्र ही जा।” क्या हम कभी भी पुस्तकों के सिद्धान्त में उस सकल निजी हित का पता न लगा सकेंगे जिसके कारण लेखकगण सिद्धान्तों को प्रस्थापित करते हैं ? इसके अतिरिक्त कोई क्या कहे, क्योंकि जब उनके देदीप्यमान कथन के सबब ही देश निर्जनीकृत हो रहा हो वह गानना असत्य होगा कि देश का कल्याण हो रहा है और किसी युग के सर्वोत्तम होने के लिये यह पर्याप्त नहीं है कि उसमें किसी कवि की आय एक लाख रुपये है। मुख्य पुरुषों के आभासी मुख और शान्ति को समस्त राष्ट्र में कल्याण तथा विशेषकर अति बहुसंख्यक राज्यों की अपेक्षा न्यून समझना चाहिये। शिलावृष्टि कतिपय उपनडलों को विनष्ट कर सकती है परन्तु यह दुष्प्राप्यता को सम्पादित नहीं करती। उपद्रव और गृहयुद्ध मुख्य पुरुषों को बहुत चकित करते हैं, परन्तु राष्ट्रों के वास्तविक दुर्भाग्यों का निर्माण नहीं करते, और जब इस पर विवाद चल रहा हो कि इन राष्ट्रों पर कौन अत्याचार करेगा, यह कलह और गृहयुद्ध बन्द भी हो सकते हैं। यह तो देशों की शाश्वत परिस्थिति से निर्धारित होता है कि उनमें वास्तविक वैभव अथवा सकट का निर्माण होगा, जब जुए के अधीन सबको दलित

किया जाता हो तभी सर्वनाश होता है, मुरय पुरुष फुरसत से उन्हें विनष्ट करते हुए जहाँ वे निर्जनता उत्पादित करते हैं उसे शान्ति पुकारने लगते हैं। जब मुख्य पुरुषों के कलह फ्रान्स के राज्य को क्षोभित कर रहे थे और पेरिस का सहायक पार्लियामेन्ट में जेब में खजर रखकर जाता था तो भी फ्रांसीसी राष्ट्र के प्रसन्नतापूर्वक और सध्वनित होकर स्वतंत्र और सम्माननीय रहने में कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई। इसी प्रकार प्राचीन यूनान अति निर्दयी युद्धों के दीच सर्वापित होता गया, नदियों में रक्त बहता था, और समस्त देश मनुष्यों से परिपूर्ण था। मैक्यावेली ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि हत्याओं, बहिष्कारों और गृहयुद्धों के दीच हगारा गणराज्य अधिक शक्तिशाली हो गया; अथवा इसके कि कलह इसे दुर्बल बनाते, नागरिकों के गुण, उनकी रीतियाँ और उनकी स्वतंत्रता इसे प्रबल बनाने में अधिक प्रभावशाली हुए। थोड़ा सा आन्दोलन मनुष्यों के नस्तिष्क को चेतना देता है, और जो क्लिभी जाति को वास्तविक रूप में दैभव-शाली बनाती है वह शान्ति नहीं बल्कि स्वतंत्रता होती है।

परिच्छेद १०

शासन का दुरुपयोग और उसके नष्टधर्म होने की प्रवृत्ति

जैसे विशिष्ट प्रेरणा निरंतर सर्वसाधारण प्रेरणा के विरुद्ध कार्य करती है उसी प्रकार शासन सार्वभौमिक सत्ता के विरुद्ध सतत् सचेष्ट रहता है। जितनी अधिक यह सचेष्टता बढ़ जाती है उतना ही अधिक सविधान सपरिवर्तित होता जाता है, और क्योंकि इस दशा में कोई ऐसी मसृष्ट प्रेरणा नहीं होती जो शासनाधिकारी का रोध करके इसके प्रति साम्य स्थापित कर दे तो आज अथवा कल ऐसा होना अनिवार्य है कि शासनाधिकारी सार्वभौमिक सत्ता को बश में करके अन्त में सामाजिक बन्ध का उल्लघन कर देगा। उपर्युक्त ही वह स्वाभाविक ओर अनिवार्य दोष है जो राजनीतिक निकाय की उत्पत्ति से ही इसे विनष्ट करने को सतत् प्रवृत्त रहता है जैसे वृद्धावस्था ओर मृत्यु मनुष्य-देह को अन्त में विनष्ट कर देती है।

दो साधारण दशाएँ हैं जिनमें शासन भ्रष्टधर्म हो जाता है, अर्थात् जब शासन सकुचित होता है, अथवा जब राज्य लुप्त होता है।

शासन तब सकुचित होता है जब यह बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक को अर्थात् जनतंत्र से शिष्ट जनतंत्र को और शिष्ट जनतंत्र से राजतंत्र को प्राप्त हो जाय। यह शासन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है।^१ यदि शासन अल्पसंख्या से बहुसंख्या को प्रतीपगमन करता

१ निज उपहृदो में वेनिस का मथर निर्माण तथा उसकी प्रगति उपर्युक्त अनुक्रम का एक विशिष्ट उदाहरण है और वास्तव में यह चकित कर देनेवाली बात है कि बारह सौ वर्ष के पश्चात् भी वेनिस के लोग अभी केवल दूसरी प्रक्रम में ही उपस्थित हैं जिनका आरंभ सन् ११९८ में ग्रेट कौंसिलों की समाप्ति से हुआ था। जहाँ तक प्राचीन ड्यूको का संबंध है जिनके नाम से वेनिस वाले को तिरस्कृत किया जाता है यह पमाणित है कि (Squittino della liberta veneta)

तो कहा जा सकता था कि शासन विस्तृत हो गया है, परन्तु ऐसा प्रतीपित गमन असंभव है।

वास्तव में शासन तब तक अपना रूप नहीं बदलता जब तक उसका तेज निशेषित हो जाने के कारण वह स्वतः को परिरक्षित करने हेतु अति निर्वल नहीं हो जाता। और जब शासन का प्रसार होने के साथ साथ वह शिथिल हो जाय तो उसका बल विनष्ट और उसका जीवित रहना कठिन हो जाता है। इसलिए जब शासन का तेज क्षीण होने लगे तो उसे मकेन्द्रित करना आवश्यक है, नहीं तो जिस राज्य को वह सधृत करता है वह ध्वसावशेष हो जायगा।

राज्य का विलयन दो प्रकार में होता है।

प्रथम जब शासनाधिकारी राज्य पर विधानानुसार प्रशासन करना छोड़ दे और सार्वभौमिक सत्ता पर बलाधिकार कर ले। तब एक विलक्षण परिवर्तन घटित होता है, अर्थात् न केवल शासन बल्कि राज्य मकुचित हो जाता है। मेरा अर्थ है कि महान् राज्य लुप्त हो जाता है। और इसके अतर्गत एक दूसरे राज्य की स्थापना हो जाती है जो केवल शासन के मदस्यो द्वारा ही निर्मित होता है और अन्य प्रजा की दृष्टि में स्वामी और अत्याचारी के अतिरिक्त किसी और प्रयोजन की पूर्ति नहीं करता। इसलिये जब शासन सार्वभौमिक सत्ता पर बलाधिकार कर लेता है तो सामाजिक पापण भग्न हो जाता है, और सब साधारण नागरिक अपनी स्वाभाविक स्वतन्त्रता को पुनः प्राप्त कर लेने के कारण, आज्ञानशासन के लिये नीतिवद्द नहीं रहने परन्तु वाध्य क्रिये जाते हैं।

यही स्थिति तब उत्पन्न हो जाती है तब शासन के सदस्य अपनी शक्ति को जो नाम्मलित रूप में प्रयुक्त करनी चाहिये, पृथक् रूप में प्रयुक्त करने लगते हैं। इस स्थिति में भी विधानों का उतना ही उल्लंघन होता है और कहीं अधिक अव्यवस्था घटित होती है। ऐसा कहना चाहिये कि इस स्थिति में शासनाधिकारियों की मर्यादा दंडाधिकारियों के बराबर हो जाती है और राज्य, शासन के समान ही विभाजित होने के कारण, विनष्ट हो जाता है और अपने रूप को बदल लेता है।

कुछ भी कहे, वे उनके सार्वभौमिक सत्ताधिकारी नहीं थे। (इस पुस्तक का प्रकाशन १६१२ में हुआ था और इस प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य यह था कि वेनिस गणराज्य पर सम्राट् के अधिकार निरुद्ध किये जायें।)

जब राज्य भग्न हो जाता है तो शासन का दुष्प्रयोग, उसका रूप कैसा भी हो अराजकता का साधारण नाम धारित कर लेता है। स्पष्ट अंतर करने के हेतु यह कहा जा सकता है कि भ्रष्टरूप प्रजातंत्र जनसकुल राज्य हो जाता है और भ्रष्टरूप शिष्ट जनतंत्र अल्पजनशासित राज्य हो जाता है मैं जोड़ूंगा कि राजतंत्र अत्याचार में कुपरिणत हो जाता है, परन्तु अत्याचार शब्द सदिग्धार्थक है और इसकी व्याख्या करना आवश्यक है।

लौकिक अर्थ में अत्याचारी ऐसे राजा को कहते हैं जो हिंसा और न्याय और विधानों की उपेक्षा करके शासन करे। वास्तविक अर्थ में अत्याचारी वह व्यक्ति है जो अनधिकार-जन्य प्रभुत्व को स्वतः ग्रहण कर लेता है। यूनानी लोग अत्याचारी का प्रयोग इसी अर्थ में करते थे, वे अच्छे और बुरे सब राजको के लिये, जिनका प्रभुत्व न्याय ही, निरपेक्षरूप से इस शब्द को प्रयुक्त करते थे।^१ इसलिये अत्याचारी और बलाधिकारी यह दोनों शब्द पूर्णतया पर्यायवाची हैं।

भिन्न वस्तुओं को पृथक् नाम देने की दृष्टि में, मैं राजन्य प्रभुत्व पर बलाधिकार करनेवाले को अत्याचारी और सार्वभौमिक सत्ता पर बलाधिकार करनेवाले को स्वेच्छाचारी कहता हूँ। अत्याचारी वह होता है जो विधानों के विपरीत विधानानुसार प्रशासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण करे, स्वेच्छाचारी वह होता है जो स्वयं विधानों के ऊपर स्वतः को सस्थापित कर ले। इस प्रकार अत्याचारी स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता परन्तु स्वेच्छाचारी सदा ही अत्याचारी होता है।

१ लोग मेरे मत का खडन करने के हेतु रोम के गणराज्य का उदाहरण देने में सकोच नहीं करेंगे और कहेंगे कि इस गणराज्य ने बिल्कुल विपरीत क्रम अनुसरित किया था, अर्थात् राजतंत्र से शिष्ट जनतंत्र और शिष्ट जनतंत्र से प्रजातंत्र बना था परन्तु मैं इस दृष्टि से सहमत नहीं हूँ।

रोम्यूलस द्वारा स्थापित प्रथम सस्था एक मिश्रित शासन था जो सत्वर ही स्वेच्छातंत्र में कुपरिणत हो गया। कुछ विशिष्ट कारणों से राष्ट्र समय के पूर्व ही विनष्ट हो गया जैसे हम कई बार नवजात शिशु को भोजन प्राप्ति के पूर्व ही मरता देखते हैं। गणराज्य की उत्पत्ति का वास्तविक युगारम्भ तार्क्विन्स का निष्कासन था परन्तु सर्वप्रथम इसने कोई नियमित रूप धारण नहीं किया क्योंकि कुलीन जाति को उत्साहित न करने के कारण इसका कार्य अभी आधी मात्रा में ही हुआ था। इस अवस्था में पंतुक शिष्ट जनतंत्र, जो न्यायी प्रशासनों का सबसे दोषपूर्ण रूप है, प्रजातंत्र के सतत विरोध में रहने के कारण स्वभावतः अनिश्चित और अस्थिर शासन, जैसे मैक्यावली ने प्रमाणित

क्रिया है, केवल जनरक्षकों की सस्या पर आधारित किया गया। वास्तविक शासन और सच्चा जनतंत्र वहाँ तभी स्थापित हुआ। वास्तव में उस समय लोग न केवल सार्वभौमिक सत्ताधिकारी थे बल्कि दंडाधिकारी और न्यायाधीश भी थे। शिष्ट सभा शासन को परिमित और सकेन्द्रित करने के लिये केवल एक और न्यायाधिकरण थी और स्वयं राज्यपाल कुलीन वर्ग के एक मुख्य दंडाधिकारी होते हुए भी और युद्ध में पूर्ण सत्ताधिकारी प्रमुख होते हुए भी रोम में लोगों के केवल अध्यक्ष मात्र थे।

इसके अतिरिक्त उस समय से लेकर शासन अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति का अनुसरण करता रहा और दृढ़ता से शिष्ट जनतंत्र की ओर प्रवृत्त होता रहा। कुलीन वर्ग को अपने आपको विनष्ट कर लेने के कारण शिष्ट जनतंत्र कुलीन वर्ग के निकाय में निहित नहीं रहा जैसा वेनिस और जेनेवा में था, बल्कि कुलीन तथा सामान्य वर्गों द्वारा निर्मित शिष्ट सभा के निकाय में तथा न्याय रक्षकों के निकाय में जब कि वे शक्ति का सचेष्ट रूप में बलाधिकार करने लगे, यह तंत्र सन्निहित हुआ। शब्दों से तथ्यों के स्वभाव में फोड़ी अन्तर नहीं हो जाता और जब किसी राष्ट्र में प्रशासन करने के लिये राजक होने हैं, चाहे उनका कुछ भी नाम हो, वे एक शिष्ट जनतंत्र का ही रूप होते हैं।

२ "शिष्टजनतंत्र के दुरुपयोग से गृह युद्धों और त्रय शासनाधिकारियों का प्रादुर्भाव हुआ। सीला, जूलियस सीज़र, आगस्टस, वास्तव में यथार्थ सम्राट् बन गये और अंत में टायेरियस के स्वेच्छातंत्र के अंतर्गत राज्य भंग हो गया। इस प्रकार रोम का इति-हाम मेरे सिद्धान्त को असत्य सिद्ध नहीं करता है बल्कि इसकी पुष्टि करता है।

"वे सब अत्याचारी माने जाते हैं और सबोधित किये जाते हैं जो किसी ऐसे राज्य में जिसने स्वतंत्रता का उपभोग किया हो, सतत शक्ति प्रयोग करने लगे।" यह सत्य है कि एरिस्टोटल अत्याचारी और राजा में यह भेद करता था कि अत्याचारी निजी हित के लिये प्रशासन करता है और राजा अपनी प्रजा के हित के लिये। परन्तु इस तथ्य के अतिरिक्त कि सामान्यतः सब ग्रीक लेखकों ने अत्याचारी शब्द को दूसरे अर्थों में प्रयुक्त किया है जैसे सेनोफन के हायरो से विशेषतया सिद्ध होता है। जरल्नू द्वारा किये गये भेद ने यह भी सिद्ध होगा कि विश्व के आरंभ से लेकर अभी तक किसी राजा का अस्तित्व नहीं हुआ।

परिच्छेद ११

राजनीतिक निकाय का निधन

उत्तमतम निर्मित शासनो की यही स्वाभाविक और अनिवार्य वृत्ति होती है । यदि स्पार्टा और रोम नष्ट हो गये तो कौन राष्ट्र सदा टिकने की आशा कर सकता है । यदि हम स्थायी सविधान का निर्माण करना चाहते हो तो हमें इसे शाश्वत बनाने का स्वप्न नहीं देखना चाहिये । सफलता प्राप्त करने के लिये असम्भव की चेष्टा करना ठीक नहीं, न यह मिथ्याभिमान करना ठीक है कि हम मनुष्यों के कार्य को कोई ऐसी मान्द्रता प्रदान कर रहे हैं जो मानवीय वस्तुओं के लिये असम्भव है ।

मानवीय शरीर की भाँति राजनीतिक निकाय का भी, उत्पत्ति के समय से ही, मरण शुरू हो जाता है और इसके अपने ही भीतर विनाश के कारण वर्तमान होते हैं । परन्तु दोनों का सविधान न्यूनाधिक पुष्ट और उन्हें अधिक या न्यून समय तक परिरक्षित करने के लिये सामर्थ्यवान हो सकता है । मनुष्य की रचना प्रकृति की क्रिया है, और राज्य का सविधान मानवीय कला की क्रिया है । मनुष्यों के लिये अपना जीवन बढ़ाना सम्भव नहीं, परन्तु उत्तमतम सभाव्य सविधान के प्रदान करने से राज्य को दीर्घजीवी करना अवश्य सम्भव है । उत्तमतम-सविधान-प्राप्त राज्य का भी अंत होगा परन्तु इतनी जल्दी नहीं जितना किसी अन्य का, यदि किसी अदृष्ट घटना से इसका समय के पूर्व विनाश न हो जाय ।

राजनीतिक जीवन का सिद्धान्त सार्वभौमिक मत्ता के प्रभुत्व में निहित है । विधायी शक्ति राज्य का हृदय होती है, अधिगामी शक्ति इसका मस्तिष्क, जो सब भागों को गति प्रदान करती है । मस्तिष्क स्तम्भित हो जाने पर भी व्यक्ति जीवित रह सकता है । मनुष्य मूढमति होकर भी जीवित रह सकता है, परन्तु जब हृदय अपना कार्य छोड़ देता है, तो जीव मर जाता है ।

राज्य विधानो से निर्वाहित न होकर विधायी शक्ति से निर्वाहित होता है । कल का विधान आज लागू नहीं रहता, तब भी मौन स्वीकृति मूकता से अनुमानित होती है और सार्वभौमिक सत्ता उन विधानो को निरन्तर पुष्ट करती हुई मानी जाती है जिन्हे शक्ति होते हुए भी यह निराकृत नहीं करती । जिम प्रकार की प्रेरणा सार्वभौमिक प्रेरणा द्वारा एक वार उद्घोषित कर दी जाती है वही प्रेरणा उसकी सतत् समझी जायगी जब तक कि वह इस उद्घोषणा को निरस्त न कर दे ।

तो लोग प्राचीन विधानो के प्रति इतना आदर क्यों प्रदर्शित करते हैं ? उनकी प्राचीनता के कारण यह मानने को बाध्य होना पडता है कि प्राचीन विधानो की उत्कृष्टता के कारण ही वे इतने लंबे समय तक परिरक्षित रह सके हैं, यदि सार्वभौमिक सत्ता उन्हें निरन्तर रूप में हितकर न समझती तो वह उन्हें हजारो वार निरस्त कर देती । इसी कारण प्रत्येक मुमविधित राज्य में विधान दुर्बल होने के बजाय, हमेशा नवीन ओज अवाप्त करते रहते हैं, प्राचीनता की पक्षप्रतिकूलता प्रतिदिन उन्हें अधिक पूज्य बना देती है । इसलिए जहाँ पुराने होने पर विधान दुर्बल होने लगते हो, यह सिद्ध हो जाता है कि वहाँ विधायी-शक्ति का अभाव है और राज्य जीवित नहीं रह गया है ।

परिच्छेद १२

सार्वभौमिक सत्ता किस प्रकार संधृत होती है (१)

विधायी शक्ति के अतिरिक्त सार्वभौमिक सत्ता का कोई अन्य बल न होने के कारण वह विधान द्वारा ही कार्यशील होती है , और विधान सर्वसाधारण प्रेरणा के प्रमाणित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कुछ न होने के कारण सार्वभौमिक सत्ता तभी कार्यशील हो सकती है जब लोग समवेत हो । लोगो का समवेत होना, यह कहा जायगा कि, यह सर्वथा असंभव है । आज यह असंभव लगता है, परन्तु दो हजार वर्ष पूर्व यह असंभव नहीं था । लोगो का स्वभाव कैसा परिवर्तित हो गया है ?

नैतिक वस्तुओ मे सभाव्य की मीमाएँ जितना हम समझते हैं उससे कम मकुचित होती है । यह हमारी निजी दुर्बलताएँ, हमारे दोष और हमारी प्रतिकूलताएँ हैं जो उन्हें मकुचित बनाती है । मलीन आत्माएँ महान् पुरपो के अस्तित्व को ही नहीं माननी , कपटी दाम शब्द स्वतंत्रता पर निरस्कार भावना मे हैंमते है ।

जो पूर्व मे किया जा चुका है, उससे हमें यह समझना चाहिये कि आगे क्या किया जा सकता है । मैं यूनानी प्राचीन गणराज्यो की बात नहीं कहूँगा , परन्तु मेरी दृष्टि मे रोम का गणराज्य भी एक बडा राज्य था और रोम का नगर एक बडा नगर । रोम की अंतिम जनगणना मे यह पता लगा कि नगर मे चार लाख नागरिक हथियार धारण किये हुए थे और साम्राज्य की अन्तिम गणना मे पता चला कि ममस्त नागरिको की मर्यादा, प्रजा, विदेशी स्त्रियाँ, बच्चे व दाम मम्मिलित किये विना, चालीस लाख थी ।

हम अनुमान करेगे कि राजधानी ओर इसके उपातो की महान् जनमस्या को वाग्द्वार समवेत करने मे कितनी कठिनाई होती होगी । परन्तु रोम के लोगो के मग्रहीत हुए विना, और कई बार मग्रहीत हुए विना, कुछ मप्ताह तक नहीं गुजरते थे । इसके अतिरिक्त, मग्रहीत लोग केवल सार्वभौमिक सत्ता के अधिकारो का ही प्रयोग नहीं करते थे, परन्तु शासन की कुछ शक्तियो का उपभोग भी करते थे । वे कतिपय

कार्यों पर विवेचन करते थे, कतिपय प्रकरणों का न्याय करते थे, और सार्वजनिक सभा में मग्नहीत लोग नागरिक होने के साथ साथ दंडाधिकारी रूप में भी कार्य करते थे ।

राष्ट्रों के आद्यकाल का अवलोकन करने से हमें पता चलता है कि अधिकतर प्राचीन शासनो में, यहाँ तक कि गजतनात्मक शासनो में भी, उदाहरणार्थ मैसेडोनिया और फ्रैंको में, इसी प्रकार की सभाएँ थी । यह एक मात्र निर्विवाद तथ्य सब कठिनाइयों को हल कर देता है । मुझे वास्तविक से सभान्य का तर्क करना उचित प्रतीत होता है ।

परिच्छेद १३

सार्वभौमिक सत्ता किस प्रकार संधृत होती है (२)

समवेत जनसमूह द्वारा विधि-निकाय को स्वीकृत करके राज्य का सविधान एक वार स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं है , न यह पर्याप्त है कि समवेत जनसमूह किसी शाश्वत शासन को सस्थापित करे, अथवा दंडाधिकारियों के निर्वाचन का सदा के लिये प्रावधान कर डाले । असाधारण सम्मेलनों के अतिरिक्त जो अदृष्ट घटनाओं से आवश्यक हो जाते हैं, निश्चित और नियतकालिक सम्मेलनों का होना भी आवश्यक है जो किसी के द्वारा भी उत्सादित और सत्रावसित न हो सकें ताकि नियत दिनाक को विधान के अन्तर्गत बिना किसी नियमित आह्वान की आवश्यकता हुए लोग साधिकार समवेत हो सकें ।

परन्तु इन सम्मेलनों के अतिरिक्त जो इनके दिनाक के आधार पर न्यायसगत हैं प्रत्येक जनसमूह का सम्मिलन जिसे उस कार्य हेतु नियुक्त दंडाधिकारियों द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार न बुलाया गया हो, अवैधानिक मानना चाहिये, और जो कार्य इस सम्मेलन द्वारा सम्पादित हुआ हो वह न्याय विरुद्ध मानना चाहिये , क्योंकि सम्मिलित होने का आदेश भी विधान में ही उद्गमित होना न्यायसगत होता है ।

जहाँ तक न्यायसगत सम्मेलनों के वार वार अधिवेशन का मवध है, उसका निर्धारण इतने अनेक विचारों पर आधारित होता है कि कोई निश्चित नियम स्थापित नहीं किया जा सकता । केवल साधारणतया इतना कहा जा सकता है कि शासन का जितना अधिक बल हो उतनी ही अधिक वार सार्वभौमिक सत्ता को अपना प्रदर्शन करना चाहिये ।

कोई कह सकता है कि यह किसी एकल नगर के लिये ही उत्तम हो सकता है परन्तु जब राज्य में अनेक नगर हों तो क्या किया जायगा ? क्या सार्वभौमिक सत्ता का

विभाजन किया जायगा ? अथवा इसे किसी नगर में मकेन्द्रित कर अन्य सबको इसके अधीन कर दिया जायगा ?

मेरा उत्तर है कि उपर्युक्त दोनों विकल्प अनावश्यक हैं। प्रथमतः सार्वभौमिक सत्ता मरल और अविभक्त है और इसे विनष्ट किये बिना विभाजित नहीं किया जा सकता। दूसरे एक नगर राष्ट्र की तरह ही वैधानिक तौर पर किसी अन्य के अधीन नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीतिक निकाय का तत्त्व आज्ञानुशीलन और स्वतंत्रता के सम्मेलन में सन्निहित होता है और उपर्युक्त शब्द, अर्थात् प्रजा और सार्वभौमिक सत्ता, सहस्रवर्धित हैं, जिनके आभारभूत भाव एक शब्द नागरिक से व्यक्त होते हैं।

इसके अतिरिक्त मेरा यह उत्तर है कि अनेक नगरों को किसी एकल राष्ट्र में सम्मिलित करना सदा दोषपूर्ण होता है और कि इस प्रकार का सम्मेलन स्थापित करने की अभिलाषा करते हुए हमें यह मिथ्याभिमान नहीं करना चाहिये कि हम इस सम्मेलन की स्वाभाविक असुविधाओं को वर्जित कर सकेंगे। बड़े राज्यों के दुःप्रयोग किसी ऐसे मनुष्य के प्रति जो स्वयं छोटे राज्यों का पक्षपाती हो, आक्षेप के रूप में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते, परन्तु बड़े राज्यों का अवरोध करने के लिये छोटे राज्यों को पर्याप्त बल से कैसे युक्त किया जा सकता है ? ठीक उसी प्रकार जैसे प्राचीन यूनानी नगरों ने महान् (ईरानी) राजा का अवरोध किया था और जैसे अभी हाल में हालैण्ड और स्विट्जरलैण्ड ने आस्ट्रिया राज्य के वश का अवरोध किया है।

परन्तु, यदि राज्य को उचित सीमा तक घटाया नहीं जा सकता हो, तो एक अन्य नीति अपनाई जा सकती है। वह यह है कि कोई राजधानी न बनाई जाय बल्कि सामकीय अधिष्ठान प्रत्येक नगर में बारी बारी से स्थापित रहे और क्रम में उन्हीं नगरों में देश की वर्ग-सभाएँ भी समवेत हो।

भूमि पर एकसम जनसंख्या हो, हर जगह में समान अधिकार प्रसारित हो और हर क्षेत्र में बाहुल्य और चेतना व्याप्त हो, इस प्रकार राष्ट्र सबसे शक्तिशाली और श्रेष्ठतम प्रशामित बन जायगा। स्मरण रखो कि नगरों की भित्तियाँ देश के भवनों के अवशेष मात्र में ही निर्मित होती हैं। जब मैं किसी राजधानी में किसी महल का निर्माण देखता हूँ तो मुझे किसी संपूर्ण नष्टित ग्रामीण क्षेत्र का ध्यान आता है।

परिच्छेद १४

सार्वभौमिक सत्ता किस प्रकार संधृत होती है (३)

ज्यो ही लोग सार्वभोम सभा के रूप में न्यायसंगत रीति से सग्रहीत होते हैं, शासन के समस्त अधिकार रुक जाते हैं, अधिशासी शक्ति स्थगित हो जाती है, और क्षुद्रतम नागरिक का शरीर इतना प्रतिष्ठित और अनतिक्रम्य हो जाता है जितना कि मुरय दडाधिकारी का, क्योंकि जहा प्रतिनिहित स्वयं उपस्थित होते हैं वहाँ किसी प्रतिनिधि का अस्तित्व नहीं रहता। रोम की परिषद् में जो कोलाहल हुए, वे सब इस नियम के अज्ञान अथवा उपेक्षा के कारण हुए। स्थितिविशेष में राज्यपाल केवल लोगों के अध्यक्ष मात्र और न्यायरक्षक सुवक्ता मात्र रह गये थे और शिष्ट सभा की कोई शक्ति नहीं रह गयी थी।

स्थगन के यह मध्यान्तर जिनमें शासनाधिकारी किसी वरिष्ठ के अस्तित्व को मानता है अथवा उसे मानना अनिवार्य हो जाता है, शासनाधिकारी द्वारा सदा व्रसित होते हैं, तथा लोगों की यह परिषद जो राजनीतिक निकाय की ढाल और शासन की नियंत्रक रूप होती है, वरिष्ठाधिकारियों द्वारा सब युगों में शक्ति हुई है। इसलिये ये वरिष्ठाधिकारी नागरिकों को परिषदों से विरक्त करने की चेष्टा में उत्कठा, आपत्तियों, बाधाएँ और प्रतिज्ञाएँ सबका प्रयोग मुक्त हस्त से करते हैं। जब नागरिक लालची, डरपोक, दीन आर स्वतंत्रता की अपेक्षा अभिशयन के अधिक इच्छुक होते हैं, तो शासन की पुनरावृत्ति चेष्टाओं के विरुद्ध यह देर तक सधृत नहीं रह सकते, आर इसलिए जैसे

१ प्रायः उसी अर्थ में जिसमें इस शब्द का प्रयोग अंग्रेजी पार्लियामेंट में किया जाता है। यदि समस्त अधिकार-क्षेत्र स्थगित भी कर दिये जाए, तो राज्यपालों तथा न्यायरक्षकों के पदों का सादृश्य मात्र उनमें सघर्ष स्थापित कर देता।

जैसे अवरोधक शक्ति निरन्तर बढ़ती जाती है उसी प्रकार अंत में सार्वभौमिक सत्ता लुप्त होती जाती है, तथा अधिकतर राज्य अपने समय के पूर्व ही क्षीण और विनष्ट हो जाते हैं।

परन्तु सार्वभौमिक सत्ता और स्वेच्छाचारी शासन के बीच कई वाग एक मध्यस्थ वरु का पुनर्स्थापन हो जाना है जिसका मुझे विवेचन करना चाहिये।

परिच्छेद १५

प्रतिनियुक्त गण अथवा प्रतिनिधि गण

ज्यो ही राज्य का सेवन नागरिको का मुख्य उद्यम नहीं रहता और वे अपने शरीर की अपेक्षा अपने धन से सेवा करने लग जाते हैं, राष्ट्र ह्रास के तट पर पहुँचा ही मानना चाहिये। युद्ध में सम्मिलित होने को प्रस्थान करना आवश्यक है ? वे सैनिको को वेतन देते हैं और स्वयं घर पर रहते हैं, सभा में जाना आवश्यक है ? वे प्रतिनियुक्तो को निर्वाचित कर देते हैं और स्वयं घर पर रहते हैं। आलस्य और धन के परिणामस्वरूप अत में देश को दास बनाने के लिये वे सैनिको का, और देश को विक्रय करने के लिये प्रतिनियुक्तो का सस्थापन कर देते हैं।

वाणिज्य और कलाओ की व्यग्रता, लाभ का लालचयुक्त अनुसरण, नारीवत् कोमलता और सुखो का प्रेम, ये वस्तुएँ हैं जिनके कारण व्यक्तिगत सेवाएँ अर्थ द्वारा विनियमित की जाती हैं। लोग अपने लाभ का एक अश इस आशा में त्याग देते हैं कि वे अपनी सुविधानुसार इसे बढा लेंगे। पैसा देना शुरू करो, और जल्दी ही दासत्व अवाप्त हो जायगा। वित्त शब्द ही दासत्व का शब्द है, नागरिक इससे अपरिचित होते हैं। ऐसे देश में जो वास्तव में स्वतंत्र हो नागरिक प्रत्येक वस्तु को अपने हाथो से करते हैं, पैसे से नहीं। अपने कर्तव्यो से विमुक्त होने के लिये पैसा देने की अपेक्षा वे अपने कर्तव्यो को स्वतः पूरा करने के लिये पैसा देते हैं। मेरे विचार साधारण विचारो मे बहुत भिन्न हैं, मेरा विश्वास है कि बलात् श्रम करारोपण की अपेक्षा स्वतंत्रता के कम प्रतिकूल होता है।

जितना अधिक सुगठित राज्य होता है उतना ही अधिक नागरिको के मन मे सार्वजनिक कार्य वैयक्तिक कार्यो की अपेक्षा मह वपूर्ण होते हैं। उपर्युक्त अवस्था मे वैयक्तिक कार्यो की सख्या ही बहुत न्यून होती है, क्योकि सर्वमाधारण वैभव प्रत्येक व्यक्ति को इतना अधिक भाग प्रदान कर देता है कि लोगो के लिये अपनी वैयक्तिक चेष्टा

में प्राप्त करने के हेतु रह ही थोड़ा जाता है। सुशामित नगर-राज्य में प्रत्येक व्यक्ति परिपदों में उपस्थित होने को उद्यत रहता है, और दुःशासित राज्य में परिपदों में उपस्थित होने के निमित्त कोई एक कदम भी नहीं उठाता, क्योंकि उनकी कार्यवाही में किसी को दिलचस्पी नहीं होती, कारण यह है कि सबको पूर्वाभाम होता है कि सर्व-साधारण प्रेरणा कार्यान्वित न होगी, और इसीलिये अत में वैयक्तिक विषयों में सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हो जाता है। श्रेष्ठ विधान श्रेष्ठतर विधानों का मार्गदर्शन करते हैं और दोरी विधान दीपीतर विधानों की ओर ले जाते हैं। ज्यों ही कोई व्यक्ति राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में यह कहने लगे कि “मेरे लिये उनका क्या महत्व है ?” हमें समझ लेना चाहिये कि राज्य विनष्ट हो गया है।

राष्ट्र को परिपदों में लोगों के प्रतिनियुक्तों अथवा प्रतिनिधियों की योजना स्वदेशप्रेम के ह्याम के कारण, वैयक्तिक हितों के सचेष्ट अनुसरण के कारण, राज्य के अत्यधिक विस्तार के कारण, विजय के कारण और शामन के दोषों के कारण प्रस्तावित हुई। कुछ देशों में इसे तृतीय वर्ग कहने की घृष्टता की जाती है। अर्थात् पहिले दो वर्गों में उन वर्गों के वैयक्तिक हितों को निहित समझा जाता है और केवल इस तीसरे वर्ग में मार्वाजनिक हित को नियामित किया जाता है।

उसी कारण से जिसके अतर्गत मार्वाभौमिक सत्ता का अन्यक्रामण नहीं हो सकता, मार्वाभौमिक सत्ता का प्रतिनिधित्व भी नहीं हो सकता, सारत मार्वाभौमिक सत्ता सर्व-साधारण प्रेरणा में निहित होती है और वह प्रेरणा प्रतिनिहित नहीं हो सकती, या तो यह प्रेरणा वही होती है या उसमें भिन्न होती है, कोई मध्यम स्थिति नहीं हो सकती। इसलिये लोगों के प्रतिनियुक्त उनके प्रतिनिधि नहीं होते और न हो सकते हैं, वे केवल उनके आयुक्त होते हैं और उन्हें अंतिम निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं होता। प्रत्येक विधान जो स्वतः लोगों द्वारा अनुसमर्थित न हुआ हो विधि-प्रतिकूल होता है, उसे विधान नहीं कहा जा सकता। अंग्रेजी राष्ट्र की धारणा है कि वे स्वतंत्र हैं, परन्तु यह उनका भ्रम मात्र है जब पार्लियामेंट के सदस्यों का निर्वाचन हो रहा हो, तब वे स्वतंत्र अवश्य होने हैं, परन्तु ज्योंही सदस्य निर्वाचित हो गये तो राष्ट्र दाम हो जाता है और अपना महत्त्व सो देता है। जो प्रयोग यह राष्ट्र स्वतंत्रता के उन नक्षिण क्षणों का करता है उसमें स्वतंत्रता का ह्याम सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होता है।

प्रतिनिधियों का निर्वाचन एक नयी कल्पना है इसका आद्य सामन्तत्व में होता है—वह सर्व्वता तथा अन्यायपूर्ण शामन जिनके अर्वात्त मनुष्य-जानि अवनत होती है और मनुष्य का नाम अनादग्नि होता है। प्राचीन समय के गणराज्यों और राजतंत्रों में

भी लोग प्रतिनिधि कभी नहीं चुनते थे, उन्हें इस शब्द का ज्ञान न था। यह अद्भुत बात है कि रोम में जहाँ न्यायरक्षक अत्यंत पूज्य थे, इस बात की कल्पना तक नहीं आई कि वे (न्यायरक्षक) लोगों की शक्तियों पर बलाधिकार कर सकते हैं, और इतने बड़े जनसमूह के मध्य में उन्होंने किसी एक सम्पूर्ण जनमत द्वारा पारित होनेवाले आदेश को स्वेच्छानुसार पारित करने की चेष्टा नहीं की। परंतु जनसमूह द्वारा कई बार व्यग्रता उत्पादित हो जाती थी, जिसका अनुमान ग्राचि के समय की उस घटना से होता है जिसके अंतर्गत नागरिकों के एक भाग ने अपना मत अपने निवासस्थानों की छतों पर में अंकित किया था।

जहाँ अधिकार और स्वतंत्रता का सर्वोच्च महत्त्व होता है वहाँ असुविधाओं की कोई गणना नहीं है। उस बुद्धिशाली राष्ट्र में प्रत्येक वस्तु का उचित मूल्यांकन होता था, उसने लिक्टरो को वह कार्य करने की अनुज्ञा दी थी जो न्यायरक्षक करने का साहस नहीं करते थे, और लिक्टरो से कभी इसे यह भय नहीं हुआ कि वे कभी इसके प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करने की चेष्टा करेंगे।

साथ ही यह स्पष्ट करने के लिये कि कभी कभी न्यायरक्षक राष्ट्र का कैसे प्रतिनिधित्व भी करते थे यह समझना पर्याप्त है कि शासन सार्वभौमिक सत्ता का किस प्रकार प्रतिनिधित्व करता है। विधान केवल सर्वसाधारण प्रेरणा की उद्घोषणा मात्र है, इसलिये यह स्पष्ट है कि विधायी क्षमता के क्षेत्र में लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, परंतु अधिशासी शक्ति में प्रतिनिधित्व हो सकता है और होना भी चाहिये, क्योंकि अधिशासी शक्ति तो केवल विधान के प्रयोग किये हुए बल का नाम है। इससे स्पष्ट है कि सतर्क परीक्षण करने पर बहुत कम राष्ट्र विधानयुक्त पाये जाएँगे। परंतु जो भी हों, यह निश्चित है कि न्यायरक्षक, जिनका अधिशासी शक्ति में कोई भाग नहीं था, अपने पद के अधिकारों के आधार पर रोम के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते थे, केवल शिष्ट सभा के अधिकारों पर अतिक्रमण करने के परिणाम-स्वरूप ही ऐसा सम्भव था।

यूनानियों में, जो लोगों को करना होता था वे स्वयं किया करते थे, वे निरंतर सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित हुआ करते थे। उनका जलवायु नर्म था, और वे लालची नहीं थे, दाम लोग शारीरिक श्रम करते थे, नागरिकों का मुख्य कार्य स्वतंत्रता उपभोग था। वही सुविधाएँ प्राप्त न होने में, अब उन अधिकारों का परिरक्षण कैसे किया जा सकता है? आपके अधिक कठोर जलवायु के कारण आपकी आवश्यकताएँ अधिक

है'। वर्ष में छ मास तक सार्वजनिक स्थान अनुपयोज्य होता है और खुली हवा में आपकी रक्ष घबनि मुनी नही जा सकनी, आप स्वतंत्रता के वजाय लाभ की अधिक अपेक्षा करते हैं और आप दुःख की अपेक्षा दामत्व में कम डरते हैं।

कोई आश्चर्य व्यक्त कर सकता है कि क्या स्वतंत्रता दामत्व की सहायता से ही नस्थापित हो सकती है? हो सकता है, क्योंकि चर्मविन्दुएँ मम्मिलित हो जाया करती हैं। प्रत्येक वस्तु जो प्रकृति के अनुसार नहीं होती असुविधाकारक होती है, और सभ्यसमाज में तो अन्य सब वस्तुओंमें अधिक कुछ ऐसी अभागी परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें लोग अपनी स्वतंत्रता को दूसरों की स्वतंत्रता नष्ट करके ही परिश्रित कर सकते हैं, और जिनमें दाम को पूर्णतया दाम बनाये बिना नागरिक पूर्णतया स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्पार्टा की यही परिस्थिति थी। वर्तमान राष्ट्रों, जहाँ तक आपका मवध है, आप किसी को दाम नहीं बनाते, परन्तु आप स्वयं दाम हैं, आप दामों की स्वतंत्रता के बदले अपनी निजी स्वतंत्रता को बलिदान कर देते हैं। अपनी उपर्युक्त अधिमान्यता का आप निरर्थक मिथ्याभिमान करते हैं, मुझे तो इसमें मनुष्यत्व की अपेक्षा कायरता का अधिक अग्र लगता है।

मेरा उक्त कथन में यह अर्थ नहीं कि दाम आवश्यक है, अथवा दामत्व का अधिकार न्यायसंगत है, क्योंकि मैंने तो इसके विपरीत ही प्रमाणित किया है, मैं केवल उन कारणों का उल्लेख करता हूँ जिनके अंतर्गत अपने आपको स्वतंत्र माननेवाले नवीन राष्ट्र प्रतिनिधियों को धारण करते हैं और प्राचीन राज्य धारण नहीं करते थे। कुछ भी हो, ज्योंही कोई राष्ट्र प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है वह स्वतंत्र नहीं रहता, इसका अपना अस्तित्व तक नहीं रहता।

मनक विचार के अनंतर, मुझे लगता है कि सार्वभौमिक सत्ता के लिये समाज में अपने अधिकारों का उपभोग करना नितान्त असम्भव होता है यदि राज्य बहुत छोटा न हो। परन्तु यदि राज्य बहुत छोटा होता है, तो क्या यह पराधीन न हो जायगा ?

१. किसी शीत देश में पूर्वीय लोगों की कोमलता और विलासप्रियता को अगीकार कर लेने का अर्थ यह है कि देगवासी उन्हीं की तरह दासत्व ग्रहण करने को तैयार हैं और अनिवार्य रूप से पूर्वीय लोगों में भी अधिक इस दामत्व में स्थापित रहने को तैयार हैं।

प्रथमतः, वरिष्ठ प्रभुत्व जैसे अनन्यक्रामित नहीं हो सकता वैसे ही संपरिवर्तित भी नहीं हो सकता, इसे सीमाबद्ध करने का अर्थ इसे विनष्ट करना होता है। यह कल्पना कि सार्वभौमिक सत्ता किसी अन्य वरिष्ठ को मान्य करे, हास्यास्पद और परस्पर-विरोधी होती है, किसी स्वामी की आज्ञानुसरण के लिये अपने आपको बद्ध करने में यह कल्पित होता है कि उसने पूर्ण स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त कर लिया है।

इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट है कि लोगो का किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ पापण करना एक विशिष्ट क्रिया होगी जिससे यह सिद्ध होता है कि उपर्युक्त पापण न विधान हो सकेगा और न सार्वभौमिक सत्ता की क्रिया, और परिणामस्वरूप यह अवैधानिक हो जायगा।

अपरच हम देखते हैं कि पापण करनेवाले पक्ष केवल प्राकृतिक विधान के अतर्गत ही कार्यशील हो सकेंगे और अपने अन्योन्य अभियुक्तियों के पालन के हेतु क्षेमरहित हो जाएँगे, यह धारणा सम्यक् समाज के सर्वथा प्रतिकूल है। जो व्यक्ति शक्ति को धारण करता है वही सदा उसे कार्यान्वित करने की क्षमता रखने से तो गویा हम मनुष्य की उस क्रिया को पापण का नाम दे रहे हैं जो वह किसी अन्य को निम्न कहने में करता है, “मैं तुम्हें अपनी समस्त सम्पत्ति देता हूँ और शर्त यह है कि तुम मुझे जो चाहो वापिस कर देना।”

राज्य में केवल एक पापण होता है और वह साहचर्य का पापण, यही किसी अन्य पापण को अपवर्जित कर देता है। किसी अन्य सार्वभौमिक पापण की कल्पना ही नहीं की जा सकती जो इस मूल पापण का अतिक्रमण रूप न होगी

परिच्छेद १७

शासन का संस्थापन

तो जिस क्रिया द्वारा शासन मस्थापित होता है उसे किस सम्बोधना के अन्तर्गत कल्पित करना चाहिये ? मैं आरम्भ में ही कह देना चाहता हूँ कि यह क्रिया मिश्रित है, जिसमें दो अन्य क्रियाएँ मयुक्त होती हैं, अर्थात् विधान का प्रतिपादन तथा विधान का निष्पादन ।

प्रथम द्वारा सार्वभौमिक सत्ता यह निर्धारित करती है कि शासकीय निकाय किन रूप में स्थापित किया जाय, स्पष्टतः यह एक वैधानिक क्रिया होती है ।

द्वितीय द्वारा, जनसमूह राजको को मनोनीत करता है जिनमें प्रस्थापित शासन न्यसित होनेवाला है । उपर्युक्त मनोनयन एक विशिष्ट क्रिया होने के कारण कोई द्वितीय विधान नहीं होता, परन्तु प्रथम विधान का केवल परिणामस्वरूप, और शासन का एक कार्य, होता है ।

कठिनाई यह समझने में आती है कि शासकीय निकाय के मस्थापित होने के पहिले ही शासन का कार्य किस प्रकार सम्पादित हो सकता है, और लोग, जो केवल सार्वभौमिक सत्ता अथवा प्रजा ही होते हैं, किसी विशेष परिस्थिति में शासनाविकारी अथवा दण्डाधिकारी कैसे बन सकते हैं ।

परन्तु इस स्थिति में राजनीतिक निकाय का एक ऐसा आश्चर्यजनक गुण प्रकट होता है जिनके द्वारा स्पष्टतः परम्पर-विरोधी कृत्वा का समाधान हो जाता है । क्योंकि उपर्युक्त स्थिति सार्वभौमिक सत्ता के सहसा जनतंत्र में इस प्रकार परिवर्तित होने में उत्पन्न होती है कि बिना किसी सवेद्य परिस्थितिभेद के, और केवल समस्त न सप्तके नवीन सम्बन्ध द्वारा, नागरिक दण्डाधिकारी बनकर सर्वसाधारण कार्यों में विशिष्ट कार्यों के तथा विधान में निष्पादन के क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाते हैं ।

ही मान्यता दी जानी चाहिये जितनी दृढ न्याय के अतर्गत अस्वीकार नहीं की जा सकती, चाहे इस दायित्व से भी शासनाधिकारी लोगो के विरुद्ध अपनी शक्ति को परिरक्षित करने में बड़ा बल प्राप्त करता है, क्योंकि लोग यह नहीं कह पाते कि शासनाधिकारी ने उनकी शक्ति पर बलाधिकार कर लिया है। केवल अपने ही अधिकारो को कार्यान्वित करने का आभास करते हुए वह सुगमतापूर्वक उन्हें विस्तृत कर सकता है और सार्वभौमिक शक्ति को सस्थापित करने के बहाने से परिपदो की सुव्यवस्था पुनः स्थापित करने के हेतु आमंत्रित अधिवेशन अवरोद्ध कर सकता है। इस तरह शासनाधिकारी इस मौन का जिसे यह भग्न होने नहीं देता, और उन अनियमितताओ का जिनको घटित होने का यह स्वयं कारण होता है, लाभ उठा लेता है, जो भय के कारण चुप हो जाते हैं उनका अनुमोदन अपने पक्ष में प्राप्त कर लेता है और जो बोलने का साहस करते हैं उन्हें दंडित कर देता है। इसी प्रकार द्वादश वर्गों ने, जो सर्वप्रथम एक वर्ष के लिये निर्वाचित हुए थे और फिर अगले वर्ष के लिये पदस्थ रहे थे, मभा (कमिटियाँ) को सम्मिलित न होने देकर सदा के लिये अपनी शक्ति को प्रतिधारण करने की चेष्टा की, और इसी सुगम रीति से विश्व के समस्त शासन एक बार सार्वजनिक बल में युक्त होने के अनंतर सार्वभौम सत्ता पर कभी न कभी बलाधिकार कर लेते हैं।

जिन नियतकालिक परिपदो का मैंने पहिले उल्लेख किया है वे इस दोष का निवारण अथवा स्थगन करने के लिये बहुत उपयुक्त हैं, विशेषतया क्योंकि उनके अधिवेशन के लिये किसी यथागीति आमन्त्रण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए शासनाधिकारी अपने आपको प्रत्यक्ष रूप में विधानो का उल्लघनकर्ता और राज्य का शत्रु घोषित किये बिना उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

उपर्युक्त परिपदो का उद्घाटन, जिनका प्रयोजन सामाजिक बल को परिरक्षित करना होता है, सदा दो प्रस्तावो के साथ होना चाहिये जिन्हें किसी को दमन करने का साहस नहीं होना चाहिये और जो पृथक्-पृथक् मतों से पारित होने चाहिये।

प्रथम “क्या सार्वभौमिक सत्ता शासन के वर्तमान रूप को मधुत रचना चाहती है ?”

द्वितीय “क्या लोग प्रशासन को उन्हीं के पास रखना चाहते हैं जिनमें यह अब नियमित है ?”

इस सवध में मेरी यह पूर्वधारणा है, और मेरी मान्यता है कि मैं इसे प्रमाणित कर चुका हूँ कि राज्य में कोई ऐसा आधारभूत विधान नहीं होता, न ही सामाजिक पाषण ऐसा विधान होता है जिसे निरमित न किया जा सके, क्योंकि यदि सब नाग-

निक गम्भीर सम्बिदा द्वारा इस पापण को भग्न करने के हेतु सम्मिलित हो तो कोई इसमें शक नहीं कर सकता कि यह सर्वथा न्यायपूर्वक भग्न हो जायगा। ग्रीक की तो यह भी कल्पना है कि प्रत्येक मनुष्य, जिस राज्य का वह सदस्य हो, उसे त्याग सकता है और देश को छोड़कर अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता और सम्पत्ति को पुनः प्राप्त कर सकता है। जो प्रत्येक नागरिक पृथक् रूप में करने का अधिकारी है उसे सब नागरिक सम्मिलित रूप में करने का अगवत है, यह धारणा हास्यास्पद होगी।

१ यह स्पष्टतया समझ लेना चाहिये कि किसी व्यक्ति को अपना कर्तव्य अपवर्चित करने के हेतु अथवा ऐसे अवसर पर जब देश को उसकी आवश्यकता है मेवा ले बचने के हेतु देश छोड़ने का अधिकार नहीं है। उपर्युक्त दशा में पलायन अपराधिक और दंड्य होगा। यह निवृत्ति न होकर सपरित्याग की परिभाषा में आयगा।

पुस्तक ४

परिच्छेद १

सर्वसाधारण प्रेरणा अविनाशी है

जब तक मनुष्यों की कोई मर्यादा सम्मिलित रूप में अपने आपको एक निकाय मात्र नमस्रती है, तब तक उसकी एक ही प्रेरणा होती है जिसका सबब सामान्य परिग्रहण और साधारण कल्याण में होता है। उस दशा में राज्य के तमाम स्कन्द ओजस्वी और मरल होते हैं, राज्य के सिद्धांत स्पष्ट और शुभ्र होते हैं, कोई सम्भ्रमित और परम्पर विरोधी हित नहीं होते, हर जगह सामान्य लाभ प्रत्यक्षतः स्पष्ट होता है, और इसका निम्पण करने के लिये केवल व्यावहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। यानि, एकता और सामान्यता राजनीतिक विशेषणों के मद्दु होते हैं। मन्य और मरल स्वभावी मनुष्य अपनी मरलता के कारण मुश्किल से वंचित होते हैं प्रयोभन और मुनस्कृत छल उन्हें प्रभावित नहीं करते, वे वंचित होने के लिये भी पर्याप्त मात्रा में चालाक नहीं होते। जब विश्व के प्रसन्नतम राष्ट्रों में हम कृपकों के समूहों को विभी दृष्टे वृक्ष के नीचे बैठकर राज्य के कार्यों का विनिमयन करते और मदा वृद्धिमानों में क्रात्र करते हुए देखते हैं, तो क्या हम अन्य राष्ट्रों के, जो कला और रहस्य के आधार पर प्रसिद्ध अथवा दुर्भाग्य बनते हैं, परिष्कारों की अवहेलना किये बिना रह सकते हैं ?

उपर्युक्त रीति से प्रशामित राज्य को विद्वानों की बहुत कम आवश्यकता होती है, और जिस मात्रा में नये विद्वानों का उद्घोषण आवश्यक होता है उसकी आवश्यकता से वे सब लोग एक मत में मान्य करते हैं। विद्वानों को प्रस्तावित करनेवाला मनुष्य गर्वगाधारण की पूर्व अनुभूति को व्यक्तमान करता है, और जिस प्रस्ताव को प्रत्येक ने मान्य करने का सकल्प पहले ही कर लिया हो उसे विद्वानों के रूप में पाणिन करने को न किसी के पक्ष-समर्थन और न वक्तृत्व की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रस्तावकों को विश्वास होता है कि शेष अन्य भी स्वयं वही करेंगे जो वह कर रहा है।

जिससे तार्किक लोग वचित है वह यह है कि दुस्सगठित राज्यों को आद्य से ही अव-लोकित करते हुए वे इन राज्यों में किसी सुनिश्चित रीति को सधृत करना असम्भव समझने लगते हैं। पेरिस अथवा लदन के लोगो को एक चतुर कपटी, एक उत्तेजक वक्ता क्या मूर्खताएँ सम्पन्न करने को उकसा सकता है, उनका विचार करके वे हँसते हैं। वे यह नहीं जानते कि बर्न के लोगो द्वारा क्रौमवैल को कठिन परिश्रम करने को दिया जाता और जेनेवा के लोगो द्वारा ड्यूक आफ व्यूफोर्ट को कोडे लगाये जाते।

परतु जब सामाजिक वध ढीला होने लगता है और राज्य दुर्बल हो जाता है, जब वैयक्तिक हित प्रबल होने लगते हैं और क्षुद्र सस्थाएँ महान् मस्था पर प्रभाव डालने लगती हैं तो सामान्य हित को आघात लगता है और इसके विपक्षी उत्पन्न हो जाते हैं। मनदान में एकमतता का प्रभुत्व नहीं रहता, सर्वसाधारण प्रेरणा सब लोगो की प्रेरणा नहीं रहती, विपक्ष और सघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं, और श्रेष्ठतम प्रस्ताव भी निर्विरोध स्वीकृत नहीं होता।

अत में जब विनाश के समीपस्थ राज्य निरर्थक और मायावी रूप में ही निर्वाहित रहता है, जब सामाजिक वध प्रत्येक हृदय में भग्न हो जाता है, जब क्षुद्रतम हित जन-कल्याण के पवित्र नाम के अतर्गत निर्लज्जता से अपना आश्रय लेता है, तो सर्व-साधारण प्रेरणा मूक हो जाती है। गुप्त प्रेरणाओं में उत्तेजित हुए सब लोग राज्य रचना के पूर्वकाल की भाँति नागरिक के रूप में अपना मत व्यक्त नहीं करते, और विधानों के रूप में वे छल में ऐसे अन्यायपूर्ण पादेशों को पारित करते हैं जिनका उद्देश्य केवल वैयक्तिक हितों की पूर्ति होता है।

क्या इस से यह सिद्ध होता है कि सर्वसाधारण प्रेरणा विनष्ट हो गई है अथवा भ्रष्ट हो गई है? कदापि नहीं। सर्वसाधारण प्रेरणा तो मदा स्थिर, अपरिवर्ती और पवित्र रहती है, परतु उपर्युक्त स्थिति में अन्य प्रेरणाओं द्वारा इसे केवल अवधिक कर लिया गया है। अपने हित को सामान्य हित से पृथक् करता हुआ प्रत्येक मनुष्य प्रत्यक्षन देखता है कि वह इसे सम्पूर्णतया पृथक् नहीं कर सकता, परतु राज्य की क्षति होने के परिणामस्वरूप उसकी निजी क्षति का भाग उस अपवर्जी लाभ की अपेक्षा जिसे वह स्वत प्राप्त करने का इच्छुक होता है, बहुत तुच्छ लगता है। यदि इस उपर्युक्त विधिगत लाभ को पृथक् कर दिया जाय, तो वह भी अपने निजी लाभ के हेतु मावजनिक कल्याण को दूसरे की तरह ही पूर्ण दृढ़ता में चाहता है। अपने मत को धन के लिये विनय करने हुए भी वह अपने अत करण में सर्वसाधारण प्रेरणा को परिमामाप्त नहीं करता, वन्कि इसमें वच निकलता है। जिस दोष का वह भागी होता है, वह है,

प्रश्न के रूप को बदलना और जो उसमें पूछा गया उसमें अलग ही कुछ उत्तर देना उदाहरणार्थ अपने मत में यह कहने की अपेक्षा कि “यह राज्य के लिये लाभप्रद है” वह यह कहता है कि “इस प्रस्ताव का पारित होना किमी विशेष मनुष्य अथवा किमी विशेष पक्ष को लाभप्रद होगा।” इसलिये परिपदों की सार्वजनिक व्यवस्था के नियम सर्वसाधारण प्रेरणा को परिश्रित करने के लिये इनमें मध्यम नहीं होते जितने इस बात के लिये कि परिपद् में सदा विमर्श किया जायगा और परिपद् सदा निर्णय करेगी।

इस स्थान पर मैं सार्वभौमिक सत्ता के प्रत्येक कार्य के सवध में नागरिकों के मरल अधिकारों का विवेचन करना चाहूँगा, उदाहरणार्थ मत प्रकट करने का अधिकार जो नागरिक में कोई भी छीन नहीं सकता, और बोलने, प्रस्ताव करने, विभाजन करने और विमर्श करने के अधिकार जो शासन केवल अपने सदस्यों के लिये स्थापित करने को सदा मतर्क रहता है, परन्तु इस महत्त्वपूर्ण विषय के लिये एक अलग पुस्तक की आवश्यकता होगी, और वर्तमान पुस्तक में मैं सब कुछ नहीं कह सकता हूँ।

परिच्छेद २

मतदान

हमने गत परिच्छेद में देखा है कि जिस रीति से सार्वजनिक कार्य होता है वह पर्याप्त विश्वसनीय मात्रा में राजनीतिक निकाय के चरित्र तथा स्वास्थ्य की द्योतक है। परिपदों में जितना अधिक सध्वनि का राज्य होता है, अर्थात् जितना अधिक मतदान एक मत के समीप पहुँचता है, उतना ही अधिक सर्वसाधारण प्रेरणा अविभावी होती है, परन्तु दीर्घ विवाद, मतभेद और कोलाहल उद्घोषित करने हैं कि वैयक्तिक हितों का बोलवाला है और राज्य क्षय की ओर प्रवृत्त है।

जब दो अथवा अधिक वर्ग राज्य के सविधान में प्रविष्ट हो जाते हैं, उदाहरणार्थ रोम में जहाँ शिष्टवर्ग और सामान्य वर्ग के सघर्ष के फलस्वरूप परिपद की कार्यवाही सघराज्य के उत्कृष्टतम दिनों में भी बहुधा विक्षोभित होती थी, उपर्युक्त तथ्य कम स्पष्टता से प्रत्यक्ष होता है, परन्तु यह अपवाद भी वास्तविक होने की अपेक्षा अधिक आभासी ही है, क्योंकि उस समय राजनीतिक निकाय के एक स्वाभाविक दोष के अतः, वास्तव में एक ही राज्य में दो राज्य स्थापित होते हैं। दोनों राज्यों को सम्मिलित रूप में अवलोकित करने से जो मत्त अवलोकित नहीं होता, वह प्रत्येक को पृथक् रूप में दृष्टिगोचर करने से स्पष्ट दिखाई देता है। वास्तव में सबसे तूफानी समय में भी जब शिष्ट सभा लोगों के कार्यों में अतराय नहीं डालती थी, लोगों का जनमत बहुधा विधानों को शांतिपूर्वक और बहुमत से पारित किया करना या नागरिकों का समान हित होने के कारण लोगों की एक ही प्रेरणा होनी है।

चक्र के दूसरे सीमात पर एकमतता की पुनः प्राप्ति होती है। वह तब होती है जब नागरिक दाम्त्व में गिरने के अनंतर न स्वतन्त्रता और न किसी प्रेरणा के धारक होने हैं। उम दशा में भय और चापलूमी मतों को जघ्वनि में परिवर्तित कर देते हैं, विमर्श करने के बदले मनुष्य केवल आराधना अथवा निद्रा करने हैं। सम्राटों के समय में

शिष्ट मभा की यही कल्पित अभिमत रीति थी। कई बार इसका अनुसरण हाम्याम्यद मावधानी के साथ किया जाता था। टैमीटम ने लिखा है कि ओथो के अधीन जब शिष्ट मभामदो ने विटैलियम पर आपो की वर्षा की तो साथ ही एक भयानक कोलाहल भी मचाया ताकि यदि वह स्वामी पद को प्राप्त कर ले तो वह यह न जान सके कि प्रत्येक व्यवित ने क्या कहा था।

उपर्युक्त विभिन्न विचारों के आधार पर ही उन सिद्धांतों का उपकलन होना है जिनके अंतर्गत, सर्वसाधारण प्रेरणा के न्यूनाधिक निश्चित हो सकने और राज्य के न्यूनाधिक नष्ट धर्म होने के अनुसार, मतों की गणना और अभिप्रायों की तुलना नियमित हो सके।

केवल एक ही ऐसा विधान है जो स्वभावतः सर्वसम्मत् स्वीकृति को अपेक्षा करता है। वह है सामाजिक वध, क्योंकि जानपदीय साहचर्य विश्व में सर्वतोधिक स्वेच्छाप्रेरित क्रिया होती है। प्रत्येक मनुष्य जन्मत स्वतंत्र और निज का स्वामी होने के कारण, कोई भी, किसी भी छल के अंतर्गत, बिना उसकी स्वीकृति के उसे दाम नहीं बना सकता। इस निर्णय का कि दान का पुत्र जन्मत दाम होना है, अर्थ यह हो जायगा कि वह जन्मत मनुष्य ही नहीं होता।

इसलिये यदि सामाजिक वध के समय कोई इसके विपक्षी हो तो उनके विरोध के कारण यह वध विधिहीन नहीं हो जाता परन्तु उस कारण केवल वे इसमें सम्मिलित होने में वञ्चित हो जाते हैं वे नागरिकों के मध्य विदेशी-मम हो जाते हैं। जब राज्य स्थापित होता है तो स्वीकृति निवास में निहित होती है, देश में रहने का अर्थ यह होता है कि सार्वभौमिक सत्ता की अधीनता स्वीकार कर ली है।'

इस आद्य पापण के अतिरिक्त बहुसंख्या का मत सदा अन्य सबको बाध्य करना है यह नियम स्वन पापण का ही परिणामस्वरूप है। परन्तु यह पृष्टा जायगा कि कोई मनुष्य स्वतंत्र होते हुए निज के अतिरिक्त दूसरी प्रेरणाओं के अधीन होने को बाध्य कैसे किया जा सकता है। विपक्षी लोग नाथ ही स्वतंत्र और जिन विधानों को उन्होंने स्वीकृत न किया हो उनके अधीन कैसे हो सकते हैं ?

१ उपर्युक्त का सबध सदा स्वतंत्र राज्य से नमस्सना चाहिये, क्योंकि कई बार कुटुम्ब, सम्पत्ति, शरण का अभाव, आवश्यकता, अथवा हिंसा किसी निवासियों को उसकी स्वेच्छा के विरुद्ध भी देश में अवरुद्ध रख सकते हैं, और उस दशा में केवल उसका निवास पापण अथवा उसके उल्लंघन के प्रति उसकी स्वीकृति का द्योतक नहीं होता।

मेरा उत्तर है कि यह प्रश्न अनुचित रूप से प्रस्तुत किया गया है। नागरिक सब विधानों को स्वीकृत करता है, उनको भी जो उसकी इच्छा के प्रतिकूल पारित है और उनको भी जो उसके द्वारा उल्लिखित किये जाने की दशा में उसे दडित करते हैं। राज्य के सब सदस्यों की अपरिवर्तनीय प्रेरणा सर्वसाधारण प्रेरणा होती है, उसी के द्वारा वे नागरिक और स्वतंत्र होते हैं।^१ जब जनपदीय परिपद् में कोई विधान प्रस्तावित किया जाता है तो लोगों से यह नहीं पूछा जाता कि वे उस प्रस्थापन का अनुमोदन करते हैं अथवा उसे अस्वीकार करते हैं, परन्तु यह पूछा जाता है कि वह प्रस्थापन सर्वसाधारण प्रेरणा के, जो उनकी निजी प्रेरणा का रूप है, सगत है अथवा नहीं, प्रत्येक अपना मत देकर इस सबध में अपना अभिमत व्यक्त करता है, और मतों की गणना में सर्वसाधारण प्रेरणा की घोषणा प्राप्त होती है। इसलिये जब कभी अपने से विपक्षी अभिप्राय अविभावी होता है तो वह केवल यही सिद्ध करता है कि मैं गलती पर था और जिसे मैं सर्वसाधारण प्रेरणा समझता था वह वास्तव में सर्वसाधारण प्रेरणा नहीं थी। यदि मेरा वैयक्तिक अभिप्राय अविभावी हो जाता तो मैं अपनी प्रेरणा के विपरीत कार्य करने का दोषी होता, और उम दशा मैं वास्तविक अर्थ में स्वतंत्र नहीं हो सकता था।

यह सत्य है कि इससे यह अनुमानित होगा कि सर्वसाधारण प्रेरणा के सब चिह्न बहुसंख्या में वेष्टित हैं, जब ऐसा होना बन्द हो जायगा तो, चाहे हम किसी पक्ष में रहे, हमें स्वतंत्रता प्राप्त न होगी।

पूर्व में यह प्रदर्शित करते हुए कि सार्वजनिक मकल्पो में विशिष्ट प्रेरणाएँ सर्वसाधारण प्रेरणा के स्थान पर कैसे प्रतिस्थापित हो जाती हैं, मैंने इस दुष्प्रयोग को रोकने के पर्याप्त व्यवहारगम्य साधन प्रदर्शित किये हैं, इनकी चर्चा मैं बाद में पुनः करूँगा। सर्वसाधारण प्रेरणा को घोषित करने के लिये मतों की अनुपाती संख्या के सबध में मैंने वे सिद्धांत निरूपित कर दिये हैं जिनके अनुसार इसको निश्चित किया जा सकता है। केवल एक मत का अन्तर सर्वसम्मति को नष्ट कर देता है, परन्तु सर्वसम्मति और

१ जेनेवा में कारागृह के द्वार पर और नाविक दासों की हथकड़ियों पर शब्द "स्वतंत्रता" लिखा होता है। इस उक्ति का प्रयोग उचित और न्यायसगत है। वास्तव में केवल सब प्रकार के कुचेष्टाकारी ही नागरिक को स्वतंत्रता की प्राप्ति से वंचित रखते हैं, जिस देश में उपर्युक्त सब व्यक्ति नाविक दासत्व में डाल दिये गये हों उसी देश में सपूर्णतम स्वतंत्रता का उपभोग हो सकेगा।

समान सम्मति के बीच अनेक असमान भाग होते हैं जिन प्रत्येक पर राजनीतिक निकाय की स्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार डम मख्या का स्थापन किया जा सकता है ।

उपर्युक्त अनुपातों को नियमित करने में दो साधारण नियम सहायक हो सकते हैं, प्रथम यह कि जितना अधिक महत्त्व का अथवा भारी मकल्प हो उतना ही अधिक अविभावी अभिप्राय को सर्वसम्मति के समीप होना चाहिये, दूसरे यह कि जितना अधिक विवेचनाधीन कार्य में शीघ्रता की आवश्यकता हो उतना ही अधिक अभिप्रायों के भाग में निर्धारित अतर को सीमित करना चाहिये, जिन मकल्पों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता हो उनमें एकमात्र मत की बहुमस्या पर्याप्त होनी चाहिये । इन नियमों में, प्रथम नियम विधानों के निमित्त अधिक उचित प्रतीत होता है और दूसरे कार्यों के निमित्त । परन्तु कुछ भी हो, इन दोनों नियमों के सम्मिश्रण द्वारा ही वे उत्तमतर अनुपात स्थापित किये जा सकते हैं जिनके अतर्गत बहुमत का निर्णय अविभावी होना उचित होगा ।

परिच्छेद ३

निर्वाचन

शामनाधिकारी ओर दंडाधिकारियों के निर्वाचन के मवव में जो, जैसा मैं पहिले भी कह चुका हूँ, जटिल क्रियाएँ हैं, दो कार्य-प्रणालियाँ प्रयुक्त होती हैं (अर्थात् चुनाव ओर भाग्यपत्रक)। दोनों प्रणालियाँ भिन्न भिन्न सव राज्यों में प्रयुक्त की गई हैं, ओर अब भी वेनिस के ड्यूक के निर्वाचन में दोनों प्रणालियों का मजटिल मिश्रण दृष्टिगोचर होता है।

माटैस्क्यू का कथन है कि “भाग्यपत्रक द्वारा निर्वाचन जनतत्र की प्रकृति के अनुकूल है।” मैं यह मानता हूँ, परंतु किस प्रकार ?—मोटैस्क्यू आगे कहता है कि “भाग्यपत्रक निर्वाचन एक ऐसी रीति है जिससे किसी की मानहानि नहीं होती, प्रत्येक नागरिक को अपने देश की सेवा करने की युक्तियुक्त आशा रहती है।” परंतु वास्तव में ये कारण नहीं हैं।

यदि हम इसे अपने ध्यान में रखें कि प्रमुखों का निर्वाचन शामन का कार्य है सार्व-भौमिक सत्ता का नहीं, तो हम देखेंगे कि भाग्यपत्रक द्वारा निर्वाचन की पद्धति जनतत्र की प्रकृति के अधिक अनुकूल क्यों है। जनतत्र में प्रशामन उतना ही अधिक अच्छा होता है जितने कम इसके कार्य गुणित किये जाते हैं।

प्रत्येक साम्प्रतिक जनतत्र में दंडाधिकार कोई उपहार नहीं होता, परंतु एक दुवह प्रभार होता है, आर उसे अर्थों की अपेक्षा किसी एक व्यक्ति पर आरोपित करना न्याय की दृष्टि से उचित नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के नाम भाग्यपत्रक निकलता है उसपर इस भार का आरोपण केवल विधान द्वारा ही कल्पित हो सकता है क्योंकि उस दशा में सबके लिये समान स्थिति होने के कारण, ओर चुनाव मानुषिक दृष्टि पर जायगित न होने के कारण, किसी ऐसी विधिगत प्रयुक्ति का अवलम्बन नहीं होता जिसमें विधान की साम्प्रतिकता बदल जाय।

शिष्ट-जनतंत्र में शासनाधिकारी ही शासनाधिकारी को चुनता है, शासन अपने द्वारा ही गभृत होता है, और इसलिये मतदान प्रणाली प्रचलित होना उचित है।

वेनिम के शुरू के निर्वाचन का उदाहरण इन अन्तर को विनष्ट करने के वजाय पुष्टिकृत करता है यह मिश्र प्रणाली मिश्रित शासन के लिये उपयुक्त है, क्योंकि वेनिम के शासन को मत्स्य, शिष्ट-जनतंत्र मानना ही गलती है। जब लोग शासन में भाग ही नहीं लेते तो शिष्टजन स्वयमेव जनसमूह होते हैं। दोन वनावाटों के समूह ददाधिकारी पद के समीप नहीं पहुँचते और अपनी प्रेष्ठता के चिह्न स्वरूप केवल "श्रेष्ठ" की शून्य उपाधि और महान् सभा में उपस्थित होने का अधिकार ही धारण करते हैं। यह महान् सभा हमारी जेनेवा की साधारण सभा के समान मख्याधिक होने के कारण, इसके प्रख्यात सदस्य हमारे मरल नागरिकों की अपेक्षा बोट अधिक विशेषाधिकार प्राप्त नहीं करते। यह निश्चित है कि दोनों सभ्यज्यों की निनात असमता को पृथक् करने के अनन्तर, जेनेवा का नागरिक वेनिम के शिष्टजनों के वर्ग के पूणतया अनुसूप होता है, हमारे देशज और निवासी वेनिम के नागरिक और लोगों का प्रतिनिधित्व करने हैं हमारे कृपक प्रभान द्वीप की प्रजा का प्रतिनिधित्व करने हैं, मक्षेप में इस सभ्यज्य को, इसके विस्तार के अनिश्चित, हम जिस रूप में भी अवलोकित करें, इसका शासन हमारे शासन में अधिक शिष्ट-जनतंत्रान्मक नहीं है। समस्त प्रिभिन्नता यह है कि कोई आजीवन प्रमुख न होने के कारण हमें भाग्यपत्रक की उत्तरी आवश्यकता नहीं है।

वास्तविक जनतंत्र में भाग्यपत्रक द्वारा निर्वाचन बहुत कम दोपयुक्त होगा, क्योंकि नव लोग चरित्र तथा योग्यता एवं भाव तथा भाग्य में समान होने के कारण, चुनावना धारणतया अपक्षपानी होगा। परन्तु में पहिले ही कह चुका हूँ कि वास्तविक जनतंत्र होता ही नहीं।

जब चुनाव और भाग्यपत्रक सम्मिश्रित किये जाय, तो चुनाव को ऐसे पदों की पूर्ति के लिये प्रयुक्त करना चाहिये जिनके लिये विशेष योग्यता वाछलीय हो, उदाहरणार्थ नैतिक नियुक्तियाँ भाग्यपत्रक उन पदों की पूर्ति के लिये उपयुक्त होता है जहाँ निवेक वृद्धि न्याय तथा पवित्रता पर्याप्त होनी हो, उदाहरणार्थ नैयाधिक पद क्योंकि गुमगटिन राज्य में उपयुक्त गुण नव नागरिकों में समान होते हैं।

राजतंत्रान्मक शासन में भाग्यपत्रक तथा मतदान का कोई स्थान नहीं है। राजा नाधिकार एवमेव शासनाधिकारी और ददाधिकारी होने के कारण, उसके सहायकों

का चुनाव उस पर स्वतः निर्भर होता है। जब आवे दी सैम्पियर ने फ्रांस के बादशाह की सभा को गुणित करने और उसके सदस्यों को मतपत्र द्वारा निर्वाचित करने का सुझाव रखा, तो उसने यह नहीं देखा कि वास्तव में उसका सुझाव शासन के प्रकार को बदलने का था।

लोकपरिपद् में मतों के अभिलेख तथा गणना की रीति के सवध में मुझे अभी कहना है, परतु सम्भवतः रोम की नीति का इतिहास उन सब सिद्धान्तों को जिन्हें मैं प्रस्थापित करना चाहता हूँ अधिक स्पष्टता से प्रदर्शित करेगा। विवेकी पाठक के लिये यह अनुचित नहीं होगा कि वह थोड़ी सविस्तर रीति से इस बात को अवलोकित करे कि दो लाख मनुष्यों की सभा में सार्वजनिक और वैयक्तिक कार्य कैसे सपादित होते हैं।

परिच्छेद ४

रोम की समितियाँ

रोम के प्राचीन इतिहास का हमारे पास बहुत विश्वसनीय स्मारक नहीं है। यह भी बहुत सम्भाव्य है कि बहुत वस्तुएँ जो अनुक्रम से प्राप्त हुई हैं कल्पित कथा मात्र हों, और माध्यागत उनकी मस्थाओं का इतिहास, जो रोम के इतिहास का सबसे शिक्षाप्रद भाग होता है, अत्यंत दोषयुक्त है। अनुभव हमें प्रतिदिन बताता है कि किन कारणों से साम्राज्यों की क्रान्तियाँ उत्पन्न होती हैं, परंतु चूंकि रोम स्वयं निर्माण क्रम को पाम कर चुके हैं, इसलिए इस बात का विश्लेषण करने के लिये कि वे कैसे निर्मित हुए थे, हमारे पास अनुमान के अतिरिक्त कोई और साधन नहीं है।

जो स्थितियाँ स्थापित हैं उनमें कम से कम यह पता तो चलता है कि इन स्थितियों का कभी आरम्भ हुआ था। उक्त आरम्भ तक पहुँचनेवाली कथाओं में से जिन्हें प्राधिकारीतम लेखक मान्य करते हैं और जो दृढ़तम युक्तियों द्वारा पुष्ट होती हैं, उन्हें अत्यंत निश्चय ममज्ञा जाना चाहिये। मैंने इस बात का विश्लेषण करने के लिये कि विश्व के स्वतंत्रतम और शक्तिशालीतम राष्ट्र ने अपनी वरिष्ठ शक्ति का किस प्रकार प्रयोग किया, उपर्युक्त सिद्धांत का अनुसरण किया है।

रोम के स्थापित होने के अनंतर, व्युत्पादित गणराज्य अर्थात् निर्माता की सेवा, जिसमें अल्बेनिया, सेविनया और विदेश के लोग थे, तीन वर्गों में विभाजित थी और इस विभाजन के परिणामस्वरूप इसका नाम गणजाति (Tribe) पड़ गया था।

१ रोम का नाम, जिसे रोम्युलस से आर्कषित कहा जाता है, ग्रीक भाषा का है और इसका अर्थ दल है। न्यूमा का नाम भी ग्रीक भाषा का है और इसका अर्थ विधान होता है। कैंसा आश्चर्यजनक सपात है कि इस नगर के दो सर्वप्रथम राजाओं के ये नाम हों जो प्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा किये गये कार्यों से इस प्रकार संबंधित हैं।

प्रत्येक "गणजाति" दस क्यूरिया मे विभाजित थी, और प्रत्येक क्यूरिया डीक्यूरिया मे । इनके प्रमुख (Curiones and decuriones) कहलाते थे ।

इसके अतिरिक्त, एक शत घुडसवारो का समुदाय जिमे सेन्चुरिया (Centuria) कहा जाता था, प्रत्येक "गणजाति" से निष्कर्षित होता था, जिसमे स्पष्ट है कि ये विभाजन जो किसी नगरके लिये अनिवार्य नही है, आरम्भ मे केवल मैनिक रूप थे । परन्तु ऐसा लगता है कि महत्वाकांक्षा के कारण रोम के छोटे नगर ने आरम्भ से ही एक ऐसी नीति को अंगीकार किया जो विश्व की राजधानी के लिये उचित थी ।

इस प्राथमिक विभाजन के फलस्वरूप, जल्दी ही एक कठिनाई उपस्थित हुई । अल्बेनिया और सेवाइन की गणजातियाँ मदा समान स्थिति मे रहीं परन्तु विदेशियो को ट्राइव निरन्तर अभिगमन के कारण लगातार अभिवृद्ध होती रही और जल्दी ही उन दोनों से अधिक मर्या मे हो गयी । सर्वियस ने इस भयावह दुष्प्रयोग के निराकरण के हेतु विभाजन की रीति को बदल दिया, जातियो के अनुसार विभाजन को लुप्त करके उनके स्थान पर अन्य विभाजन प्रतिस्थापित कर दिया जिसका आधार नगर की प्रत्येक ट्राइव द्वारा वासित मडल बनाये गये । तीन ट्राइव्स के स्थान पर उसने चार ट्राइव्स बना दी । इनमे से प्रत्येक रोम की अलग अलग पहाडी पर रहती थी और उसी का नाम धारण करती थी । ऐसा करने से, न केवल वर्तमान अममानता का प्रतिकार हो गया, परन्तु भविष्य मे भी इसका अवरोध हो गया, आर यह आगोपित करने के लिये कि विभाजन न केवल क्षेत्रो का अपितु मनुष्यो का भी रहे, उनमे एक क्षेत्र के निवासियो को किसी अन्य क्षेत्र मे जाने से अवरुद्ध कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप जातियो का सम्मिश्रण होना भी निवारित हो गया ।

उसने प्राचीन अश्वसेना की तीन मेच्युगी को द्विगुणित कर दिया, आर तदनन्तर १० आर मेच्युगी बढा दी, परन्तु नाम पुगना ही रहने दिया । इस मरुल आर न्याय-मगत मापन मे उसने अश्वारोहियो आर अन्य लोगो मे, इनके वटवटाने का कारण उत्पादित किये बिना, भेद स्थापित कर दिया ।

उपर्युक्त चार नगरीय ट्राइव्स मे, सर्वियस ने १५ अन्य जोड दी जिन्हे ग्राम्य ट्राइव्स कहा गा, क्योंकि वे ग्राम के निवासियो मे निर्मित की गयी थी । उन्हे इतने ही उपमडलो मे विभाजित किया गया । तदनन्तर टननी ही अन्य नवीन ट्राइव्स बनायी गयी आर जत मे रोम के लोगो का विभाजन ३५ ट्राइव्स मे हो गया, जो मर्या गणराज्य के अत तक स्थापित रहीं ।

उपर्युक्त नगरीय और ग्राम्य ट्राइब्स के भेद के फलस्वरूप, एक उल्लेखनीय परिणाम दृष्टिगोचर हुआ। इस परिणाम का कोई अन्य उदाहरण नहीं मिलता और रोम में भी यह परिणाम अपनी गीतियों के परिष्करण और अपने साम्राज्य की वृद्धि के कारण ही उत्पन्न हुआ। कोई ऐसा अनुमान कर सकता है कि नगरीय ट्राइब्स ने नमस्त शक्ति और प्रतिष्ठा पर विजयाधिकार कर लिया होगा, और वे ग्राम्य ट्राइब्स की उपेक्षा करने को उद्यत हुई होगी, परन्तु हुआ इसके विपरीत। हम प्राचीन रोम निवासियों के ग्राम्य जीवन के प्रेम को जानते हैं। यह प्रेम उन्होंने अपने बुद्धिमान निर्माता से ही प्राप्त किया था, जिसने स्वतंत्रता के साथ ग्राम्य और नैतिक कार्यों को जोड़ा था और नगरों में, ऐसा मानना चाहिये कि, कला, व्यापार, पद्य, धन और दामन को निर्वासित किया था।

इसलिये रोम का प्रत्येक प्रसिद्ध मनुष्य ग्राम का निवासी और भूमि का कृपक होने के कारण, सभराज्य के रक्षकों को ग्राम में ही खोजना यह स्पष्ट हो गया था। योग्यतम शिष्टों द्वारा अनुमति होने के कारण, उपर्युक्त स्थिति, प्रत्येक द्वारा आदर्शित हुई ग्रामीणों का मरल और श्रमयुक्त जीवन रोम के नागरिकों के शिथिल और निश्चिन्त जीवन में बड़ा अधिमानित रहा और अनेक लोग जो नगर में केवल हतभारी श्रमजीवी होते, ग्रामों में श्रमिक होकर सम्मानित नागरिक बन गये। वेगो का कथन है कि यह युक्ति रहित बात नहीं है कि हमारे मनस्वी पूर्वजनों ने ग्राम में ही उन परिश्रमी और बहादुर मनुष्यों के शिष्टागृह को स्थापित किया जिन्होंने उन्हें यद्यपि प्रतिगदित और नान्तकाल में पोषित किया। गिल्ली का तो स्पष्ट कथन है कि ग्रामीय ट्राइब्स का आदर तो उनके सघटक मनुष्यों के कारण ही हुआ। जिनको अयोग्य होने के कारण कलकित करना इच्छित था उन्हें तिस्कार के चिह्नस्वरूप नगरीय ट्राइब्स में स्थानान्तरित कर दिया गया। Sabine Appius Claudius के राम में आकर वासित होने पर उसे सम्मान से लाद दिया गया, और एक ग्राम्य ट्राइब में भर्ती किया गया, जिसका बाद में उसके कुटुम्ब का ही नाम पड गया। अन्ततः, सब सम्भव पुत्रों को नगरीय ट्राइब्स में भर्ती किया जाना था, ग्राम्य में नहीं और सभराज्य के सम्पूर्ण इतिहास में इन मुक्त पुत्रों द्वारा उदाधिकार प्राप्त करने का एक भी उदाहरण नहीं मिलता, चाहे वे नागरिक हो गये थे।

उपर्युक्त सिद्धान्त बहुत श्रेष्ठ था। परन्तु इसे इन नीमा तक टकेला गया कि अंत में इसके फलस्वरूप ग्राम्य में परिवर्तन और निश्चय रूप से एक दोष उत्पन्न हो गया।

प्रथमतः दोपवचको ने किसी नागरिक को एक ट्राइब से अन्य ट्राइब में स्वेच्छानुसार परिवर्तित करने के अधिकार को देर तक बल्लोपभोग करने के अनंतर ही, सख्या-विक को यह आज्ञा दी कि वे जिस ट्राइब में भर्ती होना चाहते हो, हो जायें, इस आज्ञा से कोई निश्चित लाभ न होकर दोपवचना का एक बड़ा ससाधन विनष्ट हो गया। इसके अतिरिक्त, क्योंकि सब महान् और शक्तिशाली लोगो ने ग्रामीय ट्राइब्स में निज को भर्ती कराया, और मुक्त पुरुष नागरिक होने के अनंतर अन्य जनता के साथ नगरीय ट्राइब्स में रहे, इसलिये साधारणतया ट्राइब्स में क्षेत्र अथवा मडल का कोई भेद न रहा और वे ऐसी सम्मिश्रित हो गयी कि पजीयो की सहायता के बिना प्रत्येक ट्राइब के सदस्यों को पहिचानना असम्भव हो गया, यहाँ तक कि शब्द ट्राइब का आशय वास्तविक से वैयक्तिक में परिवर्तित हो गया, अथवा मनगढत-सा हो गया।

अन्तिम फल यह हुआ कि समीप होने के कारण नगरीय ट्राइब ममिति में बहुत शक्तिसम्पन्न हो गयी और राज्य को उन लोगो के हाथ विक्रय करने लगी जो इन ट्राइब्स के घटक जमघट के मत को त्रय करने की नीचता करते थे।

जहाँ तक क्यूरिआ का सबध है, निर्माता द्वारा प्रत्येक ट्राइब में दस निर्मित किये जाने से समस्त रोम की जनता में, जो उस समय नगर की भित्ति के अतर्गत थी, तीस क्यूरि स्थायित थी, प्रत्येक के अपने मंदिर, देव, अधिकारी, पुरोहित और उत्सव होते थे जिन्हे *compitalia* का जाता था, ये तदनंतर ग्रामीय ट्राइब्स द्वारा स्थापित *paganalia* के समान होते थे।

मर्वियस द्वारा निरूपित नवीन विभाजन में, तीन चार ट्राइब्स में समान रूप में विभाजित न हो सकने के कारण, वह इनको बदलना नहीं चाहता था, ट्राइब के स्वतंत्र होने के कारण रोम के निवासियों का क्यूरिआ एक अन्य विभाजन रूप हो गया। परंतु ग्रामीय ट्राइब्स में अथवा उन्हें निर्माण करनेवाले लोगो में क्यूरिआ की स्थापना का कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि ये ट्राइब्स एक विशुद्ध सामाजिक सस्था हो जाने के कारण और मैनिक उद्ग्रहण करने की एक अन्य नीति स्थापित हो जाने के कारण, रोम्युलस द्वारा बनाये हुए मैनिक भाग व्यर्थ हो गये थे। इसलिये यद्यपि प्रत्येक नागरिक किमी न किमी ट्राइब में भर्ती होता था परंतु प्रत्येक क्यूरिआ में भी अवश्य भर्ती हो, ऐसी दशा नहीं थी।

मर्वियस ने एक अन्य तृतीय विभाजन किया, जिसका पूर्ववर्तीय दो से कोई सबध नहीं था, परंतु जो प्रभावतः मवसे अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ। उसने समस्त रोम की जनता को छ वर्गों में विभाजित किया, और इन वर्गों का अनंतर निवाम

स्थान के आधार पर नहीं, न मनुष्यों के आधार पर, बल्कि सम्पत्ति के आधार पर किया। ताकि प्रथम वर्ग तो बनी मनुष्यों में परिपूर्ण किये गये, अंतिम तीन मनुष्यों में, और मध्यम्य उनमें जो मध्यम ऐश्वर्य का उपभोग करते थे। उपर्युक्त छ वर्ग १९३ अन्य निकायो में, जिन्हें संचुरी कहते थे, विभाजित किये गये, और इन निकायो को इस प्रकार वितरित किया गया कि अकेले प्रथम वर्ग में आधे से अधिक लोग सम्मिलित थे और अंतिम वर्ग में केवल एक। परिणाम यह था कि सभ्यता न्यूनतम वर्ग में अधिकतम संचुरी बनी, और अंतिम सम्पूर्ण वर्ग की गणना केवल एक उपभाग के रूप में हुई हालाँकि यह अकेला रोम के आधे से अधिक निवासियों को अंतर्धारित करता था।

इस हेतु कि लोग इस अंतिम प्रकार का परिणाम प्रत्यक्ष रूप में अवलोकित न कर सकें, सर्वियम ने इसे सैनिक रूप देने का आडवर किया, हमारे वर्ग में उमने शस्त्रधारकों की दो संचुरीज और चौथे वर्ग में सैनिक उपकरणों के निर्माताओं की दो संचुरीज पुनस्थापित कर दी। अंतिम वर्ग के अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ग में उसने युवा और वृद्ध में भेद किया, अर्थात् उनमें जिन पर शस्त्र धारण करने का दायित्व था और उनमें जो अपनी अवस्था के कारण विधान द्वारा मुक्त हो चुके थे, सम्पत्ति के अभिनिर्धारण में कहीं अधिक इस अंतर के कारण बारम्बार जनगणना करने की आवश्यकता होती थी। अंत में उमने यह नियम बनाया कि समिति का अधिवेशन Campus Martius में हुआ करे और वे सब व्यक्ति जो अवस्था के आधार पर सैनिक सेवा के योग्य थे वहाँ अपने शस्त्रों सहित उपस्थित हुआ करें।

उमने अंतिम वर्ग में ज्येष्ठों और कनिष्ठों में इसी प्रकार अंतर बंधों स्थापित नहीं किया, इसका कारण यह है कि जिस जनभाग द्वारा यह वर्ग निर्मित हुआ था उसे देश के लिये शस्त्र धारण करने का मन्मान प्राप्त नहीं था वामभूमि को परिशोधन करने का अधिकार प्राप्त करने के लिये पहले वामभूमि तो हो। और राजाओं की सेनाओं में जो असह्यत भिसमगों के दल आज दृष्टिगोचर होते हैं सम्भवतः उनमें एक भी ऐसा नहीं होता जो रोम की सेना में घृणा से बहिष्कृत न कर दिया जाता, जब कि रोम के सैनिक स्वतंत्रता के परिशोधक होते थे।

अपरन्तु, अंतिम वर्ग में श्रमजीवियों और अन्यो में जा Cadite censi कहलाने से अंतर किया जाता था। श्रमजीवी सम्पूर्णतया दरिद्र नहीं होते थे, वे राज्यों को नागरिक, और कभी कभी आपत्तिकाल में सैनिक भी, प्रदान करते थे। जहाँ तक उन लोगों का संबंध है जिनके पास कुछ था ही नहीं और जिनकी गणना केवल शिरो द्वारा

की जाती थी, वे सर्वथा अनावश्यक समझे जाते थे, मेरियस ने ही सर्वप्रथम उन्हें भरती तक करने की कृपा की थी।

इस बात का कि यह तृतीय विभाजन स्वतः अच्छा था या बुरा, निर्णय किये बिना, मैं समझता हूँ कि यह निश्चयरूप में कहा जा सकता है कि आद्य रोम निवासियों के सरल स्वभाव, निरपेक्षता, कृपि प्रेम और वाणिज्य तथा लाभ के तीव्रानुसरण के तिरस्कार के कारण ही यह व्यवहार सम्भव हो सका। किस वर्तमान राष्ट्र में तीव्र लोभ, भावों की व्यग्रता, पट्यत्र, निवास का निरंतर परिवर्तन और भाग्य के शाश्वत उलट फेर इस प्रकार की सस्था को सम्पूर्ण राज्य को पलटे बिना बीस वर्षों तक स्थापित रहने देते? वास्तव में इस ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है कि रोम में इस सस्था की त्रुटियाँ, शील और दोषवचन द्वारा, जो इस सस्था से ज्यादा शक्तिशाली थे, मशोषित होती रही और अनेक वनी मनुष्य अपने वैभव का अत्यधिक प्रदर्शन करने के कारण दीनों के इस बग में अवतरित किये जाते रहे।

उपर्युक्त से हम सुगमतापूर्वक समझ सकेंगे कि क्यों पाँच वर्गों से अधिक का कभी उल्लेख नहीं किया जाता, हालाँकि वास्तव में छ वर्ग थे। छठों वर्ग जो न सेना को मैनिक प्रदान करता था और न *Campus martius* को मतदाता, और जो गणराज्य के लिये निरर्थक मात्र था, कोई बहुत महत्त्व का नहीं माना जाता था।

रोम के लोगों के ये विभिन्न भाग हैं। अब हम देखेंगे कि परिपदों में इन भागों का क्या प्रभाव होता था। विधानानुसार समाहृत ये परिपदों कमिटिया कहलाती थीं। इनका अधिवेशन रोम के फोरम में अथवा *Campus martius* में हुआ करता था, और इनके रूप उन तीन प्रकारों के अनुसार थे जिन पर ये विनियमित होते थे, और *Comitia curiata* *Comitia centuriata* और *Comitia tributa* कहलाते थे, *Comitia curiata* रोमुलम द्वारा स्थापित हुई थी, *Comitia centuriata* सवियम द्वारा और *Comitia tributa* लोगों के न्यायरक्षकों द्वारा। कमिटिया द्वारा पारित होने के अतिरिक्त, न किमी विधान को सम्मोदन प्राप्त होता था और न किमी दंडाधिकारी का निर्वाचन हो सकता था, और क्योंकि कोर्ट

१ में "कंपस मार्टियस को" यह शब्द प्रयुक्त करता हूँ, क्योंकि कंपस मार्टियस में *comitia centuriata* का अधिवेशन होता था। अपने दूसरे रूप में सभा फोरम में अथवा किसी अन्य स्थान पर सम्मिलित होती थी, और तब *capite censi* इतना ही प्रभाव और प्रभुत्व प्राप्त करती थी जितना कि प्रमुख नागरिक।

ऐसा नागरिक नहीं था जो किसी न किसी कमिटिया, तथा संचुरिया, अथवा ट्राइव् मे भर्ती न हुआ हो, इसलिए यह स्पष्ट है कि किसी नागरिक को मताधिकार में अव-
र्जित नहीं किया गया था। अर्थात् रोम के लोग जास्तविक रूप में विधानत और
वस्तुतः सार्वभौम-सत्ताधिकारी थे।

कमिटिया का न्यायमग्न अधिवेशन होने के लिये और उसमें किये हुए कार्य को
विधान का बल प्राप्त करने के लिये, तीन गतों की पूर्ति आवश्यक थी, प्रथम कि
जिम निकाय अथवा दंडाधिकारी द्वारा उन्हें नामहन किया जाय, उसमें उस प्रयोजन
के लिये आवश्यक प्रभुत्व विनियोजित होना चाहिये, द्वितीय कि परिपद् का अधिवेशन
किसी ऐसे दिन होना चाहिये जो विधान द्वारा अनुमत हो, तृतीय कि गकुन अनुकूल
होने चाहिये।

पहली शर्त के कारण की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। द्वितीय नीति का
विषय है, कमिटिया का अधिवेशन उत्तमव के दिन अथवा हाट के दिन करना अनुमत
नहीं था, क्योंकि उस दिन ग्रामीण लोग रोम में व्यापार के हेतु आने के कारण दिन को
परिपद् के अधिवेशन में व्यतीत करने का अवकाश प्राप्त न कर सकते थे। तीसरी शर्त
द्वारा शिष्ट सभा अहकारी और उपद्रवी लोगों पर नियंत्रण रखती थी और यशममय
राजद्रोही न्यायशुको की उन्नता को मद करती थी परन्तु राजद्रोही लोग इस निवाय
में मुक्त होने के अनेक मावन खोज लेते थे।

विधान और प्रमुखों का निर्वाचन, केवल यही दो विषय कमिटिया के निणय
के हेतु प्रस्तुत नहीं होते थे। रोम के लोगों द्वारा शासन की सबसे महत्त्वपूर्ण शक्तिया
बहुअधिकृत हो जाने के कारण, यह कहा जा सकता है कि यूरोप के भाग्य का निश्चयन
लोगों की परिपदों में ही होता था। विषयों की उपर्युवन विभिन्नता के कारण परिपदों
के उन विभिन्न प्रकारों को पर्याप्त विस्तार मिल जाता था जो निर्णय हेतु प्रस्तावित
विषयों के अनुसार ये धारण करती थी।

इन विभिन्न प्रकारों का मूल्यांकन करने के हेतु, इनकी तुलना करना पर्याप्त है।
यूरोपियों को स्थापित करने में रोमनस की इच्छा यह थी कि शिष्ट सभा को लोगों द्वारा
और लोगों को शिष्ट सभा द्वारा अवमूद्र किया जाय और सब पर समान प्रभुत्व स्थापित
किया जाय। इसलिए उसने इस मस्या द्वारा लोगों को मस्या का समग्न प्रभुत्व प्रदान
किया ताकि वह शिष्टवर्ग के बल और सम्पत्ति के विरुद्ध अनुचित हो सके। परन्तु
राजतंत्र की प्रवृत्ति के अनुसार उसने फिर भी अधिक नाम शिष्टवर्ग को ही दिया जो
अपने अधिकारों के प्रभाव द्वारा मताधिकार प्राप्त करने में सफल हो सकते थे। आश्रय-

दाताओ और आश्रितो की यह सराहनीय सस्था नीति और मनुष्यत्व की एक अद्वितीय रचना थी, जिसके बिना शिष्टवर्ग जो मघराज्य के स्वभाव के निरतर विपरीत था, निर्वाहित नहीं हो सकता था। केवल रोम को ही विश्व को इस श्रेष्ठ सस्था के प्रदान करने का श्रेय है, इस सस्था का कभी कोई दुरुपयोग नहीं हुआ, परंतु फिर भी इसका कभी अनुमरण नहीं हुआ।

क्यूरिया की परिपद का रूप मर्वियस के तथा राजाओ के समय में भी निर्वाहित रहा, और चूकि अन्तिम Tarquin का राज्य न्यायमगत नहीं माना जाता है, इसलिये साधारणतया राजकीय विधानो को Leges curiatea नाम देकर उनमें भेद किया जाता रहा।

मघराज्य के अतर्गत क्यूरिया की परिपद, जो सदा चार नगरीय ट्राइब्स तक सीमित थी, और जो केवल रोम की जनता को ही अतर्धारण करती थी, शिष्ट सभा और धर्मरक्षको के अनुरूप नहीं होती थी, शिष्ट सभा शिष्ट वर्ग की प्रधान होती थी और धर्मरक्षक निम्नजातीय होते हुए भी मध्यवर्गीय नागरिको के प्रधान होते थे। इसीलिये curia की परिपद निच हो गई और इसकी हीनावस्था में यह स्थिति हो गई कि उसके तीस एकत्रित Lictors ने यह सब कार्य करने आरम्भ किये जो Comitia curiata द्वारा होने चाहिये थे।

Centuries पर आधारित विभाजन शिष्टवर्ग का इतना पक्षपाती था कि सर्वप्रथम हमें यह आश्चर्यजनक लगता था कि जिस कमिटिया का यह नाम था और जिनमें उपराज्यपाल दोपचक्र और अन्य unrule दडाधिकारी निर्वाचित होते थे, उनमें शिष्टसभा सदा प्रभावित क्यों नहीं हो पाती थी। वास्तव में समस्त रोम की जनता के छ वर्गों के १९३ सैचुरी में से अकेले प्रथम वर्ग की ९८ सैचुरी होती थी, और चूकि मतगणना सैचुरी के आधार पर की जाती थी इसलिये अकेले इस प्रथम वर्ग को बाकी अन्य वर्गों से मताधिक्य प्राप्त था। जब सब सैचुरी एकमत होती थी तो मतों का अभिलेखन भी छोड़ दिया जाता था, जो वास्तव में सस्थान्यून द्वारा निर्णीत हुआ था, उसे जनसमूह का निर्णय समझा जाता था, और हम यह कह सकते हैं कि Comitia centuriata में कार्यो का विनियमन मतों के आधिक्य की अपेक्षा मुकुटों के आधिक्य के आधार पर होता था।

परंतु इस अत्यधिक शक्ति का परिमितकरण दो प्रकार में होता था। प्रथम धर्मरक्षक मामान्यत और शिष्टवर्ग की अधिक मख्या सदा धनी श्रेणी में होने के कारण, वे इस प्रथम वर्ग में शिष्टवर्ग के प्रभाव को मनुलित करते थे।

हमरा साधन इसमें वेष्टित था कि मैचुरीज का मत वर्गों के क्रम में लेने की अपेक्षा, जिसके अतर्गत पहला वर्ग सदा आरम्भ में होता था, आरम्भ करनेवाले वर्ग के नाम भाग्यपत्रक द्वारा निश्चित किया जाता था,^१ और केवल यही अकेला वर्ग निर्वाचन कार्य सम्पन्न करता था, तदनन्तर सब मैचुरियाँ अपने क्रम के अनुसार किमी अन्य दिन आहूत होकर निर्वाचन को प्रचलित करती थी और माधारणतः पुष्ट करती थी। इस प्रकार प्रजासत्र के सिद्धांत के अनुसार, नेतृत्व की शक्ति क्रम में हटाकर भाग्यपत्रक द्वारा प्रदत्त की जाने लगी।

उपर्युक्त व्यवहार ने एक और लाभ फलित हुआ, ग्राम्य क्षेत्र के नागरिकों को दो निर्वाचनों के मध्य अस्थायी रूप में निर्वाचित हुए पदाभिलाषी के गुण दोषों के मन्त्र में पूरी जानकारी प्राप्त करने का समय उपलब्ध होने लगा, जिसमें वे अपने मत तथ्यों के आधार पर अभिलिखित करने लगे। परन्तु त्वरता के वहाने में, इस व्यवहार को समाप्त कर दिया गया, और दोनों निर्वाचन एक ही दिन होने लगे।

कमिटिया *tributa* वास्तव में रोम के लोगों की सभा थी। इसका आमंत्रण केवल न्याय-रक्षकों द्वारा किया जाता था, और इसमें न्याय-रक्षकों का निर्वाचन होता था और उनके *plebiscite* को पारित किया जाता था। इस सभा में शिष्ट सभा का कोई अस्तित्व नहीं था, शिष्ट सभा को इसमें उपस्थित होने तक का अधिकार नहीं था, इस प्रकार जिन विधानों पर वे अपना मत नहीं दे सकते थे उन विधानों का भी अनुपालन करने को बाध्य होने के कारण, इस आधार पर, शिष्ट सभामें निम्न-तम नागरिक की अपेक्षा कम स्वतंत्र थे। यह अन्याय सर्वथा अव्यवहार कृशाल था और केवल यही उस निकाय के प्रादेशों को असान्य करने की पर्याप्त सिद्ध हुआ जिसमें सब नागरिक उपस्थित नहीं हो सकते थे। यदि सब शिष्टवर्गीयजन इस कमिटिया में नागरिकों के अधिकार के रूप में भाग लेने तो वे सत्त व्यक्तित्व ही होने के कारण मतगणना के ऐसे प्रकार में जहाँ मतों की गणना सन्धानुसार होती थी और जहाँ क्षुद्रतम निम्नवर्गीय शिष्ट सभा के प्रमुख जितनी शक्ति को प्राप्त कर सकता था, बहुत प्रभाव नहीं डाल सकते थे।

१ यह संचुरिया, इस प्रकार भाग्यपत्रक में चुने जाने पर, *prærogativa* कहलाती थी, क्योंकि सर्वप्रथम इसका मत माँगा जाता था। इसी से शब्द *prærogative* प्राप्त हुआ।

इसलिये हम देखते हैं कि इतने बड़े राष्ट्र के मतों को एकत्रित करने के हेतु विभिन्न भागों का जो क्रम मस्थापित किया गया, उसके अतिरिक्त इन भागों को किसी ऐसे आकार में बद्ध नहीं किया गया जो स्वतः निरपेक्ष हो, बल्कि प्रत्येक भाग से उसके निर्माण के अन्तर्निहित अभिप्रायों को प्रत्यक्षतः प्राप्त किया गया।

उपर्युक्त तत्व का अधिक विस्तार से विवेचन न करते हुए भी, पूर्ववर्ती व्याख्या में यह निश्चित है कि *Comitia tributa* शासन के ओर *Comitia centuriata* शिष्ट जनराज्य के अधिक अनुकूल थी। जहाँ तक *Comitia curiata* का संबंध है, जिसमें केवल रोम की जनता का मस्याधिक्य था, क्योंकि यह जनता अत्याचार और दृष्ट प्रयोजनों के ही अनुकूल होती थी, इसलिये इस कमिटिया का अप्रतिष्ठित स्थिति में अवतीर्ण हो जाना न्यायमगत ही था, बाह्य राजद्रोही स्वतः। ऐसे साधन में विलग रहे जहाँ उनकी योजनाएँ प्रत्यक्षतया प्रकट हो जाती। यह निश्चित है कि रोम के लोगों की सम्पूर्ण आशा केवल *Comitia centuriata* में ही प्रदर्शित होती थी, क्योंकि केवल यह कमिटिया ही सम्पूर्ण थी, *Comitia curiata* में ग्रामीय ट्राइब्स की ओर *Comitia tributa* में शिष्ट सभा तथा शिष्टवर्गीय लोगों की अनुपस्थिति रहती थी।

आद्य रोम निवासियों में मत अभिलेखन की रीति उतनी ही सरल थी जितनी उनकी अन्य प्रथाएँ, परन्तु फिर भी स्पार्टा में कम सरल थी। प्रत्येक व्यक्ति अपने मत को ऊँची ध्वनि में प्रदर्शित करता था, और अभिलेखक इसे पंजी में दर्ज करता था। प्रत्येक ट्राइब के मताधिक्य से ट्राइब का मत निश्चित किया जाता था, ट्राइब्स के मताधिक्य द्वारा लोगों का मत निर्णीत किया जाता था, और यही प्रथा क्यूरी और सैचुग्री में अनुमार्जित होती थी। यह व्यवहार तब तक ठीक था जब तक नागरिकों में मत्पता व्याप्त थी और प्रत्येक व्यक्ति अपने मत का मार्जजनिम रूप में किसी अन्यायपूर्ण कृत्य के लिये अथवा अयोग्य मनुष्य के लिये अभिलिखित करने में शर्म अनुभूत करता था परन्तु जब लोग भ्रष्ट हो गये और मत क्रय किये जाने लगे, तो यह आवश्यक हुआ कि मतों का अभिलेखन गुप्त रूप में किया जावे ताकि क्रयकर्ताओं पर सदेह का नियंत्रण रहे और धूर्तों का राजद्रोही बनने का अवसर न मिले।

मैं जानता हूँ कि मिसरो इस परिवर्तन को दोषपूर्ण कहता है और उसका उगत कारण मध्यराज्य की अवनति को बताता है। परन्तु उस विषय में, मिसरो के अधिकार का बल अनुभूत करने हुए भी, मैं उसके मत को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। इसके

विपरीत मेरी यह मान्यता है कि इस प्रकार के पर्याप्त परिवर्तन न करने के कारण राज्य का विनाशक्रम वेगशील हुआ। यथा स्वस्थ व्यक्तियों के पथ्य नियम रोगियों के अनुपयुक्त होते हैं, उसी तरह भ्रष्ट लोगों को उन विधानों के अंतर्गत, जो उत्तम राज्य के अनुकूल हैं प्रशासित करने की चेष्टा करना अवाञ्छनीय है। इस युक्ति को वेनिम के गणराज्य की अपेक्षा कोई और दृष्टांत अधिक तथ्यत मित्र नहीं करता है, अब इस गणराज्य का आकारमान रह गया है, क्योंकि इसके विधान कुचेष्ट मनुष्यों के अनिश्चित किमी और के उपयुक्त नहीं हैं।

इसलिये नागरिकों में गोलिया वितरित की जाने लगी जिनके आधार पर प्रत्येक अपने निर्णय को गुप्त रखते हुए अपना मतदान कर सके। गोलियों को एकत्रित करने के लिये, मतों की गणना करने के लिये, और मर्यादा की तुलना करने इत्यादि के लिये नवीन आवेप मस्थापित हुए। परन्तु इसमें भी इन कार्यों को करनेवाले पदाधिकारियों की ईमानदारी पर सदेहागोपण समाप्त नहीं हुआ। अतः में, पड़्यत्रों और मतों के त्रय-वित्रय को रोकने के लिये, कुछ राजघोषणाएँ की गईं जिनकी मर्यादा उनकी निश्चयकता को मित्र करती हैं।

अन्तिम वर्षों में, विधानों के दोषों की पूर्ति के हेतु, उन्हें बहुधा असाधारण उपकरणों का अवलंबन करना पडा। कभी कभी विलक्षण गुणों का यहाँना किया जाता था परन्तु यह तरीका, जो लोगों को प्रभावित कर सकता था, उन पर जो प्रयासन करने से बहन प्रभावकारी नहीं हुआ। कई बार परिपद् का अधिवेशन पदाभिलाषियों को मतार्थन का समय देने के पूर्व ही शीघ्रता से आमत्रित कर लिया जाता था। कभी कभी, जब ऐसा आभास होता था कि लोग दोषों प्रस्ताव को पारित करने के लिये उद्यत करगये जा चुके हैं ममन्त अधिवेशन चर्चा में ही समाप्त कर दिया जाता था। परन्तु अतः में प्रबल इच्छाओं ने मत्र वस्तुओं को अपवचित किया, और यह अविश्वमनीय प्रतीत होता है कि इनने भारी दोषों के मध्य यह महान् राष्ट्र अपनी प्राचीन मस्थाओं के अनुग्रह से दहाधिकारियों को निर्वाचित करने, विधानों को पारित करने, प्रकरणों को निर्णान करने और मार्दजनिक और वैयदितक कार्यों को लगभग उतनी ही मरलता से निष्पान्त करने में जितनी शिष्ट मभा म्वन कर सकती थी कभी पर्यवसित नहीं हुआ।

परिच्छेद ५

धर्मरक्षकता

जब राज्य के सघटक भागो मे निश्चित सबध प्रतिष्ठापित नही किया जा सकता, अथवा जब अविनाशी कारण इन सबधो को निरन्तर परिवर्तित करते रहते हो, तो एक विशिष्ट दंडाधिकार मस्थापित किया जाता है जो अन्यो में समाविष्ट नही किया जाता, वल्कि जो प्रत्येक मर्यादा को अपने सत्य सबधो मे पुन स्यापित करता है, और शासनाधिकारी और लोगो के बीच, अथवा शासनाधिकारी और सार्वभौमिक सत्ता के बीच, अथवा आवश्यकतानुसार एक साथ ही उपर्युक्त दोनो के बीच, एक सम्पर्क अथवा मध्यस्थ मर्यादा निर्मित करता है।

यह निकाय, जिसको मैं धर्मरक्षकता कहूँगा, विधानो का और विधायी शक्ति का परिरक्षक होता है। कभी कभी यह सार्वभौमिक सत्ता की शासन के विरुद्ध रक्षा करने में सहायक होता है, यथा रोम मे लोगो के धर्मरक्षको ने किया था, कभी कभी यह शासन का लोगो के विरुद्ध समर्थन करता है, यथा वेनिस में दमो की सभा अब कर रही है, और कभी कभी यह एक तथा दूसरे भाग में साम्य मधृत करता है, जैसे स्पार्टा मे ऐफर्म ने किया था।

धर्मरक्षकता राज्य का मघटक भाग नही होता, और विधायी तथा अधिशामी शक्ति मे इसका कोई अश नही होना चाहिये, परन्तु इसी कारण धर्मरक्षकता की महानतम शक्ति होती है। क्योकि स्वय कुछ न कर सकते हुए भी यह सब कार्या को निवारित कर सकती है। शासनाधिकारी, जो विधानो को कार्यान्वित करता है, और सार्वभौमिक सत्ताधिकारी, जो विधानो को निर्मित करता है, की अपेक्षा विधानो के परि-
रक्षक होने के कारण यह अधिक पवित्र और अधिक आदरणीय है। रोम मे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध हुआ, जब अहकारी गिाटवर्गीय, जो ममस्त लोगो को मदा

धृणा की दृष्टि में देखते थे, लोगों के एक ऐसे मरल पदाधिकारी के समक्ष, जिसे न कोई तत्वाविधान और न कोई अधिकार-क्षेत्र उपलब्ध था, नमने को बाध्य हुए थे।

बुद्धियुक्त अनतिशील धर्मरक्षकता अच्छे शक्तिविधान का प्रबलतम समर्थनरूप होती है, परन्तु यदि इसकी शक्ति में न्यूनतम भी अतिरिक्त घटित हो जाय तो यह प्रत्येक वस्तु को उलट देती है, जहाँ तक निर्बलता का सम्बन्ध है, वह इसमें स्वभाव में ही नहीं होती, और यदि इसमें कुछ भी शक्ति निहित हो, तो यह शक्ति जितनी होनी चाहिये उसमें कभी न्यून मिश्र नहीं होती।

जब धर्मरक्षकता अधिशासी शक्ति के मयतकर्ता होने के वजाय उस पर बलाधिकार प्राप्त कर लेती है अथवा जब यह विधानों को, जिन्हें इसे केवल प्रतिरक्षित करना चाहिये, निर्माण करने की इच्छुक हो जाती है, तो यह अत्याचार में विह्वलित हो जाती है। ऐफर्स की महान शक्ति, जो उस समय तक, जब तक स्पार्टा अपनी नीति पर स्थापित रहा, भयरहित थी, भ्रष्टाचार आरम्भ हो जाने पर केवल इसे ही प्रोत्साहित करने में सहायक हुई। इन अत्याचारियों द्वारा हत एजिम के स्वतन्त्रता का बदला उसके उत्तराधिकारी द्वारा लिया गया, परन्तु इस अपराध तथा ऐफर्स का दृष्टि होना दोनों ने मघराज्य के पतन को शीघ्रगामी किया, और Cleomenes के अनन्तर स्पार्टा का कोई महत्त्व नहीं रहा। रोग भी इसी प्रकार विनष्ट हुआ, और धर्मरक्षकों की प्रादेश द्वारा अनधिग्रहीत अत्यधिक शक्ति अतः स्वतन्त्रता के रक्षण हेतु बनाये हुए विधानों की सहायता में, उसे विनष्ट करनेवाले सम्राटों का ढाल मात्र बन गई। जहाँ तक बैनिम की दशम मभा का संबंध है, यह तो स्वतन्त्रता की धर्ममभा है जो शिष्ट वर्ग और लोग दोनों को भयावह है और जो विधानों को दृढ़ता में परिरक्षित करने की अपेक्षा विधानोंके पतन के समय में केवल गुप्त आघातों का एक साधन मात्र बन जाती है जिसकी मनुष्य चर्चा तक करने का साहस नहीं कर सकते।

शामन के समान, धर्मरक्षकता भी, मरुत्यों की मरुत्यों वृद्ध जानने के कारण, निर्दल हो जाती है। जब रोम के लोगों के धर्मरक्षक, सर्वप्रथम मरुत्यों में दो, और नदनतर पाँच, अपनी मरुत्यों को द्विगुणित करने के इच्छुक हुए, तो शिष्ट मभा ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी क्योंकि शिष्ट मभा को विश्वास था कि एक मरुत्यों द्वारा हमारे को नियंत्रित किया जा सकता है और घटित भी ऐसा ही हुआ।

उत्तरे प्रबल निकाय को बलाधिकार में निवारित करने का उत्तम साधन यह होगा—इस साधन को अभी तक किसी शामन ने प्रयुक्त नहीं किया है—कि इस निकाय

को स्थायी न बनाया जाय, परन्तु कुछ ऐसे मध्यतर निश्चित किये जाएं जिनमें यह निलंबित रहे। इन मध्यतरो का, जो इतने दीर्घ नहीं होने चाहिये कि दोष सस्थापित हो सके, निश्चयन विधान द्वारा इस प्रकार किया जा सकता है कि आवश्यकता के अनुसार असाधारण आयोगो द्वारा उन्हें सक्षिप्त करना सरल हो सके।

मुझे उपर्युक्त रीति आपत्तिरहित प्रतीत होती है, क्योंकि जैसे मैं पहिले कह चुका हूँ, धर्मरक्षकता सविधान का अंग न होने के कारण बिना अहित के लुप्त की जा सकती है, और मुझे यह रीति बहुत फलोत्पादक प्रतीत होती है, क्योंकि नवनियुक्त दडा-धिकारी अपने पूर्वाधिकारी की शक्ति से कार्यारभ नहीं करता, परन्तु विधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का ही प्रयोग करता है।

परिच्छेद ६

एक शास्त्रत्व

विधानों की अनानस्यता, जो उनको मकटकालीन स्थितियों के अनुरूप बनने में बाधक होती है, किन्हीं दिशाओं में उन्हें सर्वथा प्रणायी बना देती है, और इस कारण मकटकाल में राज्य के विनाश का कारण बन जाती है। प्रकाशों का भ्रम तथा मद्रता समय के इतने अनुर की माँग करते हैं कि परिस्थितियाँ कभी कभी ऐसा होने ही की अनुभूति नहीं देती। महत्त्व ऐसे प्रकरण स्थापित हो सकते हैं जिनका विधिवर ने पूर्वावधान न किया हो, और यह धारणा कि प्रत्येक वस्तु की पूर्वकल्पना नहीं हो सकती दृग्दृशिता का एक आवश्यक अंग है।

इसलिए हमें राजनीतिक समस्याओं को इतनी दृढ़ता से स्थापित करने की इच्छा नहीं करनी चाहिये कि उनके प्रभाव को निलंबित करना सम्भव ही न रहे। स्पष्टता तक ने अपने विधानों को निष्क्रिय बनाने की सम्भावना गयी थी।

परन्तु सार्वजनिक भ्रम को परिवर्तित करने के भय को केवल असाधारण मकट ही उद्भासित कर सकते हैं और अनिश्चित उस परिस्थिति के जब देश की सुरक्षा ही मकट में पड़ जाये विधानों के पवित्र बल में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। उपर्युक्त विग्लो तथा प्रत्येक परिस्थितियों में, सार्वजनिक भ्रम का प्रावधान एक विधिगत कृत्य द्वारा किया जाता है। जिसके अन्तर्गत समस्त भाग योग्यतम मनुष्य पर चलाया जाता है। भय के प्रकार ने अनुसार ही यह आयोग दो नीतियों में प्रतिपादित किया जाता है।

यदि उपर्युक्त दोष को निवारित करने के लिये शासन के कार्यों में संशुद्धि बन देना पर्याप्त हो, तो हम उसे एक अथवा दो सामक्रीय सदस्यों में संकेन्द्रित कर सकते हैं। उस दशा में विधानों के प्रभुत्व में परिवर्तन नहीं होता परन्तु उनके प्रयोजन के प्रकार में ही परिवर्तन होता है। परन्तु यदि भय इस प्रकार का हो कि विधानों की नियमित

विधा ही हमारे क्षेम के प्रति बाधक हो जाय, तो एक वरिष्ठ प्रमुख मनोनीत किया जाता है जिसे सपूर्ण विधानों को अवरुद्ध करने और सार्वभौमिक सत्ता को अल्पकाल के लिये स्थगित करने तक का अधिकार होता है, उस दशा में सर्वसाधारण प्रेरणा सशयात्मक नहीं रहती, और यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि लोगों की प्राथमिक अभिलाषा यह है कि राज्य विनष्ट न हो जाय। इस प्रकार विधायी शक्ति के निलवन में इसकी समाप्ति निहित नहीं होती, जो दंडाधिकारी इसे मूक करता है वह इसे वाणी नहीं दे सकता, वह इसका प्रतिनिधित्व करने की शक्ति प्राप्त किये बिना ही इसका प्रभु होता है वह प्रत्येक कार्य कर सकता है परन्तु विधान नहीं बना सकता।

प्रथम रीति का प्रयोग रोम की शिष्ट सभा द्वारा किया गया था जब कि उसने उपराज्यपालों को एक पावन सूत्र द्वारा गणराज्य के क्षेम का प्रावधान करने के लिये भारित किया था। द्वितीय रीति उस समय प्रयुक्त हुई थी जब दोनों उपराज्यपालों में से एक ने शासता को उम प्रथा के अन्तर्गत 'मनोनीत किया' जिसका पूर्व प्रमाण रोम में आल्बा द्वारा स्थापित हुआ था।

गण राज्य के आरम्भ में एकशास्त्रत्व का उपश्रयण बहुधा किया जाता था, क्योंकि तब तक राज्य की अपने मविधान के बल पर स्वत को मवृत करने के हेतु पर्याप्त दृढ़ नीच नहीं बनी थी।

सार्वजनिक सदाचरण के कारण उम समय अनेक ऐसी मावधानियाँ अनावश्यक थी जो अन्य समय में आवश्यक हो सकती थी, कोई एकशासता अपने प्रभुत्व का दुष्प्रयोग करेगा, अथवा मर्यादा के परे अपने प्रभुत्व को प्रतिधारित करने की चेष्टा करेगा, इसका कोई भय ही न था। इसके विपरीत ऐसा लगता था कि इतनी अधिक शक्ति उम व्यक्ति के लिये जो इसमें मज्जित होता था, भार स्वरूप होगी क्योंकि वह अपने आप को इसमें शीघ्रतया पृथक् करने की ही चेष्टा करता था, जैसे कि विधानों का स्थान प्राप्त करना अति दुष्कर और अति भयानक पद होता हो।

इसलिए इसके दुष्प्रयोग की अपेक्षा इसके पतन के भय के कारण ही म आद्यकाल में इस वरिष्ठ दंडाधिकारता के अविवेकी प्रयोग की समालोचना करता हूँ। क्योंकि जब तक इसका मवत प्रयोग निर्वाचनों, ममर्षणों और शुद्ध औपचारिक कार्यों तक ही मीमित रहा, तब तक यह भय लगा रहा कि आवश्यकता के समय में इसे कम महत्त्वपूर्ण

१ यह मनोनयन रात्रि को और गुप्त रीति से किया गया था, मानो वे किसी एक मनष्य को विधानों के ऊपर स्थित करते हुए स्वयं लज्जित थे।

न ममझा जाय और लोग इसे एक ऐसी थोधी पदवी के रूप में जिमका प्रयोग मारहीन उन्मवो मे ही होता है अवलोकित करने के अभ्यस्त न हो जाँय ।

गणराज्य के अतकाल में, रोम निवासियों के अधिक मर्तक हो जाने से, अकारण ही एकशास्त्रत्व का प्रयोग उतना ही कम किया जाने लगा जितना कि पूर्व में आधिक्यसे किया जाता था । यह अवलोकन करना सुगम है कि उनका एक शास्त्रत्व के प्रति भय विलकुल निराधार था, कि राजधानी की दुर्वलता उन दडाधिकारियों के विरुद्ध, जो राजधानी में पदामीन थे, पर्याप्त प्रन्याम रूप थी, कि विशिष्ट परिस्थितियों में एक शासता मार्वा-जनिक स्वतंत्रता को आत्रमित करने की अपेक्षा पंग्रिक्षित करने में सहायक हो सकता था, और कि रोम के वधन स्वतः रोम में ही बल्कि उसकी सेनाओं में निर्मित हो रहे थे । जो न्यून रोव मरियम मिला के विरुद्ध और पीम्पी सीजर के विरुद्ध कर सका उममे स्पष्ट विदित था कि आन्तरिक प्रभुत्व वाह्य बल के विरुद्ध कितना प्रभावशील हो सकता है ।

इस विभ्रम के कारण उनसे महान् गलतियाँ हुईं, उदाहरणार्थ, कॅटलीन के प्रकरण में किसी एक-शासता को नियुक्त न करना । क्योंकि केवल नगर के अन्दर अथवा अत्यन्त डटली के सीमित क्षेत्र का ही प्रश्न था, इसलिए एक-शासता विधानों द्वारा प्रदत्त अभीमित शक्ति द्वारा सुगमता से पड्यत्र को भग्न कर सकता था, जो केवल ऐसी मुन्दर घटनाओं के मयोजन द्वारा दमन हो सका जिमकी कल्पना मानुषिक बुद्धि कभी नहीं कर सकती थी ।

उपर्युक्त नीति अपनाते की अपेक्षा शिष्ट मभा ने अपनी सपूर्ण शक्ति को उपराज्यपालों में प्रन्यस्त करना मतोपप्रद महसूस किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रभावी कार्य करने के लिये मिमरो को एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर अपने प्रभुत्व का अनिरेक करने को बाध्य होना पडा, और यद्यपि प्रसन्नता के प्रथम परिवहन में उसका आचार अनुमोदित हो गया, परन्तु तदनंतर विधानों के विपरीत नागरिकों का स्वतः बहाने के लिये उमे न्यायत प्राभियोजित किया गया, यह तिरस्कार एकशामता के प्रति नहीं किया जा सकता था । परन्तु उपराज्यपाल की वक्तृत्व शक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति विजित हो गया और स्वयं नेमन होते हुए, उमने देय के हित की अपेक्षा अपनी निजी प्रसिद्धि को अधिमान्य करके राज्य को बचाने के निश्चिततम और नैयायिकतम माधनों को ग्ज करने के बजाय उमने ऐसी नीति को अपनाया जिममें इन घटना का

समस्त यश अपने लिये प्राप्त कर सके ।^१ इसलिए यह बिलकुल न्यायसगत है कि रोम के मुक्तिदाता के रूप में उसका आदर हुआ और विधानो के आक्रमणकारी के रूप में वह दंडित हुआ । उसका प्रत्यावर्तन देदीप्यमान होते हुए भी वास्तव में वह एक क्षमादान ही था ।

अपरच, इस महत्वपूर्ण आयोग का प्रदान किसी रीति से भी किया जाय, यह आवश्यक है कि इसकी अवधि एक बहुत लघु सीमा तक निश्चित हो जिसे लवित करना संभव न हो सके, जिन सकटावस्थाओ में यह आयोग प्रकट होता है राज्य जल्दी ही विनष्ट अथवा सुरक्षित हो जाता है, और अविलंबनीय आवश्यकता समाप्त हो जाने के अनन्तर, एकशास्त्रत्व अत्याचारपूर्ण अथवा निरर्थक हो जाता है । रोम में एकशासता की अवधि केवल छ मास थी, और इस अवधि के समाप्त होने के पूर्व ही सख्याधिक्य ने पदत्याग किया । यदि अवधि अधिक दीर्घ होती, तो संभवतः इसे और अधिक बढ़ाने के लिये वे प्रलोभित होते, जैसे द्वादशो ने अपनी एक वर्ष की अवधि को बढ़ाया था । एकशासता को केवल उस आवश्यकता की पूर्ति करने भर का समय मिल सका जिसके कारण उसका निर्वाचन हुआ था, अन्य योजनाओ के संघर्ष में विचार करने का उसे समय ही नहीं मिला ।

१ एकशासता का प्रस्ताव करने में उसे यह संतोष नहीं हो सकता था, वह अपना नाम निद्विष्ट नहीं कर सकता था और उसे यह विश्वास नहीं हो सकता था कि उसका साथी उसे मनोनीत करेगा ।

परिच्छेद ७

दोषवेचना

यथा सर्वसाधारण प्रेरणा की उद्घोषणा विधान द्वारा होती है उसी प्रकार जनमत की घोषणा दोषवेचना द्वारा होती है। जनमत विधान का एक प्रकार है जिसका दोषवेचक प्रणामी अधिकारी होता है और गामनाधिकारी की भाँति वह इसे विशिष्ट दशाओं में ही प्रयोग करता है।

इसलिए दोषवेचकण लोगों के मत के विवेचक होने की अपेक्षा केवल उद्घोषक होते हैं, और ज्योंही यह उपर्युक्त स्थिति से विचलित हो जाते हैं, उनके निर्णय विफल और प्रभावहीन हो जाते हैं।

किसी राष्ट्र के चरित्र और उसकी मान्यता के प्रयोजनों में अंतर करना निरर्थक है, क्योंकि ये मपूर्ण वस्तुएँ समान सिद्धान्त पर आधारित होती हैं और आवश्यक रूप में सम्मिश्रित होती हैं। विश्व के मपूर्ण राष्ट्रों में, स्वभाव नहीं, परन्तु मत ही प्रमादों के वर्णन को निर्णीत करता है। मनुष्यों के मत को मुद्धार दीजिये, और उनकी रीतियाँ स्वतः विशुद्ध हो जायेंगी। लोग सदा उसे पसन्द करने हैं जो औचित्यपूर्ण हो अर्थात् जिसे वे औचित्यपूर्ण समझे, और इस समझ में वे गलती कर देते हैं, इसलिये प्रश्न यह है कि उनकी समझ को ठीक निर्दिष्ट करना चाहिये। जो रीतियों का निर्णय करता है वह मान का निर्णय भी करता है। और जो मान का निर्णय करता है वह अपना विधान मत द्वारा प्राप्त करता है।

राष्ट्र का मत उसके मविधान में उन्नत होता है, यद्यपि विधान शील का नियमन नहीं करता, तथापि विधायीकरण उसकी उत्पत्ति करता है। जब विधायीकरण क्षतिग्रस्त हो जाय तो शील भी भ्रष्ट हो जाता है, परन्तु उस दशा में दोषवेचकों का निर्णय वह कार्य नहीं कर सकता जो विधानों की शक्ति ही करने में अनफ़ट रही।

इससे यह सिद्ध है कि दोपवेचना शील को परिरक्षित करने में लाभप्रद होती है इसे पुन प्राप्त करने में नहीं। जब विधान ओजस्वी हो उस समय दोपवेचको का पस्थापन करना चाहिये, क्योंकि ज्योही उनकी शक्ति लुप्त हो जाती है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। जब विधान ही अपने बल को खो बैठे हो, तो कोई अन्य वस्तु विधानसगत होने के कारण बल प्राप्त नहीं कर सकती।

मतों को भ्रष्ट होने से निवारित करके, बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयुक्तियों द्वारा उनकी पवित्रता को परिरक्षित करके, कभी कभी जब वे अनिश्चित हो तो उन्हें निश्चित करके, दोपवेचना शील को समर्थित करती है। द्बन्दों में द्वितीयो का प्रयोग जो फ्रांस राज्यों में उन्मत्त चरमीमा तक बढ गया था, राजा के प्रादेश में निहित इन सरल शब्दों द्वारा समाप्त हो गया—“जहाँ तक उन कायरो का सबध है जो द्वितीयो को नियुक्त करते हैं।” सार्वजनिक निर्णय की पूर्वविधारणा करनेवाले इस निर्णय से तुरन्त फैसला हो गया। परन्तु जब इन प्रादेशों ने यह उद्घोषित करना चाहा कि द्बन्द गृह्य करना भी कायरता है, जो सर्वथा सत्य है, परन्तु साधारण मत के विपरीत है, तो जनता ने इस फैसले का उपहास किया, क्योंकि इस विषय पर इसका अपना निर्णय पहले ही बन चुका था।

मैं एक अन्य स्थान पर कह चुका हूँ कि चूँकि जनमत का निबाध नहीं हो सकता इसलिये जनमत का प्रतिनिधित्व करने के लिये जो वर्ग स्थापित किया जाय उसमें निबाध का अवशेष नहीं होना चाहिये। आधुनिक लोगों में पूर्णतया विलुप्त इस बल का सचार रोम के लोगों में, और उससे भी अधिक सुन्दर रीति सेल सेडोमिम में, किस कलात्मक ढग से होता था, उसकी हम जितनी अधिक प्रशंसा करें थोड़ी है।

स्पार्टा की सभा में एक अच्छा प्रस्ताव किसी दुश्चरित्र मनुष्य द्वारा सस्थापित किये जाने पर एफर्म ने उसे बिना देखे उसी प्रस्ताव को एक अन्य धर्मपरायण नागरिक द्वारा प्रस्तावित कराया था। दोनों को प्रशंसित अथवा तिरस्कृत किये बिना ही एक को कितना आदर और दूसरे को कितना कलक प्राप्त हो गया। सामोस के कुछ शरावियों ने एफर्म की धर्मसभा को अनादरित कर दिया, अगले ही दिन एक

१ इस परिच्छेद में केवल इस विषय को दर्शाता हूँ जिसका मैंने अधिक विस्तार से Letter to M d' Alembert में विवेचन किया है।

२ ये लोग किसी और द्वीप के रहनेवाले थे, परन्तु हमारी भाषा की सुकुमारता इस अवसर पर इस द्वीप का नाम अकित करने से हमें रोकती है।

मार्वजनिक प्रादेश द्वारा सामोस के लोगो को गन्दा रहने की अन्य आज्ञा प्रदान हो गयी । कोई वास्तविक दड इस मुक्ति जैसा मख्त नही हो सकता या । जब स्पार्टा यह उद्घोषित करता था कि कौन कृत्य मम्माननीय अथवा इसके विपरीत है तो यूनान देश उसके निर्णयो के विरुद्ध पुनर्विचार की कोई प्रार्थना नही करता था ।

परिच्छेद ८

सामाजिक धर्म

आरभ में ईश्वर के अतिरिक्त मनुष्यो का कोई राजा नहीं था, और ईश्वरतन्त्र के अतिरिक्त कोई शासन नहीं था । वे कैलीक्यूला के समान तर्क करते थे, और उस समय उनका तर्क भी न्यायसगत होता था । अपने ही एक साथी को स्वामी के रूप में गृहण करने का सकल्प करने और यह सतोप प्राप्त कर सकने के लिये कि ऐसा करने से उनका भला होगा, मनुष्य को अपनी भावनाओं और विचारों को बहुत देर तक बदलना आवश्यक है ।

केवल इस परिस्थिति से कि राजनीतिक समाज का प्रमुख ईश्वर होता था, यह प्रत्यक्ष है कि जितने राष्ट्र थे उतने ही ईश्वर होने चाहिये । दो राष्ट्र, जो एक दूसरे से विभिन्न हैं और प्रायः सदा शत्रु हैं, एक ही स्वामी को दीर्घकाल तक स्वीकार नहीं कर सकते थे । युद्धरत दो सेनाएँ एक ही नेता का आज्ञापालन नहीं कर सकती थी । इसलिए राष्ट्रों के विभाजन का परिणाम अनेक ईश्वरवाद हुआ और इससे आध्यात्मिक और सामाजिक असहिष्णुता स्थापित हो गयी, प्रकृतित उपर्युक्त दोनों एक ही है जिमका वाद में निरूपण किया जायगा ।

गीक लोगों की यह मायावी धारणा कि असम्य लोगों के मध्य वे अपने ही देवताओं को मान्य करते थे, इसलिए कल्पित हुई कि वे अपने आपको उन लोगों का स्वाभाविक सावंभौम सत्ताधिकारी मानते थे । परन्तु आधुनिक काल में ऐसा ही हास्यास्पद पाण्डित्य विभिन्न राष्ट्रों के देवताओं की सारूपता पर आधारित है, अर्थात् इस बात पर कि Moloch, Saturn & Chonos एक ही ईश्वर के नाम हैं अथवा Phoenician लोगों का Baal, Greek लोगों का Zeus, और रोमन लोगों का जुपिटर एक ही है, गोया विभिन्न नाम धारण करनेवाले काल्पनिक जीवों में कोई ममानता हो सकती है ।

परन्तु यदि यह प्रश्न किया जाय कि ईसाइयत के पूर्वकाल में जब प्रत्येक राज्य अपनी अलग पूजा और अपना अलग ईश्वर धारण करता था, क्यों धार्मिक युद्ध नहीं हुए, तो मेरा उत्तर होगा कि इसका उपर्युक्त ही कारण है, क्योंकि प्रत्येक राज्य अपने शासन की तरह पूजा का विशिष्ट प्रकार धारण करते हुए अपने विधानों को अपने देवताओं में विभिन्न नहीं मानता था। राजनीतिक युद्ध धार्मिक भी होते थे, ऐसा कहना चाहिये कि देवताओं के विभाग राष्ट्रों की सीमा से निर्धारित होते थे। एक राष्ट्र के देवता अन्य राष्ट्रों पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं करते थे। मूर्तिपूजकों के देवता ईर्ष्या नहीं होते थे, उन्होंने विश्व का साम्राज्य आपस में विभाजित कर लिया था। मोजेज और यहूदी राष्ट्र भी कभी कभी इस विचार को अनुमोदित करते थे क्योंकि वह इजराइल के देवता का उल्लेख करते थे। यह सत्य है कि वे केननाइट के देवताओं को महत्त्वपूर्ण नहीं मानते थे, क्योंकि वह राष्ट्र वहिष्कृत और विनाशकारी था, जिसके देश को यहूदी स्वयं प्राप्त करना चाहते थे, परन्तु उन पड़ोसी राष्ट्रों के देवताओं का, जिन पर आक्रमण करना उनके लिये निषिद्ध था, वे निम्न प्रकार उल्लेख करते थे Jephthan ने Ammonites को कहा "तुम्हारे देवता चामोस के स्वामित्व की वस्तु क्या वह नैयायिक रूप से तुम्हारी नहीं है? ममान उपाधि में जिन क्षेत्रों को हमारे विजेता देवता ने अवाप्त कर लिया वे हमारे हो गये हैं।" मेरी यह मान्यता है कि उपर्युक्त कथन में चामोज के अधिकार और इजराइल के देवता के अधिकारों में अधिमानित समारंभता निहित है।

परन्तु जब यहूदियों ने बैन्युल्न के राजा और तदनन्तर सीरिया के राजाओं के अधीन हो जाने पर अपने देवता के अतिरिक्त किसी अन्य देवता को स्वीकार करने में हठपूर्वक इनकार किया तो विजेता द्वारा उम इनकार को गजब्रोह मानकर

१. उपर्युक्त पाठ बलोट का है। पेयर दि कारिये ने इसका नियमानुसार अनुवाद किया है "क्या तुम्हारी यह मान्यता नहीं है कि जो तुम्हारे देवता चामोस के स्वामित्व में हैं उसे प्राप्त करने का तुम्हारा अधिकार है?" मैं ह्यूबरो के पाठ के ठीक अर्थ में अनभिन्न हूँ परन्तु मैं यह देखता हूँ कि बलोट जैव्या ने देवता चामोस के अधिकार को निश्चित रूप से मान्य किया है और फ्रासीसी अनुवादक ने इन स्वीकृति को "तुम्हारे मतानुसार" यह शब्द जो लंडिन में नहीं है, जोड़कर दुर्बल कर दिया है।

उन पर उत्पीडना की बौछार की गयी, जिसका उल्लेख हम उनके इतिहास में पढते हैं और जो ईसाई धर्म से पहले उपद्रवो का एक मात्र उदाहरण है ।^१

इसलिए प्रत्येक धर्मराज्य द्वारा निर्धारित विधानो से अन्य रूपेण आसजित होने के कारण, किसी राष्ट्र को वशीभूत करने के अतिरिक्त परिवर्तित करने का कोई और मार्ग नही था और विजेताओ के अतिरिक्त कोई और धर्मप्रचारक नही होते थे, और विजितो पर अपनी पूजा का आकार बदलने का दायित्व विधान द्वारा आरोपित होने के कारण धर्म परिवर्तन की बात करने के पूर्व विजित करना आवश्यक था । मनुष्य देवताओ के लिये युद्ध करने की अपेक्षा, यथा होमर में, देवता मनुष्यो के लिये युद्ध करते थे, प्रत्येक व्यक्ति अपने देवता से अपने विजय की याचना करता था और नयी वेदियाँ बनाकर उद्घरण होता था । किसी स्थान पर आक्रमण करने से पूर्व रोमन लोग वहाँ के देवताओ को उसे छोड देने के लिये आहूत करते थे और जब उन्होने Tarantins के पास उनके उत्तेजित देवताओ को छोडा तो केवल इसलिये कि वे उन देवताओ को अपने देवताओ के अधीन और अपने देवताओ के प्रति प्रभुभक्ति अर्पित करने के लिये बाध्य मानते थे । उन्होने विजितो के देवताओ को उसी प्रकार स्थिर रहने दिया जैसे उनके विधानो को । राजधानिक जुपिटर के लिये एक मुकुट, बहुधा वे विजितो पर यही उपहार आरोपित करते थे ।

अत में रोम के लोगो द्वारा अपनी पूजा तथा अपने देवताओ को अपने साम्राज्य के साथ साथ विस्तृत कर लिये जाने के कारण, और बहुधा विजितो की पूजा और देवताओ को, सबको नागरिकता का अधिकार अनुदत्त करके, अभिस्वीकृत कर लेने के कारण इस विस्तृत साम्राज्य के राष्ट्र अलक्ष्यत यह अवलोकित करने लगे कि उनके देवताओ और धर्मो की सख्या अधिक और सब जगह समान हो गयी है और यही कारण है कि अत में मूर्तिपूजा को विश्व में एक ही धर्म माना जाने लगा ।

उपर्युक्त दशा में जीसस भूमि पर एक आध्यात्मिक राज्य सम्स्थापित करने को अवतरित हुआ, धार्मिक क्रम को राजनीतिक क्रम से अलग करके इस आध्यात्मिक मगठन ने राज्य की एकता को विनष्ट कर दिया और आन्तरिक विभाजनो को उत्पन्न

१ फोशियो का युद्ध, जिसे पवित्र युद्ध कहा जाता है, वास्तव में धार्मिक युद्ध नहीं था, इसका दृढतम प्रमाण प्राप्त है । इस युद्ध का उद्देश्य दोषियो को दंडित करना था, अविश्वासियो को विजित करना नहीं ।

कर दिया जो निरन्तर ईसाई राष्ट्रों को धोभित करते आ रहे हैं। अन्य विश्व में स्थापित राज्य का यह नवविचार मूर्तिपूजकों के मस्तिष्क में कभी प्रविष्ट न हो सकने के कारण, वे ईसाइयों को मदा वास्तविक राजद्रोही मानते रहे और यह समझते रहे कि दभी अनुवर्तन के आदरणमें यह लोग अपने आपको स्वतन्त्र और वरिष्ठ बनाने का अवसर खोज रहे हैं और चतुरता में उम प्रभुत्व पर बलाधिकार करना चाहते हैं जिसे निर्वलता के कारण वे आदरित करने का वहाना करते हैं। उत्पीडनों का यही कारण है।

जिस बात का मूर्तिपूजकों को डर था वह वास्तव में घटित हो गयी, तब हर चीज का रूप बदल गया, नम्र ईसाइयों ने अपनी ध्वनि बदल दी, और शीघ्र ही यह मिथ्या अन्य विश्व का राज्य इमी विश्व में एक प्रत्यक्ष प्रमुख के अधीन उग्रतम अनियमित राज्यक्रम का रूप धारण कर गया।

परन्तु चूँकि उपर्युक्त राज्य में मदा ही शासनाधिकारी और सामाजिक विधान रहे हैं, इसलिए इम द्विपक्षीय शक्ति के कारण अधिकारक्षेत्र का शाश्वत विरोध उत्पन्न हुआ जिसके परिणामस्वरूप ईसाई राज्यों में एक किमी उत्तम शासन विधि का मस्थापन असंभव हो गया, प्रत्येक व्यक्ति यह समझने में असफल रहा कि उसके लिए राजा का आज्ञापालन करना उचित है अथवा पुणोहित का।

तथापि यूरोप में तथा उसके समीपस्थ क्षेत्रों में भी, अनेक राष्ट्र इम प्राचीन पद्धति को परिरक्षित करने अथवा पुन स्थापित करने के इच्छुक हुए, परन्तु असफल रहे। ईसाइयत का मत्व प्रत्येक वस्तु पर आच्छादित हो गया। आध्यात्मिक पूजा मदा मार्वाभौमिक सत्ताधिकारी की स्वतन्त्रता को प्रतिवारित अथवा पुन स्थापित करती थी, परन्तु राज्य के निकाय में कोई आवश्यक मवय म्थापित किये विना। मोहम्मद के विचार बहुत स्वस्थ थे, उनमें अपने राजनीतिक क्रम को पूर्णरूपेण एकीकृत कर दिया और जब तक उनके उत्तराधिकारी खलीफों के अधीन उनके द्वारा म्थापित शासकीय प्रकार निर्वाहित रहा, शासन विलकुल अभग्न और उम दृष्टि में उत्तम रहा। परन्तु मयन्न, विद्वान, मुसन्कृत, स्त्रीवत् और आलमी हो जाने के कारण अन्व के लोग असम्य लोगों द्वारा विजित हो गये और तब दो शक्तियों के बीच विभाजन पुन आरम्भ हो गया। यद्यपि यह विभाजन मुसलमानों में उतना प्रत्यक्ष प्रतीत नहीं होता जितना ईसाइयों में, तथापि उनमें भी और विशेषकर अग्नी के मप्रदाय में यह अतन् वर्तमान है, और ऐसे राज्य वर्तमान हैं, उदाहरणार्थ ईरान, जिनमें यह अब भी अवलोकित हो सकता है।

हम लोगों में, एंग्लैण्ड के राजाओं ने अपने आपको धर्म का प्रमुग् प्रतिष्ठापित कर लिया। जाग ने भी ऐसा ही किया है। परन्तु इम उपाधि द्वारा उन्होंने अपने आपको

धर्म का प्रशासी अधिकारी ही बनाया है, शासक नहीं। धर्म को परिवर्तित करने का अधिकार अवाप्त नहीं किया है केवल सघृत करने का ही, वे धर्म के विधायक नहीं बन सके, परन्तु धर्म के राजक ही बने। जहाँ कहीं पादडी लोग एक निगम स्थापित कर लेते हैं वे अपने देश के स्वामी तथा विधायक होते हैं। इस प्रकार इंग्लैण्ड और रूस में भी दूसरे देशों के समान दो शक्तियाँ और दो सार्वभौमिक सत्ताधिकारी ही रहे।

सब ईसाई लेखकों में केवल दार्शनिक हौन्स ही एक ऐसा है जिसने इस दोष का तथा इसके प्रतिकार का प्रत्यक्ष निरूपण किया है और जिसने यह प्रस्ताव करने का साहस किया है कि चील के सिरों को पुनः संयुक्त कर देना चाहिये और राजनीतिक एकरूपता को सपूर्णतया पुनः स्थापित कर देना चाहिये, क्योंकि इसके बिना कोई राज्य और शासन सुसंगठित नहीं हो सकता। परन्तु इस दार्शनिक को देखना चाहिये था कि ईसाइयत का मदोद्धत सत्व उसकी पद्धति से असंगत है और राज्य की अपेक्षा पुरोहित का हित सदा अधिक प्रबल होनेवाला है। यदि इसका सिद्धान्त अप्रिय हुआ है तो इसके भयानक और मिथ्याखडो के कारण नहीं बल्कि न्याय और सत्य खडो के कारण ही हुआ है^१।

मेरी मान्यता है कि ऐतिहासिक तथ्यों को इस दृष्टिकोण से विकसित करके वेल और बार्बटन के विपरीत मत सुगमता से खडित हो सकते हैं। वेल की धारणा है कि कोई धर्म भी राजनीतिक निकाय को लाभप्रद नहीं होता। इसके विपरीत बार्बटन का

१ यह निरूपित करना आवश्यक है कि जो पादडियों को एक निगम में बद्ध करता है वह फ्रांस के समान नियमित परिषदों का अस्तित्व नहीं होता परन्तु सम्प्रदायों का सम्पर्क होता है। सम्पर्क और बहिष्कार, ये पादडियों के सामाजिक पाषण हैं और इस पाषण द्वारा वे सदा राजाओं और राष्ट्रों के स्वामी बने रहेंगे। सब पुरोहित जो सभान सम्पर्क के हैं सह-नागरिक हैं यद्यपि वे एक दूसरे के इतने दूरस्थ हैं जितने ध्रुव। यह आबिष्कार नीति की एक अत्यन्त रचना है। मूर्तिपूजक पुरोहितों में इसके समान कुछ नहीं था, इ गीलिये वे कभी पादडियों का निगम निर्माण नहीं कर सके।

२ अवलोकन हो, दूसरों के मध्य, ग्रीस के ११ अप्रैल, १९४३ को अपने भाई को लिखे एक पत्र में, कि वह विद्वान मनुष्य De Cive पुस्तक में किस बात का अनुमोदन करता था और किसको दूषित समझता था। यह सत्य है कि, दयालु प्रवृत्ति होने के कारण, वह लेखक को अच्छाई की वजह से दूषित भाग के लिये क्षमिit करता हुआ प्रतीत होता है, परन्तु प्रत्येक व्यक्ति इतना दयालु नहीं होता।

दृढ़ मत है कि ईसाइयत राजनीतिक निवाय का प्रबलतम ममर्थन होता है। पूर्व लेखक के हितार्थ यह प्रमाणित किया जा सकता है कि कोई राज्य भी उसका आधार धर्म हुए बिना प्रस्थापित नहीं हो सका है, और द्वितीय लेखक के हितार्थ कि ईसाई विधान राज्य के दृढ़ मविधान के लिये लाभप्रद होने की अपेक्षा अधिक क्षतिप्रद है। मुझे अपने विषय को समझाने में सफल होने के लिये, धर्म के मवध में अति अनिश्चित विचारों को कुछ सुतथ्यता देनी ही पड़ेगी।

समाज के मवध में अवलोकित करते हुए, जो साधारण अथवा विशिष्ट होती है धर्म के भी दो प्रकार किये जा सकते हैं—अर्थात् मनुष्य का धर्म अथवा नागरिक का धर्म। प्रथम प्रकार जिसमें न मंदिर, न वेदियाँ, न मस्कार होते हैं और जो वरिष्ठ ईश्वर की पूर्णरूपेण आन्तरिक पूजा और शील के शाश्वत दायित्वों तक सीमित होता है, उज्जील का पवित्र और मरल धर्म है, यह मत्य ईश्वरवाद है जिसे प्राकृतिक ईश्वरीय विधान भी कहा जा सकता है। द्वितीय प्रकार जो किसी एक देश में अंकित होता है, उस देश को उसके देवता और विशिष्ट और समृद्धिदायक मरलक प्रदान करता है, इसके मिद्धान्त होते हैं, मस्कार होते हैं और विधानों द्वारा म्यापित बाह्य पूजा होती है, उस एकल राष्ट्र के अतिरिक्त जो इसका पालन करता है, इसकी दृष्टि में प्रत्येक वस्तु नास्तिक, विदेगी और असभ्य होती है, इसके अन्तर्गत मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकार केवल इसकी वेदियों तक ही सीमित होते हैं। आद्य राष्ट्रों के धर्म जिन्हें ईश्वरीय, सामाजिक अथवा यथार्थ विधान कहा जाता है, सब इसी प्रकार के थे।

एक तीसरे प्रकार का, और अधिक अतिशय रूपी, धर्म भी है, जो मनुष्यों को दो विधानों की श्रेणियाँ, दो राजक और दो देश देने के कारण उन पर विरोधाभासी दायित्व आरोपित करता है और साथ ही उन्हें धार्मिक मनुष्य और नागरिक बनने में निवारित करता है। यह लामा लोगो का धर्म है, यह जापानियों का धर्म है और यह रोमन ईसाइयत का धर्म है। इन प्रकार को पुरोहित का धर्म भी कहा जा सकता है। इनके परिणामस्वरूप एक सम्मिश्रित प्रकार का विधान उत्पादित होता है जिसका कोई नाम ही नहीं है।

राजनीतिक दृष्टि में अवलोकित करने पर इन तीनों प्रकारों के धर्मों में दोष पाये जाते हैं। तीसरा तो प्रत्यक्ष इतना दोषी है कि इसका प्रमाण देने के लिये कतना समय का ध्यमात्र होगा। जो सामाजिक एकता को विनष्ट करता है वह सर्वथा दोषी है। वे सब मस्याएँ जो मनुष्य को अपने प्रति प्रतिशोभावस्था में स्थापित करती हैं, गुणहीन हैं।

दूसरा उस सीमातक अच्छा है जिस सीमा तक वह ईश्वरीय पूजा को विधानोंके प्रेम से मम्मिलित करता है और देश को नागरिकों की भक्ति का केन्द्र बनाकर उन्हें यह शिक्षा देता है कि राज्य की सेवा शासक देवता की सेवा है। यह ईश्वरवाद का एक प्रकार है जिसमें शासनाधिकारी के अतिरिक्त कोई प्रधान पादवी नहीं होता और दंडाधिकारियों के अतिरिक्त कोई पुरोहित नहीं होता। देश के लिये मरना शहीद की मौत मरना समझा जाता है, विधानों का उल्लघन करना भ्रष्ट कार्य माना जाता है और किसी अपराधी मनुष्य को सार्वजनिक घृणा द्वारा दंडित किया जाना उसको देवताओं के कोप को समर्पण किया जाना माना जाता है—“इसे पतित होने दो।”

परन्तु यह प्रकार दोषी भी है क्योंकि विभ्रम और मिथ्यात्व पर आधारित होने के कारण यह मनुष्यों को वंचित करता है, उन्हें अन्ध-विश्वासी और असत्यधर्मी बना देता है, और ईश्वर की सत्य पूजा को निरर्थक अनुष्ठानों द्वारा अस्पष्ट कर देता है। अपरच यह तब दोषी होता है जब अपवर्जी और अत्याचारी होकर यह राष्ट्र को क्रूर और असहिष्णु बना देता है, ताकि राष्ट्र वध और सहार के अतिरिक्त किसी और वस्तु का प्यासा नहीं रहता, और यह मानने लग जाता है कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो इसके देवताओं को स्वीकार नहीं करता, मारने से यह पवित्र कार्य संपादित कर रहा है। इस प्रकार यह राष्ट्र को अन्य समस्त राष्ट्रों के प्रति स्वाभाविक युद्ध-स्थिति में सस्थापित कर देता है, जो राष्ट्र की अपनी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत प्रतिकूल होती है।

इस प्रकार केवल मनुष्य का धर्म अथवा ईसाइयत वचता है, वर्तमान की ईसाइयत नहीं, परन्तु इज्जिल की ईसाइयत जो वर्तमान के धर्म से विलकुल विभिन्न है। इस पावन, उन्नत और पवित्र धर्म से मनुष्य जो एक ही ईश्वर के वच्चे हैं, एक दूसरे को अपने भाई मानते हैं और जो सामाजिक वध उन्हें मयुक्त करता है, मृत्यु पर भी लुप्त नहीं होता।

परन्तु यह धर्म राजनातिक निकाय में कोई विशिष्ट मवध न रखने के कारण विधानों को केवल उस बल के सहारे छोड़ देता है जो वे स्वतः प्राप्त करते हैं, अन्य कोई बल उनमें युक्त नहीं होता, और इस कारण उम विशिष्ट समाज का एक महान् वध प्रभावहीन रह जाता है। इससे भी अधिक, नागरिकों के हृदय को राज्य से अनुरक्त करने की अपेक्षा यह उन्हें राज्य से और मव सामारिक वस्तुओं में विरक्त कर देता है, सामाजिक मत्व के इममें अधिक विपरीत वस्तु का म्से जान नहीं है।

कहा जाता है कि वास्तविक ईसाइयों का राष्ट्र सपूर्णतम चित्त समाज का निर्माता होगा। इस कल्पना में मुझे केवल एक महान् कठिनाई लगती है, वह यह कि वास्तविक ईसाइयों का समाज मनुष्यों का समाज न रह पायगा।

मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि यह कल्पित समाज सपूर्ण होने हुए भी न प्रबलतम होगा और न स्थायीतम। सपूर्ण होने के कारण ही इसमें मलाग का अभाव होगा, वास्तव में इसकी पूर्णता ही इसका विनाशकारी दोष होगा।

प्रत्येक मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करेगा, लोग विधानों का अनुसरण करेंगे, प्रमुख मनुष्य न्यायमग्न और अनतिगामी होंगे, दंडाधिकारी ईमानदार और अशोधनीय होंगे, सैनिक मृत्यु का तिग्मकार करेंगे, अभिमान और विन्यासिता का अभाव होगा। यह सब बहुत उत्तम है, परन्तु जरा आगे देखिये।

ईसाइयत सपूर्णतया एक आध्यात्मिक धर्म है जिसका समस्त मवध स्वर्गीय वस्तुओं में है, ईसाइयों का देश इस समाज का नहीं होता। यह मत है कि ईसाई अपना कर्तव्य पालन करता है, परन्तु अपने प्रयत्नों की सफलता अथवा विफलता के प्रति गभीर उदासीनता के साथ। जब तक वह कोई निन्दनीय कार्य नहीं करता, उसे इसकी कतई चिन्ता नहीं कि इस समाज में भलाई है अथवा बुराई। यदि राज्य समृद्ध होता है तो सार्वजनिक भोग का उपभोग करने का वह साहस नहीं कर सकता है, अपने देश की प्रसिद्धि में गर्वित होने में वह उरता है, यदि राज्य अवनत हो जाय तो भी वह ईश्वर के हस्त का, जो उसके लोगों पर बठीरता से पडता है, गुणगान ही करता है।

समाज को शान्तिपूर्ण बनाने और सध्वनि स्थापित करने के लिये, यह आवश्यक होता है कि विना अपवाद सब नागरिक समानरूप में उत्तम ईसाई हों। परन्तु यदि दुर्भाग्य से एक भी मनुष्य आकाशी हो जाय, पाखंडी हो जाय, उदाहरणार्थ कैटीलीन या श्रीमवेल् समान हो जाय, तो निश्चित रूप से ऐसा मनुष्य अपने धार्मिक देशवासियों की अपेक्षा अधिक प्रलाभ प्राप्त कर लेगा। ईसाई दयालुता मनुष्यों को शीघ्रतया अपने पदोमित्यों के अहित चिन्तन की आज्ञा नहीं देती। ज्योंही चतुर्गई में कोई मनुष्य उनको वचित करने और स्वतः सार्वजनिक प्रभुत्व का भाग जवाप्य करने की कला प्राप्त कर लेता है, वह गौन्व में विनियोजित हो जाता है, ईश्वर की यह इच्छा हो जाती है कि वह आदरित हो जाय, शीघ्र ही वह स्वामित्व धारण करने लग जाता है, ईश्वर की इच्छा होती है कि उनका आज्ञानुपालन हो। इन शक्ति का निक्षेपक यदि उनका दुर्गुणयोग करने लगे, तो यह एक ऐसी दृष्टी मानी जाती है जिसने द्वारा ईश्वर

अपने बच्चो को दडित कर रहा है । बलाधिकारी को निष्कासित करने में लोगो को सशय होगा , ऐसा करने के लिये सार्वजनिक शान्ति को क्षुब्ध करना, हिंसा का प्रयोग करना और रक्त का बहाना आवश्यक होगा । यह सब कुछ ईसाई विनय के अनुरूप नहीं , और अत मे क्या यह बहुत महत्व की बात है कि लोग इन सतापो के दरें मे स्वतंत्र है अथवा दास ? महत्त्वपूर्ण वस्तु तो स्वर्ग को प्राप्त करना है, और त्याग-भावना उस उद्देश्य की प्राप्ति का एकमात्र साधन है ।

कोई विदेशी युद्ध आरम्भ हो जाता है । नागरिक विना अनुकूलता के युद्ध मे भाग लेने को प्रस्थान करते है , कोई प्लवन की नही सोचता , वे अपना कर्तव्य पालन करते है, परन्तु विजय की तीव्र अभिलाषा के विना , वे विजय करने की अपेक्षा मरना अधिक अच्छी तरह से जानते है । यह कौन-सी महत्त्व की बात है कि वे विजेता है अथवा विजित ? क्या परमेश्वर अधिक अच्छी तरह नही जानता कि उनके लिये क्या आवश्यक है ? सोचिये तो सही कि एक साहसी, तीव्र और उत्साही शत्रु इस निस्पृह उदासीनता से क्या प्रलाभ न उठायेगा । इनके विरुद्ध ऐसे अभिजात राष्ट्रो को स्थिर कीजिये जो कीर्ति और देश के उग्र प्रेम से उत्तेजित हुए है, ईसाई गणराज्य को स्पार्टा अथवा रोम के विरोध में कल्पित कीजिये । अपने आपको एकत्रित करने का समय प्राप्त करने के पूर्व ही धार्मिक ईसाई पराजित, दलित और विनष्ट हो जायेगे, अथवा उनकी सुरक्षा केवल शत्रुओ की उनके प्रति घृणा के परिणामस्वरूप ही हो सकेगी । मेरे विचार में फेंदियस के सैनिको की शपथ बहुत उत्कृष्ट थी , वे मरने अथवा विजय प्राप्त करने की शपथ नही लेते थे, वे विजितो के रूप में वापिस न होने की शपथ लेते थे और अपनी शपथ को निबाहते थे । ईसाई कभी ऐसा नही कर सकते , उनकी तो यह वारणा होती है कि ऐसी शपथ लेकर वे ईश्वर के शोध को आर्कषित कर रहे है ।

परन्तु मैं ईसाई गणराज्य की बात करके गलती करता हूँ, यह दोनो शब्द परस्पर मे अपवर्गी है । ईसाइयत केवल सेवाभाव और अधीनता का उपदेश करती है । अत्याचार के लिये यह सत्त्व इतना अनुकूल है कि यह हो नही सकता कि अत्याचार सदा इसका लाभ न उठाये । वास्तविक ईसाई दास बनने के योग्य है, उन्हें इसका ज्ञान है और इसमे उत्तेजित नही होते, उनकी दृष्टि मे इस क्षीण जीवन का धुद्रतम महत्त्व है ।

कहा जाता है कि ईसाई सेनाएँ बहुत श्रेष्ठ है । मैं इसे अस्वीकार करता हूँ । कोई मुझे श्रेष्ठ ईसाई सेना दिखाये । जहाँ तक मेरी बात है मैं तो किसी ईसाई सेना का अस्तित्व भी नही जानता । लोग मेरे समक्ष धर्मयुद्धो का प्रोद्धरण करेगे । धर्मयोद्धाओ

के माहस पर शका किये बिना, मैं यह कहूँगा कि ईसाई होने की अपेक्षा वे पुरोहित के सैनिक थे, धार्मिक सस्या के नागरिक थे, उन्होंने अपने आध्यात्मिक देश के लिये युद्ध किया, जिसे धार्मिक सस्या ने किमी प्रकार सासारिक बना दिया था। वास्तव में यह तो मूर्तिपूजा की ओर प्रवृत्त करता है, क्योंकि इजील ने कोई राष्ट्रीय धर्म स्थापित नहीं किया, इसलिये ईसाइयो में धार्मिक युद्ध अमभव है।

मूर्तिपूजक सम्राटो के अधीन ईसाई सैनिक अवश्य बहादुर थे, सब ईसाई लेखक इसकी पुष्टि करते हैं और मैं भी इसे मानता हूँ। मूर्तिपूजक सेनाओ के विरुद्ध सम्मान की स्पर्धा थी। जब सम्राट् ईसाई हो गये तो यह स्पर्धा निर्वाहित न रही; और जब टिकटी ने चील को निष्कासित कर दिया, तो ममस्त रोमी माहम विलुप्त हो गया।

परन्तु राजनीतिक विचारो को उत्सादित करते हुए हमे अधिकार के विषय पर वापिस जाना चाहिये और इस महत्त्वपूर्ण विषय के सिद्धान्त का निरूपण करना चाहिये। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो अधिकार सामाजिक पाषण द्वारा सार्वभौम सत्ताधिकारी को अपनी प्रजा पर प्राप्त होते हैं वे सार्वजनिक उपयोगिता की सीमाओ के परे नहीं होते। उस दशा को छोडकर जब प्रजा का मत समाज के लिये महत्त्वपूर्ण होता है, प्रजा सार्वभौमिक सत्ताधिकारी को अपने मत में अवगत कराने को बाध्य नहीं होती। परन्तु राज्य के लिये यह बहुत आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक का एक धर्म हो जिसमें वह अपनी कर्तव्य पूर्ति में सतोष प्राप्त कर सके। परन्तु अतिरिक्त उस परिस्थिति के जहाँ उस धर्म के सिद्धांत उस शील अथवा उन कर्तव्यो पर प्रभाव डालने हो जो इस धर्म का अनुयायी अन्यो के प्रति पालन करने को बाध्य होता है, इस धर्म के सिद्धांत न राज्य से और न सदस्यो ने मवच रखने है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार

१. सार्वजनिक दार्शनिक कहता है कि समधिराज्य में प्रत्येक व्यक्ति वह करने को जिससे वह अन्य को क्षति नहीं पहुँचाता सपूर्णतया स्वतंत्र होता है। यह अपरिवर्तनीय सत्य होता है, इसका निरूपण अधिक निश्चित रूप में नहीं किया जा सकता। इस पाडुलिपि से फहीं कहीं उद्धरण लेने के मोद से मैं अपने आपको निवर्तित नहीं कर सका हूँ, हालाँकि इस पाडुलिपि का लोगो को ज्ञान नहीं है, यह मैंने इसलिये किया है कि एक प्रतिष्ठ और सम्माननीय मनुष्य की स्मृति को आवरित किया जा सके जिसने पदाधिकारी होते हुए भी एक नृत्य नागरिक के हृदय को सरक्षित रखा और निज शासन के प्रति न्याय और स्वस्थ सतो को सघृत किया।

रखते हैं अथवा नहीं, कि किसी सूत्रसमूह को स्वीकार करते हैं अथवा नहीं, और किसी धर्म में अधिक भक्ति रखते हैं अथवा न्यून, लोगों का विवाह सपन्न करने अथवा न करने का विकल्प प्राप्त होने के कारण, क्या यह स्पष्ट नहीं है कि केवल धर्मसंस्था ही चतुरता से आचरण करके, और सुबुद्ध रहकर दायों, पवों, नागरिकों और स्वतः राज्य को जो केवल विजातो द्वारा सघटित होकर निर्वाहित नहीं रह सकता, विनियोजित करने की अधिकारी बन जायगी ? परन्तु यह कहा जाता है कि मनुष्य दोषों के विरुद्ध अभ्यवाहन कर सकेंगे, वे आहूत करेंगे, प्रादेश प्रसारित करेंगे, और सासारिक लाभों को अर्जित करेंगे। कितना दयनीय है। पादडी लोग चाहे उनमें, मैं साहस की नहीं कहता हूँ परन्तु सुचेतना की, कितनी ही कमी क्यों न हो, ऐसा होने देंगे और अपना कार्य करते रहेंगे, वे शान्तिपूर्वक अभ्यवाहन, स्थगन, प्रादेशन और ग्रसन होने देंगे और अंत में स्वामी रहेंगे। मेरी मान्यता है कि एक अश को परित्यक्त करने में कोई वलिदान नहीं होता जब कि व्यक्त को संपूर्ण का प्रधारण प्राप्त करने की निश्चितता हो।

परिच्छेद ९

परिणाम

राजनीतिक अधिकारो के सत्य सिद्धान्तो को निरूपित करने और राज्य को अपने आधारो पर सस्थापित करने के प्रयत्नो के पश्चात् इमे केवल बाह्य सबधो मे मुदृढ करने की आवश्यकता रहेगी । ऐसे बाह्य सबधो मे राष्ट्रो के विधान, व्यापार, युद्ध तथा विजय के अधिकार, मार्वजनिक अधिकार, सम्मैत्रियाँ, परक्रामण, और सधियाँ इत्यादि निहित होती हैं । परन्तु यह सब एक नवीन विषय से सबधित है जो मेरे सीमित क्षेत्र के लिये अति विस्तृत है, मुझे तो और अधिक मकुचित क्षेत्र मे अपने आपको सीमित रखना चाहिये था ।

परिच्छेद ९

परिणाम

राजनीतिक अधिकारो के सत्य सिद्धान्तो को निरूपित करने और राज्य को अपने आधारो पर सस्थापित करने के प्रयत्नो के पश्चात् इसे केवल बाह्य सवधो मे सुदृढ करने की आवश्यकता रहेगी । ऐसे बाह्य सवधो मे राष्ट्रो के विधान, व्यापार, युद्ध तथा विजय के अधिकार, सार्वजनिक अधिकार, सम्मैत्रियाँ, परक्रामण, और सधियाँ इत्यादि निहित होती हैं । परन्तु यह सब एक नवीन विषय से सवधित हैं जो मेरे सीमित क्षेत्र के लिये अति विस्तृत हैं, मुझे तो और अधिक सकुचित क्षेत्र मे अपने आपको सीमित रखना चाहिये था ।